मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले वुज़ू

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारूलउलूम देवबंद की तस्दीक़ व ताईद करदा

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी

(मुदर्रिस दारूलउलूम देवबंद)

मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले वुज़ू

(मअ़ मसाइले तयम्मुम व इस्तिंजा)

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक़ के साथ

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो
466, मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

किताब का नामः... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले वुज़ू
मुसन्निफ़ः......... मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
ज़ेरे निगरानीः...... शकील अन्जुम देहलवी
तादादः.......... 1100

Masaile Wuzoo

By:Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by
Anjum Book Depot
466, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

विषय सूची

क्या ?	कहाँ ?

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖

❖❖❖❖

❖❖❖

❖❖

❖

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

इंतिसाब

मैं अपनी इस काविश (**मसाइले वुज़ू**) को जामेअ़ शरीअत व तरीक़त जामेउल–उलूम फ़कीहुल–उम्मत सैयदी व शैख़ी व उस्ताज़ी व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ़्ती **महमूद हसन** साहब गंगोही क़द्दसल्ला सिर्रहुल अज़ीज़, चिश्ती, क़ादिरी, सुहरवर्दी, नक़्शबन्दी साबिक़ मुफ़्तिये आज़म दारुल उलूम देवबन्द की तरफ मंसूब करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, जिनका विसाल बउम्र 92 साल 17/ रबीउस्सानी 1417 हिज0, मुताबिक़ 2/ सितम्बर 1996 ई0 को मौसूफ़ मरहूम के ख़लीफ़ा व ख़ादिमे ख़ास मौलाना मुहम्मद इब्राहीम साहब दामत बरकातुहुम अफ़्रीक़ी के वतन जुनूबी अफ़्रीक़ा के शहर जोहानिस बर्ग में हुआ और वहीं आपकी तदफ़ीन अमल में आई।

अल्लाह तआला अपनी रहमते कामिला से हज़रत मुफ़्ती साहब मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमा कर उनकी क़ब्र को अपने अनवार से भर दे, आमीन।

यके अज़ ख़ुद्दाम हज़रत मुफ़्ती साहब मरहूम।

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

ग़ुफ़िरा लहू मुदर्रिस दारुल–उलूम

देवबन्द (रजब 1418 हिज.)

(1)

अर्ज़े मुअल्लिफ़

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله رب العالمين والصلوٰة والسلام علىٰ سيد
الانبياء والمرسلين محمد وعلىٰ آلهٖ و اصحابه
وازاوجه وسلّم ..أما بعد

ख़्याल यह था कि "मसाइले वुज़ू और मसाइले ग़ुस्ल" पर एक मुख़्तसर किताब हो जाएगी, इसलिए इसका एलान कर दिया था, लेकिन ज़रूरी–ज़रूरी मसाइल काफी तादाद में जमा हो गए इसलिए मसाइले वुज़ू और मसाइले ग़ुस्ल को अलग–अलग दो किताबों में मुरत्तब कर दिया गया है।

क़द्रे ताख़ीर की वजह से मुन्तज़िरीन व मुख़्लिसीन के किताब की तलब में बहुत से ख़ुतूत आए। मैं उन सब हज़रात से इल्मी मश्ग़ूलियत व मस्रूफ़ियत की वजह से मअज़िरत ख़्वाह हूं।

अल्हम्दुलिल्लाह चौदहवीं किताब "मुकम्मल व मदल्लल मसाइले वुज़ू" पेश है, जिस में फ़ज़ाइले वुज़ू और उसकी हिक्मतें, कैसे पानी से और किस जगह वुज़ू किया जाए, वुज़ू के सहीह होने की शर्तें, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बाते वुज़ू, नवाक़िज़े वुज़ू हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, सर का मसह, चोट, प्लास्टर, ज़ख़्म, मरीज़ और माज़ूरों से मुतअल्लिक़ मसाइले वुज़ू, नीज़ बीमार होने या पानी न मिलने पर तयम्मुम क्यों है?

और मुतअल्लिका मसाइल, पेशाब का हुक्म, उससे इहतियात न करने पर अज़ाबे क़ब्र की वईद, इस्तिंजे से मुतअल्लिक़ मसाइल। गर्ज़ेकि वुज़ू, तयम्मुम और इस्तिंजे से मुतअल्लिक़ तक़रीबन नौ सौ मसाइल दर्ज हैं।

या अल्लाह! हम सबको इन मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा और अपने फ़ज़्ल व करम से अहक़र की इस काविश को क़बूल फ़रमा कर आइंदा भी दीनी ख़िदमत का मौक़ा अता फ़रमा। आमीन

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी
ख़ादिमुत्तदरीस दारुल उलूम देवबन्द

यकुम रजब 1418 हिज. मुताबिक़ 2/नवम्बर 1997 ई0

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुदीन साहब दामत बरकातुहुम
सदर मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द

باسمہ سبحانہٗ

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام خیر خلقہ
و خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ الہ
واصحابہ وعلی من تبعہ با لصدق الیٰ قیام القیٰمۃ
اجمعین۔ وبعد :

पेशे नज़र किताब मुरत्तबा हज़रत मौलाना मुहम्मद रफ़अत साहब क़ासमी उस्ताज़ दारुल उलूम देवबन्द चीदा चीदा मक़ामात से देखा। माशाअल्लाह अच्छा मज्मूआ है। बाज़ जगह जहां अहक़र को कुछ तरद्दुद हुआ ज़ाहिर कर दिया और हज़रत मौलाना मौसूफ़ ने उसकी दुरुस्तगी की दरख़्वास्त को क़बूल भी फ़रमा लिया, इसलिए क़वी उम्मीद है कि यह किताब भी हज़रत मौलाना मौसूफ़ की साबिक़ा काविशों की तरह मक़्बूले अवाम व ख़्वास होगी। इसके लिए दिल से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह तआला क़बूल फ़रमाएं। आमीन

फ़क़त वस्सलाम

कतबहुल–अब्दु निज़ामुदीन

मुअर्रख़ा 28 रजब 1418 हिज.

इरशादे गिरामी क़द्र

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फीरुद्दीन साहब दामत बरकातहुम

मुरत्तिब फ़तावा दारुल–उलूम व मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

क़ाबिले मुबारकबाद हैं मौलाना मुहम्मद रफ़अत साहब क़ासमी उस्ताज़े दारुल उलूम देवबन्द, जो अरसा से उन तमाम मसाइल को जो बिखरे हुए हैं, मुख़्तलिफ़ फ़तावा और फ़िक्ह की किताबों में जमा कर रहे हैं, जिनकी अक्सर दीन दार मुसलमानों को ज़रूरत रहती है, इससे पहले आपकी तेरह किताबें शाए होकर मक़्बूले ख़ास व आम हो चुकी हैं, यह आपकी चौदहवीं किताब मसाइले वुज़ू है। इसमें आपने वुज़ू , तयम्मुम और इस्तिंजे के तमाम मसाइल को जमा करने की सई की है, जो फ़तावा की बहुत सी किताबों में हैं, वुज़ू की हिक्मत व ज़रूरत, इसके फ़वाइद पर रोशनी डाली गई है। तक़रीबन 35 किताबों से हवाला दिया गया है। इस मौज़ू का शायद ही कोई मस्अला रह गया हो और नाज़िरीन के लिए बड़ी सुहूलत हो गई है मस्अला तलाश करने की, फिर मसाइल के ज़िम्न में माए–मुस्तामल, ग़ैर मुस्तामल, हौज़ उसकी पैमाइश, मिस्वाक के मुतअल्लिक़ मसाइल, माज़ूर के मसाइल व अहकामात, यह

सारी बहसें उम्दा अन्दाज़ में आ गई हैं और मसाइल का नायाब ख़ज़ाना इस किताब में जमा कर दिया है, क़दीम मसाइल के साथ जदीद मसाइल भी आए हैं, जिनकी मौजूदा दौर में काफ़ी ज़रूरत है, जो ढूँढने से जल्दी नहीं मिलते। वह सब यक्जा कर दिए हैं।

मसाइले वुज़ू व तयम्मुम के साथ इस्तिंजा के मसाइल भी तफ़्सील के साथ आ गए हैं, जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस्तिंजा के आदाब और उसकी ज़रूरत का भी ब्यान है, किताब इस उनवान पर बड़ी जामेअ़ है, हर मुसलमान के लिए क़ाबिले मुतालआ है।

हमारी दुआ है कि रब्बुल–आलमीन मौसूफ़ की यह ख़िदमत क़बूल फ़रमाए और उनके लिए ज़ख़ीर–ए–आख़िरत बनाए। आमीन।

तालिबे दुआ
मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन ग़ुफ़िरा लहू
मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द
(20 रजब 1418 हिज.)

❖❖❖

(2)
तक़रीज़

फ़कीहुन्नफ़्स हज़रत मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब
मद्दा ज़िल्लहुल–आली, पालन पूरी
मुहद्दिसे कबीर दारुल उलूम देवबन्द

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

इमामुल–हिन्द, हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कुद्दसा सिर्रहू ने तहसीले सआदत का मरजा चार ख़स्लतों को बताया है, इनमें से एक तहारत (पाकी) है। पाकी इंसान को मलए आला के मुशाबेह बनाती है, जबकि हदस और नापाकी से शैतानी वस्वसे क़बूल करने का माद्दा पैदा होता है, जब तहारत और पाकीज़गी इंसान पर ग़ालिब आती है और वह तहारत की हक़ीक़त से आगाह और बा ख़बर हो जाता है और तहसीले तहारत में हमा तन मसरूफ़ हो जाता है तो उसके अन्दर इल्हामाते मलाइका के क़बूल करने की इस्तेदाद पैदा हो जाती है, नीज़ मलाइका को देखने की भी सलाहियत पैदा हो जाती है, इंसान उम्दा–उम्दा ख़्वाब देखने लगता है और उसमें ज़ुहूरे अनवार की क़ुव्वत व सलाहियत पैदा हो जाती है (हुज्जतुल्लाहिल–बालिग़ा स० 54) और तहारत का एहतिमाम करने के लिए उसके मुतअल्लिक़ा मसाइल का जानना ज़रूरी है। शरीअत की राह नुमाई के बेग़ैर, और वुज़ू व ग़ुस्ल के

अहकाम जाने बेग़ैर आदमी सहीह तरीक़ा पर पाकी का एहतिमाम नहीं कर सकता।

मुझे खुशी है कि बिरादरे मुकर्रम जनाब मौलाना मुहम्मद रफ़अत साहब क़ासमी उस्ताज़े दारुल–उलूम देवबन्द ने वुज़ू व गुस्ल के मुफ़स्सल अहकाम मुरत्तब फ़रमाए हैं और वह बड़ी हद तक अक़्ली और नक़्ली दलाइल से मुदल्लल भी हैं, मौसूफ़ माशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ हैं, मुतअद्दद किताबें उनके क़लम से वुजूद में आकर क़बूलियते आम हासिल कर चुकी हैं।

उम्मीद करता हूं कि उनकी यह किताब भी बारगाहे खुदावन्दी में क़बूलियत का शर्फ़ हासिल करेगी और उम्मत को इससे फ़ैज़ पहुंचेगा। अल्लाह तआला महज़ अपने फ़ज़्ल से इस किताब को क़बूलियत का शर्फ़ बख़्शें। आमीन

सईद अहमद

अफ़ल्लाहु अन्हु पालनपूरी

खादिम दारुल–उलूम देवबन्द

(यकुम शाबान 1418 हिज.)

(मुकम्मल व मुदल्लल)
मसाइले वुज़ू

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ
امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥

ख़ुलास-ए-तफ़सीर :

ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ को उठने लगो (यानी नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और तुमको उस वक़्त वुज़ू न हो) तो वुज़ू कर लो, यानी अपने चेहरे को धोओ और अपने हाथों को कुहनियों समेत (धोओ) और अपने सरों पर (भीगा) हाथ फेरो। और अपने पैरों को भी टख़नों समेत (धोओ) और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो (नमाज़ से पहले) सारा बदन पाक कर लो और अगर तुम बीमार हो (और पानी का इस्तेमाल मुज़िर हो) या हालते सफ़र में हो (और पानी नहीं मिलता जैसा आगे आता है, यह तो उज़्र की हालत हुई) या (अगर मरज़ व सफ़र का उज़्र भी न हो बल्कि वैसे ही वुज़ू या ग़ुस्ल टूट जाए इस तरह से की मसलन) तुम में से कोई शख़्स (पेशाब या पाख़ाना के) इस्तिंजे से (फ़ारिग़ हो कर) आया हो (जिससे वुज़ू टूट जाता

है) या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो (जिससे गुस्ल टूट गया हो) और फिर इन सारी सूरतों में) तुमको पानी के (इस्तेमाल का मौका) न मिले (ख़्वाह बवज्हे ज़रर के या पानी न लिमने के) तो इन सब हालतों में तुम पाक ज़मीनों से तयम्मुम कर लिया करो यानी अपने चेहरों और हाथों पर फेर लिया करो। इस ज़मीन (की जिन्स) पर से (हाथ मार कर) अल्लाह तआला को इन अहकाम के मुकर्रर फ़रमाने से) यह मन्ज़ूर नहीं कि तुम पर कोई तंगी डालें (यानी यह मन्ज़ूर है कि तुम पर कोई तंगी न रहे, चुनांचे अहकामे मज़्कूरा में खुसूसन और तमाम अहकामे शरईया में उमूमन रिआयत, सहूलत व मस्लेहत ज़ाहिर है) लेकिन अल्लाह तआला को यह मन्ज़ूर है कि तुमको पाक साफ़ रखे (इसलिए तहारत के कवाएद और तुरुक़ मशरूअ किए और किसी एक तरीक़ पर बस नहीं किया गया कि अगर वह न हो तो तहारत मुम्किन ही न हो, मसलन, सिर्फ़ पानी को मुतह्हिर रखा जाता तो पानी न होने के वक़्त तहारत हासिल न हो सकती, यह तहारत अब्दान तो ख़ास अहकामे तहारत ही में है। और तहारते कुलूब तमाम ताआत में है, पस यह तत्हीर दोनों को शामिल है। और अगर यह अहकाम न होते तो कोई तहारत हासिल न होती)। और यह (मन्ज़ूर है) कि तुम पर अपना इंआम ताम फ़रमा दे।

(इसलिए अहकाम की तक्मील फ़रमाई, ताकि हर हाल में तहारते बदनी व क़ल्बी जिसका समरह रज़ा व कुर्ब है जो आज़म नेअम है हासिल कर सको) ताकि तुम (इस इनायत का) शुक्र अदा करो (शुक्र में इम्तिसाल भी दाख़िल है)। (मआरिफुल–कुरआन स0 65 जिल्द 3), पारा 6 सूरः माइदा

❖❖❖

फ़ज़ाइले वुज़ू

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तहारत को (जिसका एक जुज़्व वुज़ू है) निस्फ़ ईमान फ़रमाया है। **(तिर्मिज़ी शरीफ़)**।

ईमान के दो हिस्से हैं : एतेक़ाद और अमल, अमल का बड़ा हिस्सा यानी नमाज़, तहारत (पाकी) पर मौक़ूफ़ है, इसलिए इसको निस्फ़ ईमान फ़रमाया गया।

(1) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वुज़ू करने से अल्लाह तआला सग़ीरा (छोटे) गुनाहों को मआफ़ करता है और आख़िरत में बड़े मरतबे देता है और वुज़ू करने से तमाम बदन के गुनाह निकल जाते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(2) बाज़ अहादीस में है कि मुंह धोने से वह गुनाह मआफ़ होते हैं जो आंख से हुए थे। और हाथ धोने से वह गुनाह मआफ़ होते हैं जो हाथ से हुए थे और पैर धोने से वह गुनाह मआफ़ होते हैं जो पैर से हुए थे, गोया मैल के साथ गुनाह भी धुल जाते हैं, यहां तक कि आदमी वुज़ू के बाद गुनाहों से पाक हो जाता है। इस हदीस से आंख और पैर हाथ की तख़्सीस से यह गुमान न होना चाहिए कि और आज़ा के गुनाह मआफ़ नहीं होते, इसलिए बाद में फ़रमाया गया है कि वुज़ू करने के बाद गुनाहों से पाक हो जाता है। और दूसरी हदीसों में बदन का लफ़्ज़ है जो तमाम आज़ा पर बोला जाता है।

(3) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फ़रमाया कि

जो कोई मस्नून तरीक़े से वुज़ू करे और उसके बाद कलिम–ए–शहादत पढ़े उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाज़े से चाहे जाए। (मुस्लिम)

(4) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत कह कर पुकारी जाएगी, यह इसलिए कि वुज़ू का पानी जिन आज़ा पर पड़ता है वह आज़ा क़यामत के दिन निहायत चमक्दार और रौशन हो जाएंगे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

बाज़ सहीह अहादीस में है, सरदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पहचान लूंगा। किसी ने मालूम किया कि हज़रत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! इतने कसीर मज्मा में आप कैसे पहचान लेगें? इरशाद हुआ, एक पहचान होगी, वह यह कि वुज़ू की वजह से उनके मुंह, हाथ, पैर चमकते होंगे।

(5) बा वुज़ू रहने से आदमी शैतान के शर से महफ़ूज़ रहता है। अहादीस में है कि हर वक़्त बा वुज़ू रहना सिवाए मोमिने कामिल के और किसी से नहीं हो सकता।

(6) बा वुज़ू नमाज़ के लिए मस्जिद में जाने से हर क़दम पर गुनाह मआफ़ होते हैं और सवाब मिलता है।

(7) बा वुज़ू मस्जिद में नमाज़ का इंतिज़ार करने से जितना वक़्त इंतिज़ार में गुज़रता है वह सब नमाज़ में शुमार होता है और नमाज़ का सवाब मिलता है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 52, जिल्द अव्वल, बुख़ारी स025, जिल्द अव्वल, मुस्लिम स0 127

जिल्द अव्वल, तिर्मिज़ी स0 33 जिल्द अव्वल)।

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया। अगर तुम ताक़त रखते हो हर वक़्त वुज़ू से रहने की तो ऐसा करो। (हर वक़्त वुज़ू से रहना मुस्तहब है)। पस जिसको मौत इस हालत में आए कि वह बा वुज़ू हो तो उसे शहादत (का सवाब) मरहमत होगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 92, जिल्द अव्वल)।

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिन हालतों में नफ़्स को नागवारी हो, ऐसी हालत में वुज़ू अच्छी तरह करने से गुनाह धुल जाते हैं। (नागवारी कभी सुस्ती से होती है कभी सर्दी से) नागवारी की हालत में वुज़ू करने से बहुत से सग़ीरा गुनाह बहुत कसरत से मआफ़ होते हैं।

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बाज़ लोगों को देखा कि वह वुज़ू कर चुके थे मगर एड़ियां कुछ खुश्क रह गई थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बड़ा अज़ाब है एड़ियों को दोज़ख़ का। (बहिश्ती ज़ेवर, स0 29, जिल्द 7)।

(खुश्की की वजह से खाल में सख़्ती पैदा हो जाती है, ख़ास तौर पर सर्दी में खुश्की बढ़ जाती है इसलिए धोने में एहतियात ज़रूरी है कि बाल बराबर भी खुश्क न रहने पाए। (रफ़अत क़ासमी।)

वुज़ू के फ़वाइद और हिक्मतें

(1) वुज़ू इंसान को ज़ाहिरी व बातिनी गुनाहों और गफ़्लत तर्क करने पर आगाह करता है, अगर नमाज़ बेगैर वुज़ू के पढ़नी मश्रूअ होती तो इंसान इसी तरह पर्दए–गफ़्लत में सरशार रहता और गाफ़िलाना नमाज़ में दाख़िल हो जाता, दुनियावी हुमूम व शवागिल में पड़ कर नशीले आदमी की तरह हो जाता, लिहाज़ा इस नशए गफ़्लत को उतारने के लिए वुज़ू मश्रूअ हुआ ताकि इंसान बा ख़बर व बा हुज़ूर हो कर ख़ुदा के आगे खड़ा हो।

(2) तिब्बी मशाहिद हैं कि इंसान के अन्दरूनी जिस्म के ज़हरीले मवाद अतराफ़े बदन से ख़ारिज होते रहते हैं और वह हाथ, पांव या अतराफ़े मुंह व सर पर आ कर ठहर जाते हैं और मुख़्तलिफ़ अक्साम के ज़हरीले फोड़े फुन्सियों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। और अतराफ़े बदन को धोने से वह गन्दे मवाद दफ़ा होते रहते हैं, या तो जिस्म के अन्दर ही अन्दर उनका जोश पानी से बुझ जाता है, या ख़ारिज होता रहता है।

(3) तजरबा से शहादत मिलती है कि हाथ पांव के धोने से और मुंह और सर पर पानी छिड़कने से नफ़्स पर बड़ा असर पड़ता है और आज़ा–ए–रईसा में तक़्वियत व बेदारी पैदा हो जाती है, गफ़्लत और ख़्वाब और निहायत बेहोशी इस फ़ेअ़ल से दूर हो जाती है, इस तजरबा की तस्दीक़ हाज़िक़ अतिब्बा से हो

सकती है, क्योंकि जिसको ग़शी हो, या इस्हाल आते हों या किसी के फ़स्द ली गई हो उसेक आज़ाए मज़्कूरा पर पानी छिड़कना तज्वीज़ करते हैं, यही वजह है कि इंसान को हुक्म हुआ अपने नफ़्स को काहिली और पज़्मुर्दगी व सुस्ती व कसाफ़त को वुज़ू के ज़रीआ दूर करे ताकि ख़ुदा तआला के हुज़ूर में खड़े होने के लाइक़ हो सके। क्योंकि अल्लाह तआला सदा होशियार और बेदार है। "لَاتَاخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْم" (अल्लाह तआला को ग़फ़लत व नींद नहीं पकड़ती)। पस ग़ाफ़िल व काहिल उसके हुज़ूर में खड़े होने के क़ाबिल नहीं हो सकते, यही वजह है कि नशा और मस्ती की हालत में नमाज़ पढ़ना मश्रूअ नहीं है। किसी नशा बाज़ को किसी ज़ाहिरी बादशाह के दरबार में नशा की हालत में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, पस जब नशा बाज़ और शराबी बहालते नशा व ग़फ़लत एक दुनियावी हाकिम के दरबार में बारयाब नहीं हो सकता तो जो शख़्स नशा बाज़ व ग़ाफ़िल जैसी हालत बनाए हुए हो, उसको अहकमुल–हाकिमीन के दरबार में कब शरफ़े बारयाबी अता हो सकता है?

(4) जब तहारत की कैफ़ियत नफ़्स में रासिख़ हो जाती है तो हमेशा के लिए नूरे मलकी का एक शोअ़बा उसमें ठहर जाता है और बहीमीयत की तारीकी का हिस्सा मग़्लूब हो जाता है।

(5) गुनाहों और कसल के बाइस जो रूहानी नूर व सुरूर आज़ा से सल्ब हो चुका वुज़ू करने से दोबारा उनमें औद (लौट) कर आता है, यही रूहानी नूर क़्यामत में आज़ाए वुज़ू में नुमायां तौर पर चमकेगा। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फ़रमाया "क़्यामत के दिन मेरी उम्मत जब आएगी तो वुज़ू के आसार से उनके हाथ पांव और चेहरे रौशन होंगे, इसलिए तुम में से जो कोई अपनी रौशनी बढ़ा सके वह बढ़ाए। (अल–मसालेहुल–अक़्लीयह स0 12, तफ़्सील मुलाहज़ा हो "असरारे शरीअत। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा")।

वज़ू के ज़रीआ कौन से गुनाह मआफ़ होते हैं?

وعن عثمان رضی اللّٰه عنه قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتّٰی تخرج من تحت اظفاره۔ (مسلم)

हज़रत उस्मान रज़ि अल्लाहु अन्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसने वुज़ू किया और अच्छी तरह से किया, तो उसके जिस्म के तमाम गुनाह दूर हो जाते हैं, यहां तक कि नाखुनों के नीचे तक गुनाह साफ़ हो जाते हैं। (मुस्लिम)

तश्रीह : जिस्म और रूह का एक निहायत क़ारीबी तअल्लुक़ है जिसका लाज़मी नतीजा यह है कि किसी एक पर जो कैफ़ियत तारी होगी दूसरे का क़ुदरती तौर पर उससे मुतअस्सिर होना नागुज़ीर है। चुनांचे नेकी और बदी का तअल्लुक बिला शुब्हा रूह से है, नेक आमाल से नूरानियत व जिला और बद अमलियों से ज़ुल्माती असरात रूह ही पर पड़ते हैं, लेकिन लाज़मी तौर पर जिस्म भी उन चीज़ों के अच्छे और बुरे असरात से ज़रूर मुतअस्सिर होता है। यही वजह है कि वुज़ू एक नेकी है और इसका तअल्लुक असलन रूह से है, इस वुज़ू के ज़रीआ बद अमलियों के उन ज़ुल्माती असरात की सफ़ाई हो जाती है जो रूह के तवस्सुल से जिस्म पर भी आए होते हैं। (हदीस शरीफ़ में) यह पल्कों की जड़ों और नाखुनों के नीचे तक के अल्फ़ाज़ (वुज़ू से गुनाह धुल जाते हैं) इस बात की दलील हैं कि

गुनाह सिर्फ़ रूह ही को पलीद और नापाक नहीं करता बल्कि जिस्म पर भी रूह का यह मैल जिस्मानी मैल की तरह जम जाता है, जिसको वुज़ू और इसी तरह दूसरी नेकियां धोती हैं। इरशादे बारी तआला है : اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (बिला शुबह नेकियां गुनाहों को मिटी देती हैं। (सूरः हूद)

लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि मामूली गर्द व गुबार तो ज़रा झाड़ने झटकने या थोड़ा सा पानी बहा देने से साफ़ हो जाता है, लेकिन जो मैल ज़्यादा गहरा जमा होता है उसके लिए रगड़ना, मसलना, साबुन वग़ैरह लगाना ज़रूरी होता है, इसी तरह गुनाहों के भी मुख़्तलिफ़ दरजात हैं, मामूली दर्जे के छोटे गुनाह तो दिन व रात की इबादतों और वुज़ू नमाज़ वग़ैरह के ज़रीआ मआफ़ हो जाते हैं लेकिन बड़े गुनाहों की सफ़ाई के लिए यह चीज़ें काफ़ी नहीं होतीं। इन्हें धोने के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार और नदामत व शर्मिन्दगी के आंसुओं के चन्द क़तरों की ज़रूरत पड़ती है।

चुनांचे उलमा–ए–इस्लाम ने कुरआन व सुन्नत की रौशनी में यही फ़ैसला किया है कि मुख़्तलिफ़ आमाले सालेहा पर जो गुनाहों की मआफ़ी की बशारत होती है उस से छोटे–छोटे गूनाह मुराद होते हैं, और बड़े गुनाहों के लिए ख़ुदा के सामने तौबा करना भी ज़रूरी है। इसलिए आमाले सालेहा के साथ–साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार का भी एहतिमाम करना चाहिए।

(अत्तरग़ीबु वत्तरहीबु स० 340, जिल्द अव्वल, तफ़्सीली फ़ज़ाइल देखिए मज़ाहिरे हक़ स०38, जिल्द अव्वल)।

तहारत जरासीम कुश है

इस्लाम ने ज़िन्दगी के हर शोअबे में तहारत (पाकी) क़ाइम करने को बड़ा अहम क़रार दिया है, क्योंकि सफ़ाई और तहारत इंसानी ज़िन्दगी का एक लाज़मी जुज़्व है, इसलिए इस्लाम ने अपने मानने वालों को जिस्म व लिबास, घर व बार, गली व बाज़ार, जज़्बात व ख़्यालात, मस्जिद व मक्तब गोया कि इंसान का जिस चीज़ से भी तअल्लुक़ है उसे पाक साफ़ रखने का हुक्म दिया है, लेकिन जिस्म व लिबास और जगह की तहारत का मेअयार जो इस्लाम ने क़ाइम किया है वह दुनिया के किसी और मज़्हब में नहीं है। यही वजह है कि शरीअत में क़दम–क़दम पर पाकी पर ज़ोर दिया गया है। बल्कि कुरआने करीम और अहादीस शरीफ़ में जा बजा ताकीद की गई है, इसकी वजह यह है कि इंसानी ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद इबादते इलाही और इताअत है और यह दोनों हुक्म यानी इबादत और इताअत उसी वक़्त इंसान पर लागू होते हैं जब इंसान तन्दुरुस्त व तवाना हो और जब इंसानी जिस्म लाग़र और मअ़ज़ूर होगा तो उस पर शरीअत ने नर्मी का उसूल रखा है, या क़वाएद और ज़वाबित की गिरफ़्त से मुस्तसना क़रार दिया है।

सेहत व तन्दुरुस्ती की बक़ा के लिए पाकी बहुत ज़रूरी है, अगर इंसान अपने जिस्म, लिबास, ख़ूराक, रहने सहने और इबादत करने की जगह को पाक साफ़ न रखेगा तो वह आए दिन तरह–तरह की बीमारियों का शिकार हो कर कमज़ोर व लाग़र हो जाएगा और इबादत के क़ाबिल नहीं रहेगा, इसलिए

इस्लाम ने वुज़ू, गुस्ल, आदाबे रफ़ए हाजत और नजासतों से पाकीज़गी के अहकाम दिए हैं ताकि इंसान अपनी सेहत व तन्दुरुस्ती को बरक़रार रख सके और ख़बीस बीमारियों से बचा रहे।

इंसान का जिस्म एक मशीन की तरह है, अगर मशीन को गर्द व गुबार से साफ़ न किया जाए तो कुछ अरसा बाद मशीन गन्दगी की वजह से काम करना छोड़ देगी। ऐसे ही मुसलसल मेहनत और काम काज करने से इंसान का जिस्म गन्दा हो जाता है या किसी और वजह से जिस्म पर गन्दगी लग जाती है, अगर उसको साफ़ न किया जाए तो जिस्म से बदबू आने लगेगी और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के जरासीम पैदा होकर इंसान बीमारियों का शिकार हो जाएगा, अगर मुंह की सफ़ाई का ख़्याल न करें तो मेअदे, जिगर और गले की बहुत सी बीमारियां जिस्म में पैदा हो जाएंगी, अगर दांतों की सफ़ाई न की जाए तो इंसान पाइरिया वग़ैरह के ख़बीस और मूज़ी अमराज़ का शिकार बन जाएगा।

अगर नाक को मवादे ग़लीज़ा और उसकी रेज़िश से साफ़ न रखा जाए तो ज़ेहन की बलादत, अक़्ल की सुब्की वग़ैरह की शिकायात रूनुमा हो जाएंगी। हाथ, मुंह न धोएं तो गर्द व गुबार जमा हो कर उसका रंग व रूप बिगाड़ देंगे, ख़ून में फ़साद पैदा हो जाएगा और इंसान फोड़े व फुंसी वग़ैरह का हमेशा शिकार रहेगा। ग़र्ज़ेकि जिस्मानी सेहत व तन्दुरुस्ती के लिए उन आज़ा को बार--बार धोना, उन पर पानी बहाना और तर रखना ज़रूरी है जो गुबार आलूदा होते रहते हैं। (अहकामे तहारत स० 32)

वुज़ू की तारीफ़

लुग़त की रू से इस लफ़्ज़ के माना ख़ूबी और पाकीज़गी के हैं और इस लफ़्ज़ (वुज़ू) के शरई माना एक ख़ास तरीक़ पाकीज़गी के हैं, जिसके बजा लाने से ज़ाहिरी, हिस्सी और बातिनी मानवी पाकीज़गी हासिल होती है।

शरीअत की इस्तिलाह में वुज़ू से मुराद ख़ास–ख़ास आज़ा मसलन चेहरा और हाथ वग़ैरह पर ख़ास तरीक़े से पानी का इस्तेमाल करना है। (किताबुल–फ़िक़ह स0 74, जिल्द अव्वल)।

कैसे पानी से वुज़ू व गुस्ल किया जाए ?

मस्अला : आसमान से बरसे हुए (बारिश के) पानी और नदी, नाले, चश्मे और कुँवें और तालाब और दरियाओं के पानी से वुज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त है चाहे मीठा पानी हो या खारा पानी हो।

(बहिश्ती ज़ेवर स0 58, जिल्द अव्वल बहवाला शरह अत्तन्वीर स0 192)

मस्अला : किसी फल या दरख़्त या पत्तों से निचोड़े हुए अर्क़ से वुज़ू करना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह जो पानी तरबूज़ से निकलता है उस से और गन्ने वग़ैरह के रस से वुज़ू व गुस्ल दुरुस्त नहीं है।

मस्अला : जिस पानी में कोई और चीज़ मिल गई हो या पानी में कोई चीज़ पकाई गई हो और ऐसा हो गया कि अब बोल चाल में उसको पानी नहीं कहते, बल्कि उसका कुछ और नाम हो गया, तो इससे वुज़ू और गुस्ल दुरुस्त नहीं जैसे शर्बत, शीरा, शोरबा (सालन) सिरका, अर्क़ गुलाब, गावज़बाँ, वग़ैरह कि इन से वुज़ू दुरुस्त नहीं है।

मस्अला : जिस पानी में कोई पाक चीज़ पड़ गई और पानी के रंग या मज़ा या बू में कुछ फ़र्क़ आ गया लेकिन वह चीज़ पानी में पकाई नहीं गई और न पानी के पतले होने में कुछ फ़र्क़ आया जैसे कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली होती है, या पानी में ज़ाफ़रान मिल गई और उसका बहुत ही हल्का सा रंग आ गया, या साबुन पड़ गया, या इसी तरह कोई चीज़ पानी में मिल गई तो इन सब सूरतों में वुज़ू व गुस्ल दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 58, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 182, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 57 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : और अगर कोई चीज़ पानी में डाल कर पकाई गई, इस से रंग व मज़ा वग़ैरह बदला तो इस पानी से वुज़ू दुरुस्त नहीं है, अल्बत्ता कोई ऐसी चीज़ पानी में डाल कर पकाई गई जिससे मैल कुचैल ख़ूब साफ़ हो जाता है और उसके पकाने से पानी गाढ़ा न हुआ तो इससे वुज़ू दुरुस्त है, जैसे मुर्दा को नहलाने के लिए बेरी की पत्तियां पकाते हैं इससे कुछ हरज नहीं है, अल्बत्ता अगर इतनी ज़्यादा डाल दें कि पानी गाढ़ा हो गया हो तो इससे वुज़ू व गुस्ल दुरुस्त नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 59 जिल्द अव्वल बहवाला फ़तावा हिन्दीया स013, जिल्द अव्वल)

मस्अला : कपड़ा रंगने के लिए ज़ाफ़रान घोला तो उससे वुज़ू दुरुस्त नहीं। (मुनिया स0 33)

मस्अला : अगर पानी में दूध मिल गया तो अगर दूध का रंग अच्छी तरह पानी में आ गया तो वुज़ू दुरुस्त नहीं। और अगर दुध बहुत कम था कि रंग नहीं आया तो वुज़ू दुरुस्त है।

मस्अला : धूप में टंकी गर्म हुई। उससे पानी गर्म हो गया तो वह धूप के जले हुए पानी के हुक्म में नहीं है। इससे वुज़ू व गुस्ल दुरुस्त है। (सईद अहमद)

मस्अला : धूप के जले हुए पानी से सफ़ेद दाग़ हो जाने का अन्देशा है, इसलिए उससे वुज़ू व ग़ुस्ल न करना चाहिए। यानी बा एतेबारे तिब बेहतर नहीं है, यानी इसमें सवाब व गुनाह कुछ नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61 जिल्द अव्वल बहवाला शामी स0182 जिल्द अव्वल)

मस्अला : समुन्द्र का पानी पाक है। जानवरों के पीने या किसी और चीज़ से वह नापाक नहीं होता। (आपके मसाइल स0 45, जिल्द 2)।

मस्अला : नापाक जगह वुज़ू करना दुरुस्त नहीं है।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नलों के ज़रीआ बदबूदार पानी आता है और फिर साफ़ पानी आने लगता है, इस बारे में जब तक बदबूदार पानी की हक़ीक़त मालूम न हो या रंग और बू से नापाकी का पता न चलता हो, उस वक़्त तक उसके नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पानी का बदबूदार होना और चीज है और नापाक होना दूसरी चीज़ है। और अगर तहक़ीक़ हो जाए कि यह पानी गटर का (आमेज़िश शुदा) है तो नल खोल देने के बाद वह "जारी पानी" के हुक्म में हो जाएगा और पाक हो जाएगा। (जब साफ़ हो जाए) बस बदबूदार पानी निकाल दिया जाए, बाद में आने वाले साफ़ पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल सहीह है। (आपके मसाइल स0 46, जिल्द 2)।

मस्अला : टंकी में परिन्दा गिर कर फूल जाए और मर जाए तो इसमें दो क़ौल हैं एक यह कि अगर जानवर फूला फटा हुआ पाया जाए तो उसको तीन दिन का समझा जाएगा और तीन दिन की नमाज़ें लौटाई जाऐंगी। दूसरा क़ौल यह है कि जिस वक़्त इल्म हुआ उसी वक़्त से नजासत का हुक्म किया जाएगा। पहले क़ौल में एहतियात है और दूसरे में आसानी है।

(आपके मसाइल स0 47, जिल्द 2)।

मस्अला : कुँवें में कीड़े मारने की दवा डालने से कुँवाँ नापाक नहीं होता, वह पानी पाक है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 227, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 20, व फ़तावा महमूदिया स0 48, जिल्द 9)

मस्अला : साइंस के ज़रीआ से नापाक गन्दी नालियों के पानी को साफ़ शफ़्फ़ाफ़ बना देने से पानी साफ़ तो हो जाएगा, पाक नहीं होगा। साफ़ और पाक में बड़ा फ़र्क़ है। (आपके मसाइल स0 46, जिल्द 2)।

मस्अला : तवाइफ़ के बनाए हुए कुँवें से वुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं (फ़तावा दारुल–उलूम स0 219, जिल्द बहवाला गुनया स0 86)।

मस्अला : हराम माल से जो कुँवाँ तैयार हुआ उसके पानी से वुज़ू करके नमाज़ अदा की जाए तो नमाज़ हो जाएगी। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 197, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गेंद कुँवें में गिर जाए तो जब तक उस गेंद के नजिस होने का यक़ीन न हो और नसाजत लगना उस पर ख़ास तौर से देखा न गया हो उस वक़्त तक कुँवें के पानी को नापाक

न कहा जाएगा, शक से हुक्मे नजासत न किया जाएगा।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 204, जिल्द 1)।

मस्अला : ऐसे नापाक पानी का इस्तेमाल जिस में तीनों वस्फ़ यानी मज़ा, बू और रंग नजासत की वजह से बदल गए हों किसी तरह दुरुस्त नहीं है, न जानवरों को पिलाना दुरुस्त है और न मिट्टी (सीमेंट) वग़ैरह में डाल कर गारा बनाना जाइज़ है, और अगर तीनों वस्फ़ नहीं बदले तो उसका जानवरों को पिलाना, मिट्टी में मिला कर गारा बनाना और मकान में छिड़काव करना दुरुस्त है, मगर ऐसे पानी के गारे को मस्जिद में न लगाएं। (बहिश्ती ज़ेवर स0 6, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 24, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दरिया, नदी और वह तालाब जो किसी की ज़मीन न हो और वह कुँवाँ जिसको बनाने वाले ने वक़्फ़ कर दिया हो तो इस तमाम पानी से आम लोग फ़ाएदा उठा सकते हैं, किसी को यह हक़ नहीं कि किसी को उसके इस्तेमाल से मना करे, या उसके इस्तेमाल में ऐसा तरीक़ा इख़्तियार करे जिससे आम लोगों को नुक़सान हो।

मस्अला : किसी शख़्स की मम्लूक ज़मीन में कुँवाँ, पानी का चश्मा या हौज़ या नहर हो, तो दूसरे लोगों को पानी पीने से, या जानवरों को पानी पिलाने से, या वुज़ू व ग़ुस्ल वग़ैरह करने से मना नहीं कर सकता। (तनवीरुल–अबसार स0 257)।

मस्अला : लोगों के पीने के लिए जो पानी रखा हुआ हो जैसे गर्मियों के मौसम में रख देते हैं, इससे वज़ू, ग़ुस्ल दुरुस्त

मस्अला : धूप में टंकी गर्म हुई। उससे पानी गर्म हो गया तो वह धूप के जले हुए पानी के हुक्म में नहीं है। इससे वुज़ू व गुस्ल दुरुस्त है। (सईद अहमद)

मस्अला : धूप के जले हुए पानी से सफ़ेद दाग़ हो जाने का अन्देशा है, इसलिए उससे वुज़ू व ग़ुस्ल न करना चाहिए। यानी बा एतेबारे तिब बेहतर नहीं है, यानी इसमें सवाब व गुनाह कुछ नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61 जिल्द अव्वल बहवाला शामी स0182 जिल्द अव्वल)

मस्अला : समुन्द्र का पानी पाक है। जानवरों के पीने या किसी और चीज़ से वह नापाक नहीं होता। (आपके मसाइल स0 45, जिल्द 2)।

मस्अला : नापाक जगह वुज़ू करना दुरुस्त नहीं है।

(इल्मुल–फ़िक्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नलों के ज़रीआ बदबूदार पानी आता है और फिर साफ़ पानी आने लगता है, इस बारे में जब तक बदबूदार पानी की हक़ीक़त मालूम न हो या रंग और बू से नापाकी का पता न चलता हो, उस वक़्त तक उसके नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पानी का बदबूदार होना और चीज़ है और नापाक होना दूसरी चीज़ है। और अगर तहक़ीक़ हो जाए कि यह पानी गटर का (आमेज़िश शुदा) है तो नल खोल देने के बाद वह "जारी पानी" के हुक्म में हो जाएगा और पाक हो जाएगा। (जब साफ़ हो जाए) बस बदबूदार पानी निकाल दिया जाए, बाद में आने वाले साफ़ पानी से वुज़ू और गुस्ल सहीह है। (आपके मसाइल स0 46, जिल्द 2)।

मस्अला : टंकी में परिन्दा गिर कर फूल जाए और मर जाए तो इसमें दो क़ौल हैं एक यह कि अगर जानवर फूला फटा हुआ पाया जाए तो उसको तीन दिन का समझा जाएगा और तीन दिन की नमाज़ें लौटाई जाऐंगी। दूसरा क़ौल यह है कि जिस वक़्त इल्म हुआ उसी वक़्त से नजासत का हुक्म किया जाएगा। पहले क़ौल में एहतियात है और दूसरे में आसानी है।

(आपके मसाइल स0 47, जिल्द 2)।

मस्अला : कुँवें में कीड़े मारने की दवा डालने से कुँवाँ नापाक नहीं होता, वह पानी पाक है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 227, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 20, व फ़तावा महमूदिया स0 48, जिल्द 9)

मस्अला : साइंस के ज़रीआ से नापाक गन्दी नालियों के पानी को साफ़ शफ़्फ़ाफ़ बना देने से पानी साफ़ तो हो जाएगा, पाक नहीं होगा। साफ़ और पाक में बड़ा फ़र्क़ है। (आपके मसाइल स0 46, जिल्द 2)।

मस्अला : तवाइफ़ के बनाए हुए कुँवें से वुज़ू और ग़ुस्ल कर सकते हैं (फ़तावा दारुल–उलूम स0 219, जिल्द बहवाला ग़ुनया स0 86)।

मस्अला : हराम माल से जो कुँवाँ तैयार हुआ उसके पानी से वुज़ू करके नमाज़ अदा की जाए तो नमाज़ हो जाएगी। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 197, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गेंद कुँवें में गिर जाए तो जब तक उस गेंद के नजिस होने का यक़ीन न हो और नसाजत लगना उस पर ख़ास तौर से देखा न गया हो उस वक़्त तक कुँवें के पानी को नापाक

न कहा जाएगा, शक से हुक्मे नजासत न किया जाएगा।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 204, जिल्द 1)।

मस्अला : ऐसे नापाक पानी का इस्तेमाल जिस में तीनों वस्फ़ यानी मज़ा, बू और रंग नजासत की वजह से बदल गए हों किसी तरह दुरुस्त नहीं है, न जानवरों को पिलाना दुरुस्त है और न मिट्टी (सीमेंट) वग़ैरह में डाल कर गारा बनाना जाइज़ है, और अगर तीनों वस्फ़ नहीं बदले तो उसका जानवरों को पिलाना, मिट्टी में मिला कर गारा बनाना और मकान में छिड़काव करना दुरुस्त है, मगर ऐसे पानी के गारे को मस्जिद में न लगाएं। (बहिश्ती ज़ेवर स0 6, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 24, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दरिया, नदी और वह तालाब जो किसी की ज़मीन न हो और वह कुँवाँ जिसको बनाने वाले ने वक़्फ़ कर दिया हो तो इस तमाम पानी से आम लोग फ़ाएदा उठा सकते हैं, किसी को यह हक़ नहीं कि किसी को उसके इस्तेमाल से मना करे, या उसके इस्तेमाल में ऐसा तरीक़ा इख़्तियार करे जिससे आम लोगों को नुक़्सान हो।

मस्अला : किसी शख़्स की मम्लूक ज़मीन में कुँवाँ, पानी का चश्मा या हौज़ या नहर हो, तो दूसरे लोगों को पानी पीने से, या जानवरों को पानी पिलाने से, या वुज़ू व ग़ुस्ल वग़ैरह करने से मना नहीं कर सकता। (तनवीरुल–अबसार स0 257)।

मस्अला : लोगों के पीने के लिए जो पानी रखा हुआ हो जैसे गर्मियों के मौसम में रख देते हैं, इससे वज़ू, ग़ुस्ल दुरुस्त

नहीं है, हां अगर पानी ज़्यादा हो तो मुज़ाइक़ा नहीं है और जो पानी वुज़ू के लिए रखा हो उसको पीना दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर स० 7, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स० 45, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मुबाह पानी के इस्तेमाल करने का वह शख़्स ज़्यादा हक़ दार है जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज है, उसको हाइज़ा औरत, बे वुज़ू शख़्स और मैयत के ग़ुस्ल पर तरजीह हासिल है, इसकी वजह यह है कि जनाबत (नापाकी) ज़्यादा अहम है। लिहाज़ा उसका दूर करना भी इतना ही अहम होगा। और अगर वह पानी उन में से एक की मिल्कियत है तो वह मालिक सबसे मुक़द्दम है, यानी सबसे पहले उसको इस्तेमाल का हक़ है ख़्वाह उसको जिसकी ज़रूरत हो (मसलन जुनुबी, बेवुज़ू और हाइज़ा तीन शख़्स थे और पानी उनमें से किसी एक का मख़्सूस है, तो पानी वाला ही ज़्यादा हक़दार है)। और अगर वह पानी तीनों में मुश्तरक है, तो मुनासिब यह है कि उसे मैयत के ग़ुस्ल में ख़र्च किया जाए। (कश्फ़ुल–असरार स० 25, जिल्द 2)।

मस्अला : औरत के वुज़ू और ग़ुस्ल के बचे हुए पानी से मर्द को वुज़ू और ग़ुस्ल न करना चाहिए (जबकि शहवत और बुरे ख़्याल का अन्देशा हो) गो हमारे नज़्दीक इस पानी से वुज़ू वग़ैरह जाइज़ है। (बहिश्ती ज़ेवर स० 10, जिल्द 11 बहवाला दुर्रे मुख़्तार स० 24)।

मस्अला : वुज़े के बक़िया पानी से इस्तिंजा और इस्तिंजे के बचे हुए पानी से वुज़ू करना दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स० 175, जिल्द 1, व अग़लातुल–अवाम स० 39)।

हो तो इस पानी से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है। अगरचे पानी में रंग की बू या ज़ाएका आ जाए। (अहसनुल–फ़तावा स0 44, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर हाथ नापाक हों और पानी में बेग़ैर हाथ डाले हुए वुज़ू करना मुम्किन न हो, यानी कोई ऐसा शख़्स न हो जो हाथ धुलवाए, या पानी निकाल कर दे दे और न कोई ऐसा कपड़ा वग़ैरह है कि जिसको पानी में डाल कर हाथ धोए, तो इस सूरत में वुज़ू न करना चाहिए। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

धूप में गर्म हुए पानी से वुज़ू करना

मस्अला : धूप से गर्म हुए पानी के इस्तेमाल की कराहत अहनाफ़ के हां मुख़्तलफ़ फ़ीह है। राजेह यह है कि मक्रूहे तन्ज़ीही है। और यह कराहत भी तब है कि गर्म इलाक़ा में हो और गर्म वक़्त में हो और सोने और चांदी के सिवा किसी दूसरी धात के बर्तन में हो और गर्म होने की हालत में ही इस्तेमाल करे। (अहसनुल–फ़तावा स0 44, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 167, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करने की हालत में या वुज़ू करने के बाद अगर वुज़ू का पानी (मुस्तामल पानी की छींटें वग़ैरह) जिस्म पर या कपड़े वग़ैरह पर गिर जाए तो उस पानी से मुफ़्ता बिही क़ौल के मुवाफ़िक़ न जिस्म नापाक होता है और न कपड़ा। (फ़तावा महमूदिया स0 45, जिल्द 9, बहवाला बह्र स0 98, जिल्द अव्वल)।

आबे ज़मज़म से वुज़ू और गुस्ल करना

मस्अला : जो शख़्स बा वुज़ू और पाक हो वह अगर महज़ बरकत के लिए आबे ज़मज़म से वुज़ू या गुस्ल करे तो जाइज़ है,

इसी तरह किसी कपड़े को बरकत के लिए ज़मज़म से भिगोना भी दुरुस्त है। लेकिन बेवुज़ू आदमी का ज़मज़म से वुज़ू करना या किसी जुनुबी (नापाक) का उससे गुस्ल करना मक्रूह है। इसी तरह अगर बदन या कपड़े पर नजासत लगी हो उसको ज़मज़म से धोना भी मक्रूह है और यही हुक्म ज़मज़म से इस्तिंजा करने का है। खुलासा यह कि ज़मज़म निहायत मुतबर्रक पानी है, उसका अदब ज़रूरी है। उसका पानी मुजिबे बरकत है लेकिन नजासत दूर करने के लिए उसको इस्तेमाल करना ना रवा है। (आपके मसाइल स0 30, जिल्द 2)।

मस्अला : हां अगर मज्बूरी हो कि पानी एक मील से पहले न मिले और ज़रूरी पाकी किसी और तरह से भी हासिल न हो तो यह सब बातें ज़मज़म के पानी से जाइज़ हैं। (बहिश्ती ज़ेवर स0 10, जिल्द 1, बहवाला कबीरी स0 618)

मस्अला : गुस्ले जनाबत बवक़्ते अशद ज़रूरत जाइज़ है ज़मज़म से। (फतावा रहीमिया स0 223, जिल्द 5, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 352, जिल्द अव्वल)।

बारिश और जारी पानी से वुज़ू व गुस्ल करना

मस्अला : अगर कोई बहते हुए पानी या बड़े हौज़ या बारिश में इतनी देर ठहरा रहे जितना वक़्त गुस्ल और वुज़ू करने में लगता है तो उसने गुस्ल की सुन्नतें अदा कर दीं, यानी उसकी सुन्नतें ख़ुद बख़ुद अदा हो जाएंगी (जबकि गुस्ल व वुज़ू की नीयत भी हो) जारी पानी और बारिश में पानी का बार–बार बदन से होकर गुज़रना तीन मरतबा बहाने के क़ाइम मकाम हो

जाएगा, इसी वजह से बड़े हौज़ में भी बाज़ उलमा ने कहा है कि जारी पानी मुराद है, ठहरा हुआ और रुका हुआ पानी इस हुक्म में नहीं है, ख़्वाह जितना ज़्यादा भी हो, और बाज़ ने कहा कि ठहरे हुए (पाक) पानी में एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल होने से यह सुन्नत अदा हो जाएगी। बल्कि नहाने वाले का सिर्फ़ हरकत करना ही काफ़ी होगा।

अल्लामा इब्ने हजर रह. ने लिखा है कि ठहरे हुए (पाक) पानी में तमाम बदन का तीन मरतबा हिला देना काफ़ी है अगरचे पाँव एक जगह से दूसरी जगह की तरफ़ मुन्तक़िल न हों, इस वजह से कि हरकत में हर दफ़ा नया पानी बदन से मिलेगा।

(कश्फ़ुल--असरार स0 27, जिल्द 1)

मस्अला : ग़ुस्ल में एक हिस्सा बदन का पानी दूसरे हिस्सा की तरफ़ इस शर्त के साथ ले जाना दुरुस्त है कि वह टपके, लेकिन यह एक उज़्व का पानी दूसरे उज़्व के वास्ते ले जाना उज़्व के अन्दर सहीह नहीं है, जिसकी वजह यह है कि ग़ुस्ल में सारा बदन एक उज़्व के हुक्म में है बख़िलाफ़ वुज़ू के कि इसमें हर उज़्व अलाहिदा अलाहिदा शुमार होता है।

(कश्फ़ुल–असरार स0 30, जिल्द अव्वल)।

(मतलब यह है कि वुज़ू में जिस उज़्व को एक पानी से धो रहे हैं उसी उज़्व के पानी से दूसरे उज़्व का धोना दुरुस्त नहीं है बल्कि उसके लिए दूसरा नया पानी लेना होगा, हां ग़ुस्ल में चूंकि तमाम बदन एक उज़्व के हुक्म में है इसलिए एक उज़्व के पानी को मुन्तक़िल करके दूसरे उज़्व की तरफ़ ले जाने में कोई

क़बाहत नहीं है, अल्बत्ता यह शर्त ज़रूर है कि पानी इतना हो कि वह जाकर दूसरे उज़्व से टपके, ताकि हुक्मन उस पर धोने का इतलाक़ हो सके। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : वुज़ू और ग़ुस्ल में पानी की मिक्दार मुद और साअ़ आई है वह तहदीद नहीं है इसलिए कमी ज़्यादती जाइज़ है और इसराफ़ करना मक्रूह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 129, जिल्द 1 स0 133, जिल्द 1, मिश्कात स0 48, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू और ग़ुस्ल के लिए हदीस शरीफ़ में मज़्कूरा मिक्दार पानी वाजिब नहीं है लेकिन मस्नून यह है कि इस मिक्दार से कम न हो (वुज़ू में तक़रीबन एक किलो और ग़ुस्ल में चार पांच किलो पानी) अगर किसी का वुज़ू या ग़ुस्ल मज़्कूरा मिक्दार से कम में हो जाता है या मज़्कूरा मिक्दार से ज़्यादा लेना पड़ता है तो हदीस में मज़्कूरा मिक्दार से ज़्यादा पानी से भी उसका वुज़ू या ग़ुस्ल जाइज़ होगा। (मज़ाहिरे हक़ स0 414, जिल्द अव्वल व स0 406, जिल्द अव्वल व फ़तावा रशीदिया स0 284 जिल्द अव्वल)।

जिस हौज़ से वुज़ू जाइज़ है उसकी पैमाइश

मस्अला : हौज़ की लम्बाई व चौड़ाई दस गज़ होना मुवाफ़िक़े फ़तवा फ़ुक़्हाए मुतअख़्ख़िरीन के ज़रूरी है। गहराई का ज़्यादा होना कुछ मुफ़ीद नहीं, गहराई ख़्वाह कितनी ही हो ज़्यादा या कम इसका एतेबार नहीं है। तूल व अर्ज़ दस गज़ होना ज़रूरी है और गज़ शरई की मिक्दार गज़ मुरव्वजा बज़्ज़ाज़ान से देखी गई है, तक़रीबन दस साढ़े गिरह का होता

है जो करीब दो फ़िट के होगा या क़द्रे कम। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 193, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 177, जिल्द अव्वल बाबुल–मियाह। फ़तावा दारुल–उलूम स0 188, जिल्द अव्वल)। (गज़ शरई 46 प्वाइंट 2 सैन्टी मीटर यानी साढ़े अट्ठारह इंच का होता है)। (सईद अहमद)

मस्अला : हौज़ का तूल व अर्ज़ यक्सां होना ज़रूरी नहीं है। कमी व बेशी की गुंजाइश है, जिस तरह दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा शरई हौज़ है उसी तरह पांच हाथ चौड़ा और बीस हाथ लम्बा, या चार हाथ चौड़ा और पच्चीस हाथ लम्बा और दो हाथ चौड़ा और पच्चास हाथ लम्बा भी शरई हौज़ है।

और अगर हौज़ मुदव्वर (गोल) है तो उसका मुहीत (घेराव) छत्तीस गज़ हो (और बक़ौल साहबे मुहीतः एहतियात इसमें है कि 48 गज़ हो) और अगर हौज़ मुसल्लस (तीन गोशा वाला) हो तो हर जानिब से साढ़े पन्द्रह गज़ होना चाहिए। गहराई कम अज़ कम इतनी ज़रूरी हो कि चुल्लू से पानी लिया जाए तो ज़मीन नज़र न आए। (फ़तावा रहीमिया स0 255, जिल्द 4, बहवाला तहतावी अलल–मराक़ी स0 17 व शामी स0 178 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हौज़ के अन्दर कोई जानवर गिर कर मर गया और गल सड़ गया, अगर उसके गल सड़ जाने से पानी का रंग या बू मज़ह बदल गया हो तो हौज़ का पानी नापाक हो जाएगा। और अगर उन तीनों औसाफ़ में से कोई भी न बदला

हो तो चूंकि हौज़ का पानी माए कसीर यानी ज़्यादा है इसलिए वह नापाक न होगा।

और जब उसका रंग या मज़ा बदल गया तो पानी नापाक होगा। उससे वुज़ू, गुस्ल, इस्तिंजा करना सहीह नहीं है, अगर किया जाए तो तहारत (पाकी) हासिल न होगी, लिहाजा अगर उस नापाक पानी से इस्तिंजा करने के बाद (चाहे वह इस्तिंजा दीदा दानिस्ता किया हो या अदमे वाकिफ़ीयत की वजह से किया हो) वुज़ू करके नमाज़ पढ़ाई हो (या पढ़ी हो) तो नमाज़ न होगी, उसका एआदा ज़रूरी है। (फ़तावा रहीमिया स0 278, जिल्द 4। तफ़सील देखिए हौज़ शामी स0 129 जिल्द अव्वल, शामी स0 130, शरह तन्वीरुल–अबसार, अहसनुल–फ़तावा स0 45 जिल्द 2, हिदाया स0 42, जिल्द अव्वल, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 175, जिल्द 1)।

नापाक हालत में वुज़ू करने से क्या फ़ाएदा ?

सवाल : गुस्ले जनाबत में अव्वल वुज़ू करने में क्या फ़ाएदा है? क्या नापाकी दूर किए बेग़ैर वुज़ू हो जाता है? सहाबए किराम रज़ि. का अमल रहा कि मुबाशरत के बाद वुज़ू करके सोए। यह नापाकी में वुज़ू कैसा? समझ में नहीं आता।

जवाब : हालते जनाबत में वुज़ू करने से पाकी (तहारत) तो हासिल नहीं होती मगर हदस (नापाकी) में कुछ तख़्फ़ीफ़ हो जाती है। अगर किसी हुक्मे शरई की हिक्मत समझ में न आए तो क्या हरज है?

मस्अला : अगर रात को किसी वजह से गुस्ल की हाजत

हुई और उसी वक़्त गुस्ल करने में दिक़्क़त है तो बेहतर तो यह है कि गुस्ल करे लेकिन अगर गुस्ल न करे तो इस्तिंजा और वुज़ू करके सो जाए, यह तरीक़ा मस्नून और पसन्दीदह है।

(अल–जवाबुल–मतीन स0 10)।

मस्अला : रात को सोते वक़्त वुज़ू करना (यानी वुज़ू के साथ सोना) अफ़ज़ल है (आप के मसाइल स0 36, जिल्द 2)।

मस्अला : अयादत के लिए जाने के वास्ते वुज़ू कर के जाना सुन्नत है। (मज़ाहिरे हक़ स0 353, जिल्द अव्वल)

(ग़ालिबन उसकी वजह यह भी हो सकती है कि अयादत करना भी इबादत है और यह जाहिर है कि वुज़ू से इबादत कामिल और अफ़ज़ल होती है।) (मुहम्मद रफ़अत)

क्या कामिल वुज़ू ज़रूरी है जबकि रकअत निकल जाए

मस्अला : जमाअत हो रही हो तब भी कामिल वुज़ू करे, सुनने वुज़ू का पूरा करना ज़रूरी है, अगरचे जमाअत ख़त्म हो जाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 131, जिल्द अव्वल बहवाला मिर्क़ात स0 121, जिल्द 1)

मस्अला : एक हाथ से वुज़ू करना दुरुस्त है मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है, बिला ज़रूरत ऐसा न करना चाहिए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 132, जिल्द अव्वल)।

मज्बूरी की वजह से कुल्ली न करना ?

सवाल : एक शख़्स अगर कुल्ली करता है, तो उसके मुंह से ख़ून निकलता है, कुछ देर के बाद बन्द हो जाता है, चूंकि

कुल्ली करने में वुज़ू टूटने का अन्देशा है, इसलिए अगर वह कुल्ली न करे और नमाज़ पढ़ ले तो सहीह है या नहीं?

जवाब : ऐसी हालत में कुल्ली न करना दुरुस्त है, बेग़ैर कुल्ली के नमाज़ सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 129, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 145 जिल्द अव्वल किताबुत्तहारह सुननुल–ग़ुस्ल)।

वुज़ू के होते हुए वुज़ू करना

मसला : अगर किसी ने ज़ुहर की नमाज़ के लिए वुज़ू किया और फिर वुज़ू नहीं टूटा तो अगली नमाज़ का वक़्त आने पर नया वुज़ू करना वाजिब नहीं है, (उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ सकता है जब तक वुज़ू न टूटे)। किताबुल–फ़िक़्ह स0 81, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर वुज़ू होने पर दोबारा वुज़ू करे तो बहुत सवाब मिलता है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 48, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 36, आपके मसाइल स0 31, जिल्द 2)।

मस्अला : वुज़ू के दौरान कोई अम्र मुनाफ़ी–ए–वुज़ू पेश आ जाए यानी वुज़ू करने में कोई वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश आ गई मसलन अगर मुंह और दोनों हाथ धोले फिर वुज़ू टूट गया तो ज़रूरी होगा कि दोबारा फिर से वुज़ू करे, लेकिन माज़ूर होने की हालत इससे मुस्तस्ना है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 81, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स0 141 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 70 जिल्द अव्वल)।

मस्जिद के फ़र्श पर वुज़ू करना :

मस्अला : मस्जिद में जहां पर नमाज़ पढ़ी जाती है (जो

जगह नमाज़ के लिए मुतऐयन है) वुज़ू करना दुरुस्त नहीं है, हां अगर इस तरह वुज़ू करे कि पानी मस्जिद में न गिरे तो जाइज़ है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मस्जिद के फ़र्श पर जो नमाज़ के लिए मुकर्रर है वुज़ू करना जाइज़ नहीं है। अगर नाली वुज़ू के लिए मौजूद हो तो वहां वुज़ू करें, वरना मस्जिद के फ़र्श से अलाहिदा जा कर वुज़ू करें। गरज़ कि वुज़ू का मुस्तामल पानी मस्जिद के फ़र्श पर डालना मना है। (फ़तावा महमूदिया स0 137, जिल्द 10 बहवाला शामी स0 133, जिल्द 2 बाबुल–एतिकाफ़)।

मस्अला : मस्जिद के वुज़ू ख़ाना का पानी वुज़ू के लिए मख़्सूस है, उसका ले जाना दुरुस्त नहीं है, अल्बत्ता अगर मुहल्ला वालों ने यह नल (टंकी वग़ैरह) रिफ़ाहे आम के लिए लगाया हो, और ले जाने की इजाज़त हो तो जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 145, जिल्द 3)।

वुज़ू ख़ाना की नाली मस्जिद के सेहन में को निकालना :

सवाल : मस्जिद के बरामदे के मुत्तसिल दाएं जानिब वुज़ू करने की नाली है और वह नाली बाहर मस्जिद के सेहन के नीचे को निकाली गई है और बाहर वाली वुज़ू की नाली पर आकर मिल जाती है, तो क्या वुज़ू का पानी मस्जिद के सेहन के नीचे को गुज़ार सकते हैं? और नमाज़ में कुछ फ़र्क़ नहीं आता?

जवाब : अगर मस्जिद बनाते वक़्त नाली की यही सूरत रखी गई है तो शरअन दुरुस्त है, इससे नमाज़ में फ़र्क़ नहीं आता, लेकिन अगर उस नाली का रुख़ (आसानी से) किसी

दूसरी तरफ़ बदला जा सकता है तो वह ज़्यादा मुनासिब है।

(फ़तावा महमूदिया स0 198, जिल्द 10)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त मस्जिद के फ़र्श पर जो वुज़ू के पानी के क़तरे गिरते हैं वह नापाक नहीं होते हैं। नीज़ हौज़ से वुज़ू करते वक़्त एहतियात से काम लेना चाहिए, कि हौज़ में छींटें न गिरें। लेकिन इन छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता है। (आपके मसाइल स0 85, जिल्द 3)।

मस्अला : वुज़ू करके तर पांव ऐसी जगह रखे जहां जूते रखे थे और फिर मस्जिद की सफ़ पर फेरा तो इस सूरत में उसके पैर नापाक नहीं हुए, लिहाज़ा सफ़ें सब पाक हैं और वुज़ू और नमाज़ सब की सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम 373, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 324, जिल्द अव्वल)।

क़ब्र पर वुज़ू करना ?

मस्अला : रिवायात से मालूम होता है कि जो मआमला किसी के साथ ज़िन्दगी में तक्लीफ़ देह साबित हो, मरने के बाद भी वही हुक्म है और ज़ाहिर है कि अगर ज़िन्दगी में किसी ज़िन्दा शख़्स के पास बैठ कर इस तरह वुज़ू करें कि उस पर वुज़ू के पानी की छींटें पड़ें तो उसको तक्लीफ़ होगी।

(इम्दादुल–फ़तावा स0 39, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू का पानी यानी ऐसी जगह वुज़ू करना जहां पर वुज़ू का पानी क़ब्र पर गिरे जाइज़ नहीं है।

(इम्दादुल–फ़तावा स0 730, जिल्द अव्वल)।

घर से वुज़ू करके आना अफ़ज़ल है :

मस्अला : घर से वुज़ू करके मस्जिद में आना अफ़ज़ल है,

घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ आने की फ़ज़ीलत अहादीस में आई है। अक़्लन भी घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ चलने की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है, इसलिए कि इसमें मस्जिद और जमाअत का एहतेराम है। कोई शख़्स किसी दरबार में हाज़िर होना चाहे तो उसकी अज़्मत का तक़ाज़ा है कि घर से साफ़ सुथरा हो कर चले, न यह कि दरबार में पहुंच कर पानी तलाश करे, यह दरबार क़ी अज़्मत के ख़िलाफ़ है। जैसा कि हरम में दाख़िल हाने वाले के लिए मवाक़ीत से एहराम बांधने के हुक्म से भी बैतुल्लाह की अज़्मत का इज़्हार मक़्सूद है।

(अहसनुल–फतावा स0 11, जिल्द 2)।

मस्अला : आज कल भी जो शख़्स वुज़ू करके मकान से चले उसको ज़्यादा सवाब हासिल होता है। लेकिन मस्जिद के लिए वुज़ू ख़ाना और गुस्लखाना वग़ैरह बना देना मूजिबे सवाब और मस्नून व मुस्तहब है। (अल–जवाबुल–मतीन स010)।

हदीस शरीफ़ में है कि आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैह व सल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स फ़र्ज़ अदा करने के लिए वुज़ू करके अपने घर से निकलता (और मस्जिद को जाता) है तो उसको उसी तरह सवाब मिलता है जिस तरह हज करने वाले, एहराम बांधने वाले को सवाब मिलता है।

तश्रीह : जिस तरह हज करने वाले, एहराम बांधने वाले को सवाब मिलता है।" गोया वुज़ू तो एहराम के मुशाबेह है और नमाज़ हज के मुशाबेह है। और मुशाबहत इस जेहत से ब्यान हुई है कि नमाज़ी नमाज़ के लिए मस्जिद को जाने के वास्ते जब

घर से निकलता है तो नमाज़ से फ़ारिग़ हो कर जब तक घर वापस नहीं आ जाता तब तक बरारब सवाब पाता रहता है, जैसा कि हाजी जब हज के लिए घर से निकलता है तो जब तक हज से फ़ारिग़ हो कर घर वापस नहीं आ जाता तब तक बराबर सवाब पाता रहता है। लिहाज़ा यह बात ज़ेहन में रहनी चाहिए कि हदीस शरीफ़ में जो मुशाबहत ब्यान हुई है वह सिर्फ़ इस जुज़्वी मुमासलत से है न कि जमीअ़ वजूह सवाब में बराबरी के एतेबार से, क्योंकि हज का सवाब अगर बस इतना ही माना जाए जितना मज़्कूरा नमाज़ी को मिलता है तो फिर हज करना ही अबस होगा।

फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले को हज करने वाले के साथ मुशाबहत दी गई और नफ़्ल यानी चाश्त वग़ैरह की नमाज़ पढ़ने वाले को उम्रह करने वाले के साथ मुशाबहत दी गई है।

(मज़ाहिरे हक़ स० 618, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल के बाद वुज़ू करना ?

मस्अला : वुज़ू नाम है तीन आज़ा (मुंह, हाथ और पांव) के धोने और सर के मसह करने का। और जब किसी आदमी ने गुस्ल कर लिया तो उसके ज़िम्न में वुज़ू भी हो गया। गुस्ल से पहले वुज़ू कर लेना सुन्नत है लेकिन अगर किसी ने गुस्ल से पहले वुज़ू नहीं किया तब भी गुस्ल हो जाएगा। और गुस्ल के ज़िम्न में वुज़ू भी हो जाएगा। मसह के माना तर हाथ सर पर फेरने के हैं। जब सर पर पानी डाल कर मल लिया तो मसह से बढ़ कर गुस्ल हो गया। बहरहाल अवाम का यह तर्ज़े अमल

कि वह गुस्ल के बाद फिर वुज़ू करते हैं, बिल्कुल गलत है, वुज़ू गुस्ल से पहले करना चाहिए, ताकि गुस्ल की सुन्नत अदा हो जाए गुस्ल के बाद वुज़ू करने का जवाज़ नहीं।

(आपके मसाइल स0 28, जिल्द 2)।

मस्अला : गुस्ल के बाद जब तक वुज़ू न टूटे दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। (आपके मसाइल स0 28, जिल्द 2 व अहसुनल–फ़तावा स0 9, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 99, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल के दौरान वुज़ू टूट जाए तो ?

सवाल : गुस्ल करने से पहले वुज़ू किया लेकिन गुस्ल के दौरान वुज़ू टूट जाए तो गुस्ल के बाद दोबारा वुज़ू करना चाहिए?

जवाब : अगर वुज़ू टूटने के बाद गुस्ल किया और उससे वुज़ू के आज़ा दोबारा धुल गए उसके बाद वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज पेश नहीं आई तो उसका वुज़ू हो गया। नमाज़ भी पढ़ सकता है।

मस्अला : और यह जो मशहूर है कि बरहना (नंगा) होने से वुज़ू टूट जाता है या यह कि बरहना होने की हालत में वुज़ू नहीं होता, यह महज गलत है। (आपके मसाइल स0 31, जिल्द2)।

मस्अला : नमाज़े जनाज़ा वाले वुज़ू से दूसरी नमाज़ पढ़ सकते हैं मगर नमाज़े जनाज़ा के लिए जो तयम्मुम किया जाए उससे दूसरी नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। (आपके मसाइल स0 31, जिल्द 2)।

मस्अला : नमाज़े जनाज़ा या सज्द–ए–तिलावत के लिए

वुज़ू किया तो इससे दूसरी नमाज़ें पढ़ना जाइज़ हैं, बल्कि पानी न मिलने या मरज़ की वजह से नमाज़े जनाज़ा के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे भी दूसरी नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 18, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 226, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 137, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 150, जिल्द 1)

मस्अला : जनाज़ा उठाने से क़ब्ल वुज़ू कर लें ताकि नमाज़े जनाज़ा फ़ौत न हो जाए और यह हुक्म भी इस्तिहबाबन है।

(मज़ाहिरे हक़ स0 482, जिल्द अव्वल)।

गर्म पानी से वुज़ू करना ?

मस्अला : गर्म पानी से वुज़ू करने में कोई हरज नहीं है।

मस्अला : अगर वुज़ू के दौरान कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ उतने हिस्से को धो लेना काफ़ी है। लेकिन उस खुश्क हिस्सा पर पानी बहाना ज़रूरी है। सिर्फ़ गीला हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है। (आपके मसाइल स0 32, जिल्द 2 अहसनुल–फ़तावा, स0 29, जिल्द 2। आपके मसाइल स0 34, जिल्द 2, व अहसनुल–फ़तावा स0 25, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 121, जिल्द 1)

उज़्र की वजह से खड़े हो कर वुज़ू करना ?

मस्अला : खड़े होकर वुज़ू करने में छींटे पड़ने का एहतेमाल है। इसलिए जहां तक हो सके बैठ कर वुज़ू करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो खड़े हो कर वुज़ू करने में भी कोई मुज़ाइक़ा नहीं है।

मस्अला : आज कल घर में वाश बेसन लगे हुए हैं, लोग खड़े हो कर बेसन से वुज़ू कर लेते हैं, वुज़ू तो इस तरह भी हो जाता है लेकिन अफ़ज़ल यह है कि क़िब्ला रुख़ बैठ कर वुज़ू करे।

मस्अला : अगर बैठने का मौक़ा नहीं है तो खड़े होकर वुज़ू करने में कोई हरज नहीं। लेकिन छींटों से परहेज करना चाहिए। (आपके मसाइल स0 33, जिल्द 2)।

मस्अला : बैठे हुए वुज़ू करके अगर बैठ कर पांव धोने में दिक़्क़त हो या खड़े हो कर मुस्तामल पानी से हिफ़ाज़त होती हो तो खड़े हो कर पांव धोने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं, बल्कि इस्तेमाल शुदा पानी से हिफ़ाज़त के लिए खड़े हो कर पांव धोना बेहतर है। (आदाबुल–वुज़ू, दुर्रे मुख़्तार स0 86, जिल्द अव्वल, फ़तावा महमूदिया स0 16, जिल्द 7)।

वुज़ू में विग यानी मस्नूई बालों का हुक्म

सवाल : अगर कोई शख़्स बवज्हे मज्बूरी सर पर "विग" (मस्नूई बालों) का इस्तेमाल करता है तो वह शख़्स वुज़ू के दौरान सर का मसह विग पर ही कर सकता है या नहीं?

जवाब : मस्नूई बालों का इस्तेमाल जाइज़ नहीं और न उसके इस्तेमाल में कोई मज्बूरी है, सर का मसह उनको उतार कर करना चाहिए। अगर उन पर मसह किया तो वुज़ू नहीं होगा।

(आपके मसाइल स0 36, जिल्द 2)

वुज़ू करते हुए क़िब्ला की तरफ़ थूकना

सवाल : क़िब्ला रुख़ बैठ कर वुज़ू करते हैं तो इस सूरत में थूकते भी हैं, वैसे क़िब्ला की तरफ़ थूकने से मना करते हैं, इसकी क्या हैसियत है?

जवाब : क़िब्ला की तरफ़ थूकना मक्रूह है। अगर क़िब्ला की तरफ़ मुंह हो मगर नीचे ज़मीन की तरफ़ थूके तो इसमें कोई कराहत नहीं। चुनांचे हदीस शरीफ़ में है कि नमाज़ में अगर थूकने की ज़रूरत पेश आ जाए तो पांव के नीचे थूक दे, हालांकि उस वक़्त नमाज़ी क़िब्ला रुख़ है, इसके बावजूद नीचे की तरफ़ थूकने की इजाज़त दी गई है। (अहसनुल–फ़तावा स0 17, जिल्द 2)। (अपनी जाए नमाज़ वग़ैरह के नीचे थूक सकता है, मस्जिद की जाए नमाज़ पर नहीं)।

वुज़ू में उज़्र की वजह से आज़ा को ख़ुश्क करते जाना ?

मस्अला : वुज़ू और गुस्ल में वला सुन्नत है, यानी इतनी ताख़ीर न करे कि मोतदिल हवा में दूसरा उज़्व धोने से क़ब्ल पहला उज़्व ख़ुश्क हो जाए, इसी तरह मसह के बाद और तयम्मुम में इतनी ताख़ीर (देर) करना कि उस वक़्त अगर कोई उज़्व धोया होता तो वह ख़ुश्क हो जाता ख़िलाफ़े सुन्नत है। (अहसनुल–फ़तावा स0 14, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 114, जिल्द 2)।

मस्अला : आज़ाए वुज़ू में मवालात सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। लिहाज़ा दूसरे उज़्व को पहले उज़्व का पानी ख़ुश्क होने पर धोना मक्रूह है, सुन्नत यह है कि मसलन चेहरा धो लिया तो फ़ौरन ही हाथों (कुहनियों) को धोया जाए, और कुहनियों के ख़ुश्क होने से पहले सर का मसह किया जाए वग़ैरह। पस अगर चेहरा धो कर इतना तवक़्क़ुफ़ किया कि चेहरे पर जो वुज़ू

का पानी था वह खुश्क हो गया तो वुज़ू तो सहीह हो जाएगा लेकिन कराहत के साथ। (किताबुल–फ़िक्ह स0 101, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू के आज़ा में तरतीब का मल्हूज़ रखना सुन्नत है फ़र्ज़ नहीं है। (किताबुल–फ़िक्ह स0 99, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अस्नाए वुज़ू उज़्र की वजह से आज़ा का खुश्क करते जाना बिला कराहत जाइज़ है और वुज़ू उसका कामिल है और नमाज़ उससे दुरुस्त है। और बिला उज़्र ऐसे करना यानी वुज़ू के दौरान आज़ा को खुश्क करते जाना अल्बत्ता खिलाफ़े सुन्नत है, नमाज़ फिर भी उस वुज़ू से सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 147, जिल्द अव्वल, बहवाला रद्दुल–मुह्तार सुननुल–वुज़ू स0 114, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वज़ू में जिस हिस्सए उज़्व पर पानी नहीं पहुंचा और खुश्क रह गया उस पर पानी बहा दे फिर वुज़ू सहीह हो जाएगा। और अगर कोई उज़्व या हिस्सा धुलने और तर होने के बाद खुश्क हो गया, तो इससे वुज़ू में कोई खलल नहीं आया, वुज़ू सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 147, जिल्द अव्वल, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 147, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करते वक़्त एड़ी पर या किसी और जगह पर पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू करने के बाद मालूम हुआ तो वहां पर फ़क़त गीला हाथ फेरना काफ़ी नहीं है बल्कि पानी पहुंचाना यानी पानी बहाना ज़रूरी है। (मराक़ियुल–फ़लाह स0 36, जिल्द अव्वल)

वुज़ू के आज़ा को तीन बार से ज़्यादा धोना ?

मस्अला : वुज़ू में बाज़ लोग तीन बार कुहनी तक हाथ

धो कर फिर तीन बार पानी बहाते हैं तो यह छे हो गया। अगर तीन से ज़ाइद इस एतेक़ाद से धो रहा है कि यह सवाब या सुन्नत है तो मक्रूहे तहरीमी है। और अगर यह एतेक़ाद नहीं मगर बिदून किसी दाइया के कर रहा है तो अबस होने की वजह से मक्रूहे तंज़ीही है, और अगर कभी इज़ालए शक और तमानीनते क़ल्ब की ख़ातिर तीन बार धो लिया तो कोई कराहत नहीं। अल्बत्ता मस्जिद और मदरसा के वक़्फ़ पानी से ज़्यादा धोना हराम है। (अहसनुल–फ़तावा स0 15, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 123, जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक़ स0 406, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू में दोनों हाथ तीन मरतबा धोने चाहिएँ, यही सुन्नत है, बाक़ी तर करने के लिए एक बार हाथ फेरने में कुछ हरज नहीं है, बल्कि अच्छा है, ताकि तीन मरतबा पूरी तरह पानी बह जाए, नीज़ पानी हाथ पर उंगली की तरफ़ से बहाए और उंगलियों में ख़िलाल धोते वक़्त करे, या बाद में, हर तरह दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 128, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 105, जिल्द अव्वल किताबुत्तहारत)।

हर उज़्व को तीन बार धोने की हिक्मत

मस्अला : वुज़ू में तीन मरतबा हर उज़्व को धोना आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक अमल से साबित है। (अहसुनल–फ़तावा स0 9, जिल्द 2)।

हर उज़्व को तीन बार धोने का हुक्म इसलिए हुआ कि तीन से कम धोने में नफ़्स पर पूरा–पूरा असर पैदा नहीं होता और यह अम्र तफ़रीत में दाखिल है और ज़्यादा धोने में इफ़रात व

इस्राफ़ है। क्योंकि अगर धोने में एक हद मुतऐयन न होती ता ज़न्नी और वह्मी लोग सारा दिन हाथ पांव ही धोने में गुज़ार देते और उनकी नमाज़ का वक़्त भी गुज़र जाात, यही वजह है कि एक सहाबी रजि. ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि क्या वुज़ू में भी इस्राफ़ है?

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "हां बेशक वुज़ू में इस्राफ़ होता है ख़्वाह (वुज़ू करने वाला) जारी नहर के किनारे पर बैठ कर वुज़ू करे। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 19)।

वुज़ू में मिस्वाक की फज़ीलत

हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "मिस्वाक मुंह की सफ़ाई और पाकीज़गी का ज़रीआ और परवरदिगार की रज़ा व ख़ुशनूदी का वसीला है।

और उम्मुल–मुमिनीन हज़रत आइशा रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी सो कर उठते, ख़्वाह रात में सोते ख़्वाह दिन में, तो वुज़ू करने से पहले मिस्वाक करते।

आप रजि. से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिस नमाज़ (के वुज़ू) के लिए मिस्वाक की गई, वह नमाज़ उस नमाज़ पर सत्तर दरजा फ़ज़ीलत ज़्यादा रखती है जिसके लिए मिस्वाक न की गई हो।

(मज़ाहिरे हक़ स0 381, जिल्द अव्वल)।

हज़रत आइशा रज़ि ब्यान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिस्वाक करने के बाद (अपनी वह मिस्वाक)

मुझको दे दते ताकि मैं उसको धो दूं। चुनांचे पहले तो मैं उससे मिस्वाक करती और उसको धो कर आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देती थी। (अबू दाऊद)।

तशरीह : "ताकि मैं उसको धो दूं।" इसमें इस बात की दलील है कि मिस्वाक करने के बाद उस मिस्वाक का धो लेना मुस्तहब है। और अल्लामा इब्ने हुमाम रह. ने लिखा है यह मुस्तहब है कि मिस्वाक तीन बार की जाए और हर बार उसको पानी से धोया जाए, और यह कि मिस्वाक नर्म होनी चाहिए।

"और पहले तो मैं उससे मिस्वाक करती।" यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिस्वाक करने के बाद अपनी वह मिस्वाक मुझे धोने के लिए देते थे, मगर मैं उसको धोने से पहले अपने मुंह में लेकर उससे मिस्वाक करती थी। और हज़रत आइशा रज़ि. ऐसा इसलिए करती थीं कि इस मिस्वाक में आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जो लुआब लगा होता था वह उन (हज़रत आइशा रज़ि.) के मुंह में आ जाए जिससे उनको बरकत हासिल हो। और फिर उसको धोने के बाद वह मिस्वाक हज़रत आइशा रज़ि. आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसलिए देती थीं कि अगर मिस्वाक करनी बाकी रह गई हो तो उसको आं हज़रत पूरा कर लें।

बहरहाल इससे यह मालूम हुआ कि किसी की मिस्वाक को अपने मुंह में लेना और उससे खुद मिस्वाक करना मकरूह नहीं है, अगर मिस्वाक करने वाले की रज़ामन्दी हासिल हो। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि सुलहा के लुआब वग़ैरह से बरकत

हासिल करना अच्छी चीज़ है। (और तीसरी यह कि औरतों के लिए भी मिस्वाक करना सुन्नत है)। (मज़ाहिरे हक़ जदीद) स0 380 जिल्द अव्वल। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

वुज़ू के आदाब व सुनन में से कोई अमल ऐसा नहीं है जिसकी ताकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इतनी की हो जितनी मिस्वाक के मुतअल्लिक़ की है। और आप ने खुद भी इसका बेहद एहतिमाम फ़रमाया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुँह के सिवा बैरूने जिस्म में कोई और हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ इस क़दर रुतूबत और ग़िज़ा के बक़िया अजज़ा जमा रहते हों और हवा न लगने की वजह से चूंकि मुंह में बदबू पैदा हो जाती है इसलिए आदमी बदबूदार और गन्दे मुंह से जब तिलावते कुरआन करता है और नमाज़ पढ़ता है तो यह बात खुदा तआला को भी ना पसन्द है और पाकीज़ा मख़्लूक़ फ़रिश्ते भी इससे तक्लीफ़ पाते हैं। मिस्वाक में जिस्मानी सेहत के लिए बेशुमार फ़ाएदों के अलावा एक अहम फ़ाएदा यह है कि यह खुदा को राज़ी करने वाली है और इबादतों के अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा करने वाली है। (अत्तरग़ीब वत्तरहीब स0 346, जिल्द अव्वल)।

(मिस्वाक में अगरचे मेहनत कुछ भी नहीं है, लेकिन नमाज़ की ख़ूबी व उम्दगी में इज़ाफ़ा होता है और इंसान बारगाहे खुदावन्दी में जिस मुंह से हम कलामी करने वाला है उसे पाक साफ़ करके तैयार हो जाता है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

हदीस शरीफ़ में है कि आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अगर मुझे उम्मत वालों पर ज़्यादा बोझ

पढ़ने का ख़्याल न होता तो उनको यह हुक्म देता कि इशा की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ा करें, और हर नमाज़ के लिए मिस्वाक किया करें। (बुख़ारी व मुस्लिम)।

तश्रीह : "अपनी उम्मत वालों पर ज़्यादा बोझ पड़ जाने का ख़्याल न होता।" यानी अगर मुझे यह डर न होता कि मेरी उम्मत के लोग दुश्वारी में पड़ जाएंगे और उन पर गिरां गुज़रेगा तो मैं एक बात तो यह लाज़िम क़रार देता कि इशा की नमाज़ तिहाई रात तक या आधी रात तक ताख़ीर करके पढ़ी जाए। और दूसरी बात यह लाज़िम करता कि हर नमाज़ के लिए यानी हर नमाज़ के वुज़ू के वक़्त मिस्वाक ज़रूर की जाए। यह दोनों बातें बहुत मुस्तहब हैं और बड़ी फ़ज़ीलत रखती हैं। (मज़ाहिरे हक़ स० 374, जिल्द अव्वल)।

मिस्वाक करने में आं हज़रत स० का मामूल

हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिस्वाक किया करते। (मुस्लिम)

तश्रीह : आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिज़ाजे मुबारक में नज़ाफ़त व पाकीज़गी और लताफ़त का जौहर जिस कमाल दर्जा का था, यह उसी का असर था कि आप घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिस्वाक करते थे। और उसकी वजह यह एहसास होता था कि बाहर मज्लिस में ज़्यादा चुप रहने या लोगों से कलाम व गुफ़्तगू करने के सबब शायद मुंह में कुछ तग़ैयुर आ गया हो तो वह इस मिस्वाक करने से जाता रहे, लेकिन अगर हक़ीक़त के एतेबार से देखा

जाए तो आपका यह मुबारक अमल उम्मत के लोगों को यह बताने और सिखाने के लिए था कि अपने घर के अफ़राद के दरमियान निहायत पाकीज़गी और नज़ाफ़त व लताफ़त के साथ रहन सहन रखना चाहिए, यहां तक कि आपस में बात चीत और इख़्तिलात के वक़्त कोई शख़्स मुंह के तग़ैयुर (मसलन बदबू) वग़ैरह की सूरत में तुम से कराहत व बेज़ारी और तक्लीफ़ महसूस न करे, इसलिए पहले मिस्वाक कर लिया करो। और अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं कि इस हदीस शरीफ़ में हर शख़्स के लिए ताकीद है कि जब अपने घर में दाख़िल हो तो सबसे पहले मिस्वाक करे। क्योंकि इसकी वजह से मुंह निहायत पाकीज़ा और ख़ुशबूदार हो जाता है। और यह बात घर वालों के साथ निहायत ख़ुशगवार और बेहतरीन सुलूक व तअल्लुक़ात का बाइस बनती है।

(और इस हदीस से उन लोगों के लिए भी ग़ौर व फ़िक्र करने का मक़ाम है जो घर में घर वालों के साथ निहायत ही गन्दा ज़ेहनी या मैले कुचैले कपड़ों वग़ैरह के साथ रहते हैं और बाहर निहायत एहतिमाम से निकलते हैं, बेशक घर से निकलने में भी एहतिमाम सफ़ाई व सुथराई का हो लेकिन घर में भी कुछ कम न हो, क्योंकि जिस तरह से मर्द अपनी बीवी को अच्छी हालत में देखना चाहता हैं औरत भी शौहर को.........)

उलमा ने लिखा है कि मिस्वाक करने के सत्तर फ़ाएदे हैं और उनमें सबसे कम दरजा का फ़ाएदा यह है कि मिस्वाक करने की आदत रखने वाला मौत के वक़्त कलिमए शहादत को

याद रखेगा। (मज़ाहिरे हक़ स0 374, जिल्द अव्वल)।

(नीज़ मिस्वाक की पाबन्दी और एहतिमाम करने वाला इंशाअल्लाह ख़ास कर मुंह के कैंसर में मुब्तला न होगा।)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मिस्वाक क्या है और कैसी होनी चाहिए ?

"सिवाक" ("मिस्वाक") का लफ़्ज़ सौकुन से बना है जसके माना हैं, मलना, रगड़ना, इस्तिलाह में सिवाक (यानी मिस्वाक करने) का मतलब होता है दांतों को मल कर साफ़ करना। और यह दांतों और मुंह की सफ़ाई अगरचे हर उस चीज़ से हासिल की जा सकती है जो सख़्त और खर खरी हो और दांतों का मैल और ज़र्दी दूर कर दे, लेकिन इस काम के लिए शरई तौर पर जो चीज़ अस्ल है, और जिस चीज़ के साथ सुन्नत व इस्तेहबाब की फ़ज़ीलत व बरकत वाबस्ता है वह लकड़ी है जिसको मिस्वाक कहा जाता है।

तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि मिस्वाक करना सुन्नत है। ताहम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह. के मसलक में तो यूं है कि बिल–ख़ुसूस जब भी वुज़ू किया जाए तो मिस्वाक की जाए। और हज़रत इमाम शाफ़ई के मसलक में यह है कि बिल–ख़ुसूस जब भी वुज़ू किया जाए और जब भी नमाज़ पढ़ी जाए तो मिस्वाक की जाए। गोया कोई शख़्स अगर एक वुज़ू से मसलन चार नमाज़ें पढ़ना चाहे तो इमाम शाफ़ई रह. के मसलक के मुताबिक़ चार ही मरतबा (हर नमाज़ के वक़्त) मिस्वाक करना मस्नून होगा। वाज़ेह रहे कि फ़ज्र और

जुहर की नमाज़ से पहले मिस्वाक करने की और ज़्यादा ताकीद है।

मुँह की सफ़ाई और पाकीज़गी परवरदिगार को पसन्द है। और आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम रखते थे।

उलमा ने लिखा है कि मिस्वाक की फ़ज़ीलत में चालीस हदीसें मन्कूल हैं, जिन से मुंह की सफ़ाई व पाकीज़गी के लिए मिस्वाक करने की अहमियत वाज़ेह होती है। अलावा अज़ीं न सिर्फ़ दांतों और मुंह के लिए, बल्कि पूरी जिस्मानी सेहत व तन्दुरुस्ती के लिए। मिस्वाक करने में बहुत बड़े–बड़े फ़ाएदे हैं, लिहाज़ा मिस्वाक करना हर हालत में मुस्तहब और अच्छा है। ख़ुसूसन वुज़ू करते वक़्त, तिलावते कुरआन के वक़्त, जब दांत ज़र्द हो गए हों, या सो जाने, या ख़ामोश रहने, या भूखा रहने की वजह से, या बदबू दार चीज़ खाने और पीने की वजह से, मुंह का मज़ा बिगड़ गया हो और मुंह में बदबू आती हो तो इस सूरत में मिस्वाक करना बहुत ही मुस्तहब और निहायत ही अच्छा है।

मिस्वाक किसी कड़वे दरख़्त (मसलन नीम वग़ैरह) की होनी चाहिए। और अगर पीलो के दरख़्त की हो तो बहुत बेहतर है क्योंकि हदीस शरीफ में पीलो के दरख़्त की मिस्वाक का ज़िक्र आया है। मिस्वाक की लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो मोटाई में छंगलिया उंगली के बक़द्र (कम अज़ कम) हो, और लम्बाई में एक बालिश्त के बराबर हो। नीज़ मिस्वाक करते वक़्त यह ख़्याल रखना चाहिए कि दांतों की चौड़ान पर हो, न कि लम्बान

पर, क्यों कि दांतों की लम्बान पर मिस्वाक करने से मसोढ़े छिल जाते हैं। और जैसा कि अक्सर उलमा ने लिखा है कि वुज़ू में मिस्वाक उस वक़्त की जाए जब कुल्ली की जाती है, और बाज़ हज़रात ने यह लिखा है कि वुज़ू शुरू करने से पहले मिस्वाक कर लेनी चाहिए। (दोनों तरह जाइज़ हैं)।

मस्अला : किसी मज्लिस में या लोगों के सामने इस तरह मिस्वाक करना कि राल टपकती जाए मक्रूह है, खुसूसन उलमा और बुज़ुर्गाने उम्मत के सामने इस तरह मिस्वाक करने से बचना चाहिए।

मस्अला : अगर कोई शख़्स मिस्वाक न रखता हो या जिस शख़्स के दांत टूटे हुए हों, या हिलते हों और मिस्वाक न कर सकता हो, तो वह अपने दाएं हाथ की उंगली से दांत मल कर मुंह साफ़ कर सकता है।

मस्अला : मुस्तहब है कि दांतों पर दाईं तरफ़ से मिस्वाक करना और मलना शुरू किया जाए। इमाम नौवी रह. लिखते हैं। मुस्तहब यह है कि पीलो की लकड़ी से मिस्वाक की जाए, अगर मिस्वाक को नर्म बनाना मुम्किन न हो तो इस सूरत में किसी मोटे और खर खरे कपड़े या उंगली से मल कर दांतों को साफ़ कर लिया जाए, जिससे मुंह का और दांतों का मैल वग़ैरह दूर किया जा सके। (मज़ाहिरे हक़ स० 373, जिल्द अव्वल)।

मिस्वाक करने पर ख़ून निकलता है ?

सवाल : एक शख़्स अगर वुज़ू करते वक़्त मिस्वाक करता है तो मुंह वग़ैरह धोने के बाद तक उसके दांतों से ख़ून आता रहता है, क्या वह दोबारा वुज़ू करे?

जवाब : ऐसी हालत में वुज़ू दोबारा करना चाहिए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 136, जिल्द 1 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 128, जिल्द अव्वल बाबबुल–वुज़ू)।

मस्अला : मिस्वाक को वुज़ू करने के लोटे (बर्तन) में तर होने के लिए डाल दें तो उस पानी से वुज़ू करने में कुछ कराहत नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि मिस्वाक पानी से धो कर नर्म कर ली जाए, लोटे में डालने की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 184, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 105, ज़िल्द अव्वल)।

(क्योंकि दूसरे हज़रात को उस लोटे से वुज़ू करने में तकल्लुफ़ होगा और बाज़ हज़रात को मुंह की बीमारी वग़ैरह होती है इसकी वजह से लोगों को ईज़ा होगी।)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : वुज़ू के वक़्त मिस्वाक करने के बाद मिस्वाक को पैर की उंगली और अंगूठे से पकड़ना मस्नून नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं है। (फ़तावा महमूदिया स0 41, जिल्द 2)।

(अगर ज़रूरत हो तो पकड़ सकते हैं लेकिन सुन्नत समझ कर नहीं पकड़ना चाहिए। (रफ़अत क़ासमी)

मस्अला : मिस्वाक करना औरत और मर्द दोनों के लिए मस्नून है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 29, जिल्द अव्वल)।

अस्ल सुन्नत दरख़्त की मिस्वाक है, वह न मिले या दांत न हों या दांत व मसोढ़े की ख़राबी की वजह से मिस्वाक से तक्लीलफ़ होती हो तो ज़रूरतन हाथ की उंगलियों या मोटे

खुरदुरे कपड़े या मंजन, टूथ पेस्ट या बरश से मिस्वाक का काम लिया जा सकता है, मगर मिस्वाक के होते हुए मज़्कूरा चीज़ें मिस्वाक की सुन्नत के अदा करने के लिए काफ़ी नहीं और मिस्वाक की सुन्नत का पूरा अज्र हासिल न होगा। (फ़तावा रहीमिया स0 126, जिल्द 3 बहवाला शामी स0 107, जिल्द व कबीरी स0 32, व हिदाया स0 6 जिल्द अव्वल व सग़ीरी स0 14 व बह्र स0 21, जिल्द 1 व आलमगीरी स07, जिल्द 1)

मस्अला : मिस्वाक एक बालिश्त से ज़ाइद न रखी जाए। इब्तिदाअन एक बालिश्त हो तो बेहतर है, कम में भी मुज़ाइक़ा नहीं, फिर जिस क़दर छोटी हो कर इस्तेमाल के क़ाबिल रहे इस्तेमाल की जाए। (फ़तावा महमूदिया स0 29, जिल्द 2 बहवाला शामी स0 78, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मिस्वाक का एक बालिश्त का होना मुस्तहब है।

मस्अला : शुरू ही से एक बालिश्त से कम मिस्वाक बनाना ख़िलाफ़े इस्तिहबाब है इस्तेमाल के बाद कम हो जाए तो कुछ हरज नहीं है। (असहनुल-फ़तावा स0 15, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल-मह्तार स. 107 जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के बाद ऐन नमाज़ से पहले मिस्वाक करना कैसा है?

सवाल : मैंने रियाज़ में देखा कि लोग सफ़ों में बैठे हुए मिस्वाक कर रहे हैं और जब मुकब्बिर ने तक्बीर कहनी शुरू की तो उन्होंने पहले मिस्वाक की और खड़े हो कर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने दरयाफ़्त किया कि

इस तरह मिस्वाक करना जाइज़ है? तो इमाम साहब ने फ़रमाया। हदीस शरीफ़ में है कि नमाज़ शुरू करने से पहले और वुज़ू करने से पहले मिस्वाक कर लिया करो। तफ़्सील फ़रमाएं।

जवाब : उन इमाम साहब ने जिस हदीस पाक का हवाला दिया है वह यह है "अगर अन्देशा न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक़्क़त में डाल दूंगा तो उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता।

इस हदीस के रावियों के अल्फ़ाज़ के नक़्ल करने में इख़्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ के अल्फ़ाज़ नक़्ल करते हैं और बाज़ इसके बजाए عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ नक़्ल करते हैं।

(सहीह बुख़ारी स0 259, जिल्द)

यानी हर वुज़ू के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता। इन दोनों अल्फ़ाज़ के पेशे नज़र हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़्दीक हदीस शरीफ़ का मतलब यह निकलता है कि हर नमाज़ से पहले वुज़ू करे और हर वुज़ू की इब्तिदा मिस्वाक से करने की तर्ग़ीब दी गई है और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देने से मक़्सूद यह है कि हर नमाज़ के वुज़ू से पहले मिस्वाक की जाए, ऐन नमाज़ के लिए खड़े होने के वक़्त मिस्वाक की तर्ग़ीब मक़्सूद नहीं, अगर अव्वले नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करे तो अन्देशा है कि दांतों से ख़ून निकल आए जिससे वुज़ू साक़ित हो जाएगा और जब वुज़ू न रहा तो नमाज़ भी न होगी। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा फ़रमाते हैं कि हर नमाज़ के वुज़ू से पहले मिस्वाक करना सुन्नत है। ऐन नमाज़ के वक़्त मिस्वाक नहीं की जाती।

अलावा अज़ीं मिस्वाक मुंह की नज़ाफ़त और सफ़ाई के लिए की जाती है और यह मक़सूद उसी वक़्त हासिल हो सकता है जबकि वुज़ू करते हुए मिस्वाक की जाए और पानी से कुल्ली करके मुंह अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त बेग़ैर पानी और कुल्ली के मिस्वाक करने से मुंह की नज़ाफ़त और सफ़ाई हासिल नहीं होती जो मिस्वाक से मक़सूद है।

सऊदी हज़रात चूंकि इमाम अहमद बिन हंबल रह. के मुक़ल्लिद हैं और उनके नज़्दीक ख़ून निकल आने से वुज़ू नहीं टूटता, इसलिए वह नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करते हैं। और हदीस शरीफ़ का यह ही मंशा समझते हैं।

(आपके मसाइल स0 35, जिल्द 2)।

मस्अला : हन्फ़ीया के नज़्दीक रमज़ान शरीफ़ में भी हर एक वज़ू में मिस्वाक करना मुस्तहब है और वह ख़लूफ़ जो अल्लाह को पसन्द है मिस्वाक के बाद भी रहता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 130, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया स0 203, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करते वक़्त मिस्वाक करना सुन्नत है, ख़्वाह वुज़ू पर वुज़ू किया जाए और खाने के बाद मिस्वाक करना एक अलग सुन्नत है।

मस्अला : मिस्वाक ख़्वातीन के लिए भी सुन्नत है लेकिन अगर उनके मसोढ़े मिस्वाक के मुतहम्मिल न हों तो उनके लिए दंदासा का इस्तेमाल भी मिस्वाक के क़ाइम मक़ाम है, जब कि मिस्‍ ाक की नीयत से उसका इस्तेमाल करें। (आपके मसाइल

स0 34, जिल्द 2 व नमाज़ मस्नून स0 77)

मस्अला : दांत पर मैल आ जाने के वक़्त, सो कर उठने के बाद, मुंह में बदबू आ जाने के वक़्त, ख़ानए कअ़बा में दाख़िल होने के वक़्त, किसी मज्लिस और मज्मा में जाने के वक़्त और कुरआन शरीफ़ पढ़ने के लिए मिस्वाक करना मुस्तहब है, इसी तरह कोई एक वुज़ू से दूसरे वक़्त की नमाज़ पढ़े तो उसको भी मिस्वाक करना मुस्तहब है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 119 जिल्द अव्वल)।

क्या टूथ बरश मिस्वाक की सुन्नत का बदल है ?

मस्अला : बेहतर तो यही है कि अदाए सुन्नत के लिए मिस्वाक का इस्तेमाल किया जाए, बरश इस्तेमाल करने से बाज़ अह्ले इल्म हज़रात के नज़्दीक मिस्वाक की सुन्नत अदा हो जाती है और बाज़ के नज़्दीक नहीं होती। (आपके मसाइल स0 35, जिल्द 2)।

(बरश में सिर्फ़ सफ़ाई की सुन्नत अदा होगी, बाक़ी सुन्नतें रह जाएंगी मसलन पीलो या कड़वे दरख़्त, लम्बाई व मोटाई वग़ैरह।)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िर लहू)।

मस्अला : बरश इस्तेमाल कर सकता है बशर्तेकि हराम बालों का बना हुआ न हो। लेकिन सुन्नत इससे अदा न होगी।

(नमाज़ मस्नून स0 77)।

मस्अला : कुछ दांत वग़ैरह गिर जाने की वजह से अगर मिस्वाक का इस्तेमाल न हो सके तो किसी भी मंजन या पेस्ट वग़ैरह से बवज्हे मज्बूरी मिस्वाक का सवाब मिलेगा। वरना मिस्वाक का सवाब न मिलेगा। (निज़ामुल–फ़तावा स0 43, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के वाजिब होने की शर्तें

(1) मुसलमान होना, काफ़िर पर वुज़ू वाजिब नहीं (क्योंकि वुज़ू इबादत है और काफ़िरों को इबादत का हुक्म नहीं)।

(2) बालिग़ होना। नाबालिग़ पर वुज़ू वाजिब नहीं।

(3) आक़िल होना, दीवाना, मस्त और बेहोश पर वुज़ू वाजिब नहीं।

(4) पानी के इस्तेमाल पर क़ादिर होना, जिस शख़्स को पानी के इस्तेमाल पर क़ुदरत न हो उस पर वुज़ू वाजिब नहीं (क़ुदरत न होने की सूरतें तयम्मुम के ब्यान में आएंगी)।

(5) नमाज़ का इस क़दर बाक़ी रहना कि जिसमें वुज़ू और नमाज़ की गुंजाइश हो। अगर किसी शख़्स को इतना वक़्त न मिले तो उस पर वुज़ू वाजिब नहीं है। मसलन कोई काफ़िर ऐसे तंग वक़्त में इस्लाम लाया कि वुज़ू और नमाज़ दोनों की गुंजाइश नहीं। या कोई नाबालिग़ ऐसे तंग वक़्त में बालिग़ हुआ। (इल्मुल--फ़िक़्ह स0 53, जिल्द अव्वल व किताबुल--फ़िक़्ह, स0 80 जिल्द अव्वल)।

मसला : अगर कोई नाबालिग़ वुज़ू करे तो वुज़ू सहीह मुतसौवर होगा। चुनांचे अगर मसलन बालिग़ होने से कुछ पहले वुज़ू किया और फिर बालिग़ हो गया, तो उसका वुज़ू बहाल रहेगा, उसके लिए जाइज़ है कि उस ही वुज़ू से नमाज़ पढ़ ले। यह सूरते हाल अगरचे नादिरुल--वक़ूअ में है, लेकिन मुसाफ़िरों के लिए और सहराओं में जहाँ पानी की क़िल्लत हो, ज़िन्दगी बसर करने वालों के लिए मुफ़ीद है। (किताबुल--फ़िक़्ह स0 78, जिल्द 1)

वुज़ू के सहीह होने की शर्तें

(1) तमाम आज़ा पर पानी का पहुंच जाना, अगर कोई जगह बाल बराबर भी ख़ुश्क रह जाए तो वुज़ू न होगा।

(2) जिस्म पर ऐसी चीज़ का न होना जिसकी वजह से जिस्म पर पानी न पहुंच सके। मिसाल वुज़ू के आज़ा पर चर्बी (घी, तेल वग़ैरह) या ख़ुश्क मोम लगा हुआ हो। या उंगली में तंग अंगूठी हो।

(3) जिन हालतों में वुज़ू जाता रहता है और जो चीज़ें वुज़ू को तोड़ती हैं वुज़ू की हालत में उन चीजों का न होना, बशर्तेकि वह शख़्स माज़ूर न हो। (माज़ूर का वुज़ू इन हालतों के साथ भी सहीह हो जाता है जैसे किसी को पेशाब का मरज हो कि हर वक़्त पेशाब जारी रहता है तो उसका वुज़ू उसी हालत में दुरुस्त है।) हैज या निफ़ास वाली औरत वुज़ू करे तो वुज़ू दुरुस्त नहीं। जुनुबी (जिसको गुस्ल की हाजत हो) वुज़ू करे तो वुज़ू न होगा। पेशाब व पाख़ाना करते वक़्त वुज़ू करे तो वुज़ू न होगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 53, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 82, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर हैज़ की हालत में वुज़ू किया और फिर हैज़ से पाक हो गई तो उसके वुज़ू का एतेबार नहीं है क्योंकि वह सिरे से दुरुस्त ही न था। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के फ़राइज़ : वुज़ू में चार फ़र्ज हैं।

(1) मुंह का धोना। (2) दोनों हाथों का धोना (3) सर का मसह करना (4) दोनों पैरों का धोना। इन्ही चार चीजों का नाम वुज़ू है।

पहला फ़र्ज़ : तमाम मुँह का एक बार धोना, ख़्वाह वुज़ू करने वाला ख़ुद धोए, या कोई दूसरा धुलवाए, या ख़ुद बख़ुद धुल जाए, जैसे कोई शख़्स दरिया में ग़ोता लगाए, या बारिश का पानी चेहरे पर पड़ जाए और तमाम मुँह धुल जाए। तमाम मुँह से मुराद वह सतह है जो इब्तिदाए पेशानी से ठोढ़ी तक और दोनों कानों के बीच में है। और धोना फ़ुक़हा के नज़्दीक इसका नाम है कि पानी एक मक़ाम से दूसरे मक़ाम पर बह जाए और कम से कम दो क़तरे उज़्व से धोने के बाद फ़ौरन टपक जाएं।

(2) आंख का जो गोशा नाक के क़रीब है उसका धोना फ़र्ज़ है और अक्सर उस पर मैल आ जाता है उसको दूर करके पानी पहुंचाना चाहिए।

(3) जो सतह रुख़्सारों (कल्लों) और कान के दरमियान में है उसका धोना फ़र्ज़ है ख़्वाह दाढ़ी निकली हो या नहीं।

(4) ठोड़ी का धोना फ़र्ज़ है बशर्तेकि दाढ़ी के बाल उस पर न हों, या हों तो इस क़दर कम हों कि जिल्द नज़र आ जाए।

(5) होंठ का जो हिस्सा होंठ बन्द होने के बाद दिखलाई देता है उसका धोना फ़र्ज़ है।

दूसरा फ़र्ज़ :

(1) दोनों हाथों का कुहनियों तक एक मरतबा धोना ख़्वाह वुज़ू करने वाला ख़ुद धोए या कोई दूसरा धुलवाए, या और किसी तरीक़ा से धुल जाएं, दोनों एक मरतबा मिला कर धोए या अलाहिदा–अलाहिदा।

(2) उंगलियों की घाई में बग़ैर ख़िलाल के पानी न पहुंचे तो ख़िलाल करना फ़र्ज़ है।

(3) किसी शख़्स के एक जानिब में पूरे दो पैर या दो हाथ हों तो वह अगर दोनों हाथों में हर एक से काम लेता है यानी चीज़ों को पकड़ सकता है और उठा सकता है, दोनों हाथों का धोना फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर दोनों पैरों में हर एक से पैर का काम लेता है, चल सकता है तो दोनों पैरों का धोना फ़र्ज़ है। और अगर दोनों से काम नहीं ले सकता तो अगर दोनों जुड़े हुए अंगूठे हों तब भी दोनों का धोना फ़र्ज़ है और अगर मिले हुए न हों बल्कि जुदा हों तो सिर्फ़ उसी का धोना फ़र्ज़ है जो काम देता है।

हाथ पैर के दरमियान से अगर दूसरा हाथ पैर जमा हो तो उसका धोना फ़र्ज है, बशर्तेकि उस मक़ाम से जमा हो जिसका धोना वुज़ू में फ़र्ज़ है, मसलन हाथ में कुहनी या कुहनी के नीचे जमा हो, पैर में टख़ने के नीचे से जमा हो। और अगर कुहनी या टख़ने के ऊपर से जमा हो तो इस क़दर हिस्सा का धोना फ़र्ज़ है जो कुहनी या टख़ने के नीचे के हिस्सा के मुक़ाबला में हो।

तीसरा फ़र्ज़ : सर के किसी जुज़्व का मसह।

चौथा फ़र्ज़ : दोनों पैरों का टख़नों तक एक मरतबा धोना बशर्तेकि (चमड़े का) मोज़ा पहने हुए न हो, अगर उंगलियों की घाई में बग़ैर ख़िलाल के पानी न पहुंचे तो ख़िलाल भी फ़र्ज़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 58, जिल्द 1, शरह वक़ाया स0 51, जिल्द अव्वल, हिदाया स0 4 जिल्द अव्वल, मराक़ियुल–फ़लाह स0 18, कबीरी स0 17, शरह नक़ाया स0 4, अबू दाऊद स0 20 जिल्द अव्वल, कुरआन करीम, माइदा पारह 6)।

मस्अला : वुज़ू में पैरों का धोना फ़र्ज़ है और नस्से क़तई وَاَرْجُلَكُمْ से साबित है, मसह उस सूरत में है कि पैरों पर चमड़े के मोज़े पहने हों। मसह में शीओं का जो क़ौल है वह हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स० 127, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स० 86 व मुन्या स० 15)।

वुज़ू के वाजिबात

मस्अला : वुज़ू में चार वाजिब हैं।

(1) भवें या दाढ़ी या मोंछ अगर इस क़दर घनी हों कि उनके नीचे की जिल्द छुप जाए और नज़र न आए तो ऐसी सूरत में इस क़दर बालों का धोना वाजिब है जिनसे जिल्द छुपी हुई है, बाक़ी बाल जो जिल्द के आगे बढ़ गए हैं उनका धोना वाजिब नहीं।

(2) कुहनियों का धोना। अगर एक ही जानिब किसी के दो हाथ हों तो उसे दूसरे हाथ की कुहनियां धोना भी वाजिब है, बशर्तेकि दोनों से काम ले सकता हो, वरना अगर दोनों हाथ मिले हुए हों तब भी दूसरे हाथ की कुहनी का धोना वाजिब है और अगर मिले हुए न हों तो सिर्फ़ उसी हाथ की कुहनी का धोना वाजिब है जो काम देता है। हाथ के दरमियान से अगर दूसरा हाथ निकला हो तो उसके कुहनी, या हिस्सा का जो कुहनी के मुक़ाबिल हो धोना वाजिब है।

(3) चौथाई सर का मसह करना वाजिब है, अगर सर पर बाल हों तो सिर्फ़ उन्हीं का मसह करना वाजिब है जो चौथाई सर पर हों।

(4) दोनों पैरों के टख़नों का धोना वाजिब है, अगर चमड़े के मोज़े न हों। अगर एक ही जानिब में किसी शख़्स के दो पैर हों तो उसमें भी वही तफ़्सील है जो कुहनी के ब्यान में गुज़री है।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 59, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दाढ़ी या मोंछ या भवें अगर इस क़दर घनी हों कि खाल नज़र न आए तो उस खाल का धोना जो उससे छुपी हो फ़र्ज़ नहीं है। बल्कि वह बाल ही क़ाइम मक़ाम खाल के हैं उन पर से पानी बहा देना काफ़ी है, ऐसी सूरत में इस क़दर बालों का धोना वाजिब है जो हद्दे चेहरा के अन्दर हैं, बाक़ी बाल जो हद्दे चेहरा मज़कूर से आगे बढ़ गए हों उनका धोना वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 13, जिल्द 11 बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 9 जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 126, जिल्द अव्वल)।

मस्अला :

(1) आँख, नाक, मुँह के अन्दर का धोना फ़र्ज़ नहीं है।

(2) दाढ़ी या मोंछ या भवें अगर इस क़दर घनी हों कि जिल्द न नज़र आए तो उस जिल्द का धोना जो उस से छुपी हुई है फ़र्ज़ नहीं।

(3) वुज़ू में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है अगर उन पर कोई चीज़ लग जाए जो पानी को पहुंचने से मना न करे तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ नहीं है, मसलन मुंह या हाथ या पैर पर मिट्टी वग़ैरह लग जाए तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ नहीं है। (जबकि पानी पहुंच जाए) (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 58, जिल्द अव्वल)।

नोट : अगरचे फ़ुक़हाए किराम ने वुज़ू और गुस्ल के

अहकाम में फ़र्ज़ और वाजिब की तफ़्सील नहीं की है, दोनों को एक ही जगह जमा कर दिया है, बल्कि बाज़ ने वाजिबात को भी फ़र्ज़ ही के उनवान से ब्यान किया है और बाज़ ने यह भी लिख दिया है कि वुज़ू और ग़ुस्ल में कोई वाजिब नहीं है, मगर इसकी ख़ास वजह यह है कि वुज़ू और ग़ुस्ल में वाजिब और फ़र्ज़ दोनों अमल में यक्सां है, जैसे फ़र्ज़ के तर्क (छूटने) से वुज़ू और ग़ुस्ल नहीं होता वैसे ही वाजिब के तर्क होने से भी नहीं होता, मगर नाज़िरीन की सुहूलत के लिए फ़राइज़ को अलाहिदा ब्यान किया है और वाजिबात को अलाहिदा मसलन फ़ुक़हाए किराम रह. ने दोनों हाथों का कुहनियों समेत धोना फ़र्ज़ लिखा है, हमने फ़राइज़ में सिर्फ़ हाथों को धोना लिखा है। कुहनियों का धोना वाजिबात में लिखा है। (हाशिया इल्मुल–फ़िक़्ह स0 59, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू की सुन्नतें

(1) वुज़ू की नीयत करना, और नीयत यह नहीं है कि ज़बान से कुछ कहे बल्कि महज यह इरादा करे कि मैं वुज़ू महज़ सवाब और ख़ुदा की ख़ुशी के लिए करता हूं, न कि अपने हाथ पैर मुंह साफ़ करने के लिए। (दुर्रे मुख़्तार)।

(2) بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام

पढ़ कर वुज़ू शुरू करना।

(3) मुंह धोने से पहले दोनों हाथों का गट्टों समेत एक बार धोना, और जब हाथों को कुहनियों तक धोए तो हाथ को फिर यहीं से धोना चाहिए।

(4) तीन बार कुल्ली करना लेकिन पानी हर बार नया हो और मुंह भर कर हो और कुल्ली में इस क़दर मुबालग़ा करे कि पानी हलक़ के क़रीब तक पहुंच जाए बशर्तेकि रोज़ादार न हो, अगर रोज़ादार हो तो इस क़दर मुबालग़ा न करना चाहिए।

(5) कुल्ली करते वक़्त मिस्वाक करना, मिस्वाक करने का तरीक़ा यह है कि मिस्वाक दाहिने हाथ में इस तरह ले कि मिस्वाक के एक सिरे के क़रीब अंगूठा और दूसरे सिरे के नीचे आख़िर की उंगली और दरमियान में और ऊपर की जानिब और उंगलियां रखे और मुट्ठी बांध कर न पकड़े और पहले ऊपर के दांतों के तूल में दाहिनी तरफ़ करे फिर बाईं तरफ़ इसी तरह फिर नीचे के दांतों में इसी तरह। एक बार मिस्वाक करने के बाद मिस्वाक को मुंह से निकाल कर निचोड़े और नए पानी से भिगो कर फिर करे, इसी तरह तीन बार करे, इसके बाद मिस्वाक को धोकर दीवार वग़ैरह से खड़ी करके रख दे, ज़मीन पर वैसे ही न रख दे, दांतों के अर्ज़ में मिस्वाक न करनी चाहिए (यानी मिस्वाक को दांतों पर दाएं बाएं चलाना चाहिए न कि ऊपर नीचे)। मिस्वाक ऐसी ख़ुश्क और सख़्त लकड़ी की न हो जो दांतों को नुक़्सान पहुंचाए और न ऐसी तर और नर्म हो कि मैल को साफ़ न कर सके, बल्कि मुतवस्सित दर्जे की हो, न बहुत सख़्त और न बहुत नर्म। ज़हरीले दरख़्त की भी न हो। पीलो या ज़ैतून या किसी कड़वे दरख़्त मसलन नीम वग़ैरह की हो तो बेहतर है। लम्बाई में एक बालिश्त की होना चाहिए, इस्तेमाल से तराशते तराशते अगर कम हो जाए तो मुज़ाइक़ा नहीं, और

मोटाई में अंगूठे से ज़्यादा न हो, सीधी हो, गिरह दार न हो, अगर मिस्वाक न हो या दांत न हों तो कपड़े या उंगली से मिस्वाक का काम लेना चाहिए।

(6) नाक में तीन बार पानी लेना और हर बार नया पानी हो और इस क़दर मुबालग़ा क्या जाए कि पानी नथुनों की जड़ तक पहुंच जाए बशर्तेकि रोज़ादार न हो।

(7) तीन बार उस शख़्स को मुँह धोने के बाद जो मोहरिम न हो। (यानी जो हज या उमरे के इरादे से एहराम बांधे। और यह शर्त इसलिए कि ख़िलाल करने में बाल टूटने का अन्देशा है और एहराम बांधने वाले को बाल तोड़ना मना है।) दाढ़ी का ख़िलाल करना बशर्तेकि दाढ़ी घनी हो, ख़िलाल करने का तरीक़ा यह है कि दाहिने चुल्लू में पानी लेकर थोड़ी के नीचे बालों की जड़ों में डाले और हाथ की पुश्त गर्दन की जानिब करके उंगलियां बालों में डाल कर नीचे से ऊपर की जानिब ले जाए।

(8) हाथों को उंगलियों की तरफ़ से धोना, कुहनियों की तरफ़ न धोना चाहिए।

(9) कुहनियों तक तीन बार धोने के बाद हाथों की उंगलियों का तीन बार ख़िलाल करना, हाथ की उंगलियों का ख़िलाल उस वक़्त मस्नून है कि जब उंगलियों की घाई में पानी पहुंच जाए और अगर पानी न पहुंचे तो पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है और यही कैफ़ियत पैर की उंगलियों के मसह की भी है और इसका तरीक़ा यह है कि एक हाथ की पुश्त दूसरे हाथ की हथेली पर रख कर ऊपर के हाथ की उंगलियां नीचे के हाथ की उंगलियों में डाल कर खींच ले।

(10) तीन बार पैर के धोने के वक़्त पैर की उंगलियों का हर बार ख़िलाल करना, पैर की उंगलियों का ख़िलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली से करना चाहिए, इस तरह कि दाहने पैर की उंगली से शुरू करे और बाएं पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करे।

(11) पूरे सर का एक बार मसह करना। इसका तरीक़ा यह है कि दोनों हाथ मअ़ उंगलियों के और हथेलियों के तर करके सर के आगे के हिस्सा पर रख कर आगे से पीछे ले जाए और फिर पीछे से आगे लाए।

(12) सर के मसह के बाद कानों का मसह करना, लेकिन कानों के मसह के लिए अज़ सरे नौ (नए पानी से) हाथों को तर न करे, बल्कि सर के मसह के लिए तर करना उसके लिए भी काफ़ी है, हां अगर सर के मसह के बाद अमामा या टोपी या ऐसी चीज़ छूए जिससे हाथों की तरी जाती रहे तो फिर दोबारा तर कर ले। कानों के मसह का तरीक़ा यह है कि छोटी उंगली को कान के सूराख़ में डाल कर हरकत दे और शहादत की उंगली से कान के अन्दरूनी हिस्से को और अंगूठे से उनकी पुश्त पर मसह करे। (बहरुर्राइक़)।

(13) हर उज़्व का तीन बार इस तरह धोना कि हर बार पूरा धुल जाए और अगर एक बार आधा और फिर दूसरी बार बाक़ी धोया तो यह दोबारा न समझा जाएगा बल्कि एक बार ही समझा जाएगा।

(14) वुज़ू उसी तर्तीब से करना जिस तर्तीब से लिखा गया यानी पहले कुल्ली करना फिर नाक में पानी लेना फिर मुंह

धोना फिर दाढ़ी का ख़िलाल करना फिर हाथों का धोना फिर उंगलियों का ख़िलाल करना फिर सर का मसह करना, फिर कानों का मसह फिर पैरों का धोना फिर पैर की उंगलियों का ख़िलाल।

(15) दाहने उज़्व को बाएं उज़्व से पहले धोना।

(16) एक उज़्व के धोने के बाद दूसरे उज़्व के धोने में इस क़दर देर न करना कि पहला उज़्व बावजूद हवा और जिस्म के मोतदिल होने के ख़ुश्क हो जाए, हां अगर किसी ज़रूरत की वजह से इस क़दर देर हो जाए तो मुज़ाइक़ा नहीं। (यानी बिला ज़रूरत इतना वक़्फ़ा न हो कि पहला उज़्व ख़ुश्क हो जाए।)

(17) धोने के वक़्त आज़ा को हाथ से मलना और हाथ का आज़ा पर फेरना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 61, जिल्द अव्वल, हिदाया स0 5 जिल्द अव्वल, कबीरी स0 33, शरह वक़ाया स0 9 जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 105 ता 112 जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के मुस्तहब्बात

वुज़ू में चौदह मुस्तहब हैं :

(1) वुज़ू करने के लिए किसी ऊंचे मुक़ाम पर बैठना ताकि इस्तेमाल शुदह पानी जिस्म और कपड़ों पर न पड़े।

(2) वुज़ू करते वक़्त क़िब्ला रू होकर बैठना।

(3) वुज़ू का बर्तन मिट्टी का होना। (कांसा, पीतल वग़ैरह के बर्तन व लोटे से भी जाइज़ है) (फ़तावा दारुल–उलूम स0 129 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 300 जिल्द अव्वल)।

(4) वुज़ू करने में किसी से मदद न लेना यानी दूसरे शख़्स से आज़ाए वुज़ू को न धुलवाना (जबकि कोई माज़ूरी व मज्बूरी न हो।) बल्कि ख़ुद ही धोना और अगर कोई दूसरा शख़्स

पानी देता जाए और आज़ाए वुज़ू को ख़ुद ही धोए तो कोई मुज़ाइक़ा नहीं।

(5) आज़ा को जहाँ तक धोना फ़र्ज़ या वाजिब है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा धो डालना।

(6) दाहने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना।

(7) बाएं हाथ से नाक साफ़ करना।

(8) अंगूठी वग़ैरह अगर ऐसी हो कि जिस्म तक पानी पहुंचने से मना करे तो हरकत देना।

(9) कानों के मसह के वक़्त छोटी उंगली का दोनों कानों के सूराख़ में डालना।

(10) पैर धोते वक़्त दाहने हाथ से पानी डालना और बाएं हाथ से मलना।

(11) सर्दियों के मौसम में पहले हाथ पैरों को तर हाथ से मलना ताकि तमाम उज़्व धोते वक़्त पानी आसानी से पहुंच जाए। (क्योंकि बाज़ मरतबा पैर फटे हुए होते हैं पानी का पहुंचना मुश्किल होता है।)

(12) हर उज़्व धोते वक़्त या मसह करते वक़्त बिस्मिल्लाह और कलिमा–ए–शहादत पढ़ना और इबादत की नीयत करना।

(13) वुज़ू में और वुज़ू के बाद जो दुआएं अहादीस शरीफ़ में आई हैं उनका पढ़ना। (यह दुआएं वुज़ू के मस्नून तरीक़ा में हैं)।

(14) वुज़ू के बचे हुए पानी का खड़े होकर पीना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 62, जिल्द अव्वल व क़िताबुल–फ़िक़्ह स0 123, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के मक्रूहात :

(1) जो चीज़ें वुज़ू में मुस्तहब हैं उनके ख़िलाफ़ करने से वुज़ू मक्रूह हो जाता है।

(2) पानी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना।

(3) पानी का इस क़दर कम ख़र्च करना कि जिससे आज़ा के धोने में नुक़्सान हो।

(4) हालते वुज़ू में कोई दुनिया की बात बिला उज़्र करना।

(5) बिला उज़्र दूसरे आज़ा का वुज़ू में धोना।

(6) मुंह और दूसरे आज़ा पर ज़ोर से छींटा मारना।

(7) तीन बार से ज़्यादा उज़्व को धोना।

(8) नए पानी से तीन बार मसह करना।

(9) वुज़ू के बाद हाथों का पानी झटकना।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 63, जिल्द अव्वल व नूरुल–ईज़ाह स0 8, व किताबुल–फ़िक़्ह स0 123, जिल्द अव्वल)

वुज़ू का मस्नून व मुस्तहब तरीक़ा

वुज़ू के लिए किसी मिट्टी (वग़ैरह) के बर्तन में पानी लेकर ऊंचे मक़ाम पर क़िब्ला रू हो कर बैठे और दिल में यह इरादा करे कि मैं यह वुज़ू ख़ालिस अल्लाह तआला की ख़ुशी और सवाब के लिए करता हूं। बदन का साफ़ करना, मुंह हाथ धोना بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام पढ़ कर दाहिने चुल्लू में पानी ले और दोनों हाथों को गट्टों तक मल–मल कर धोए, इसी तरह तीन बार करे फिर दाहने हाथ के चुल्लू में पानी लेकर कुल्ली करे और मिस्वाक को दाहने हाथ में इस तरह पकड़े कि छोटी उंगली मिस्वाक के एक सिरे पर और अंगूठा मिस्वाक के दूसरे सिरे के क़रीब और बाक़ी उंगलियां मिस्वाक के ऊपर हों, और ऊपर के दांतों के तूल में दाहनी तरफ़ से

मलता हुआ बाईं तरफ़ लाए फिर इसी तरह नीचे के दांतों को मले फिर मिस्वाक को मुंह से निकाल कर निचोड़ डाले और धो कर फिर उसी तरह मले इस तरह तीन बार मले और उसके बाद दो कुल्लियां और करे। ताकि तीन कुल्लियां पूरी हो जाएं, तीन से ज़्यादा भी न हों। कुल्ली इस तरह करे कि पानी हलक़ तक पहुंच जाए यानी गर गरह करे अगर रोज़ादार न हो।

कुल्ली करते वक़्त बाद बिस्मिल्लाह कलिम–ए–शहादत के यह दुआ पढ़ता जाए :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

नाक में पानी लेते वक़्त बिस्मिल्लाह और कलिमा–ए–शहादत के बाद यह दुआ पढ़ता जाए।

"اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تَرِحْنِیْ رَائِحَةَ النَّارِ."

फिर दाहने हाथ के चुल्लू में पानी लेकर नाक में इस तरह ले कि नथुनों की जड़ तक पानी पहुंच जाए अगर रोज़ादार न हो और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे, इस तरह तीन बार करे और हर बार नया पानी हो, फिर दोनों चुल्लुओं में पानी लेकर तमाम मुंह को मल कर धोए, इस तरह कि कोई जगह बाल बराबर भी छूटने न पाए, फिर अगर मुहरिम (एहराम न बांधा) न हो तो दाढ़ी का ख़िलाल करे, इस तरह कि दाहने चुल्लू में पानी लेकर दाढ़ी की जड़ तक तर करे और हाथ की पुश्त गर्दन की तरफ़ करके, उंगलियां बालों में डाल कर नीचे से ऊपर की जानिब ले जाए, इसी तरह दो मरतबा और मुंह धोए और दाढ़ी का ख़िलाल करे ताकि तीन मरतबा मुंह धुल जाए और तीन बार

दाढ़ी का ख़िलाल हो जाए, तीन बार से ज़्यादा होने न पाए। और मुंह धोते वक़्त, बाद बिस्मिल्लाह और कलिम–ए– शहादत के यह दुआ पढ़ता जाए :

"اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ"

फिर दाहने चुल्लू में पानी लेकर कुहनियों तक बहा दे और मल कर धोए कि एक बाल बराबर भी ख़ुश्क न रह जाए, अगर हाथ में अंगूठी हो तो उसको हरकत दे दे, अगरचे अंगूठी ढीली हो। और इसी तरह औरत अपने छल्लों (कान में जो पहने हुए हो) आरसी कंगन, चूड़ी वग़ैरह को हरकत दे। इसी तरह दोबारा दाहने हाथ को धोए, फिर इसी तरह तीन बार बाएं हाथ को ध ोए और दाहना हाथ धोते वक़्त बिस्मिल्लाह और कलिम–ए–शहादत के बाद यह दुआ पढ़ता जाए :

"اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا۔

और बायां हाथ धोते वक़्त बाद बिस्मिल्लाह और कलिम–ए–शहादत के यह दुआ पढ़े :

" اَللّٰهُمَّ لَاتُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَامِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ۔"

फिर दोनों हाथों को तर करके पूरे सर का मसह इस तरह करे कि दोनों हथेलियां मअ़ उंगलियों के सर के अलगे हिस्से पर रख कर आगे से पीछे ले जाए। और फिर पीछे से आगे ले आए और इन्हीं हाथों से अगर ख़ुश्क न हो गए हों और अगर ख़ुश्क हो गए हों तो दूसरी दफ़ा तर करके कानों का मसह करे, इस तरह कि छोटी उंगली दोनों कानों के सूराख़ में डाले और सर का मसह करते वक़्त बाद बिस्मिल्लाह और कलिम–ए–शहादत के यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ عَرْشِكَ یَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ"

और सर का मसह एक ही बार करे और कानों के मसह के वक़्त बाद बिस्मिल्लाह और कलिम-ए-शहादत के यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ"

फिर दाहने हाथ से पानी डाले और बाएं हाथ से पहले दाहना पैर तीन बार धोए और हर बार उसकी उंगलियों का बाएं हाथ की छोटी उंगली से ख़िलाल करता जाए, ख़िलाल दाहने पैर की छोटी उंगली से शुरू करे फिर बायां पैर तीन बार धोए और हर बार उसकी उंगलियों को भी बाएं हाथ की छोटी उंगली से ख़िलाल करता जाए, बाएं पैर का ख़िलाल बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करे। दाहना पैर धोते वक़्त बाद बिस्मिल्लाह और कलिम-ए-शहादत के यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ یَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ."

और बायां पैर धोते वक़्त बाद बिस्मिल्लाह और कलिम-ए-शहादत के यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِیْ مَغْفُوْراً وَّ سَعْیِیْ مَشْكُوْراً وَتِجَارَتِیْ لَنْ تَبُوْراً."

अब वुज़ू तमाम हो चुका है, और वुज़ू खुद ही करे, (बेग़ैर किसी मजबूरी व माज़ूरी के) किसी दूसरे से न कराए और एक उज़्व धोने के बाद फ़ौरन दूसरा उज़्व धो डाले कि पहला उज़्व बावजूद हवा और जिस्म के मोतदिल होने के खुश्क न होने पाए अगर वुज़ू से कुछ पानी बच जाए। (प्यास हो तो) खड़े हो कर पी ले और कलिम-ए-शहादत पढ़ कर यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

यही वह वुज़ू है कि जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशादे मुबारक है कि अगर कोई मेरे जैसा वुज़ू करे तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे (इल्मुल–फ़िक्ह स0 56, जिल्द अव्वल, मुस्लिम शरीफ़, स0 122, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक्ह स0 124, जिल्द अव्वल, तिर्मिज़ी शरीफ़, स034, जिल्द अव्वल, बहिश्ती ज़ेवर, स0 48, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद बाज़ हज़रात اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ الخ पूरी सूरत पढ़ते हैं, इसका किसी सहीह रिवायत में ज़िक्र नहीं है, बाज़ मशाइख़े किराम रह. के मामूलात में इसका और दीगर अदइया के पढ़ने का ज़िक्र अगरचे मिलता है, लेकिन सहीह अहादीस में इसका सुबूत नहीं, जो रिवायात इस सिलसिला में ज़िक्र की जाती हैं, वह क़ाबिले एतेबार नहीं, इसका इल्तिज़ाम करना और इसको मुस्तहब जानना ख़िलाफ़े सुन्नत है। (नमाज़ मस्नून स0 82, तफ़्सील देखिए इम्दादुल–फ़तावा जदीद स0 32, जिल्द अव्वल)।

(वैसे पढ़ने में तो सवाब है लेकिन मुस्तहब व मस्नून समझ कर न पढ़े।) (रफ़अत)

हन्फ़ीया इन दुआओं को सुन्नत में शुमार नहीं करते, बल्कि वह कहते हैं कि यह मुस्तहब या मन्दूब हैं। (किताबुल–फ़िक्ह स0 125, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद कलिम–ए–शहादत पढ़ते वक़्त आसमान की तरफ़ देखना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ۔

(असनहुल–फ़तावा स० 17, जिल्द 2 बहावाला रद्दुल–मुह्तार स० 95, जिल्द अव्वल व फ़तावा रहीमिया स० 140, जिल्द 7, व शामी स० 119, जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया, स० 27, जिल्द अव्वल 2)।

(यानी वुज़ू के बाद आसमान की तरफ़ देखते हुए यह दुआ पढ़े, यह महज़ आदाब में से है।) (रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

जो शख़्स वुज़ू करते वक़्त मज़्कूरा दुआएं पढ़ता है उसके लिए (मग़्फ़िरत का) एक पर्चा लिख कर और फिर उस पर मुहर लगा कर रख दिया जाता है, क़्यामत के दिन तक उसकी मुहर न तोड़ी जाएगी (और मग़्फ़िरत का हुक्म बरक़रार रहेगा)।

(हिस्ने हिसीन अरबी स० 68)।

वुज़ू के ख़त्म पर दुआए तौबा पढ़ने का राज़

वुज़ू में सातों अंदामों को धोना सात क़िस्म के गुनाहों के तर्क की तरफ़ ईमा (इशारा) है और रुजू इलल्लाह की सूरत और सफ़ाई ज़ाहिर व बातिन की इस्तिदआ और ज़बाने हाल की दुआ है। इसके बाद दुआए तौबा को ज़बाने क़ाल से पढ़ना रहमते इलाही को जज़्ब करने के लिए बहुत ही मुनासिब व मुअक्कद मुद्दआ है, क्योंकि जब इंसान का ज़ाहिर पानी से पाक हो जाता है तो यह उसकी फ़ितरत का तक़ाज़ा है कि उसका

दिल भी उसी तरह पाक व साफ़ हो जाए मगर वहां तो दस्ते कुदरते इलाही के सिवा किसी और की दस्तरस नहीं हो सकती।

(अल–मसालेहुल–अक्लीया, स015)।

बतौरे इस्तिहबाब वुज़ू का बचा हुआ पानी पीने का राज़ :

वुज़ू का बचा हुआ पानी पीने में यह राज़ है कि जिस तरह इंसान ज़ाहिरी अंदामों पर पानी डाल कर ज़ाहिरी अंदामों के गुनाहों से ताइब और तालिबे मग्फ़िरत होता है ऐसे ही वुज़ू करने वाले की तरफ़ से वुज़ू का बक़िया पानी पीने से यह इशारा होता है कि मेरे खुदा जिस तरह तूने मेरे ज़ाहिर को पाक किया, उसी तरह मेरे बातिन को पाक व साफ़ कर।

(अल–मसालेहुल–अक्लीया स0 17)

वुज़ू के पानी में एक ख़ास तरह की बरकत और नेक तासीर पैदा हो जाती है, इसलिए वुज़ू के बचे हुए पानी को (अगर ख़्वाहिश हो तो) पी लेना चाहिए। और यह पानी खड़े होकर पीना भी जाइज़ है। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 396, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में चेहरे को कहां तक धोया जाए ?

वुज़ू के फ़राइज़ चहारगाना की तफ़्सील जो हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक मोतबर है :

पहला फ़र्ज़ चेहरा का धोना है, इसके मुतअल्लिक़ा चार मसाइल यह हैं :

अव्वल चेहरे की हुदूदे अरबआ, लम्बाई और चौड़ाई में क्या हैं?

दोम यह कि दाढ़ी, मोंछ और पल्कों के बाल को कहां तक धोना चाहिए?

सोम यह कि आंखों का ज़ाहिरी और बातिनी कौन सा हिस्सा धोना वाजिब है और कौन सा वाजिब नहीं है?

चहारुम यह कि नाक के नथुनों को कहां तक धोना चाहिए।

चेहरे के हुदूदे अरबा यह हैं : बे–रीश (बेग़ैर दाढ़ी के) आदमी का चेहरा लम्बाई में उस जगह से जहां से बिल–उमूम बाल उगते हैं, ठोढ़ी के नीचे तक है।

बाल उगने की जगह पेशानी के ऊपर है, जिसे "आमा या कूरा कहते हैं, पस बिल–उमूम इंसान का चेहरा पेशानी के उस किनारे से शुरू होता है जहाँ बाल उगते हैं। बाल उगने की ग़ैर मामूली सूरत यह है कि या तो इंसान "अस्लअ़" होगा, या "अफ़रअ़" (यानी माथा नंगा होगा या कोताह पेशानी)। अस्लअ़ (चौड़े माथे वाला) वह शख़्स है जिसके सर के बाल आगे की जानिब से उड़ गए हों, यहां तक कि वह ऐसा हो जाए कि गोया उसके बाल पैदा ही नहीं हुए। ऐसी सूरत में यह हुक्म है कि वह तमाम जगह जहां गंज है (जो बालों से ख़ाली जगह है) धोना वाजिब नहीं है, बल्कि सिर्फ़ वहां तक धोना वाजिब है जहां तक बिल–उमूम सर के बाल पैदा होते हैं, यानी पेशानी से किसी क़द्र ऊपर का हिस्सा।

"अफ़रअ़" (यानी कोताह पेशानी) वह शख़्स है जिसके बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी पेशानी पर आ जाएं। और बाज़ लोगों का ख़्याल है कि वह पल्कों के क़रीब तक पहुंच जाते हैं उसको "अग़म" (यानी बादल की तरह छाए हुए बाल वाला) कहते हैं। ऐसी सूरत में वही हुक्म है जो "अस्लअ़" का है यानी उसको भी पेशानी से किसी क़द्र ऊपर तक धोना वाजिब है।

क्योंकि अक्सर अश्ख़ास के सर के बाल इसी जगह पैदा होते हैं। ऐसी सूरत में अक्सरीयत ही की पैरवी की जाएगी।

अगर कोई शख़्स ख़िल्क़ी (पैदाइशी) तौर पर बेशतर इंसानों से मुख़्तलिफ़ हो तो उस शख़्स पर आम इंसानों से हट कर कोई हुक्म आइद नहीं किया जाता।

अब समझना चाहिए कि चौड़ाई में चेहरे की हद एक कान की जड़ से दूसरे कान की जड़ तक है, जिसको बाज़ लोग वतद कहते हैं। (वतद कान की लौ के ऊपर छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा या पर्दए गोश)।

वाज़ेह हो कि ठोढ़ी और कान के दरमियान की जो ख़ाली जगह है वह भी कुदरती तौर पर चेहरे में शामिल है, लिहाज़ा उसका धोना भी वाजिब है।

हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक चेहरे की तारीफ़ उसकी लम्बाई और चौड़ाई के एतेबार से यही है। (किताबुल–फ़िक्ह स0 88, जिल्द अव्वल व इम्दादुल–फ़तावा स0 31, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में दाढ़ी और मोंछ से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : चेहरे पर जो बाल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क़ाबिले ज़िक्र दाढ़ी और मोंछ के बाल हैं। दाढ़ी के बाल के मुतअल्लिक़ यह हुक्म है कि चेहरे की जिल्द के साथ जो बाल हैं ऊपर से लेकर ठोढ़ी की निचली जिल्द तक, जिनको बिश्रह कहते हैं, उनका धोना वाजिब है। और जो उसके आगे बढ़े हुए बाल हैं, उनका धोना वाजिब नहीं है। लिहाज़ा ऐसे अश्ख़ास जिनकी दाढ़ियां लम्बी हैं उन्हें सिर्फ़ वह बाल जो चेहरे की जिल्द

पर हैं और वह बाल जो ठोढ़ी की ऊपरी सतह पर हैं धोना वाजिब हैं। इसके अलावा ज़ाएद बालों का धोना वाजिब नहीं है।

अगर बाल छोटे हैं कि चेहरे की जिल्द की सतह पर पानी पहुंचाया जा सके तो उसमें ख़िलाल करना (यानी हाथ की उंगलियों से कंघी की तरह चलाना) वाजिब है, बसूरते दीगर बालों को ऊपर ही से धोना काफ़ी है।

मोंछ के बालों के मुतअल्लिक़ मसाइल में इख़्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि अगर मोंछें गुंजान और घनेरी हों कि पानी डालने से जिल्द तक न पहुंचे, तो वुज़ू बातिल होगा। और बाज़ कहते हैं कि वुज़ू बातिल न होगा बल्कि दाढ़ी की तरह ऊपर से धो लेना काफ़ी है। जहां तक वुज़ू का तअल्लुक़ है कौल मुफ़्ता बिही यही है कि बातिल न होगा, लेकिन ग़ुस्ल के बाब में घनेरी मोंछों को यह रिआयत नहीं है (यानी अगर सिर्फ़ ऊपर से धो लेने पर इक्तिफ़ा किया तो ग़ुस्ल बातिल हो जाएगा।)

ग़ालिबन इसका सबब यह है कि आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मोंछें बढ़ाने से मना फ़रमाया, क्योंकि इसमें गिज़ा की कसाफ़त चिमट कर रह जाती है, इसलिए सख़्ती के साथ हुक्म है कि इसको धोया जाए और बेफ़ाएदा इसको (मोंछ को) बढ़ने न दिया जाए।

वुज़ू में पल्कों के बाल से मुतअल्लिक़ मसाइल

अब रहे वह बाल जो पल्कों के ऊपर होते हैं (यानी भूए अबरू या भवें) तो उसकी बाबत हुक्म यह है कि अगर बाल छोटे हों कि पानी सतहे जिल्द तक पहुंच जाए तो उसका हिलाना वाजिब है ताकि पानी उसके नीचे पहुंच जाए। अगर घनेरे हों तो

ख़िलाल करना वाजिब नहीं है।

नाक की बाबत यह हुक्म है कि उसकी तमाम नुमायां सतह को धोना चाहिए, क्योंकि वह चेहरे का एक हिस्सा है। अगर ज़रा सा हिस्सा भी ख़्वाह कितना ही छोटा हो धोने से रह गया तो वुज़ू फासिद हो जाएगा।

दोनों नथुनों के दरमियान जो पर्दा है उसका निचला हिस्सा नाक में शामिल है, हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक नाक के अन्दरूनी हिस्सा का धोना फर्ज़ नहीं है, अल्बत्ता अगर चेहरा पर ज़ख़्म हो और गहराई तक उसका असर हो तो उसमें पानी पहुंचाना वाजिब है। (जबकि ज़ख़्म में तक्लीफ़ न हो) जिस तरह चेहरे के तकामीश यानी झुर्रियों में पानी पहुंचाना वाजिब है।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद अगर दाढ़ी मुंडवाई (कटवाई) तो वुज़ू बातिल नहीं होगा। (किताबुल–फ़िक्ह स0 85 जिल्द अव्वल व अहसनुल–फ़तावा स0 16, जिल्द 2 व इम्दादुल–फ़तावा स0 30, जिल्द अव्वल)

मस्अला : बेग़ैर नाक में पानी डाले हुए वुज़ू दुरुस्त है। मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 125, जिल्द 1, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 107, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गुस्ल में नाक में हड्डी के अन्दर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हड्डी जहां शुरू होती है वहां तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, जो मामूली एहतिमाम से बसहूलत हो सकता है। (पानी दिमाग़ की तरफ़ सांस के ज़रीआ खींचने की ज़रूरत नहीं सिर्फ़ जिस तरह वुज़ू में नाक में पानी डालते हैं वह सहीह है)। (अहसनुल–फ़तावा स0 38, जिल्द 2, व कश्फ़ुल–असरार स0 19, जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया स0 25, जिल्द 2)।

वुज़ू में कुहनियों तक हाथ धोने का राज़

(1) तक़्वियत व तस्फ़ियए ख़ूने दिल व जिगर के लिए हाथों का धोना बहुत मुफ़ीद है, हाथों की वह रगें जो बवास्ता और बेग़ैर वास्ता दिल व जिगर को पहुंचती हैं वह धोने में शामिल हो जाएं और जो रगें दिल व जिगर तक पहुंचती हैं वह कुछ हाथों की उंगलियों से और कुछ कफ़े दस्त व साइद (हथेली और बाज़ू) से और कुछ कुहनियों से शुरू होती हैं, इसी वजह से कुहनियों तक हाथों का धोना मुक़र्रर हुआ ताकि तमाम रगें धोने में शामिल हो जाएं। हाथों के और मुंह के धोने से दिल और जिगर को तक़्वियत पहुंचती है और पानी का असर रगों के ज़रीआ से अन्दर जाता है।

जो लोग फ़न्ने सरजरी के माहिर हैं वह इस बात से ख़ूब वाक़िफ़ हैं कि अक्हल रग जिसका दूसरा नाम नहरुल इज़ाम और तीसरा नाम नहरुल–बदन है, जब कभी दिली व ज़िगरी व जिल्दी बीमारियों के दूर करने के लिए और तस्फ़ियए ख़ून के लिए उस रग का ख़ून निकालना तजवीज़ करते हैं तो कुहनियों के बराबर से ही उस रग पर नश्तर लगा कर ख़ून निकाला करते हैं, क्योंकि उस जगह में यह रग ज़ाहिर व बाहिर भी होती है। नीज़ अलावा दिल व जिगर के उसका असर सारे बदन पर हावी भी है, पस हाथों का धोना कुहनियों तक भी इसलिए मुक़र्रर हुआ कि नहरुल–बदन के ज़रीए पानी का असर पूरा–पूरा अन्दर चला जाए।

(2) जबकि वुज़ू में अस्ल अतराफ़े बदन का धोना मुक़र्रर है तो हाथों का कुहनियों तक धोना इसलिए ठहरा कि उससे कम का

असर नफ़्से इंसानी पर कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि कुहनी से कम उज़्व ना तमाम है। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 22, जिल्द 1)

वुज़ू में कुहनियों से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : फ़राइज़े वुज़ू में से दूसरा फ़र्ज़ कुहनियों तक दोनों हाथों का धोना है। कुहनी से मुराद जोड़ की वह उभरी हुई हड्डी है जो हाथ के निचले सिरे पर होती है। उसके मुतअल्लिक़ चन्द मसाइल हैं। एक यह कि अगर इंसान की उंगलियां पांच से ज़ाइद हों तो उनका धोना वाजिब है, लेकिन अगर पूरा हाथ ज़्यादा हो और वह ज़ाइद हाथ उसके कुदरती हाथ के बराबर हो, तो उसे धोना वाजिब है, अगर उससे निकला हुआ है तो सिर्फ वहां तक धोना वाजिब है जहां तक बराबर है और ज़ाइद हिस्सा का धोना वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब यही है कि उसे भी धो लिया जाए।

दूसरा मस्अला : यह है कि अगर हाथ में कोई चीज़ चिपक जाए या नाखुनों में कोई चीज़ मसलन मिट्टी या आटा जम जाए तो लाज़िम है कि पहले उसको निकाल दिया जाए और पानी नाखुनो की जड़ तक पहुंचाया जाए, वरना वुज़ू बातिल हो जाएगा। नाखुनों की जड़ से मुराद वह हिस्सा है जो उंगलियों के गोश्त से पैवस्ता (चिपका हुआ) है।

मस्अला : अगर नाखुन इतना बढ़ा हुआ है कि उंगली से आगे निकल गया है तो उसका धोना वाजिब है, वरना वुज़ू बातिल हो जाएगा। और वह मैल कुचैल जो नाखुनों के नीचे हो उसकी बाबत कौल मुफ़्ता बिही यह है कि उससे वुज़ू में कोई ख़लल नहीं पड़ता (जबकि पानी पहुंच जाए और तर हो जाए)

ख़्वाह वुज़ू करने वाला शहरी हो या दिहाती बाशिन्दा, यह हुक्म दुश्वारी से बचाने के लिए है। लेकिन अह्ले तहकीक़ हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक यह ज़रूरी है कि बढ़े हुए नाख़ुनों के नीचे जो मैल कुचैल चिमट गया हो उसको धो डालना चाहिए। अगर यह न किया तो वुज़ू बातिल हो जाएगा (जबकि ख़ुश्की रह जाएगी)।

यूं भी यह काम पसन्दीदा है, क्योंकि नाख़ुन के नीचे जो बहुत सी गन्दगी जम रह जाती है वह मरज़ का बाइस होती है। ताहम रोटी पकाने वालों को जिनके नाख़ुन लम्बे हों और उनके नीचे कुछ आटा जम कर रह जाए, उनके पेशे के तक़ाज़ों के पेशे नज़र मआफ़ क़रार दिया गया है।

मस्अला : मेंहदी लगाने या रंगने से जो रंग लगा रह जाए उससे वुज़ू में ख़लल नहीं आता, अल्बत्ता मेंहदी अगर हाथ पर जमी रह गई तो उससे वुज़ू में ख़लल पड़ेगा क्योंकि वह जिस्म पर पानी पहुंचने से मानेअ होती है।

मस्अला : किसी शख़्स के हाथ का कुछ हिस्सा कटा हुआ है तो वाजिब है कि जो हिस्सा बाक़ी है उसको धोया जाए, अगर वह पूरा उज़्व जिसका धोना फ़र्ज़ था कट गया तो उसका धोना भी साकित हो गया। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 90 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू में हाथों की उंगलियों का ख़िलाल हाथों को कुहनियों तक धोने के बाद किया जाए, और पांव की उंगलियों का ख़िलाल उनको धोने के बाद किया जाए, अफ़ज़ल यही है। (मज़ाहिरे हक़ स0 395, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : रंगरेज़ जो कपड़ा रंगने का काम करते हैं उनके हाथों पर जो रंग लगा होता है उसको उतारने की ज़रूरत नहीं।

अल्बत्ता लकड़ी और लोहे वग़ैरह पर करने का चिपकने वाला रोग़न अगर जम गया हो तो उसको उतारे बेग़ैर वुज़ू न होगा। हां अगर ऐसे रोग़न की तह नहीं जमी सिर्फ़ रंग नज़र आता हो तो वुज़ू हो जाएगा, इसलिए कि यहां पानी के पहुंचने से कोई मानेअ़ नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 20, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुहतार स0 143, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में पांव को टख़नों तक क्यों धोते हैं

(1) पांव को टख़नों तक धोने में यह राज़ है कि वह रगें जो पांव से दिमाग़ को पहुंचती हैं वह कुछ पांव की उंगलियों से शुरू होती हैं और उन सबको शामिल कर लेने से दिमाग़ के बुख़ाराते रद्दीया बुझ जाते हैं। यही वजह है कि पांव का धोना टख़नों तक वुज़ू में मुकर्रर हुआ है।

(2) चूंकि पांव अक्सर टख़नों तक नंगे (खुले) रहते हैं और उन पर अजरामे मूज़िया और गर्द व गुबार पड़ता रहता है लिहाज़ा पांव को टख़नों तक धोने का हुक्म हुआ है।

(3) पांव को टख़नों तक धोने में यह राज़ भी है कि इससे कम ना तमाम उज़्व हैं लिहाज़ा सारे उज़्व का धोना मुकर्रर हुआ ताकि उसके धोने का असर बिल–इस्तीआ़ब हो।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 24)।

वुज़ू में पैर और टख़नों से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

फ़राइज़े वुज़ू में से तीसरा फ़र्ज़ दोनों पैरों को टख़नों तक धोना है। टख़ना उस हड्डी को कहते हैं जो पिंडली के निचले किनारे पर पैर के ऊपर उभरी हुई होती है। वुज़ू करने वाले पर

वाजिब है कि ऐड़ी के ढलवान की तरफ़ ख़ास ध्यान दे, इसी तरह क़दम के निचले हिस्सा में जो फटन हो उसके धोने की तरफ़ ख़ास तवज्जोह दी जाए।

अगर पैर का तमाम हिस्सा या तमाम का तमाम हिस्सा कट जाए तो उसका हुक्म वही है जो कटे हुए हाथ के मुतअल्लिक़ ऊपर ब्यान हुआ है।

मस्अला : अगर हाथ या पैर में तेल लगाया और फिर वुज़ू किया, पानी उसके ऊपर से बह गया और चिकनाई के बाइस उज़्व में जज़्ब न हुआ तो उससे वुज़ू में कोई ख़लल नहीं होगा।

मस्अला : अगर पांव फट गया है और उस पर मरहम या वासलीन वग़ैरह लगाया और उसके नीचे पानी पहुंचाना नुक़सान देह है तो धोना वाजिब नहीं है। अगर नुक़सान देह न हो तो लाज़िम है कि उस पट्टी वग़ैरह को उतार कर नीचे की जगह को धोया जाए।

मस्अला : अगर पांव में फटन वग़ैरह हो कि उसका धोना या कम अज़ कम पांव को पानी में डिबो कर बेग़ैर मसले जल्दी से निकाल लेना मुज़िर हो तो फ़रीज़ए गुस्ल (धोना) साक़ित हो जाएगा। उसको चाहिए कि तर हाथ उस पर फेर ले, यानी पैरों का मसह कर ले। और अगर उससे भी आजिज़ हो तो मसह भी साक़ित हो जाएगा और सिर्फ़ उस हिस्से का धोना वाजिब होगा जो नुक़सान देह न हो।

मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह. के मवाइज़ "इल्म व अमल स० 33" में लिखा है।

"वुज़ू से क़ब्ल पैरों को पानी से तर कर लिया जाए।" यह

अच्छा अमल है, कर सकते हैं, मक़्सूद पैरों के धोने में मुबालग़ा है। और पैंरों को पहले से तर कर लेना उसके लिए (धोने में) मुईन है, मगर उसको सुन्नत तरीक़ा न समझा जाए। (फ़तावा रहीमिया स0 247, जिल्द 4)

वुज़ू में सर के मसह से मुतअल्लिक़ मसाइल

फ़राइज़े वुज़ू में से चौथी चीज़ एक चौथाई सर का मसह करना है, और चौथाई सर की मिक़्दार हथेली के बराबर क़रार दी गई है। लिहाज़ा वाजिब है कि पूरी हथेली के बराबर सर के हिस्से का मसह किया जाए। लिहाज़ा अगर हाथ में पानी लगा हुआ है और उस हाथ को सर पर पीछे या आगे से, या किसी भी तरफ़ से हथेली के बराबर जगह पर फेर लिया तो मसह जाइज़ होगा। इस बिना पर कि मसह के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हथेली ही से मसह किया जाए, बल्कि चौथाई सर पर (हथेली के बराबर जगह पर) तर हाथ का पानी पहुंच जाए तो काफ़ी है।

मस्अला : हाथ से मसह करने के लिए यह शर्त है कि कम अज़ कम तीन उंगलियों को इस्तेमाल किया जाए, ताकि ख़ुश्क होने से पहले चौथाई सर तक पानी पहुंच जाए।

मस्अला : अगर सिर्फ़ दो उंगलियों को मसह के लिए इस्तेमाल किया गया, तो बसा औक़ात चौथाई सर तक हाथ पहुंचने से पहले ही (उंगली) ख़ुश्क हो जाएगी और पानी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा जहां तक पानी पहुंचाना मक़्सूद है।

मस्अला : अगर उंगलियों के सिरे से मसह किया जिन से इतना पानी टपक रहा था कि पानी वहाँ तक पहुँच गया जहाँ

तक पहुंचाना मत्लूब था तो मसह सहीह होगा, वरना नहीं।

बदीं जेहत कि नए पानी से सर का मसह करना शर्ते सेहत नहीं है, लिहाज़ा अगर हाथ तर था तो मसह जाइज़ होगा, लेकिन यह जाइज़ नहीं है कि दूसरे तर उज़्व की तरी ले कर उससे मसह किया जाए, मसलन कुहनी धोने के बाद हाथ ख़ुश्क हो गया फिर हाथ को कुहनी के पानी से तर किया और उससे सर का मसह कर लिया तो यह काफ़ी नहीं है।

मस्अला : जिस शख़्स के सर के बाल लम्बे हों कि पेशानी गर्दन तक लटक रहे हों और उसी यानी लटके हुए हिस्सा पर मसह कर लिया तो जाइज़ न होगा, क्योंकि ग़रज़ चौथाई सर का मसह करने से है, पस अगर सर मुंडा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं (कि सर का मसह हो ही सकता है लेकिन) अगर सर पर बाल हैं तो उस बाल पर मसह लाज़िम है जो सर के किसी हिस्सा के ऊपर उगे हुए हैं, यानी जो बाल लटक रहे हैं वह तो सर पर है ही नहीं, लिहाज़ा उसका मसह करने से सर का मसह नहीं हो सकता।

मस्अला : अगर सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ है और कुछ नहीं है, तो जिस हिस्सा पर भी मसह कर लिया जाए वह सहीह होगा।

मस्अला : सर पर मसह करने के बाद बाल मुंडाने से वुज़ू बातिल नहीं होता।

मस्अला : अगर बर्फ़ का टुकड़ा लेकर सर पर फेरा गया तो मसह हो जाएगा। (जबकि मसह की ग़रज़ से हो तो)

मस्अला : अगर सर और चेहरे को एक साथ धो डाला तो

मसह हो जाएगा, लेकिन मक्रूह है।

मस्अला : अमामा वग़ैरह पर बेग़ैर माज़ूरी के मसह करना जाइज़ नहीं है, इसी तरह औरत के लिए जाइज़ नहीं है रूमाल या ओढ़नी वग़ैरह से ढके हुए सर का ऊपर से मसह करे। अल्बत्ता अगर वह इतनी पतली चीज़ है कि पानी उससे जज़्ब होकर बाल तक पहुंच जाता हो तो जाइज़ है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 92, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 125, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 92, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : सर के मसह में सुन्नत तरीक़ा यह है कि दोनों हाथों से करे अगर एक से करेगा तो मसह अदा हो जाएगा मगर तरीक़ा सुन्नत के मुवाफ़िक़ न होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 130, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 4, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गर्दन का मसह उंगलियों की पुश्त को खींच कर जैसा कि मशहूर है दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 132, जिल्द अव्वल, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 115, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर इत्र का फाया कान के नर्मा में रखा हो तो मसह के वक़्त उसका निकालना सुन्नत है, (इसलिए कि कान के अन्दर के तमाम हिस्सा का मसह सुन्नत है और वह फाया निकाले बेग़ैर मुम्किन नहीं है और सुन्नत का मौक़ूफ़ अलैह सुन्नत होता है लिहाज़ा उसका निकालना सुन्नत हुआ)। और अगर सुराख़ में रखा हो तो उसका निकालना मुस्तहब है। (इसलिए कि कान के सूराख़ में उंगली डालना मुस्तहब है जो बेग़ैर फाया निकाले मुम्किन नहीं है, लिहाज़ा निकालना मुस्तहब हुआ।) (इम्दादुल–फ़तावा स0 35, जिल्द अव्वल मअ़ हाशिया

उस्ताज़ी मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब मद्दा ज़िल्लहू)।

मस्अला : माज़ूरी के वक़्त सिर्फ़ एक हाथ से मसह कर सकता है (सर और दोनों कानों का) (इम्दादुल–फ़तावा स0 35, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो शख़्स वुज़ू में सिर्फ़ चौथाई सर के मसह पर इक्तिफ़ा करता है और कभी भी सारे का मसह नहीं करता तो उसकी आदत डालना मकरूह है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 36, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी के सर में इस क़दर दर्द हो, या ज़ख़्म वग़ैरह हो कि सर का मसह न कर सके, उसको सर का मसह मआफ़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 119 जिल्द अव्वल)

वुज़ू में नाक को साफ़ करने की हिक्मत

हर मज़हब व मिल्लत के लोग नाक की बल्ग़मी रुतूबतों को रफ़ा करना पसन्दीदा नज़र से देखते हैं, अगर नाक को अन्दर से न धोया जाए तो नाक के मुंजमिद बल्ग़म से दिमाग़ में बुरा असर पहुंचता है जो बाज़ औक़ात बाइसे हलाकत होता है।

नीज़ अह्ले अरब के उर्फ़ में नाक के लफ़्ज़ को इज़्ज़त और बड़ाई के महल पर इस्तेमाल करते हैं, चुनांचे जब वह किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह तआला उसकी नाक को ख़ाक आलूदह करे।

इसका मतलब यह होता है कि उसकी इज़्ज़त को बड़ाई के मक़ाम से ज़िल्लत में गिरा दे। पस नाक का धोना अपने किब्र व ग़ुरूर को छोड़ने और ख़ुदा तआला की दर्गाह में अपनी कस्रे नफ़्सी दिखाने की तरफ़ ईमा (इशारा) है। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 23)।

बैठ कर सोने में कौन सी सूरत से वुज़ू टूट जाता है?

सवाल : बैठ कर सोने की कौन सी सूरतें नाक़िज़े वुज़ू नहीं हैं?

जवाब : (1) अगर किसी चीज़ के साथ टेक लगाए बेग़ैर सोया या और गिरा नहीं या गिरते ही फ़ौरन बेदार हो गया तो वुज़ू नहीं टूटा।

(2) सज्दा की मस्नून हैअत पर सोना नाक़िज़े वुज़ू नहीं यानी वुज़ू को नहीं तोड़ता, अगरचे ग़ैर नमाज़ में हो। (उसकी हैअत यह है कि पेट रानों से अलग हो और बाज़ू भी पहलू से अलाहिदा हों)।

(3) अगर पूरी मक़अद (सुरीन) ज़मीन पर क़ाइम नहीं और टेक लगा कर सोया, ख़्वाह अपनी रान वग़ैरह ही पर हो तो वुज़ू टूट गया, लिहाज़ा दो ज़ानों बैठ कर रान वग़ैरह पर टेक लगा कर सोने से वुज़ू जाता रहेगा, इसी तरह चहार ज़ानों बैठ कर रान पर टेक लगाई और इतना झुक गया कि पूरी मक़अद ज़मीन पर क़ाइम नहीं रही तो भी वुज़ू जाता रहा। अल्बत्ता अगर पूरी मक़अद ज़मीन पर क़ाइम रहे मसलन घुटने खड़े करके हाथों से पकड़ लिए, या कपड़े वग़ैरह से कमर के साथ बांध लिए और घुटनों पर सर रख कर सो गया, या चहार ज़ानों बैठ कर कुहनियों से रानों पर टेक लगा कर सिर्फ़ इतना झुका कि पूरी मक़अद ज़मीन पर क़ाइम रही तो वुज़ू नहीं टूटा।

(4) अगर पूरी मक़अद ज़मीन पर क़ाइम रहे और टेक लगा कर इतनी गहरी नींद सोया कि उस चीज़ को हटा दिया जाए

तो गिर जाए, इस सूरत में इख़्तिलाफ़ है, अदमे नक़्ज़ मुफ़्ता बिही है। यानी वुज़ू नहीं टूटेगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 22, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 132, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स0 135, जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक़ स0 335, जिल्द अव्वल, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 66, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बहालते मुराक़बा चहार ज़ानों सोना नाक़िज़े वुज़ू नहीं है जबकि किसी चीज़ से सहारा देकर न बैठा हो। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 146, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुख़्तार स0 132, जिल्द अव्वल व आलमगीरी मिस्री स0 12, जिल्द अव्वल व इम्दादुल–फ़तावा स0 38, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर बा वुज़ू किसी चीज़ से तकिया या टेक लगा कर सोया कि अगर वह चीज़ हटा ली जाए तो यह गिर पड़ता तो वुज़ू टूट जाएगा। (शरह नक़ाया स0 11, व हिदाया स0 9, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नफ़्से सोना नाक़िज़े वुज़ू नहीं, यानी वुज़ू को नहीं तोड़ता, बल्कि नींद में एक तरह की जो ग़फ़लत पैदा हो जाती है और रीह (हवा) के निकलने न निकलने की ख़बर बाक़ी नहीं रहती है वह नाक़िज़े वुज़ू है।

(जब आदमी लेट जाता है तो उसके जोड़ ढीले हो जाते हैं और रीह वग़ैरह निकलने का गुमान ग़ालिब है।)

(रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : अगर कोई बैठने की ऐसी हालत में सो गया कि वह नींद से बोझल होकर झूम रहा था, फिर वह गिर पड़ा और गिरते ही उसकी आंख खुल गई तो उसका वुज़ू नहीं टूटा, नीज़ उस शख़्स का भी वुज़ू नहीं टूटता, जो इस तरह ऊँघता हो कि

वह अपने आस पास की जाने वाली बात चीत का अक्सर हिस्सा समझता हो। (दुर्रे मुख़्तार स0 8, जिल्द अव्वल उर्दू)।

मस्अला : वुज़ू को वह नींद तोड़ती है जो आदमी की कुव्वते मासिका को इस तरह ज़ाएल कर दे कि उसकी मक़अद (पाख़ाना का मकाम) ज़मीन से न लगी रहे, और कुव्वते मासिका उस कुव्वत को कहते हैं जिससे आदमी अन्दर की रीह (हवा) को रोकता है, और किसी करवट पर सोता है। चार तरह का सोना नकिज़े वुज़ू है।

(1) करवट (2) किसी एक कूल्हे पर टेक लगा कर (3) चित (4) पट। इन चारों सूरतों में कुव्वते मासिका (रोकने वाली कुव्वत) बाकी नहीं रहती, और अगर ऐसी नींद हो कि उससे कुव्वत मासिका ज़ाएल नहीं होती बल्कि बाकी रहती है तो वुज़ू नहीं तोड़ेगी अगरचे वह नमाज़ में या गैर नमाज़ में कस्दन सो गया हो। (दुर्रे मुख़्तार स0 7 जिल्द अव्वल व मिश्कात स0 83, जिल्द अव्वल)।

कहक़हा से नमाज़े जनाज़ा टूटने और वुज़ू न टूटने की वज्ह क्या है?

सवाल : अगर बा वुज़ू शख़्स.......नमाज़ में कहकहा मार कर हंसे तो वुज़ू टूट जाता है और नमाज़े जनाज़ा में कहकहा मार कर हंसने से नमाज़ टूट जाती है, वुज़ू नहीं टूटता, उसकी क्या वजह है और क्या हिक्मत?

जवाब : क़्यासे अक़्ली यह है कि कहकहा से वुज़ू बिल्कुल न टूटे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित हो गया कि आपने एक शख़्स को कहकहा करने की

वजह से वुज़ू और नमाज़ के लौटाने का हुक्म फ़रमाया है, इसलिए हुक्म मानना मुसलमानों पर ज़रूरी हो गया है, अगरचे उसके नाक़िस फ़हम में उसकी हिक्मत न आए। लेकिन चूंकि यह हुक्म क़्यासे ज़ाहिरी के ख़िलाफ़ है इसलिए जिस मौक़ा पर वारिद हुआ है उसी पर रखा जाएगा, दूसरे मवाक़े पर वुज़ू टूटने का हुक्म न किया जाएगा अगरचे उनमें क़हक़हा करना बनिस्बत इसके ज़्यादा क़बीह हो, मसलन नमाज़े जनाज़ा में क़हक़हा करना, यह ही क़ाएदा है उसूल का कि जो हुक्म क़्यासी नहीं होता उसको अपने मौक़ा से मुतजाविज़ नहीं करते। (फ़तावा दारुल–उलूम स० 148, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया फ़स्ल नवाक़िज़े वुज़ू स० 36, जिल्द 1, तफ़्सील देखिए दुर्रे मुख़्तार उर्दू स० 11, जिल्द अव्वल)।

क़हक़हा और क़य से वुज़ू टूटने का राज़

बहता हुआ ख़ून और ज़्यादा क़य बदन को आलूदा करने वाली और नफ़्स को पलीद करने वाली चीज़ें हैं और नमाज़ में क़हक़हा लगाना एक क़िस्म का जुर्म है जिसका कफ़्फ़ारह होना चाहिए।

अगर इन चीज़ों से शारेअ़ अलैहिस्सलाम वुज़ू करने का हुक्म दें तो कुछ अजब नहीं है और क़हक़हा का जुर्म इसलिए है कि नमाज़ में क़हक़हा किसी नफ़्सानी पलीदी के बाइस होता है जिसके इज़ाला के लिए वुज़ू करना लाज़िम हुआ।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया मौलाना थानवी रह. स० 38, व असरारे शरीअत)।

हंसी से मुतअल्लिक़ा मसाइल

मस्अला : अगर नमाज़ में इतनी जोर से हंसी निकल गई

कि उसने अपने आप भी अपनी आवाज़ सुनी और उसके पास वालों ने भी सब ने सुन ली, जैसे खिल खिला कर हंसने में सब पास वाले सुन लेते हैं, इससे भी वुज़ू टूट जाता है और नमाज़ भी टूट गई। और अगर ऐसा हुआ कि अपने आपको तो हंसी की आवाज़ सुनाई दे मगर सब पास वाले न सुन सकें, अगर बहुत ही पास वाले सुन लें तो उससे नमाज़ टूट जाएगी वुज़ू न टूटेगा। और अगर हंसी में फ़कत दांत खुल गए आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, तो न वुज़ू टूटा न नमाज़ गई, नीज़ अगर छोटा बच्चा या बच्ची जो अभी जवान न हुए हों ज़ोर से नमाज़ में हंसे या सज्दए तिलावत में बालिग़ को हंसी आए तो वुज़ू नहीं जाता। हां वह सज्दा और नमाज़ जाती रहेगी जिसमें हंसी आई है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी)

मस्अला : जनाज़े की नमाज़ और तिलावत के सज्दे में कहकहा लगाने से वुज़ू नहीं जाता, बालिग़ हो या ना बालिग़।

(मुनिया स0 47, बाब मा युन्किज़ुल–वुज़ू)।

मस्अला : बालिग़ के हंसने में यह भी शर्त है कि यह हंसी रुकूअ और सज्दे वाली नमाज़ में आई हो, (ख़्वाह वह हंसी देर तक न रही हो)। सज्दा–ए–तिलावत, नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह में कहकहा से सज्दा और नमाज़े जनाज़ा तो बातिल हो जाता है, लेकिन वुज़ू नहीं टूटता। और अगर नमाज़ के ख़ारिज होने के इरादा से सलाम की बजाए कस्दन कहकहा लगा दिया तो वुज़ू तो टूट जाएगा, लेकिन नमाज़ फ़ासिद न होगी, यानी नमाज़ हो जाएगी क्योंकि हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक सलाम के अलावा किसी और तरीक़ा से भी ख़ुरूज मिनस्सलात यानी नमाज़ को

किसी और तरीक़ा से भी ख़त्म किया जा सकता है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 143, जिल्द अव्वल व इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, व अहसनुल–फ़तावा स0 24, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 134, जिल्द अव्वल)।

...... (ऐसा करना अच्छा नहीं, क्योंकि नमाज़ एक इबादत है और यह तरीक़ा ग़ैर मुनासिब है।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मसला : हंसी की तीन क़िस्में हैं। एक क़हक़हा कि दूसरा भी उसकी हंसी को सुने। दूसरी क़िस्म ज़हक कि वह हंसी ख़ुद सुने, दूसरा न सुने। तीसरी क़िस्म तबस्सुम जिसमें मुतलक़ आवाज़ न हो सिर्फ़ दांत खुल जाएं (जिसको मुस्कुराना भी कहते हैं)। क़हक़हा से नमाज़ और वुज़ू दोनों बातिल होते हैं, ज़हक से नमाज़ बातिल होती है, वुज़ू बातिल नहीं होता। और तबस्सुम से न नमाज़ जाती है और न वुज़ू। (दुर्रे मुख़्तार उर्दू स0 11, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बालिग़ आदमी रुकूअ़ व सज्दा वाली नमाज़ में ज़ोर से हंसे, जिसके लिए उसने मुस्तक़िल तौर पर वुज़ू या तयम्मुम किया हो, फिर वह उस नमाज़ में हक़ीक़तन हो या हुक्मन हो। हुक्मन की सूरत यह है, कि नमाज़ पढ़ते हुए उसे हदस हुआ जिससे वुज़ू टूट गया, चुनांचे वह ख़ामोशी से नमाज छोड़ कर वुज़ू करने के लिए चला, कि वुज़ू करके बक़िया नमाज़ पूरी कर लेगा, वुज़ू करके आ रहा था कि किसी बात पर वह ज़ोर से हंसने लगा, तो यहां गो हक़ीक़तन नमाज़ के हुक्म में नहीं है मगर हुक्मन नमाज़ ही में है, इसलिए कि पहली

नमाज़ पर बुनियाद रखने वाला था, तो इन दोनों सूरतों में उस नमाज़ी का वुज़ू टूट जाएगा। और ज़ोर से हंसना उसे कहा जाता है कि जिसे उसके आस पास वाला सुने।

मस्अला : अगर मुक़्तदी का इमाम नमाज़ में ज़ोर से हंसा, या अमदन उसने हदस किया, फिर उसके बाद मुक़्तदी ज़ोर से हंसा, ख़्वाह वह मुक़्तदी मस्बूक़ ही क्यों न हो, तो इस हालत में मुक़्तदी का वुज़ू क़हक़हा से नहीं टूटेगा। इस वजह से कि जब इमाम ज़ोर से हंसा या उसने जान बूझ कर हदस किया तो नमाज़ बातिल हो गई। अब मुक़्तदी जब ज़ोर से हंसा तो वह हंसना नमाज़ के ख़ारिज में पाया गया, और नमाज़ के बाहर ज़ोर से हंसने से वुज़ू नहीं टूटता है।

मस्अला : अगर इमाम ने क़स्दन नमाज़ में कलाम किया, और फिर मुक़्तदी क़हक़हा मार कर हंसा तो मुक़्तदी का वुज़ू नहीं टूटेगा।

मस्अला : सलाम फेरने के वक़्त क़स्दन क़हक़हा लगाए, यहां पर क़स्दन व अमदन की क़ैद इसलिए लगाई गई है कि "ख़ुरूज बि सुन्एही" यानी अपने फ़ेअल से नमाज़ से बाहर आना पाया जाए तो इस सूरत में नमाज़ बातिल नहीं होगी, मगर वुज़ू जाता रहेगा, नमाज़ इस वजह से बातिल नहीं होगी कि नमाज़ के अख़ीर में क़हक़हा पाया गया है, और यह जो किया कि सलाम फेरने के वक़्त इमाम ने क़हक़हा लगाया फिर मुक़्तदी ने लगाया तो वुज़ू नहीं टूटेगा लेकिन अगर इमाम ने अमदन (जान बूझ कर) कलाम किया उसके बाद मुक़्दी ज़ोर से हंसा तो मुक़्तदी का वुज़ू नहीं टूटेगा, यहाँ पर बताया कि क़हक़हा और

कलाम में फ़र्क़ है, कलाम नमाज़ को क़तअ़ (ख़त्म) कर देता है। लिहाज़ा इस सूरत में जब तहारत (पाकी) ख़त्म नहीं हुई तो मुक़्तदी की नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई और क़हक़हा नमाज़ के अन्दर पाया गया, और जो क़हक़हा नमाज़ के अन्दर हो वह वुज़ू को तोड़ देता है, बख़िलाफ़ पहली सूरत के कि इमाम ने क़हक़हा लगाया, अमदन हदस किया, तो इसकी वजह से उसकी तहारत (पाकी) जाती रही तो, अब इस हाल में मुक़्तदी का क़हक़हा हालते नमाज़ में नहीं पाया गया, लिहाज़ा इससे उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। (कश्फ़ुल–असरार तरजमा दुर्रे मुख़्तार स0 12, जिल्द अव्वल व इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

पेट में करा कर होना या रीह रोकना ?

मस्अला : वुज़ू करते हुए या नमाज़ पढ़ते हुए रीह को रोक लिया और ख़ारिज न होने दिया तो वुज़ू बाक़ी है और नमाज़ सहीह है। इसलिए कि रीह का निकल जाना नाक़िज़े वुज़ू है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 146, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 126, जिल्द 1)

अगर नमाज़ पढ़ने में ध्यान बटे तो नमाज़ मकरूह हो जाएगी। (रफ़अत क़ासमी)

मस्अला : अगर रीह निकलने का यक़ीन हो जाए, ख़्वाह आवाज़ और बदबू हो या न हो, और वह शख़्स माज़ूर न हो तो वुज़ू फिर करना चाहिए और अगर महज़ शुब्हा हो और इख़्तिलाज ऐसा हो तो वुज़ू नहीं गया, नमाज़ सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 148, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी फ़स्ल सानी सुनने वुज़ू स0 8, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी वक़्त पेट में क़रा क़र होकर शुब्हा हो जाए तो इस क़िस्म के शक से वुज़ू हरगिज़ नहीं टूटता, जब तक रीह (हवा) निकलने का यक़ीन न हो जाए, आवाज़ सुन ले, या बदबू आ जाए, गरज़ यह कि किसी तरह यक़ीन हो जाए कि रीह निकल गई, जब तक शक रहता है वुज़ू नहीं टूटता, नमाज़ दुरुस्त और सहीह हो जाती है। (अल–जवाबुल–मतीन स० 10, व मज़ाहिरे हक़ स० 332 जिल्द अव्वल व फ़तावा रशीदिया स० 283, जिल्द 1)

रीह निकलने से वुज़ू क्यों टूटता है ?

सवाल : मस्अला यह है कि अगर वुज़ू हवा ख़ारिज होने की वजह से टूटा है तो सिर्फ़ वुज़ू करे। मालूम यह करना है कि जहां से हवा निकली है उसको तो धोया न जाए, इसके अलावा वुज़ू कर लिया जाए। वजह क्या है?

जवाब : इकसी वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ब्यान नहीं फ़रमाई, सिर्फ़ वुज़ू का हुक्म फ़रमाया है। किसी की जुरअत है जो इसकी वजह दरयाफ़्त करे, यह अम्रे तअब्बुदी है। (फ़तावा महमूदिया स० 115, जिल्द 7, बहवाला हिदाया स० 8, जिल्द अव्वल)।

रीह (हवा) के निकलने से बदबू की वजह से अन्दरूनी हालते नफ़्स को एक क़िस्म की नजासत व यबूसत व ज़ुअफ़ लाहिक़ होता है। (इज़्मेहलाल व कुदूरत) और फ़रिश्तों से दूरी हो जाती है और श्यातीन व जिन्नात उसको घेर लेते हैं, उसके बाद वुज़ू करने का हुक्म हुआ क्योंकि वुज़ू से नजासत व यबूसत व ज़ुअफ़ दूर हो जाता है और फ़रिश्तों से कुर्ब और श्यातीन व ख़बाइस से दूरी हासिल होती है। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स० 35)।

मस्अला : रीह नाकिज़े वुज़ू तो है, मगर नजासते ग़लीज़ा नहीं है, बल्कि ताहिर (पाक) है (जबकि नजासत उसके साथ न निकले तो) उसके निकलने से कपड़ा नापाक नहीं होता।

(कश्फुल–असरार स0 83, जिल्द 2)।

मस्अला : हर वह चीज़ नजासते ग़लीज़ा है जो आदमी के बदन से निकले और वुज़ू या गुस्ल को वाजिब करने वाली हो (अलावा रीह के) चुनांचे पेशाब, मनी, मज़ी, वदी, पीप, मुंह भर कर क़य, ख़ून बहता हुआ, हैज़ व निफ़ास का ख़ून, यह सारी चीज़ें नजासते ग़लीज़ा हैं, अलाव शहीद के उस ख़ून के जो उसके बदन पर है कि वह पाक है। (कश्फुल–असरार स0 84, जिल्द 2)।

क्या वरीदी इंजेक्शन नाक़िज़े वुज़ू है ?

मस्अला : वरीदी (**Interayenous**) इंजेक्शन में सूई के वरीद में पहुंचने का यक़ीन हासिल करने का सिर्फ़ यही ज़रीआ है, कि पिचकारी में ख़ून आ जाए, जब तक पिचकारी में ख़ून नज़र नहीं आता उस वक़्त तक दवा बदन में दाख़िल नहीं की जाती, अज़ुलाती और जिल्दी इंजेक्शन में ख़ून नहीं निकलता इसलिए सिर्फ़ वरीदी इंजेक्शन नाकिज़े वुज़ू है (यानी वुज़ू तोड़ने वाला है) अज़ुलाती और जिल्दी नहीं।

बाक़ी रहा तदावी बिल–मुहर्रिम का मस्अला तो अगरचे पिचकारी में ख़ून निकल कर दवा के साथ शामिल हो जाता है जिसकी वजह से दवा नजिस हो जाती है, लेकिन इंजेक्शन ख़ारजी इस्तेमाल में दाख़िल है, यही वजह है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। और ख़ारजी तौर पर तदावी बिल–मुहर्रिम जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 24, जिल्द 2)

मस्अला : अगर किसी ने सूई की नोक चिभोई, उसकी वजह से ख़ून निकला, मगर अपनी जगह से वह नहीं बहा, तो यह भी नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। (कश्फुल–असरार स0 18, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू टूटने (नक़्ज़े वुज़ू) के लिए ख़ून का निकलना और दाख़िल करना दोनों बराबर हैं, लिहाज़ा जिस तरह ख़ून निकलना नाक़िज़े वुज़ू है उसी तरह ख़ून निकालने से भी वुज़ू टूट जाता है इसीलिए वरीदी इंजेक्शन भी नाक़िज़े वुज़ू है। यानी वुज़ू टूट जाता है। (अहसनुल–फ़तावा स0 38, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 127, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : इंजेक्शन लगवाना, बदन में दवा, ख़ून, ग्लोकोज़ चढ़वाना, अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल से ख़ून, पीप वग़ैरह कुछ बदन से न निकले तो वुज़ू नहीं टूटेगा, इसलिए कि नाक़िज़े वुज़ू ख़ूरूजे नजासत है। (यानी गन्दगी के निकलने से वुज़ू टूट जाता है) और वह यहां पर नहीं पाया गया। लेकिन अगर इंजेक्शन के ज़रीआ ख़ून बदन से निकालना मक़्सूद हो तो इससे वुज़ू टूट जाएगा। यह नाक़िज़े वुज़ू है। (निज़ामुल–फ़तावा स0 44, जिल्द 1, बहवाला आलमगीरी स0 6, जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 90, जिल्द)।

मस्अला : इंजेक्शन और जोंक के ज़रीआ ख़ून निकालने से अगर निकला हुआ ख़ून बह पड़ने की मिक्दार में हो तो वुज़ू टूट जाएगा।

कबीरी में है कि फ़स्द लगाया और बहुत सारा ख़ून ज़ख़्म से निकला और ज़ख़्म के ज़ाहिरी हिस्से पर ज़र्रा बराबर भी ख़ून नहीं लगा, इससे वुज़ू टूट जाएगा।

पहले ज़माना में आल–ए–फ़स्द (इंजेक्शन की तरह) सींगी थी, आज के जदीद दौर में इंजेक्शन उसी आलए फ़स्द की बदली हुई सूरत है जोंक (ख़ून चूसने वाला जानवर) के ज़रीआ ख़ून निकाला जाता है, इसका भी यही हुक्म है। (फ़तावा रहीमिया स0 268, जिल्द 4, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 129, जिल्द अव्वल व कबीरी स0 134)।

(वरीदी इंजेक्शन रग में लगने वाला : Intera venous)

(गोश्त में लगने वाला अजुलाती : Muscullar)

(जिल्द में लगने वाला जिल्दी : Subqui Tenius)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरा लहू)

क्या मख़्सूस हिस्सा को छूने से वुज़ू टूट जाएगा?

मस्अला : उज़्वे मख़्सूस को छूने से वुज़ू नहीं टूटता। अगरचे शह्वत के साथ हो (जबकि मज़ी वग़ैरह न निकली हो) ख़्वाह हथेली से छुआ जाए, या उंगलियों के अन्दरूनी जानिब से।

मस्अला : इसी तरह बदन के किसी भी हिस्से को छूने से वुज़ू नहीं टूटता, चुनांचे अगर किसी ने अपने पाख़ाने के मक़ाम को हाथ लगाया तो वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उंगली या कोई और चीज़ मसलन हुक़्ना (दवाई चढ़ाने की नल्की) का सिरा दाख़िल किया गया और वह छुप गया तो वुज़ू टूट जाएगा क्योंकि यह अमल अन्दरूनी हिस्से में कुछ डालने और निकालने के बराबर है जो नवाक़िज़े वुज़ू में से है, यानी वुज़ू टूट जाएगा।

मस्अला : अगर कुछ हिस्सा दाख़िल हुआ और अन्दर ग़ाइब नहीं हुआ था कि उसको निकाल लिया तो देखना चाहिए कि अगर वह तर (भीगा हुआ) है या उसमें बदबू है तो वुज़ू टूट

जाएगा, वरना नहीं। इसी तरह औरत अगर अपनी उंगली या रूई वग़ैरह अंदाम निहानी (शर्मगाह) में डाले और तर निकले तो वुज़ू टूट जाएगा वरना नहीं। (किताबुल–फ़िक्ह स0 140, जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक़ स0 337 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता जबकि मज़ी न निकली हो, (आपके मसाइल स0 41, जिल्द 1)

मस्अला : छूना अज्ज़ाए बदन में से किसी जुज़्वे बदन से भी हो नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, यानी वुज़ू नहीं टूटता, ख़्वाह छूने वाला और जिसको छुआ गया हो दोनों बरहना (नंगे) हों। चुनांचे अगर कोई वुज़ू करके अपनी बीवी के साथ एक ही पलंग (बेड वग़ैरह) पर लेट गया और वह दोनों बरहना थे, और एक का वुजूद दूसरे से लग गया, तो दोनों में से किसी का वुज़ू नहीं टूटेगा, बशर्तेकि दो बातें पेश न आई हों। एक यह कि मज़ी वग़ैरह ख़ारिज न हुई हो, दूसरे यह कि शर्म गाहें बाहम (आपस में) न लगी हों। ऐसी सूरत में मर्द का वुज़ू टूट जाएगा, अगर उसको इस्तादगी हुई और दोनों के दरमियान बदन की हरारत के एहसास से मानेअ़ होने वाली कोई चीज़ हाएल न रही हो। लेकिन औरत का वुज़ू महज़ शर्म गाहों के बाहम मस करने (छूने) ही से टूट जाएगा जबकि मर्द को इस्तादगी हुई हो।

मस्अला : अगर दो औरतें बरहना हालत में इकट्ठी लेटें और उनकी शर्मगाहें बाहम मिल जाएं तो दोनों का वुज़ू टूट जाएगा। (किताबुल–फ़िक्ह स0 137, जिल्द अव्वल, दुर्रे मुख़्तार स0 12, जिल्द अव्वल)।

दो बालिग़ आदमियों की शर्मगाहें मिल जाएं ख़्वाह दोनों मर्द

हों या औरतें या एक मर्द और दूसरी औरत, बशर्तेकि दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हाएल न हो जिस की वजह से एक को दूसरे के जिस्म की हरारत महसूस न हो सके। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 67 ता स0 69, जिल्द अव्वल व आपके मसाइल स0 38, जिल्द 2)।

मस्अला : मर्द व औरत के उज़्व मख़्सूस को शर्मगाह कहा जाता है, शह्वत के वक़्त उनमें कुदरती तौर पर उभार (इस्तादगी) पैदा हो जाता है, उसे इंतिशार कहते हैं। इस खुली मुबाशरत से दोनों का वुज़ू टूट जाता है, जबकि दोनों की शर्मगाहें इंतिशार के साथ (दरम्यिान में कोई चीज़ कपड़ा वग़ैरह हाएल न हों) आपस में मिल जाएं, चाहे मज़ी भी न निकले, ख़्वाह यह मुबाशरत (मिलना) दो औरतों के दरमियान हो, ख़्वाह दो मर्दों के दरमियान, या एक मर्द और एक औरत के दरमियान।

(दुर्रे मुख़्तार स0 12, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू के बाद किसी का सत्र (जिस्म का वह हिस्सा जिसका छुपाना ज़रूरी है) देख लिया, या अपना सत्र खुल गया, या बेग़ैर कपड़ों के (बरहना) नंगे होकर ग़ुस्ल किया तो उसका वुज़ू दुरुस्त है, फिर वुज़ू दुहराने की ज़रूरत नहीं है, अल्बत्ता बेग़ैर मज्बूरी के किसी का सत्र देखना या अपना सत्र दिखाना गुनाह की बात है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 53, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स0 143, जिल्द 1)।

मस्अला : मर्द या औरत का सत्र देखने से या सत्र बरहना हो जाने से या अपना सत्र देखने से वुज़ू न जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू के दौरान घुटने खुल जाने से वुज़ू में कोई

नक़्स नहीं आता, अल्बत्ता दूसरों के सामने बिला ज़रूरत घुटने खोलने का सख़्त गुनाह है। (अहसनुल–फ़तावा स0 24, जिल्द 2, फ़तावा दारुल–उलूम स0 35, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में तेल या कोई दवा या पानी डालें पिचकारी से या और किसी तरह से और वह बाहर निकल आए तो इससे वुज़ू न टूटेगा, इसलिए कि ख़ास हिस्सा में नजासत नहीं रहती, ताकि यह एहतेमाल न हो कि यह तेल वग़ैरह उस नजासत पर हो कर वापस आया है।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, जिल्द अव्वल)।

मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में जाज़िब वग़ैरह रखें?

मस्अला : मर्द को औरत या औरत का ख़ास हिस्सा, किसी का मुश्तरक हिस्सा, या अपना ख़ास हिस्सा छूने से वुज़ू न जाएगा, और इसी तरह औरत का वुज़ू मर्द या मर्द का ख़ास हिस्सा, या मुश्तरक हिस्सा, या अपना ख़ास हिस्सा, या मुश्तरक हिस्सा छूने से न जाएगा।

मस्अला : अगर कोई मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में कोई चीज़ मिस्ल रूई, कपड़े वग़ैरह के रख लें और नजासत (नापाकी) अन्दर से निकल कर उस कपड़े को तर कर दे तो वुज़ू न जाएगा, बशर्तेकि कपड़े की बाहर की जानिब इस नजासत का कुछ असर न हो, या वह कपड़ा उस ख़ास हिस्सा में इस तरह रखा हो कि बाहर से नज़र न आए।

मिसला : (1) किसी मर्द ने अपने ख़ास हिस्सा में रूई रख

नक़्स नहीं आता, अल्बत्ता दूसरों के सामने बिला ज़रूरत घुटने खोलने का सख़्त गुनाह है। (अहसनुल–फ़तावा स० 24, जिल्द 2, फ़तावा दारुल–उलूम स० 35, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में तेल या कोई दवा या पानी डालें पिचकारी से या और किसी तरह से और वह बाहर निकल आए तो इससे वुज़ू न टूटेगा, इसलिए कि ख़ास हिस्सा में नजासत नहीं रहती, ताकि यह एहतेमाल न हो कि यह तेल वग़ैरह उस नजासत पर हो कर वापस आया है।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स० 70, जिल्द अव्वल)।

मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में जाज़िब वग़ैरह रखें?

मस्अला : मर्द को औरत या औरत का ख़ास हिस्सा, किसी का मुश्तरक हिस्सा, या अपना ख़ास हिस्सा छूने से वुज़ू न जाएगा, और इसी तरह औरत का वुज़ू मर्द या मर्द का ख़ास हिस्सा, या मुश्तरक हिस्सा, या अपना ख़ास हिस्सा, या मुश्तरक हिस्सा छूने से न जाएगा।

मस्अला : अगर कोई मर्द या औरत अपने ख़ास हिस्सा में कोई चीज़ मिस्ल रूई, कपड़े वग़ैरह के रख लें और नजासत (नापाकी) अन्दर से निकल कर उस कपड़े को तर कर दे तो वुज़ू न जाएगा, बशर्तेकि कपड़े की बाहर की जानिब इस नजासत का कुछ असर न हो, या वह कपड़ा उस ख़ास हिस्सा में इस तरह रखा हो कि बाहर से नज़र न आए।

मिसला : (1) किसी मर्द ने अपने ख़ास हिस्सा में रूई रख

ली और पेशाब या मनी ने अपने ख़ास मक़ाम से आकर उस रूई को तर कर दिया मगर उस रूई का वह हिस्सा जो बाहर से दिखाई देता है तर नहीं हुआ, या वह रूई उस ख़ास हिस्सा में ऐसी छुपी हुई हो कि बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आती तो इस सूरत में अगर पूरी रूई तर हो जाए तब भी उस मर्द का वुज़ू न जाएगा।

(2) या किसी औरत ने अपने ख़ास हिस्सा में रूई या कपड़ा रख लिया और पेशाब या हैज़ ने अपने मक़ाम से आकर उस रूई या कपड़े को तर कर दिया, मगर रूई या कपड़े का वह हिस्सा जो बाहर से दिखलाई देता है तर नहीं हुआ या वह रूई और कपड़ा उस ख़ास हिस्सा में ऐसा छुप गया हो कि बाहर से नज़र न आता हो, तो इस सूरत में अगर पूरी रूई या कपड़ा तर हो जाए तब भी उस औरत का वुज़ू न जाएगा।

मस्अला : अगर कोई मर्द या औरत अपने मुश्तरक हिस्सा में रूई या कपड़ा वग़ैरह रख लें और उस रूई या कपड़े का वह हिस्सा जो अन्दर है नजासत से तर हो जाए मगर वह हिस्सा जो बाहर है तर न हो या वह भी तर हो जाए और वह रूई वग़ैरह मुश्तरक हिस्सा में ऐसी छुप गई हो कि बाहर से नज़र न आती हो तो इन सब सूरतों में वुज़ू न जाएगा।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 71, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कोई शख़्स किसी मुर्दा जानवर के साथ बुरा काम करे तो उसका वुज़ू न जाएगा। जब तक कि मज़ी या मनी न निकले।

मस्अला : मनी अपने मक़ाम से निकली मगर उसने अपने

ख़ास हिस्सा को इस ज़ोर से दबा लिया कि मनी बाहर बिल्कुल नहीं निकली तो वुज़ू न जाएगा। (और ग़ुस्ल वाजिब न होगा)।

मस्अला : अगर दो शख़्स अपने ख़ास हिस्सों को मिला दें मगर दरमियान में मिस्ल मोटे कपड़े वग़ैरह के कोई ऐसी चीज़ हाइल हो जो एक को दूसरे के जिस्म की हरारत (गर्मी) न महसूस होने दे तो वुज़ू न जाएगा, ख़्वाह दोनों मर्द हों या दोनों औरतें या एक औरत दूसरा मर्द, बालिग़ हों या नाबालिग़।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 72, जिल्द अव्वल)।

शर्मगाह में उंगली करने पर वुज़ू का हुक्म

मस्अला : अगर किसी ने अपनी बीवी की शर्मगाह में उंगली दाख़िल की तो औरत का वुज़ू टूट गया, ख़्वाह उंगली पर कपड़ा हो या न हो, इसलिए कि जब उंगली निकलेगी तो उस पर नजासत ज़रूर लगेगी और ख़ुरूजे नजासत नाक़िज़े वुज़ू है। अल्बत्ता अगर उंगली फ़रजे दाख़िल में यानी गोल सूराख़ के अन्दर नहीं गई तो वुज़ू नहीं गया। (अहसनुल–फ़तावा स0 20, जिल्द 1)

मस्अला : नमाज़ के दौरान नमाज़ में पाख़ाना के मक़ाम से कीड़ा बाहर निकल आए तो नमाज़ और वुज़ू टूट जाएगा, लिहाज़ा नमाज़ न होगी। (अहसनुल–फ़तावा स0 22, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 126, जिल्द 1)

शर्मगाह के बाहर के हिस्सा पर उंगली लगाने पर वुज़ू का हुक्म :

सवाल : क्या यह हो सकता है कि कोई सैलान की मरीज़ा औरत नमाज़ या तिलावत के दौरान कुछ वक़्फ़े से ख़्याल के

अन्दर उंगली से छू कर देख लिया करे कि आया पानी निकला है या नहीं और अगर उसने उसी तरीक़ा से देखा मगर जगह बिल्कुल पाक थी तो इस सूरत में उसकी शर्मगाह देखने और छूने से वुज़ू टूटेगा या नहीं?

जवाब : इससे वुज़ू नहीं टूटेगा, अल्बत्ता आगे गोल सूराख़ के अन्दर उंगली दाख़िल करने से वुज़ू टूट जाता है, इसलिए कि उंगली के साथ अन्दरूनी नजासत भी बाहर आएगी।

(अहसनुल–फ़तावा स0 26, जिल्द 2)

मस्अला : किसी ने वुज़ू करने के बाद अपनी शर्मगाह पर तरी देखी जो बह रही थी, तो वह दोबारा वुज़ू कर ले और अगर उसको यह मालूम न हो सके कि वह है क्या? यानी सिर्फ़ वह्म सा हो, हक़ीक़त कुछ न हो तो तवज्जोह न दे और शैतानी वसवसा समझ कर नज़र अंदाज़ कर दे। (कश्फुल–असरार स0 18, जिल्द अव्वल)।

नाखुन पालिश के होते हुए वुज़ू का हुक्म

मस्अला : आजकल औरतें अपने नाखुनों पर जो पालिश लगाती हैं उस पालिश के नाखुन पर मौजूद होते हुए वुज़ू और गुस्ल सहीह नहीं होता, इसलिए कि उसकी वजह से पानी नाखुन तक नहीं पहुंचता है। ऐसी सूरत में औरतों की नमाज़ सहीह नहीं होती। और जितनी नमाज़ें अब तक पढ़ी हैं उन सब का लौटाना वाजिब है।

(अहसनुल–फ़तावा स0 26, जिल्द 2, नमाज़ मस्नून स0 72)।

मस्अला : ऐसी तज़ईन हराम है जो शरई फ़राइज़ की सेहत से मानेअ हो, जो चीज़ें बदन तक पानी पहुंचने से मानेअ हों उनकी

मरज़े सैलान में हिफ़ाज़ते वुज़ू की तदबीर :

सवाल : किसी औरत को पानी (पेशाबगाह से) ख़ारिज होता है लेकिन उसको यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि पानी किस वक़्त और कब आता है, जब तक वह उसको नहीं देखती, कभी तो कम बहता है और कभी ज़्यादा, नमाज़ शुरू करने से पहले उसने देखा तो कुछ भी नापाकी नज़र न आई, लेकिन नमाज़ के दस मिनट के बाद देखा तो पानी निकला हुआ था, जो कि खाल के अन्दर था और उससे शल्वार गीली नहीं हुई थी, नमाज़ तक़रीबन पौन घन्टा तक जारी रही, पच्चीस मिनट बाद देखा तो पानी निकला हुआ था, तो क्या इस सूरत में नमाज़ हो गई या नहीं?

जबकि उसको यह हरगिज़ ख़बर नहीं कि यह पानी दौराने नमाज़ ख़ारिज हुआ था या नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद, अगर उससे नमाज़ टूटी है तो क्या सारी नमाज़ जो उस वक़्त तक पढ़ी गई थी लौटाए या सिर्फ़ फ़र्ज़?

जवाब : जब नमाज़ के अन्दर वुज़ू टूटने का यक़ीन न हो नमाज़ हो जाएगी, ऐसी मरीज़ा शर्मगाह के अन्दर इस्फंज रख लिया करे जो पानी को जज़्ब करता रहेगा, जब तक इस्फंज के उस हिस्सा पर रुतूबत नहीं आएगी जो शर्मगाह के गोल सूराख़ से बाहर है उस वक़्त तक वुज़ू नहीं टूटेगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 8, जिल्द 2)।

मस्अला : अक्सर औरतों के सफ़ेद रुतूबत हमेशा बहती रहती है वह ख़्वाह किसी वजह से हो, नाक़िज़े वज़ू है (उसके आने और निकलने से वुज़ू टूट जाता है) और नापाक है, लेकिन अगर यह रुतूबत हर वक़्त बहती रहती हो तो वह औरत माज़ूर है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 112, जिल्द अव्वल)।

बवासीर की जो रुतूबत बाहर न आए उसका हुक्म ?

सवाल : बवासीर की फुंसी से मवाद निकलने के बाद दाद की तरह हो जाए और उनके अन्दर रुतूबत हो मगर साइल न हो (बहती हुई न हो) अल्बत्ता उठते बैठते कपड़े को लगी हो, तो इस सूरत में क्या वुज़ू टूट जाता है और कपड़ा नापाक हो जाता है?

जवाब : जो रुतूबत ज़ख्म से बाहर न बहे और साइल न हो उससे वुज़ू नहीं टूटता, और कपड़ा भी नापाक नहीं होता क्योंकि काएदा कुल्लीया फुकहा लिखते हैं –

مَالَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ पस जो सूरत आपने तहरीर फरमाई है उसमे न वुज़ू टूटता है और न कपड़ा नापाक होता है। (फतावा दारुल–उलूम स0 137, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 130, जिल्द अव्वल बाब नवाकिज़ुल–वुज़ू)।

मस्अला : अगर किसी बवासीर वाले के बवासीर के मस्से बाहर (मक्अद से) निकल आए तो अगर उसने अपने हाथ से उसे अन्दर कर दिया तब उसका वुज़ू टूट जाएगा और अगर वह खुद अन्दर चले गए हैं तो वुज़ू नहीं टूटेगा, अल्बत्ता अगर नजासत ज़ाहिर हो तो वुज़ू टूट जाएगा, नीज़ इसी तरह किसी की मक्अद (पाख़ाना के मकाम) से कीड़े का कुछ हिस्सा निकला फिर वह खुद ही अन्दर घुस गया तो नाकिज़े वुज़ू नहीं है। (जबकि नजासत न गिरे।) (कश्फुल–असरार स0 16, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बवासीर वाले के या आम किसी आदमी के मक्अद (पाख़ाने के मकाम) से कांच निकल आई तो अगर खुद–ब–खुद

निकल कर अन्दर चली गई तो वुज़ू नहीं टूटता जब तक नजासत ज़ाहिर न हो। और अगर हाथ या कपड़ा वग़ैरह से अन्दर करेंगे तो वुज़ू टूट जाएगा। (कश्फुल–असरार स० 94, जिल्द अव्वल)।

पागल और मजनून के वुज़ू का हुक्म :

मस्अला : अगर किसी के हवास में ख़लल हो जाए लेकिन यह ख़लल जुनून और मदहोशी की हद को न पहुंचा हो तो वुज़ू न जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स० 70, जिल्द 1)

मस्अला : बेअक़्ल, मजनून, मिर्गी ज़दह, मदहोश और मख़्बूतुल–हवास पर वुज़ू वाजिब नहीं है। अगर वह वुज़ू करेंगे तो वुज़ू सहीह न होगा, चुनांचे अगर किसी फ़ातिरुल–अक़्ल ने वुज़ू कर लिया और घड़ी भर यानी वुज़ू करने के बाद उस मरज़ से नजात हो गई तो उस वुज़ू से नमाज़ दुरुस्त न होगी। और जुनून ज़दह इंसान का भी यही हुक्म है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स० 82, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बे होशी, ग़शी और जुनून (पागल पन वाला) (अगर बावुज़ू हों तो) वुज़ू को तोड़ डालते हैं और उस नशा से भी वुज़ू टूट जाता है जिससे आदमी झूमने लगे, ख़्वाह यह नशा भंग खाने की वजह से क्यों न हुआ हो। (या शराब वग़ैरह से)

(दुर्रे मुख़्तार उर्दू स० 10, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पागल के लिए गुस्ल मुस्तहब है जिसको इफ़ाक़ा हो गया हो, और इसी तरह बेहोश के वास्ते इफ़ाक़ा के बाद गुस्ल मुस्तहब है।

मस्अला : अगर बेहोशी हो गई या जुनून से अक़्ल जाती रही तो वुज़ू जाता रहता है, चाहे बेहोशी व जुनून थोड़ी देर ही

रहा हो, इसी तरह अगर तम्बाकू (बीड़ी व सिग्रेट) वगैरह कोई भी नशा की चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह चला नहीं जाता और क़दम इधर उधर बहकता और डगमगाता है तो भी वुज़ू जाता रहा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी बाब मा युन्किज़ुल–वज़ू स0 17, जिल्द अव्वल। मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 327, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद अक़्ल जाती रहे, ख़्वाह जुनून से या मिर्गी के दौरा से या बेहोशी से, या ऐसी चीज़ के इस्तेमाल करने से जो अक़्ल को खो देती है। मसलन शराब, गांजा और भंग वग़ैरह तमाम ग़ाफ़िल करने वाली चीजें, नींद भी उन ही में से है जिन से वुज़ू टूट जाता है, यह इसलिए नहीं कि नींद ख़ुद वुज़ू तोड़ने वाली है, बल्कि इस लिए कि नींद की हालत में वुज़ू तोड़ने वाली बात लाहिक़ हो सकती है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 131, जिल्द अव्वल)।

(और नींद की वजह से उसका इल्म नहीं रहेगा।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : महज़ शराब पीने से वुज़ू नहीं टूटता जब तक नशा न हो, अल्बत्ता मुंह नापाक हो जाता है, इसलिए कि शराब नजिस है और उसका पीना हराम है। (फ़तावा महमूदिया स0 36, जिल्द 2)।

मस्अला : हमेशा शराब पीने वाले के बदन से पसीना निकले तो उस पसीना के निकलने की वजह से वुज़ू नहीं टूटेगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 72, जिल्द अव्वल व स0 73, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 12, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : कोई गुनाह करने से या काफ़िर हो जाने से वुज़ू नहीं जाता।

मस्अला : हुक़्क़ा, बीड़ी, सिग्रेट, पान से वुज़ू नहीं टूटता (जबकि नशा की वजह से अक़्ल न जाए) लेकिन नमाज़ से पहले मुंह की बदबू का दूर करना ज़रूरी है, अगर मुंह से हुक़्क़ा, सिग्रेट की बदबू आती हो तो नमाज़ मकरूह हो जाती है। (आपके मसाइल स0 41, जिल्द 3, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 143, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी ने वुज़ू किया उसके बाद अपने किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत की, या झूठ बोला, या काफ़िर हो गया तो उसका वुज़ू नहीं जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स.0 73, जिल्द अव्वल)।

(यानी वह ग़ीबत करने वाला और झूठ बोलने वाला और काफ़िर होने के बाद मुसलमान होने तक उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं बशर्तेकि और किसी वजह से वुज़ू न टूटा हो तो उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं।) (रिफ़अत)

वुज़ू में गर्मी दाने से पानी निकलने का हुक्म

मस्अला : मौसमे गर्मा और बरसात में अक्सर गर्मी में दाने निकल आते हैं और कुचल देने से उनमें से पानी निकलता है, अगर दाना टूटने से पानी अज़ ख़ुद नहीं बहा, बल्कि हाथ या कपड़ा लगने से फैल गया तो वुज़ू नहीं टूटा, और अगर पानी, ज़ख़्म से उभर कर ऊपर आ गया और दाना के सूराख़ से ज़ाइद जगह फैल गया मगर ऊपर उभरने के बाद नीचे नहीं उतरा तो उसके नाक़िज़ होने में इख़्तिलाफ़ है, राजेह यह है कि नाक़िज़

नहीं है, यानी उससे वुज़ू नहीं टूटेगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 29, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 125, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : खुजली के दानों से बाज़ मरतबा मुसलसल पानी बहता है, अगर वह पानी अपनी जगह से बह जाए तो नाक़िज़े वुज़ू भी है (यानी जब वह पानी ज़्यादा होने की वजह से अपनी जगह से फैल जाए तो वुज़ू टूट जाएगा) और जिस कपड़े पर लग जाए वह भी नजिस हो जाएगा। (फ़तावा महमूदिया स0 32, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर छाती से पानी निकलता है और दर्द भी होता है तो वह नजिस है उससे वुज़ू जाता रहेगा, और अगर दर्द नहीं है तो नजिस नहीं है और इससे वज़ू भी न टूटेगा।

(बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे–मुख़्तार स0 17, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू करने के बाद कांच निकल आई ?

मस्अला : अगर किसी के मुश्तरक हिस्सा का कोई जुज़्व बाहर निकल आए जिसको हमारे उर्फ़ आम में कांच निकलना कहते हैं तो इससे वुज़ू जाता रहता है, ख़्वाह वह खुद बखुद अन्दर चला जाए या किसी लकड़ी, कपड़े या हाथ वग़ैरह के ज़रीआ अन्दर पहुंचाया जाए। (बहिश्ती ज़ेवर स0 13, जिल्द 11, बहवाला शामी स0 155, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जोंक या खटमल या और कोई जानवर अगर इस क़दर ख़ून पिए कि वह अगर जिस्म पर छोड़ा जाए तो अपनी जगह से बह कर दूसरी जगह चला जाए तो वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)

मस्अला : किसी ने जोंक लगवाई (एक जानवर होता है

छिपकली से छोटा, ख़ून चूसता है) और जोंक में इतना ख़ून भर गया कि अगर बीच में से उसको काट दिया जाए तो ख़ून बह पड़े तो वुज़ू जाता रहा, और अगर इतना न पिया हो बल्कि बहुत कम पिया हो तो वुज़ू नहीं टूटा।

मस्अला : मच्छर, मक्खी, या खटमल ने ख़ून पिया तो वुज़ू नहीं टूटा। (बहिश्ती ज़ेवर स० 51, जिल्द 1, कबीरी स० 34)।

(चेचड़ी, वुज़ू तोड़ने में जोंक की तरह है, अगर जोंक और चेचड़ी बड़ी न हों कि उससे बहता ख़ून न निकले तो उसके काटने से वुज़ू नहीं टूटता, जैसे मच्छर और मक्खी कि उनके काटने से वुज़ू नहीं टूटता क्योंकि उनमें बहने वाला ख़ून नहीं होता।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

वुज़ू में फोड़े और फुंसी से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का छिल्का यानी खोड़न नोच डाला और उसके नीचे ख़ून या पीप दिखलाई देने लगी लेकिन वह ख़ून, पीप अपनी जगह पर ठहरा हुआ है किसी तरफ़ निकल के बहा नहीं तो वुज़ू नहीं टूटा और अगर बह पड़ा तो वुज़ू टूट गया।

मस्अला : किसी के फोड़े में बड़ा गहरा घाव हो गया तो जब तक ख़ून पीप उसी घाव के सूराख़ के अन्दर ही अन्दर है बाहर निकल कर बदन पर न आए उस वक़्त तक वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला : अगर फोड़े फुंसी का ख़ून ख़ुद से नहीं निकला, बल्कि उसको दबा कर निकाला है तब भी वुज़ू टूट जाएगा जबकि वह ख़ून बह जाए।

मस्अला : अगर किसी के ज़ख़्म से ज़रा–ज़रा सा ख़ून

निकलने लगा, उसने उस पर मिट्टी डाल दी, या कपड़े से पोंछ लिया, फिर उसके बाद ज़रा सा निकला फिर उसने पोंछ डाला, इसी तरह कई दफ़ा किया कि ख़ून बहने न पाया तो दिल—दिल में सोचे (ख़्याल करे) अगर ऐसा मालूम हो कि अगर यह पोंछा न जाता तो बह पड़ता तो वुज़ू टूट जाएगा। और अगर ऐसा न हो कि पोंछा न जाता तब भी न बहता तो वुज़ू न टूटेगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल—मुह्तार स0 17, जिल्द अव्वल व शरह तन्वीर स0 25, जिल्द अव्वल व किताबुल—फ़िक़्ह स0 129, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी के फोड़ा या फुंसी हो और उससे ख़ून पीप निकलता है, इसी वजह से उस पर रूई (वग़ैरह) रख कर पट्टी बांध दी है, अन्दर अन्दर ख़ून निकलता रहता है पट्टी बांधने की वजह से बाहर नहीं आता, अगर इतना ख़ून निकले कि उसे रोका जाता तो ज़ख़्म के मक़ाम से आगे बढ़ जाता तो वुज़ू टूट जाएगा। (फ़तावा रहीमिया स0 268, जिल्द 4, बहवाला कबीरी स0 130, व शामी स0 129, जिल्द अव्वल व इल्मुल—फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ज़िन्दा आदमी के जिस्म से अगर ख़ून या पीप या कोई नापाक चीज़ निकले तो वुज़ू टूट जाता है बशर्तेकि कोई चीज़ इंसान के जिस्म से टपक जाए या अपने मक़ाम से बह कर उस मक़ाम पर पहुंच जाए जिसका धोना वुज़ू या गुस्ल में फ़र्ज़ या वाजिब है।

मस्अला : अगर ज़िन्दा आदमी के जिस्म से कोई नापाक चीज़ निकले और अपने मक़ाम से न बहे, मगर ऐसी हो कि वह

जिस्म पर छोड़ दी जाए तो ज़रूर अपनी जगह से बह कर दूसरी जगह चली जाए, तो वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस्म के किसी हिस्सा से सफ़ेद पानी निकले और उसके निकलने से इंसान को तक्लीफ़ हो तो वुज़ू टूट जाएगा ख़्वाह ज़ाहिर में कोई ज़ख़्म मालूम होता हो या नहीं। और अगर उसके निकलने से तक्लीफ़ न हो मगर कोई तबीब (डॉक्टर वग़ैरह) हाज़िक़ तज्वीज़ करे या और किसी तरीक़ा से मालूम हो जाए कि यह पीप है और किसी ज़ख़्म से आई है तब भी वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 66)।

वुज़ू में ज़ख़्म से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : अगर किसी के कोई ज़ख़्म हो, उसमें से कीड़ा निकले या कान में से निकले, या ज़ख़्म में से कुछ गोश्त कट कर (अज़ ख़ुद) गिर पड़ा और ख़ून नहीं निकला तो उससे वुज़ू नहीं टूटा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 49, जिल्द अव्वल, मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 327, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर ज़ख़्म को पानी नुक़सान देता है तो उस जगह को धोने के बजाए उस पर मसह कर सकते हैं।

मस्अला : अगर ज़ख़्म में से ख़ून हर वक़्त रिस्ता रहता है और किसी वक़्त भी मौक़ूफ़ नहीं होता तो हर नमाज़ के पूरे वक़्त के अन्दर एक बार वुज़ू कर लेना काफ़ी है और अगर कभी रिस्ता है और कभी नहीं तो जब भी ख़ून निकल कर बह जाए तो दोबारा वुज़ू करना होगा। (आपके मसाइल स0 37, जिल्द 2)।

मस्अला : ज़ख़्म से ख़ून वग़ैरह निकल कर ज़ख़्म ही [illegible] रहे

और ज़ख़्म ऐसा हो कि जिसका धोना नुक़्सान करे तो वुज़ू न जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 71, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : आज़ाए वुज़ू पर अगर ज़ख़्म हो और वुज़ू के बाद उस ज़ख़्म के ऊपर की खाल (खुड़न वग़ैरह) अलग कर दी जाए तो उससे वुज़ू न जाएगा और न उस मक़ाम को दोबारा धोने की ज़रूरत होगी, ख़्वाह जिल्द (खाल, खुड़न), के जुदा होने में तक्लीफ़ हो या न हो। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 72, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी ने फ़स्द कराई (ज़ख़्म वग़ैरह से ख़ून निकलवाया) या नक्सीर फूटी, या चोट लगी और ख़ून निकल आया, या फोड़े फुंसी से, या बदन भर में और कहीं से ख़ून निकला या पीप निकली तो वुज़ू टूट जाता है, अल्बत्ता अगर ज़ख़्म के मुंह पर ही रहे, ज़ख़्म के मुंह से आगे न बढ़े तो वुज़ू नहीं गया।

मस्अला : अगर किसी के सूई चुभ गई और ख़ून निकल आया लेकिन बहा नहीं तो वुज़ू नहीं टूटा। और अगर ज़रा भी बह पड़ा तो वुज़ू टूट गया। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला गुनया स0 128)।

मस्अला : अगर ज़ख़्म पर पट्टी बांधी और ख़ून वग़ैरह की तरावट पट्टी पर ज़ाहिर हो गई, तो अब वुज़ू न रहा क्योंकि वुज़ू करने के बाद ख़ून वग़ैरह ज़ाहिर होने से वुज़ू टूट जाएगा, क्योंकि यह तरावट बजाए बहने के है, अगर यह पट्टी न होती तो ख़ून बह जाता। (कश्फ़ुल–असरार स0 94, रुक्ने दीन स0 6)।

मस्अला : अगर किसी के ऐसा ज़ख़्म था कि हर वक़्त बहा करता था, उसने वुज़ू किया, फिर दूसरा ज़ख़्म पैदा हो गया और वह बहने लगा, तो वुज़ू टूट गया, फिर से वुज़ू करे।

(बहिश्ती ज़ेवर स0 54, जिल्द अव्वल बहवाला शरहुल–बिदाया स0 67, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 80, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : एक ज़ख़्म से ख़ून रस्ता रहता है और कपड़े को लगता रहता है मगर बहता नहीं तो एक मज्लिस में मुख़्तलिफ़ दफ़आत में कपड़े पर लगने वाले ख़ून का अंदाज़ा किया जाए, अगर यह मज्मूआ इस क़दर नज़र आए कि अगर कपड़ा उसको जज़्ब न करता तो ख़ून बह पड़ता, तो वुज़ू टूट जाएगा, वरना नहीं। अगर एक मज्लिस में तो इतना ख़ून कपड़े पर नहीं लगा मगर मुख़्तलिफ़ मजालिस का मज्मूआ इतना हो गया तो वह नाक़िज़ नहीं है। (यानी इससे वुज़ू नहीं टूटेगा) (अहसनुल–फ़तावा स0 28, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 125, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ज़ख़्म के दबने या दबाने से अगर रुतूबते साइला (बहने वाली) निकले जो कि मौक़ए ज़ख़्म से बाहर बह जाए तो वुज़ू टूट जाता है। और अगर निकल कर ज़ख़्म ही में रहे तो वुज़ू नहीं टूटता। अल–ग़रज़ बिला क़स्द दब जाना या क़स्दन दबाना बुरा है। और अगर ख़ुद दब कर बहने वाली रुतूबत बाहर निकल आए जो दबा कर निकाली जाए और बहे ज़ख़्म से बाह तक तो वुज़ू टूट जाएगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 137, जिल्द अव्वल व स0 319, जिल्द 1, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 127, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में आंख से पानी निकलने से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : तेज़ रौशनी से, धूप की तपिश से, प्याज़ काटने से, नमाज़ में खांसी रोकने से, आंखों में से पानी निकल आना नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, यानी इस से वुज़ू नहीं टूटती। अगर आंख

दुखने आई और उस वक़्त चिकना पानी या पीप निकले तो वुज़ू टूट जाता है, बिला दर्द और बेग़ैर तक्लीफ़ के पानी निकले इससे वज़ू नहीं टूटता। (फ़तावा रहीमिया स0 276, जिल्द 4, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 137, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पाक चीज़ के निकलने से वुज़ू नहीं जाता, जैसे आंख से आंसू , या जिस्म से पसीना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 73, जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 94, जिल्द 1)।

मस्अला : आंख के अन्दर अगर कोई फुंसी, दाना वग़ैरह टूट गया और बाहर नहीं निकला तो वुज़ू नहीं टूटा, और अगर बाहर निकल आया तो वुज़ू टूट जाएगा। (शरह नक़ाया स0 67, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 72, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी की आंख के अन्दर कोई दाना वग़ैरह था और वह टूट गया, या खुद उसने तोड़ दिया और उसका पानी बह कर आंख में फैल गया लेकिन आंख से बाहर नहीं निकला तो उसका वज़ू नहीं टूटा, और अगर आंख से बाहर वह पानी निकल पड़ा तो वुज़ू टूट गया। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : सुर्मा की तेजी या उसकी चोट से जो पानी आंख से निकलता है उससे वुज़ू नहीं टूटता। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 136, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 137, जिल्द अव्वल, किताबुत्तहारत)।

मस्अला : आंखों से जो पानी दर्द के साथ बरामद हो उससे वज़ू टूट जाता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 141, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वह पानी जो दुखती आंख से निकले जब तक

मुतग़ैयर न हो मसलन उसमें सुर्ख़ी वग़ैरह न हो बल्कि साफ़ पानी हो तो वह नाक़िज़े वुज़ू न होगा और नजिस भी न होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 144, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 137, जिल्द अव्वल व आपके मसाइल स0 37, जिल्द 2, व फ़तावा रशीदिया स0 283, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नज़्ला की वजह से आंख से पानी बहे तो वुज़ू न टूटेगा, और अगर आंख से पानी किसी ज़ख़्म की वजह से निकले ख़्वाह वह ज़ख़्म ज़ाहिर में मालूम होता हो या किसी तबीब (डॉक्टर वग़ैरह) की तश्ख़ीस से मालूम हो तब तो उस पानी के निकलने से वुज़ू टूट जाएगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल, तफ़्सील देखिए फ़तावा दारुल–उलूम स0 135, जिल्द अव्वल व शामी स0 137, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में कान और दांत से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : अगर किसी के कान के अन्दर दाना टूट जाए तो जब तक ख़ून पीप सूराख़ के अन्दर उसी जगह तक रहे जहां पानी पहुंचाना ग़ुस्ल करते वक़्त फ़र्ज़ नहीं है जब तक तो वुज़ू नहीं टूटता और जब ऐसी जगह पर आ जाए कि जहां पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है तो वुज़ू टूट जाएगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 17, जिल्द अव्वल व शरह तनवीर स0 250, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 129, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी के कान में दर्द होता है और कान से पानी निकला करता है तो यह पानी जो कान से बहता है नजिस है अगरचे कुछ फोड़ा या फुंसी न मालूम होती हो, पस उसके

निकलने से वुज़ू टूट जाएगा जब कान के सूराख़ से निकल कर उस जगह तक आ जाए जिसका धोना गुस्ल करते वक़्त फ़र्ज़ है।

मस्अला : इसी तरह अगर नाफ़ से पानी निकले और दर्द भी होता हो तो उससे भी वुज़ू टूट जाता है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 17, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : कान के मैल निकलने से वुज़ू नहीं टूटता, अल्बत्ता कान बहते हों और कान में उंगली डालने से उंगली को पानी लग जाए तो वुज़ू टूट जाएगा और वह पानी भी नजिस है। (आपके मसाइल स0 43, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर कान या आंख में कुछ दर्द व तक्लीफ़ हो और उस वक़्त कान या आंख से मवाद या पानी ख़ारिज हो और ऐसी जगह तक आ जाए कि जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना ज़रूरी है तो इससे वुज़ू टूट जाएगा और नया दूसरा वुज़ू किए बेग़ैर नमाज़ पढ़ना सहीह न होगा, अगर पढ़ी हो तो उस नमाज़ का लौटाना ज़रूरी होगा। और अगर कुछ दर्द व तक्लीफ़ न हो और ऐसे ही पानी निकले तो इससे वुज़ू नहीं टूटता। (फ़तावा रहीमिया स0 128, जिल्द 7, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 137, जिल्द 1)।

मस्अला : अगर कोई शख़्स किसी चीज़ को दांत से काटे या पकड़े और उस पर ख़ून का असर पाया जाए तो कपड़ा या हाथ दांतों पर रख कर देखा जाए, अगर उस पर ख़ून न निकले तो वुज़ू न जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दांतों में किसी ने ख़िलाल किया और ख़िलाल में ख़ून की सुर्ख़ी दिखाई दी, या दांत से कोई चीज़ काटी और

उस चीज़ पर ख़ून का धब्बा मालूम हो, लेकिन थूक में ख़ून का बिल्कुल रंग मालूम नहीं होता, तो वुज़ू नहीं टूटता। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 16, जिल्द 1, व कबीरी स0 13)।

मस्अला : दांत से ख़ून निकलने से वुज़ू टूट जाता है। बशर्तेकि इतना ख़ून निकला हो कि थूक का रंग सुर्ख़ी माइल हो जाए, या मुंह में ख़ून का ज़ाएका आने लगे। (आपके मसाइल स0 37, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर दांतों पर मिस्सी जम जाए तो वह मानेअ वुज़ू नहीं है मगर मानेअ गुस्ल है। (फ़तावा रशीदिया स0 284, जिल्द अव्वल।)

मस्अला : अगर किसी शख़्स ने रोटी या कोई फल वग़ैरह खाया, उसमें ख़ून का असर नज़र आया जो मसोढ़ों से आ रहा था तो उसको चाहिए कि वहां पर उंगली रख कर देखे, अगर उंगली में ख़ून का असर दिखाई दे तो वुज़ू टूट गया, वरना नहीं। (कश्फ़ुल–असरार स0 18)।

मस्अला : डकार आने से वज़ू नहीं टूटता ख़्वाह डकार बदबू दार हो। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में बाल और नाख़ुन वग़ैरह से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : वुज़ू करने के बाद नाख़ुन कटाने से वुज़ू में कोई नुक़सान नहीं आता और न वुज़ू को दोहराने की ज़रूरत है और न इतनी जगह को फिर तर करने की ज़रूरत। वुज़ू बाक़ी रहेगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 53, जिल्द अव्वल बहवाला शरह तनवीर स0 150, व इल्मुल–फ़िक़्ह स0 73, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नाख़ुन में मैल होने पर भी वुज़ू हो जाता है, मगर

नाख़ुन बढ़ाना ख़िलाफ़े फ़ितरत है। (आपके मसाइल स0 43 जिल्द 2)।

मस्अला : अगर नाख़ुन पर आटा जम गया हो तो जब तक उसको धोएगा नहीं और दूर नहीं करेगा, वुज़ू न होगा (शरह नक़ाया स0 73, जिल्द अव्वल, दुर्रे मुख़्तार स0 19, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मैल और मिट्टी जो नाख़ुनों में हो वुज़ू और गुस्ल बेग़ैर छुड़ाए हो जाएगा जबकि उसके नीचे पानी पहुंच जाए। (इम्दादुल–फ़तावा स0 36, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद बाल काटने या नाख़ुन तराशने से वुज़ू नहीं टूटता इसी तरह सेन्ट वग़ैरह लगाने से भी वुज़ू नहीं टूटता है। (आपके मसाइल स0 43, जिल्द 3)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद अगर सर के बाल या दाढ़ी के बाल या भवें कटवा दी जाएं तो इससे वुज़ू या सर का मसह बातिल न होगा, यानी उस जगह को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 3, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 145)।

वुज़ू में थूक, बलग़म और ज़ुकाम से मुतअल्लिक मसाइल

मस्अला : थूक या बलग़म अगर किसी ऐसी चीज़ के साथ हो मसलन खाने या पित या ऐसी चीज़ के साथ जो क़य में निकले जबकि वह पाक हो तो इस सूरत में अगर थूक और बलग़म ज़्यादा हो और वह चीज़ कम और इस क़दर हो जिससे मुंह न भर सके तो वुज़ू न जाएगा। और अगर थूक और बलग़म और वह चीज़ बराबर हो मगर दोनों में कोई इस क़दर न हो जिससे मुंह भर सके तब भी वुज़ू न जाएगा। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 72, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : थूक या बल्ग़म निकलने से वुज़ू न जाएगा, ख़्वाह कितना ही क्यों न हो यानी मुंह भर कर भी हो तो तब भी नहीं टूटता। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 73, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 142, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 128, जिल्द अव्वल बाब नवाक़िज़ुल–वुज़ू व बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : थूक ख़ून में मिला हुआ अगर ख़ारिज हो तो जो ग़ालिब होगा उसका हुक्म होगा। (शरह वेक़ाया स0 67, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ख़ून नाक से निकल कर नथुने में आ जाए तो वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

(नथुना नाक का नार्म हिस्सा होता है जिसका ग़ुस्ल में धोना वाजिब है) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : क़य में अगर बल्ग़म ख़ारिज हो तो वुज़ू नहीं टूटता। (शरह नक़ाया स0 11, जिल्द 1, हिदाया स0 8, जिल्द 1, कबीरी स0 129)।

मस्अला : नाक से अगर ख़ून निकले मगर उस मक़ाम तक न पहुंचे जो नर्म है, यानी नथुने तक न पहुंचे तो वुज़ू नहीं टूटेगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 70, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी के थूक में ख़ून मालूम हो तो अगर थूक में ख़ून बहुत कम है और थूक का रंग सफ़ेदी या ज़र्दी माइल है तो वुज़ू नहीं गया, और ख़ून ज़्यादा है या बराबर और रंग सुर्ख़ी माइल है तो वुज़ू टूट गया। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द 1, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 17, जिल्द 1)।

मस्अला : बल्ग़म की क़य वुज़ू को मुतलक़न नहीं तोड़ती।
(दुर्रे मुख़्तार स0 5, जिल्द 1, तरजमा उर्दू)।

मस्अला : नाक के रास्ता से जो तेल या कोई पतली रक़ीक़ चीज़ दिमाग़ की तरफ़ चढ़ जाए और वह फिर बाहर निकल आए तो इससे वज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि वह पाक जगह से ख़ारिज हुई है। (कश्फुल–असरार स0 18, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी ने नाक सिन्की (साफ़ की) और उसमें से जमे हुए ख़ून की फुटकियां निकलीं तो वुज़ू नहीं गया। वुज़ू जब टूटता है कि पतला ख़ून निकले और बह पड़े।

मस्अला : किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली फिर जब उसको निकाला तो उंगली में ख़ून का धब्बा मालूम हुआ लेकिन वह ख़ून बस इतना ही था कि उंगली में तो ज़रा सा लग जाता है लेकिन बहता नहीं है तो इससे वुज़ू नहीं टूटता। (बहिश्ती ज़ेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 17, जिल्द अव्वल व शरह तनवीर स0 250, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 129, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ज़ुकाम में बल्ग़म में या फ़ुज़्लए नाक में बस्ता (जमे हुए) ख़ून का रेशा आ जाता है, यह बस्ता ख़ून नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, यानी इससे वुज़ू नहीं टूटता। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 150, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 127, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नाक में अगर महज़ रेज़िश मुन्जमिद हो गई, तो वह नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, अगर पीप है तो वह नाक़िज़े वज़ू है।
(फ़तावा महमूदिया स0 39, जिल्द 9)।

मस्अला : जो पानी आंख, नाक, कान वग़ैरह से दर्द के

साथ निकले वह सब नाक़िज़े वुज़ू है। (कश्फुल–असरार स0 94, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नज़्ला और ज़ुकाम की वजह से जो पानी नाक से बहता है वह नजिस और नापाक नहीं है, क्योंकि यह किसी ज़ख़्म से ख़ारिज नहीं होता, न किसी ज़ख़्म पर से गुज़र कर आता है। यही वजह है कि इससे वुज़ू नहीं टूटता। (आपके मसाइल स0 85, जिल्द 3)।

मस्अला : माए रमद (आँख का साफ़ पानी) और ज़ुकाम का पानी नाक़िज़े वुज़ू नहीं है, इसलिए कि मुंह की तरह नाक और आंख असली रुतूबत का महल है, मुंह में ज़ख़्म होने की सूरत में जब तक पीप का यक़ीन या ख़ून नज़र न आए उस वक़्त तक लुआब नाक़िज़ नहीं है अगरचे किसी आरज़ा की वजह से लुआब कसरत से बहे, यही हुक्म नाक, कान और आंख का होना चाहिए। (और) माहिरीने फ़न डॉक्टरों से तहक़ीक़ करने पर मालूम हुआ कि ज़ुकाम और रमद के पानी का ज़ख़्म के साथ कोई तअल्लुक़ नहीं है। (असहनुल–फ़तावा स0 21, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 223, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नक्सीर फूटने से वुज़ू टूट जाता है। (आपके मसाइल स0 37, जिल्द 2)।

वुज़ू में क़य से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : मुंह भर कर क़य से वुज़ू टूट जाता है। और मुंह भर क़य की तारीफ़ यह है कि जिसके रोकने पर आदमी क़ादिर न हो, और अगर थोड़ी–थोड़ी क़य कई दफ़ा हो तो उसके मज्मूआ का एतेबार किया जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार स0 5, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर थोड़ी–थोड़ी करके केई दफ़ा क़य हुई लेकिन सब मिला कर इतनी है कि अगर एक दफ़ा में गिरती (होती) तो मुंह भर कर हो जाती, तो अगर एक ही मतली बराबर बाक़ी रही और थोड़ी थोड़ी क़य होती रही तो वुज़ू टूट गया, और अगर एक ही मतली बराबर नहीं रही, बल्कि पहली मरताब की मतली जाती रही थी, और जी यानी तबीअत अच्छी हो गई थी फिर दोबारा मतली शुरू हुई और थोड़ी क़य हो गई। फिर जब यह मतली जाती रही तो तीसरी दफ़ा फिर मतली शुरू होकर क़य हुई, तो वुज़ू नहीं टूटा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 17, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी को क़य में ख़ून गिरे तो अगर पतला और बहता हुआ हो तो वुज़ू टूट जाएगा चाहे कम हो या ज़्यादा, और अगर जमा हुआ टुकड़े–टुकड़े गिरे तो मुंह भर कर हो तो वुज़ू टूट जाएगा और अगर कम हो तो वज़ू न टूटेगा। (बहिश्ती जेवर स0 50, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 17, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कोई पाक चीज क़य में निकले जैसे कीड़ा वग़ैरह तब भी वुज़ू न टूटेगा। (जबकि मुँह भर कर न हो)।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 73, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दिमाग़, पेट, मुंह से बहने वाला ख़ून निकले तो वुज़ू टूट जाएगा। ख़्वाह मुंह भर कर हो या कम हो।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस चीज़ के निकलने से वुज़ू टूट जाता है वह चीज़ नजिस (नापाक) होती है और जिस से वुज़ू नहीं टूटता वह

नजिस भी नहीं, तो अगर थोड़ा सा ख़ून निकल कर ज़ख़्म से बहा नहीं, या ज़रा सी कय हुई मुंह भर कर नहीं हुई, और उसमें खाना, या पानी, या पित, या जमा हुआ ख़ून निकला, तो यह थोड़ा सा ख़ून और यह थोड़ी सी कय नजिस नहीं है, अगर कपड़े या बदन में लग जाए तो उसका धोना वाजिब नहीं। और अगर मुंह भर कर कय हुई और ख़ून ज़ख़्म से बह गया तो वह नजिस है, उसका धोना वाजिब है, और अगर इतनी (मुंह भर कर) कये करके किसी बर्तन मसलन कटोरे, गिलास या लोटे को मुंह लगा कर कुल्ली के वास्ते पानी लिया तो वह बर्तन नापाक हो जाएगा, इसलिए चुल्लू से यानी हाथ से पानी लेना चाहिए। (बहिश्ती ज़ेवर 53, जिल्द अव्वल, कबीरी 49, शामी 145, जिल्द अव्वल)।

(बर्तन वग़ैरह को बाद में पाक करके इस्तेमाल करें।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : अगर छोटा बच्चा जो दूध डालता है उसका भी यही हुक्म है कि अगर मुंह भर कर न हो तो वह नजिस नहीं है और जब मुंह भर कर हो तो नजिस है, अगर कपड़े पर गिर जाए और बग़ैर धोए नमाज़ पढ़े तो नमाज़ न होगी। (हवालए बाला)

मस्अला : कय जो मुंह भर कर हो वह नजासते ग़लीज़ा है, बक़द्रे दिरहम (कपड़ों पर लग जाए तो) मआफ़ है, दिरहम से ज़्यादा हो तो नमाज़ न होगी। जिस्म दार नजासत में वज़न का एतेबार है और पतली हो तो मसाहत (फैलाव) का एतेबार होगा यानी बक़द्रे हथेली मआफ है, इससे ज़्यादा मआफ़ नहीं है। (फ़तावा रहीमिया स0 266, जिल्द 4, बहवाला मराक़ियुल--फ़लाह स0 89)।

वुज़ू न होने पर मुतअल्लिक़ा मसाइल

वुज़ू टूटने से जो शरई हालत इंसान के जिस्म में पैदा होती है वह हदसे अस्ग़र है।

मस्अला : हदसे अस्ग़र की हालत में नमाज़ पढ़ना हराम है ख़्वाह नफ़्ल हो या फ़र्ज़, पंजवक़्ती हों या ईदैन की हो या जनाज़ा की।

मस्अला : वुज़ू न होने की सूरत में सज्दा करना हराम है ख़्वाह तिलावत का हो, या शुक्राने का, या वैसे ही कोई शख़्स सज्दा करे।

मस्अला : कुरआन मजीद और ऐसी चीज़ का छूना जो कुरआन मजीद के साथ चस्पाँ हो जैसे उस कपड़े को जो जिल्द पर चढ़ा कर सी दिया जाता है (यानी चोली या जिल्द वग़ैरह के) मक्रूहे तहरीमी है, ख़्वाह उन आज़ा से छूए जो वुज़ू में धोए जाते हैं मसलन हाथ या मुंह के, या उन आज़ा से जो वुज़ू में नहीं धोए जाते जैसे बाज़ू व सीना वग़ैरह, या ऐसे कपड़े से छूए जो उसके जिस्म पर हो, जैसे आस्तीन, दामन, अमामा, रूमाल, चादर वग़ैरह।

मस्अला : अगर काग़ज़ या किसी और चीज़ पर जैसे कपड़ा झिल्ली वग़ैरह पर कुरआन मजीद की आयत भी लिखी हो तो उस पूरे काग़ज़ का छूना मक्रूहे तहरीमी है, ख़्वाह उस मक़ाम को छूए जिसमें वह आयत लिखी हुई है, या उस मक़ाम को जो सादा बग़ैर लिखा हुआ है।

मस्अला : काग़ज़ वग़ैरह के सिवा किसी और चीज़ पर कुरआन मजीद या उसकी कोई आयत लिखी हुई हो तो उसके

सिर्फ उसी मक़ाम को छूना मकरूह है जिस में लिखा हुआ है सारे मकाम का छूना मकरूह नहीं है, जैसे किसी पत्थर या दीवार या रुपया पर कोई आयत कुरआन शरीफ़ की लिखी हुई हो तो उसके सिर्फ उसी मक़ाम को छूना मकरूह है जहां लिखा है।

मस्अला : कुरआन शरीफ़ के अलावा और आसमानी किताबों में मसलन तौरेत, इंजील, ज़बूर वग़ैरह के सिर्फ उस मक़ाम को छूना मकरूह है जहां लिखा हो, सारे मक़ाम को छूना मकरूह नहीं है।

मस्अला : कुरआन शरीफ़ अगर जुज़दान में हो या ऐसे कपड़े में लिपटा हुआ हो, जो उसके साथ चस्पाँ न हो तो उसका छूना मकरूह नहीं है।

मस्अला : अगर किसी ऐसे कपड़े से कुरआन शरीफ छूए जो जिस्म पर न हो, या कपड़े के सिवा किसी और चीज़ से मसलन लकड़ी वग़ैरह से छूए तो मकरूह नहीं है।

मस्अला : हदसे अस्ग़र (वुज़ू टूटने) की हालत में कुरआन मजीद का किसी काग़ज़ पर लिखना मकरूह नहीं है, बशर्तेकि उस काग़ज़ को न छूए, न लिखे हुए को, न सादे को, इसलिए की काग़ज़ वग़ैरह पर एक आयत भी लिखी हो तो उस पूरे काग़ज़ को छूना मकरूह है।

मस्अला : काग़ज़ वग़ैरह के अलावा किसी और चीज़ पर मसलन पत्थर वग़ैरह पर कुरआन मजीद का लिखना मकरूह नहीं, बशर्तेकि लिखे हुए को न छूए ख़्वाह सादे मक़ाम को छूए।

मस्अला : एक आयत से कम का लिखना मकरूह नहीं है ख़्वाह किसी चीज़ पर लिखे।

मस्अला : हदसे अस्ग़र (वुज़ू न होने) की हालत में कुरआन

मजीद का पढ़ना, पढ़ाना ख़्वाह देख कर पढ़े पढ़ाए या ज़बानी, तो दुरुस्त है। (जबकि कुरआने करीम को हाथ न लगे)।

मस्अला : नाबालिग़ बच्चों को वुज़ू न होने की हालत में भी कुरआन मजीद का देना और छूना मकरूह नहीं है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 80, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कुरआने करीम का तरजमा किसी और ज़बान में हो तो सहीह यह है कि उसका भी वही हुक्म है जो कुरआने करीम का है। (बहरुर्राइक, दुर्रे मुख़्तार)।

मस्अला : कुरआन मजीद की जो आयतें मन्सूखुत्तिलावत हैं उनका हुक्म वह है जो कुरआन करीम के सिवा दूसरी आसमानी किताबों का है वह अगर किसी चीज़ पर लिखी हों तो उसके सिर्फ़ उसी मुकाम का छूना मकरूह है जहाँ लिखा हो, सारे मकाम का छूना मकरूह नहीं है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 81, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बेग़ैर वुज़ू के नमाज़, सज्दा–ए–तिलावत, नमाज़े जनाज़ा, खान–ए–कअ़बा का तवाफ़ और करआन करीम को हाथ लगाना जाइज़ नहीं है।

मस्अला : हैज़ व निफ़ास वाली औरत और जुनुबी (नापाक) और बेवुज़ू शख़्स के लिए कुरआन करीम की तरह तौरात और तमाम कुतुबे आसमानी को हाथ लगाना भी मकरूह है। (शामी स0 160, जिल्द 1, कबीरी स0 60)

मस्अला : अगर ख़ान–ए–कअ़बा का तवाफ़ किसी ने बेग़ैर वुज़ू के कर लिया तो वह तवाफ़ सहीह होगा लेकिन यह फ़ेअ़ल यानी बेग़ैर/वुज़ू के तवाफ़ करना हराम है क्योंकि तवाफ़ के लिए हदस से पाक होना वाजिब है। (किताबुल–फ़िक्ह स0 75, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के मुतफ़र्रिक मसाइल

मस्अला : अगर ला इल्मी (मस्अला न मालूम होने) की बिना पर हैज़ की हालत में तवाफ़े ज़्यारत करेगी तो हज अदा हो जाएगा लेकिन तौबा व इस्तिगफ़ार लाज़िम होगा और ऊंट या गाय ज़िब्ह करनी पड़ेगी। (यानी दम लाज़िम आएगी)।

(फ़तावा रहीमिया स0 52, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर वुज़ू के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह कहना भूल गया तो दरमियान में कहने से सुन्नत अदा न होगी, क्योंकि वुज़ू अमले वाहिद है। बरख़िलाफ़ खाना खाने के, उसका हर लुक़्मा और हर घूँट अलग–अलग अमल है। इसलिए दरमियान में भी कहने से सुन्नत अदा हो जाएगी। (नमाज़ मस्नून स0 75, कबीरी स0 22, इम्दादुल–फ़तावा स0 41, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ज़बान से वुज़ू की नीयत करना मुस्तहब है। (अहसनुल–फ़तावा स0 9, जिल्द 2)।

मस्अला : बाज़ हज़रात वुज़ू से पहले अऊज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, इसका हुक्म नहीं है, यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। (नमाज़े मस्नून स0 75)।

मस्अला : सिर्फ़ एक हाथ से बिला उज़्र वुज़ू करने की कराहत की न कोई रिवायत नज़र से गुज़री न दिरायत उसकी मूजिब मालूम होती है बल्कि बाज़े आज़ा तो दोनों हाथों से धुल नहीं सकते जैसे कुहनियों तक दोनों हाथ और बाज़ आज़ा में तो (दो हाथ से धोने में दुश्वारी होती है, जबकि एक हाथ में लोटा (वुज़ू का बर्तन हो) दुश्वारी होती है जैसे पैर। (इम्दादुल–फ़तावा स0 33, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बग़ैर किसी उज़्र के किसी दूसरे से वुज़ू करने में मदद न लेना चाहिए। (शरह नक़ाया स0 9, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 31)।

मस्अला : बीवी का बोसा लेने से वुज़ू नहीं टूटता जबकि मज़ी न निकलने। (आपके मसाइल स0 39, जिल्द 2)।

मस्अला : जूतों के अन्दर नजासत नहीं होती, इसलिए वुज़ू के बाद जूते पहनने से दोबारा वुज़ू लाज़िम नहीं होता।

(आपके मसाइल स0 41, जिल्द 2)।

मस्अला : आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता (आपके मसाइल स0 41, जिल्द 2)।

मस्अला : ऊँट का गोश्त या कोई पकी हुई चीज़ खाने से भी वुज़ू नहीं टूटता। (इल्मुल–फ़िकह स0 73, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गुनाहों के कामों से वुज़ू नहीं टूटता लेकिन मक्रूह ज़रूर हो जाता है इसलिए दोबारा वुज़ू कर लेना मुस्तहब है। (आपके मसाइल स0 41, जिल्द 2)।

मस्अला : वुज़ू के दौरान सलाम व जवाब में कोई हरज नहीं है। खाना खाने के दौरान सलाम नहीं करना चाहिए और खाना खाने वाले के ज़िम्मा सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है।

(आपके मसाइल स0 44, जिल्द 2)।

मस्अला : वुज़ू करने वाले को सलाम करना दुरुस्त है, जबकि वह दुआ न पढ़ रहा हो, वरना मक्रूह है। (फ़तावा महमूदिया स0 230, जिल्द 5)।

मस्अला : वुज़ू करने की हालत में अज़ान का जवाब भी देता रहे और वुज़ू भी करता रहे। (फ़तावा महमूदिया स0 64 जिल्द 2, बहवाला शामी स0 267, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : औरत के पिस्तान से दूध निकलने से वुज़ू नहीं जाता, ख़्वाह वह दूध ख़ुद टपके या निचोड़ा जाए, या

बच्चा चूसे। (फ़तावा दारुल–उलूम स० 140, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : औरत के दूध पिलाने से वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन अगर नमाज़ की हालत में बच्चा दूध पी ले और दूध निकल भी आए तो नमाज़ जाती रहेगी और अगर दूध न निकले तो नमाज़ हो जाएगी। (इम्दादुल–फ़तावा स० 41, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स० 136, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दूध पीने वाले बच्चा का पेशाब नापाक है, बेग़ैर पाक किए हुए नमाज़ उस कपड़े में दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा महमूदिया स० 31, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर बालों में तेल लगा हो और पानी ढलक जाए तो कोई हरज नहीं है। (इम्दादुल–मसाइल स० 43)।

मस्अला : अगर किसी के हाथ पाँव फट गए हों और उसमें मोम या रौग़न वग़ैरह और कोई दवा भर ली और उसके निकालने में तक्लीफ़ होगी तो बेग़ैर उसके निकाले ऊपर ही ऊपर पानी बहा दिया तो वुज़ू दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर स० 48, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स० 141, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स० 95, जिल्द अव्वल)।

बेग़ैर वुज़ू कुरआने करीम को हाथ लगाना ?

मस्अला : पूरे कुरआन शरीफ़ या उसके किसी हिस्से को बिला उज़्र हाथ लगाना या उसका लिखना चन्द शर्तों के साथ जाइज़ है।

पहली शर्त नागुज़ीर सूरते हाल है, मसलन कुरआन शरीफ़ के पानी में डूब जाने या आग में जल जाने का अन्देशा है तो उसको उससे बचाने के लिए (बेवुज़ू ही) उठा लेना जाइज़ है।

दूसरी शर्त यह है कि कुरआन करीम ऐसे ग़िलाफ़ में हो जो उससे जुड़ा हुआ न हो, मसलन वह किसी थैली (कपड़े वग़ैरह की) में हो, या चमड़े में, या कागज़ में, या रूमाल में लिपटा हो वग़ैरह इन हालात में उसको हाथ लगाना और उठाना जाइज़ है, लेकिन उसकी बंधी हुई जिल्द और हर चीज़ जो फ़रोख़्त की सूरत में बग़ैर वज़ाहत के उसके साथ शामिल मुतसव्वर होती है उसको हाथ लगाना जाइज नहीं है। अगरचे वह चीज कुरआन मजीद से जुदा हो, इसी क़ौल पर फ़त्वा है।

तीसरी शर्त यह है कि हाथ लगाने वाला नाबालिग़ हो, और पढ़ने की ग़रज़ से हाथ लगाए। यह हुक्म ज़हमत और दुश्वारी से बचने की ग़रज़ से है। बालिग़ और हाइज़ा औरत को ख़्वाह मुअल्लिमा हो या मुतअल्लिमा हाथ लगाना जाइज़ नहीं है।

चौथी शर्त हाथ लगाने वाला मुसलमान हो।

अगर शराइते मज़्कूरा न पाई जाएं तो नापाक, बेवुज़ू शख़्स के लिए कुरआन शरीफ़ को हाथ लगाना, यानी जिस्म के किसी हिस्सा से छूना हलाल नहीं है।

किताबुल्लाह को हाथ लगाए बग़ैर कुरआन शरीफ़ की तिलावत बग़ैर वुज़ू के (हिफ़्ज़ या कोई औराक़ खोलता रहे तो) जाइज़ है।

मस्अला : जिस शख़्स को ग़ुस्ल की हाजत (नापाक) हो या हाइज़ा औरत के लिए हराम है तिलावत भी।

मस्अला : बग़ैर वुज़ू के तफ़सीर को हाथ लगाना मकरूह है। इसके अलावा फ़िक़्ह और हदीस वग़ैरह की किताबों को बेवुज़ू हाथ लगाना जाइज़ है। यह ऐसे उमूर हैं जिनकी इजाज़त दे दी गई है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 78 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बग़ैर वुज़ू के कैसिट में आवाज़ भरना और उसका हाथ में लेना सब जाइज़ है। क्योंकि कैसिट में सिर्फ़ हवा महबूस होती है, कलिमात जैसी कोई चीज़ महबूस होकर मुकैयद नहीं होती, बख़िलाफ़ किताबत के उसमें कलिमात जैसी चीज़ महबूस हो कर मुकैयद होती है इसलिए किताबत बेवुज़ू करना और उसको बेवुज़ू छूना कुछ भी जाइज़ नहीं होगा। (निज़ामुल–फ़तावा स0 25, जिल्द अव्वल बहवाला फ़तावा आलमगीरी स0 20, जिल्द अव्वल किताबुत्तहारत)।

मस्अला : कुरआने करीम के टेप या प्लेट या लम्पेट (कैसिट वग़ैरह) को बेवुज़ू हाथ लगाना जाइज़ है।

(अहसनुल–फ़तावा स0 19, जिल्द 2, इम्दादुल–फ़तावा स0 144, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बिला वुज़ू कुरआन करीम के उस सफ़्हा को हाथ लगाना जहाँ कुरआने करीम की आयत न लिखी हो जैसा कि कुरआन करीम में ऊपर के सफ़्हा पर आयते कुरआनी के हुरूफ़ नहीं होते, उसको भी बेवुज़ू छूना जाइज़ नहीं, बल्कि जिल्द पर भी हाथ लगाना मना है। (अहसनुल–फ़तावा स0 19, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुहतार स0 160, जिल्द अव्वल)।

(क्योंकि वह जिल्दें सब एक के ही हुक्म में हैं।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

मस्अला : अख़्बार वग़ैरह में लिखी हुई आयाते कुरआन को जहाँ आयते कुरआन लिखी हो सिर्फ़ उस जगह बेवुज़ू हाथ लगाना मना है, दूसरे मवाज़ेअ को हाथ लगाना जाइज़ है, अल्बत्ता छोटी सी छोटी आयत यानी छः हुरूफ़ से भी कम हो, तो एक क़ौल के

मुताबिक़ उस पर भी हाथ लगाने की गुंजाइश है। (अहसनुल–फ़तावा स0 19, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 160, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तफ़्सीर में ग़ैर कुरआन ज़्यादा हो तो उसको बिला वुज़ू हाथ लगाना जाइज़ है, मगर जहाँ कुरआन लिखा हो वहाँ पर हाथ न लगाए। हदीस की किताबों को बिला वुज़ू छूना जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 27, जिल्द 2 व इम्दादुल–फ़तावा स0 145, जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया स0 26, जिल्द 12)।

ताजिरे कुतुब के लिए बिला वुज़ू कुरआन मजीद छूना

मसला : ताजिराने कुतुब के लिए बग़ैर वुज़ू के कुरआन करीम का बिला वास्ता छूना किसी तरह जाइज़ नहीं है, रूमाल से छूए और चाकू या क़लम से औराक़ खोल कर दिखाए, हाथ न लगाए। और जिन किताबों में एक दो आयते कुरआनी लिखी हुई हो उसको बिला वुज़ू पढ़ना जाइज़ है, मगर मौज़ए आयत को हाथ से छूना जाइज़ नहीं है। (इम्दादुल–अहकाम स0 241, जिल्द अव्वल)।

दस्ताने पहने कर बिला वुज़ू कुरआन पाक छूना

सवाल : कुरआन शरीफ़ हिफ़्ज़ करने की ग़रज़ से कुरआन करीम को बार–बार छूना पड़ता है, तो दस्ताने पहन कर जो ख़ास कुरआने करीम छूने के लिए मख़्सूस हों बिला वुज़ू हाथ लगा सकता है या नहीं?

जवाब : चूंकि दस्ताना भी मल्बूस (पहने हुए) है इसलिए उससे कुरआन शरीफ़ छूना जाइज़ नहीं है, बल्कि रूमाल वग़ैरह से छूना जाइज़ है, जो बदन से अलग हो (मुंफ़सिल हो) (इम्दादुल–अहकाम व0 250, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बग़ैर वुज़ू हिफ्ज़, बग़ैर कुरआन शरीफ़ को हाथ लगाए हुए मुर्दों को ईसाले सवाब करना जाइज़ है जबकि जनाबत न हो, यानी ग़ुस्ल की हाजत न हो। (इम्दादुल—अहकाम स0 317, जिल्द 1)।

मस्अला : कुरआन व हदीस और इस्मे इलाही अगर दूसरी ज़बानों में तहरीर हों तो वह भी वाजिबुत—ताज़ीम हैं।

(इम्दादुल—अहकाम स0 243, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो बालिग़ हों उनको कुरआन शरीफ हाथ में लेकर बावुज़ू पढ़ना चाहिए और जो नाबालिग़ हों उनको बिला वुज़ू भी हाथ में लेकर पढ़ना दुरुस्त है, बालिगों को अगर पानी का इंतिज़ाम दुश्वार हो तो बिला वुज़ू कुरआन शरीफ़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए बल्कि कपड़े या कलम वग़ैरह से वर्क़ उलटना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया स0 247, जिल्द 6, स0 24, जिल्द1)।

मस्अला : नाबालिग़ बच्चा का कुरआने पाक छूना या उस तख़्ती वग़ैरह को छूना जिस पर कुरआन करीम लिखा हुआ है, मकरूह नहीं है और इसमें भी कोई हरज नहीं है कि बावुज़ू कोई बालिग़ आदमी कुरआन पाक को उठा कर बेवुज़ू नाबालिग़ बच्चे को दे, या बेवुज़ू लड़के से बावुज़ू बालिग़ आदमी कुरआन पाक तलब करे। इसी तरह कुरआन पाक का ज़रूरत के वक़्त लेना देना जाइज़ है और वह ज़रूरत बच्चों का कुरआन पाक अज़बर याद कराना है, क्योंकि बचपन में रट लेना ऐसा है जैसे पत्थर पर नक़्श करना। (और नाबालिगों से हर वक़्त वुज़ू कराना मशक़्क़त में डालना है और बुलूग़त के इंतिज़ार में याद न कराना हिफ़्ज़े कुरआन के मस्अला को नुक़सान पहुँचाना है।) इसलिए बच्चों के

लिए कुरआन पाक छूने में वुज़ू शर्त नहीं है, वह बिला वुज़ू भी छू सकते हैं। (कश्फुल–असरार स0 50, जिल्द1)।

मस्अला : बग़ैर वुज़ू के कुरआन करीम को छूना दुरुस्त नहीं है, हां अगर ऐसे कपड़े से छूए जो कपड़ा बदन से अलग हो तो दुरुस्त है, मसलन दोपट्टा वग़ैरह। नीज़ कुरआन करीम का हिफ़्ज़ पढ़ना बग़ैर वुज़ू के दुरुस्त है। और अगर कुरआन शरीफ़ खुला हुआ रखा हो और उसको बग़ैर हाथ लगाए सिर्फ़ देख कर पढ़ा तो दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 13, जिल्द 1, बहवाला शामी स0 155, जिल्द अव्वल)।

माज़ूर की तारीफ़ और हुक्म

यह तो मालूम है कि शरीअते इस्लामिया में निहायत वाज़ेह तौर पर ब तसरीह मौजूद है कि उसके हुक्म में कोई दुश्वारी या तंगी नहीं है। अल्लाह तआला का फ़रमान "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" यानी दीनी अहकाम की बजा आवरी में तुम पर कोई तंगी नहीं है।

चुनांचे हर वह चीज़ जिस में हरज या दुश्वारी हो मुकल्लफ़ इंसान पर वाजिब नहीं है। उनमें ऐसे अमराज़ के मरीज़ दाख़िल हैं जो मरज़ के हाथों मज्बूर हो जाते हैं, मसलन जुअफ़े मसाना का मरज़ जिसमें मुसलसल, हमा वक़्त, या बेशतर औक़ात में बराबर पेशाब के क़तरे आते रहते हैं।

इसी तरह मज़ी वग़ैरह का मुसलसल ख़ारिज होते रहना। ऐसे अमराज़ को "सल्स" कहा जाता है, इसमें वह मरज़ भी दाख़िल है जिसमें बराबर दस्त चले आते रहते हैं, या मेअदा का मरज़ जिसको पेचिश (**Dysentery**) कहते हैं, उसमें पाख़ाना के साथ ख़ून और पीप बराबर आती रहती है।

इसमें और ऐसे ही दूसरे अमराज़ में मुख़्तलिफ़ अक़्साम की तहारत (पाकी) वग़ैरह का ख़ास शरई तरीक़ा है जो उन अमराज़ के मुनासिबे हाल है।

हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक इसके मुतअल्लिक़ चन्द उमूर हैं :

अव्वल : सल्स (हदसे दाइमी) की तारीफ़।

दोम : उसका शरई हुक्म।

सोम : वह उमूर जिनकी बजा आवरी माज़ूर इंसान पर वाजिब है।

तारीफ़ : सल्सुल–बौल मरज़ की एक ख़ास कैफ़ियत है जिसमें मुसलसल पेशाब चला आता है, यानी निकलता रहता है, या बार–बार रियाह ख़ारिज होती रहती है, या इस्तिहाज़ा (औरतों की बीमारी का ख़ून) या दाइमी पेचिश और इसी तरह के और मश्हूर अमराज़।

पस जो शख़्स इन अमराज़ में से किसी का मरीज़ हो, उसको माज़ूर कहा जाता है। लेकिन माज़ूर जब मुतसव्वर होगा कि नमाज़े मफ़रूज़ा का पूरा वक़्त उसी वुज़ू टूटने वाली कैफ़ियत में गुज़र जाए। अगर हदस की यह कैफ़ियत इतने अरसा जारी न रहे तो मरीज़ माज़ूर मुतसव्वर न होगा। इसी तरह जब तक एक नमाज़े मफ़रूज़ा का पूरा वक़्त बग़ैर हालते हदस के न गुज़र जाए उसको उज़्र से खाली नहीं तसव्वुर किया जाएगा। अल्बत्ता उज़्र की कैफ़ियत लाहिक़ हो, ख़्वाह नमाज़ के वक़्त के किसी हिस्सा में भी हो, तो उज़्र माना जाएगा, चुनांचे अगर ज़ुहर का वक़्त शुरू होते ही उसे पेशाब का मरज़ आ गया तो ज़ुहर के ख़त्म होने तक उसे माज़ूर तसव्वुर किया जाएगा, और यह

माज़ूरी जारी रहेगी जब तक कि नमाज़ का पूरा वक़्त न गुज़र जाए, यानी ज़ुहर का वक़्त गुज़रने के बाद अस्र का वक़्त आ गया और वह पूरा गुज़र जाए और पेशाब का क़तरा न आए।

अगर इब्तिदाए वक़्ते ज़ुहर से उसका वक़्त ख़त्म होने तक किसी का उज़्र जारी रहा और वह माज़ूर रहा, फिर वक़्ते अस्र के दौरान किसी हिस्सा में क़तरा आया और फिर बन्द हो गया, ख़्वाह एक ही बार आया तो वह (हमा वक़्त) माज़ूर ही मुतसव्वर होगा।

हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक माज़ूर की यही तारीफ़ है। इस सूरत में हुक्म यह है कि हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करना चाहिए और इस वुज़ू से फ़राइज़ और नवाफ़िल नमाज़ें जो भी हों पढ़ी जा सकती हैं। (यानी एक वुज़ू से एक ही वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ और नवाफ़िल वग़ैरह) नमाज़े मफ़रूज़ा का वक़्त ख़त्म हो जाए तो वक़्त ख़त्म होते ही वह वुज़ू जो उज़्र के बाइस हदस लाहिक़ होने पर किया गया था, टूट जाएगा, यानी अगर उज़्र की हालत लाहिक़ होने से पहले वह बावुज़ू था तो वक़्त ख़त्म होने पर वह वुज़ू न जाएगा, बल्कि उस वक़्त जाएगा जब उज़्र के हदस के अलावा कोई और हदस लाहिक़ हो, मसलन रीह का ख़ारिज होना या किसी और जगह से ख़ून का निकलना वग़ैरह।

इस तफ़्सील से वाज़ेह है कि माज़ूर शख़्स का वुज़ू टूटने के लिए यह क़ैद है कि नमाज़े मफ़रूज़ा का वक़्त ख़त्म हो जाए। पस अगर सूरज तुलू होने के बाद ईद की नमाज़ के लिए वुज़ू किया और ज़ुहर का वक़्त आ गया तो वुज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त आ जाने और ईद का वक़्त निकल जाने से वुज़ू नहीं टूटता। यह वुज़ू (ईद की नमाज़ का)

जिस वक़्त किया गया वह फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं था, बल्कि ऐसा वक़्त था जिसमें कोई नमाज़ फ़र्ज़ न थी। लिहाज़ा उस ईद के वुज़ू से जो नमाज़ जी चाहे पढ़ी जा सकती है, यहाँ तक कि ज़ुहर का वक़्त ख़त्म हो जाए। ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होते ही वुज़ू टूट जाएगा, क्योंकि वह नमाज़े मफ़रूज़ा का वक़्त है। लेकिन अगर सूरज निकलने से पहले वुज़ू किया तो सूरज निकलते ही वुज़ू टूट जाएगा क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र) का वक़्त (सूरज निकलने पर) ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वुज़ू किया, फिर अस्र का वक़्त आ गया तो वुज़ू जाता रहा, क्योंकि ज़ुहर का वक़्त ख़त्म हो गया था। (किताबुल–फ़िक्ह स0 165, जिल्द अव्वल तफ़सील अहसनुल–फ़तावा स0 77, जिल्द 2 व फ़तावा दारुल–उलूम स0 298, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 280, जिल्द अव्वल)।

क़ाबिले ग़ौर बात : अब वह बात ब्यान की जाती है जो माज़ूर इंसान को करना चाहिए। वह यह है कि माज़ूर शख़्स को चाहिए कि अपनी माज़ूरी की हालत को दूर करने या उसको हत्तल–मक़्दूर कम करने की कोशिश करे, इस तरह कि ज़रर न हो, यानी लाज़िम है कि जहाँ तक मुम्किन हो इलाज कराए, क्योंकि अगर यह मुम्किन था कि मरज़ से नजात पाने के लिए अतिब्बा (डॉक्टर वग़ैरह) की तज्वीज़ के मुताबिक़ अपना इलाज करा सके और ऐसा न किया (यानी गुंजाइश होने पर इलाज न किया) तो गुनहगार होगा।

फ़ुक़हा ने यह तस्रीह कर दी है कि ऐसे मरीज़ों को अपना इलाज कराना वाजिब है और ता ब मक़्दूर (जहाँ तक मुम्किन हो

सके) उस मरज़ को दूर करने की कोशिश की जाए।

यहाँ से यह मस्अला निकला कि ऐसे मरीज़ जो इलाज नहीं करते और मरज़ बढ़ जाता है, हालांकि उसका इलाज करने के काबिल हैं, तो गुनहगार हैं। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 166, जिल्द 1)।

माज़ूर कैसे वुज़ू करे?

वाज़ेह हो कि गद्दी वग़ैरह बतौर इलाज ऐसे मरीज़ों पर वाजिब है जैसे इस्तिहाज़ा की हालत में औरतें हिफ़ाज़त के पेशे नज़र रखती हैं (यानी औरतों को माहवारी के ख़ून के अलावा रग फटने से मुसलसल ख़ून आता रहता है) जिसके बाइस बहाव बन्द हो जाता है, या कम हो जाता है। इसी तरह नमाज़ में खड़े होने से पेशाब आ जाता हो, या ख़ून बहने लगता हो, या ऐसी ही कोई बात हो, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। और अगर रूकूअ या सज्दे में ऐसी कैफ़ियत होती हो तो रूकूअ और सज्दा न किया जाए, बल्कि इशारे से (नमाज़) पढ़ी जाए।

मस्अला : अगर (मरज़) उज़्र लाहिक़ होने के बाइस कपड़ों पर नजासत लग जाए और ख़्याल यह हो कि उसे धो भी लिया जाए तो नमाज़ से पहले वह फिर नजिस हो जाएगा, तो उसका धोना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर यह ख़्याल हो कि नमाज़ अदा करने से पहले नजिस न होगा तो धो लेना वाजिब है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 167, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 296, जिल्द 1, बहवाला रद्दुल–मह्तार स0 381, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : माज़ूर को चाहिए कि इस तरीक़े से जैसा कि ऊपर ब्यान हुआ, वुज़ू करने के बाद सिवाए एक फ़र्ज़ नमाज़ के दूसरी नमाज़ न पढ़ी जाए, बल्कि लाज़िम है कि हर फ़र्ज़ के

लिए वुज़ू के मुतअल्लिक इन तमाम पेश बन्दियों पर अमल किया जाए। फिर उसी वुज़ू से नमाज़े फ़र्ज़ के साथ नवाफ़िल भी जो जी चाहे पढ़ी जा सकती हैं। ख़्वाह नफ़्ल नमाज़ फ़र्ज़ से पहले या बाद में पढ़ी जाए। यह बात नीयत के ब्यान में बताई जा चुकी है कि माज़ूर अश्ख़ास के लिए वाजिब है कि वुज़ू के वक़्त इबाहते सलात की नीयत की जाए। बईं तौर कि अपने दिल में यह कहे (इरादा कर ले) कि इस वुज़ू से मेरी नीयत यह है कि शारेह अलैहिस्सलाम की तरफ़ से मेरे लिए नमाज़ अदा करना मुबाह हो।

इस तरह से नीयत करने का हुक्म इसलिए है कि यह वुज़ू हक़ीक़ी मानों में वुज़ू नहीं है, क्योंकि वह वुज़ू पेशाब वग़ैरह मुसलसल आने के बाइस बातिल हो जाता है।

यह तो दीने इस्लाम में सहूलत रखी गई है कि इस वुज़ू से नमाज़ पढ़ी जाए तो सवाब से महरूम न होगी, क्योंकि शरीअत के तमाम अहकाम में लोगों की बेहतरी और दुनिया व आख़िरत दोनों जहान की भलाई मद्दे नज़र है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 170, जिल्द 1, व आपके मसाइल स0 332 जिल्द 2, व स0 329, जिल्द 2)।

मस्अला : ज़ख़्म से मवाद रिस्ता रहता है तो वह शख़्स माज़ूर है, उसको एक वुज़ू से दूसरे वक़्त की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। वक़्त के निकलने से उसका वुज़ू टूट जाता है। दूसरे वक़्त के लिए फिर ताज़ा वुज़ू करना चाहिए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 295, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार अहकामुल–माज़ूर स0 281, जिल्द अव्वल)।

मज़ी के मरीज़ के लिए वुज़ू का हुक्म

मस्अला : मुसलसल मज़ी के मरज़ की सूरत में किसी को

माज़ूर तसव्वुर नहीं किया जाएगा, सिवा इसके जबकि पैहम मज़ी का इख़राज किसी मरज़ के बाइस न हो और मज़ी के निकलने में हस्बे मामूल लज़्ज़त महसूस न होती हो। अगर मरज़ के बाइस तो ऐसा नहीं है लेकिन शादी शुदा न होने के बाइस मज़ी के इख़राज (निकलने) में लज़्ज़त महसूस होती है, बईं तौर कि महज़ देखने या ख़्याल करने से हमेशा मज़ी आ जाती हो तो बहरहाल इससे वुज़ू टूट जाएगा, ख़्वाह यह कैफ़ियत हमा वक़्त हो। (यानी सिर्फ़ मरज़ की वजह से मुसलसल निकलती है। जैसा कि पेशाब के मासाइल में गुज़र चुका है तो माज़ूर है। अगर मज़ी ख़ारिज होने में लज़्ज़त मालूम होती हो चाहे हमेशा निकलने में यही हो, तो माज़ूर नहीं समझा जाएगा)। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 168, जिल्द 1, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 289 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 280, जिल्द अव्वल, अहकामुल–माज़ूर)।

मस्अला : मज़ी और वदी के निकलने से वुज़ू टूट जाता है। (हिदाया स0 12, जिल्द 1)

मस्अला : मर्द के औरत को हाथ लगाने से या यूं ही ख़्याल करने से अगर आगे की राह से औरत या मर्द के पानी (मज़ी) आ जाए तो वुज़ू टूट जाता है और उस पानी को जो जोश के वक़्त निकलता है मज़ी कहते हैं।

मस्अला : बीमारी की वजह से रेंट की तरह लेसदार पानी आगे की तरफ़ से औरतों को आता है। वह पानी नजिस है और उसके निकलने से वुज़ू टूट जाता है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 74, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया स0 39, जिल्द अव्वल व शरहुत्तनवीर स0 139)।

मस्अला : अगर क़तरा पेशाब वग़ैरह का आना हद्दे उज़्रे शरई को नहीं पहुँचा तो जबकि क़तरा का बाहर आना यक़ीनी हो तो वुज़ू करना ज़रूरी है।

और हद्दे शरई को पहुंच गया है बईं तौर कि तमाम वक़्ते नमाज़ में इतना वक़्त भी उसको नहीं मिला कि वुज़ू पूरा करके नमाज़ पढ़े और क़तरा से महफ़ूज़ रहा हो तो वह शख़्स माज़ूरे शरई हो गया। उसका हुक्म यह है कि तमाम वक़्त में एक बार वुज़ू करके तमाम वक़्त की (यानी उसी एक ही वक़्त की मअ सुनन व नवाफ़िल के) जो नमाज़ चाहे पढ़े, इआद–ए–वुज़ू की ज़रूरत इस वक़्त में नहीं है। जब वक़्त निकल जाएगा वुज़ू टूट जाएगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 285, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 124, जिल्द अव्वल व स0 281, जिल्द अव्वल बाब नवाक़िज़े वुज़ू व इम्दादुल–फ़तावा स0 34, जिल्द अव्वल)।

जिसके हाथ पाँव कटे हुए या मस्नूई हों वह वुज़ू कैसे करे?

मस्अला : अगर किसी शख़्स के हाथ पाँव कटे हुए हों तो वह आज़ाए वुज़ू पर पानी बहा ले। अगर इस पर कुदरत न हो तो तयम्मुम कर ले। और हाथों पर ज़ख़्म हों या बाज़ू पूरे कटे हुए हों और चेहरे पर किसी तरह पानी बहाने की कुदरत भी न हो तो चेहरे को ज़मीन या दीवार वग़ैरह से तयम्मुम की नीयत से मल ले, अगर चेहरे पर ज़ख़्म वग़ैरह की वजह से इस पर भी क़ादिर न हो तो बेग़ैर तहारत के ही नमाज़ पढ़ता रहे। (अहसनुल–फ़तावा स0 17, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 233, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर टख़ने के ऊपर से पाँव कटा हुआ है तो मस्नूई पाँव को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पाँव का धोना साकित हो चुका है। (मस्नूई पाँव वग़ैरह का धोना ज़रूरी नहीं है)। (आपके मसाइल स0 329, जिल्द 3)।

क़अदा और सज्दा से वुज़ू टूट जाता है ?

सवाल : एक शख़्स को बवासीर की शिकायत है, वह जब नमाज़ पढ़ता है तो रुकूअ़ और सज्दा की हालत में, और बैठने की सूरत में भी हमेशा फुज़्ला ख़ारिज होता रहता है, हां जब तक वह खड़ा रहता है उस वक़्त यह सूरत पेश नहीं आती, तो ऐसी हालत में नमाज़ किस तरह अदा करे, सिर्फ़ खड़े–खड़े नमाज़ पढ़ सकता है?

जवाब : अगर बैठने की कोई ऐसी हैअत हो सकती हो कि उसमें फुज़्ला ख़ारिज न हो तो बैठ कर पढ़े और रुकूअ़ व सज्दा इशारे से करे। अगर ऐसा मुम्किन न हो तो हालते क़याम में (खड़े ही खड़े) नमाज़ पढ़े और रुकूअ़ और सज्दा के लिए इशारा करे, अगर पाख़ाना के मक़ाम में कोई कपड़ा वग़ैरह लगाने से फ़ुज़्ला ख़ारिज न हो और कपड़े की बैरूनी जानिब तक नजासत न पहुंचे तो इस तरह नमाज़ अदा करे। (अहसनुल–फ़तावा स0 80 जिल्द 2, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 290, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 283, जिल्द अव्वल फ़स्ल अहकामुल–माज़ूर)।

मस्अला : जिस शख़्स का बैठने और सज्दा करने से वुज़ू टूट जाता हो और रुकूअ़ व सुजूद से भी आजिज़ है तो ऐसा मरीज़ खड़ा होकर इशारा से नमाज़ पढ़े। इस्तिलक़ा जाइज़

नहीं। (ऐसे मरीज़ को चित लेट कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं)।

हालते क़याम में रुकूअ व सुजूद के लिए इशारा सहीह है। (अहसनुल–फ़तावा स0 80, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 709, जिल्द अव्वल व बहवाला बह्र स0 273, जिल्द अव्वल)।

पेशाब के मरीज़ के लिए वुज़ू का हुक्म

मस्अला : पेशाब के सूराख़ में रखी हुई रूई का अन्दरूनी हिस्सा तर हो गया जब तक रूई का ज़ाहिरी हिस्सा तर न होगा वुज़ू नहीं टूटेगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 73, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 138, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 139, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस शख़्स को क़तरा आता है, अगर सूराख़ के अन्दर क़तरा नज़र आता हो तो वुज़ू बाक़ी रहेगा, जब तक बाहर की तरफ़ यानी मुँह पर ज़ारिह न होगा वुज़ू न टूटेगा। (यानी क़तरा बाहर न निकले अन्दर नज़र आए तो वज़ू नहीं टूटेगा)। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 135, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 35, जिल्द अव्वल किताबुत्तहारत)।

मस्अला : जिसको पेशाब का मरज़ हो अगर वह शख़्स अपने पेशाब के सूराख़ में रूई भर दे और रूई का ज़ाहिरी और बाहरी हिस्सा पेशाब से तर हो जाए तो उसका वुज़ू टूट जाएगा, लेकिन यह उस वक़्त नाक़िज़े वुज़ू होगा जब रूई पेशाब के सूराख़ से ऊपर उठी और उभरी हुई हो या उसके बराबर। और अगर वह सूराख़ के सिरे से ऊंची है, यानी अन्दर की तरफ़ है तो उस सूरत में रूई के तर होने से वुज़ू नहीं टूटेगा। इस वजह से कि इस सूरत में निकलना पाया नहीं गया, यही हुक्म उस

रूई का है जो कोई पीछे पाख़ाने की जगह (मक़्अद) में डाल ले या अन्दर (औरत) शर्मगाह में डाल ले, यानी अगर रूई उस मक़ाम से उभरी हुई बाहर है, या कम अज़ कम बराबर की सतह में है और तरी ऊपर आ गई है तो नाक़िज़े वुज़ू है। (वुज़ू टूट जाएगा) वरना नहीं।

लेकिन अगर रूई का ऊपरी हिस्सा तर न हो, बल्कि सिर्फ़ अन्दर का हिस्सा तर हो जाए तो उससे वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला : और अगर वह रूई सूराख़ से निकल कर गिर गई तो देखा जाएगा कि अगर वह तर है तब तो वुज़ू टूट जाएगा वरना नहीं। और यही हुक्म उस शख़्स के वुज़ू का है जिसने अपनी उंगली अपने पीछे के मक़ाम में डाली लेकिन पूरी उंगली अन्दर नहीं गई, यानी अगर उंगली तर निकली है तो वुज़ू टूट जाएगा, और ख़ुश्क निकली है तो नहीं टूटेगा।

मस्अला : और अगर कोई पूरी उंगली इस तरह डाल ले कि वह ग़ाएब कर दे (छुप जाए तो उसका वुज़ू भी टूट जाएगा, और अगर वह रोज़ादार था और उसने इस्तिंजा के वक़्त ऐसा किया कि पूरी उंगली अन्दर पिछले हिस्सा में डाल ली तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा।) (कश्फ़ुल–असरार स0 14, जिल्द अव्वल)

(इस्तिंजे के वक़्त उंगली करने से रोज़ा बातिल इसलिए हो जाएगा कि उंगली के साथ बाहर से अन्दर पानी चला गया, क्योंकि इस्तिंजे के वक़्त उंगली पानी से तर थी। तफ़्सीली अहकाम रोज़ा से मुतअल्लिक़ देखिए, अहक़र की मुरत्तब करदा किताब "मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा)।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)

माज़ूर के कपड़ों का हुक्म

मस्अला : जिस मरीज़ के ज़ख़्म से ख़ून रिस्ता है, वह कपड़ा बदलता है तो वह भी नापाक हो जाता है तो उसके कपड़े की तहारत (पाकी) का यह हुक्म है कि अगर यक़ीन हो कि कपड़ा धोने के बाद नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले दोबारा नापाक नहीं होगा तो बिल–इज्माअ़ धोना ज़रूरी है और अगर दोबारा नापाक होने का अन्देशा हो तो धोना ज़रूरी नहीं है।

मस्अला : अगर कपड़ा धोने या बदलने के बाद नमाज ख़त्म करने से पहले फिर तर हो जाए (भीग जाए) तो उसका धोना या बदलना वाजिब नहीं है, वरना वाजिब है।

मस्अला : मरीज़ के नापाक कपड़े बदलना मुश्किल हो तो ऐसे मरीज़ को उसी हालत में नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। (अहसनुल–फ़तावा स0 75, जिल्द बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 563, जिल्द 1 व स0 282, जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 55, जिल्द अव्वल, शरहुत्तनवीर स0 161, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर नमाज़ का वक़्त दाख़िल होने के बाद कोई ज़ख़्म हो गया जिससे ख़ून बन्द नहीं हो रहा है तो नमाज़ के आख़िर वक़्त तक इंतिज़ार करे, अगर ख़ून बन्द न हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, फिर अगर दूसरी नमाज़ के वक़्त भी पूरे वक़्त में ख़ून जारी रहा तो पहली नमाज़ का इआदा (लौटाना) ज़रूरी नहीं है।

और अगर दुसरी नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से क़ब्ल ख़ून रुक गया तो पहली नमाज़ का इआदा वाजिब है। अल्बत्ता वक़्ते

सानी ख़त्म होने से क़ब्ल ज़वाले उज़्र का (उज़्र के ख़त्म होने का) ज़न्ने गालिब हो तो आख़िर वक़्त में नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि पढ़ ले और बाद में कज़ा करे।

(अहसनुल–फ़तावा स0 282, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर ज़ख़्म के मुंह से पीप बाहर आ जाती हो, अगरचे फाया के अन्दर रहती हो तो वुज़ू टूट जाता है लेकिन जिसका ज़ख़्म हर वक़्त बहता हो बवज्हे माज़ूर होने के तो उसका वुज़ू न टूटेगा। (इम्दादुल–फ़तावा स0 34, जिल्द अव्वल)।

क्या माज़ूर इशराक़ के वुज़ू से ज़ुहर पढ़ सकता है?

सवाल : कोई माज़ूर आदमी है, उसने वुज़ू करके फ़ज्र की नमाज़ पढ़ ली, फिर तुलूए आफ़ताब के बाद (नया) वुज़ू करके इशराक़ पढ़ी और कुछ देर के बाद उसी वुज़ू से चाश्त की नमाज़ पढ़ी, क्या हो गई?

जवाब : चाश्त हो गई, बल्कि उसी वुज़ू से ज़ुहर की नमाज़ भी पढ़ सकता है, क्योंकि माज़ूर का वुज़ू वक़्त के निकलने से टूटता है। इसलिए ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होने तक फ़राइज़ व नवाफ़िल जो चाहे पढ़े। (अहसनुल–फ़तावा स0 78, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 282, जिल्द अव्वल)।

क्या माज़ूर वक़्त से पहले वुज़ू कर सकता है?

सवाल : माज़ूर शख़्स नमाज़ के वासते ताज़ा वुज़ू करता है, मग़्रिब के वक़्त वुज़ू करने में एक दो रकअत जमाअत से फ़ौत

हो जाती है तो ऐसे वक़्त में वक़्त से पहले वुज़ू कर सकता है या नहीं?

जवाब : जबकि वह शख़्स माज़ूर है तो क़ब्ल अज़ वक़्त (वक़्त से पहले) वुज़ू करना दुरुस्त नहीं है। बस वक़्त के बाद ही वुज़ू करे, अगरचे जमाअत फ़ौत हो जाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 289, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 280, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी शख़्स को कोई ऐसा मरज़ हो जिसमें वुज़ू की तोड़ने वाली चीज़ें बराबर जारी रहती हों यानी उसको किसी नमाज़ के वक़्त इतनी मुहलत न मिलती हो कि वह उस मरज़ से खाली हो कर नमाज़ पढ़ सके, तो ऐसे शख़्स को हर नमाज़ के वक़्त नया वुज़ू करना चाहिए, इसलिए कि उसका वुज़ू नमाज़ का वक़्त जाने से टूट जाता है, जो मरज़ उसको है उससे वुज़ू नहीं टूटता और नमाज़ का वक़्त आने से नहीं टूटता।

मस्अला : अगर किसी ऐसे शख़्स ने जिसका वुज़ू मरज़ की वजह से बाकी नहीं रहता था आफ़ताब निकलने के बाद वुज़ू किया और सिवा उस मरज़ के और कोई वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ नहीं पाई गई, तो ज़ुहर का वक़्त आने से उसका वुज़ू नहीं जाएगा हां ज़ुहर का वक़्त जाने से उसका वुज़ू टूट जाएगा और अस्र के वास्ते उसको दूसरा वुज़ू करना होगा। और फिर जब तक उसका वह मरज़ बिल्कुल दफ़ा न हो जाए यानी एक नमाज़ का पूरा वक़्त उसको ऐसा मिले कि जिसमें वह मरज़ एक दफ़ा भी न पाया जाए तो वह शख़्स माज़ूर समझा जाएगा।

मिसाल : किसी की आंख से कीच (मैल) आती हो और हर

वक़्त आंखों से पानी जारी रहता हो, या किसी को सलसले–बौल यानी हर वक़्त उसका पेशाब जारी रहता हो। या किसी को रियाही मरज़ हो यानी उसके मुश्तरक हिस्सा से हर वक़्त हवा निकलती हो, या पाख़ाना जारी हो, या किसी के ज़ख़्म से हर वक़्त ख़ून या पीप या पानी जारी हो, या किसी को नक्सीर का मरज़ हो, यानी उसकी नाक से हर वक़्त ख़ून आता हो, या किसी के ख़ास हिस्सा से मनी या मज़ी हर वक़्त बहती हो, या किसी औरत को इस्तिहाज़ा हो। (यानी औरत को हैज़ व निफ़ास का ख़ून नहीं आता। बल्कि वैसे ही किसी बीमारी की वजह से ख़ून आता रहता हो)। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस किसी को ऐसा मरज़ हो जिसमें वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें बराबर जारी रहती हों उसको मुस्तहब है कि नमाज़ के आख़िर वक़्ते मुस्तहब तक इंतिज़ार करके वुज़ू करे शुरू वक़्त में न करे, इस ख़्याल से कि हो सकता है कि आख़िर वक़्त तक उसका वह मरज़ दफ़ा हो जाए। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी का पैर मअ़ टख़ने के कट गया हो और दूसरे पैर में मोज़ा पहने हो तो उसको सिर्फ़ एक ही मोज़ा पर मसह जाइज़ है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

माज़ूर के वुज़ू से मुतअल्लिक़ मसाइल

मस्अला : किसी मरज़ की वजह से अगर कोई हकीम हाज़िक़ किसी उज़्व के धोने को मना करे तो उसका धोना फ़र्ज़ नहीं बल्कि मसह करे अगर मुज़िर हो, वरना मसह भी मआफ़ है।

मस्अला : वुज़ू में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है अगर उन

में ज़ख़्म हो या फट गए हों या दर्द वग़ैरह हो तो अगर ऐसी हालत में उन पर पानी का पहुंचाना तक्लीफ़ न देता हो और नुक़सान न करता हो, तो धोना फ़र्ज़ है वरना मसह करे। और अगर मसह भी न कर सके तो ऐसे ही छोड़ दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला : हाथ में ज़ख़्म हों या फट गए हों जिसकी वजह से वह हाथों को और हाथों के ज़रीआ से दूसरे आज़ा को धो न सकता हो, और न किसी दूसरी तदबीर से बक़िया आज़ा को धो या धुलवा सकता हो तो ऐसी सूरत में वुज़ू फ़र्ज़ नहीं बल्कि तयम्मुम करे अगर कर सके।

मस्अला : हाथ, पैंर, मुंह पर अगर किसी वजह से दवा लगाई गई हो, तो उसी दवा पर पानी बहाना फ़र्ज़ है, बशर्तेकि मुज़िर न हो, और पानी बहा चुकनके के बाद अगर दवा ख़ुद बख़ुद छूट जाए या छुड़ा डाली जाए तो अगर अच्छे होने की वजह से छूटी या छुड़ाई गई है तो मसह बातिल (ख़त्म) हो जाएगा यानी उन आज़ा को धोना पड़ेगा।

मस्अला : किसी शख़्स के हाथ मअ कुहनियों के या पैर मअ टख़नों के कट गए हों तो ऐसी हालत में हाथ पैर का धोना फ़र्ज़ नहीं और अगर किसी तरीक़ा से धो सकता हो, और सर का मसह कर सकता हो तो करे, वरना वह भी फ़र्ज़ नहीं, बल्कि ब इरादए तयम्मुम दीवार वग़ैरह पर मले।

मस्अला : किसी शख़्स के पैर या हाथ कट गए हों, लेकिन कुहनी या उससे ज़्यादा, और टख़ने या उससे ज़्यादा मौजूद हों तो ऐसी हालत में कुहनी और टख़ने का धोना वाजिब है और उसके नीचे के हिस्सा का धोना फ़र्ज़ है।

मस्अला : हाथ मअ कुहनियों के या पैर मअ टख़नों के कट गए हों और मुंह ज़ख़्मी हो और मुंह का धोना या मसह करना मुम्किन न हो तो ऐसी हालत में वुज़ू फ़र्ज़ नहीं रहता।

मस्अला : जो शख़्स किसी वजह से दोनों कानों का मसह एक दफ़ा साथ ही न कर सके मसलन उसके एक ही हाथ हो या एक हाथ बेकार (फ़ालिज ज़दह) हो तो उसको चाहिए कि पहले दाहने कान का मसह करे फिर बाएं कान का।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 82 जिल्द 1)।

वुज़ू के आज़ा में से कोई ज़ख़्मी हो या टूट जाए?

मस्अला : वुज़ू के आज़ा में से कोई उज़्व टूट जाए या ज़ख़्मी हो जाए या और किसी वजह से उस पर पट्टी बांधी जाए तो उसकी तीन सूरतें हैं।

पहली सूरत : पट्टी का खोलना मुज़िर हो ख़्वाह जिस्म का धोना मुज़िर हो या न हो जैसे टूटे हुए हाथ पैर की पट्टी का खोलना मुज़िर होता है। तो ऐसी हालत में अगर पट्टी पर मसह करना नुक़्सान न करे तो तमाम पट्टी पर मसह करे ख़्वाह वह पट्टी ज़ख़्म के बराबर हो या ज़ख़्म से ज़्यादा और जिस्म के सहीह हिस्सा पर भी हो, और अगर मसह भी नुक़्सान करे तो ऐसे ही छोड़ दे।

दूसरी सूरत : पट्टी का खोलना मुज़िर हो लेकिन खोलने के बाद वह खुद न बांध सके और न कोई ऐसा शख़्स हो जो बांध सके तो ऐसी हालत में मसह करे। बशर्तेकि नुक़्सान न करे वरना मसह भी मआफ़ है।

तीसरी सूरत : पट्टी का खोलना मुज़िर न हो और न खोलने के बाद बांधने में दिक़्क़त हो तो ऐसी हालत में अगर ज़ख़्म का धोना नुक़सान न करता हो तो पट्टी खोल कर तमाम उज़्व को धोए और अगर ज़ख़्म का धोना नुक़सान करे तो ज़ख़्मी हिस्सा को छोड़ कर बाक़ी उज़्व को धोए, बशर्तेकि मुज़िर न हो और ज़ख़्मी हिस्सा पर अगर मसह नुक़सान न करे तो मसह करे वरना पट्टी बांध कर पट्टी पर मसह करे, बशर्तेकि मुज़िर न हो और अगर मुज़िर हो तो समह मआफ़ है। यानी अगर पट्टी पर भी मसह मुज़िर हो तो मसह न करे बल्कि मसह मआफ़ है।

मस्अला : पट्टी अगर इस तरह बंधी हुई हो कि दरमियान में जिस्म का वह हिस्सा भी आ गया हो जो सहीह है तो उस पर भी मसह करे। बशर्तेकि पट्टी खोलना या खोल कर उस जिस्म का धोना मुज़िर हो। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बिला पट्टी वग़ैरह मसह करने में ज़ख़्म का ख़ौफ़ हो तो पट्टी (पलास्तर वग़ैरह) पर तर हाथ फेरे, आस पास की जगह खुश्क रह जाने से कुछ हरज नहीं, सब जगह हाथ फेरे अगरचे पानी कहीं लगे और कहीं न लगे जैसा कि मसह में होता है तो कुछ हरज नहीं है। और पट्टी अगरचे ज़ख़्म की जगह से ज़्यादा हो, तमाम पट्टी पर मसह करे कुछ हरज नहीं है। और गुस्ल की ज़रूरत हो तो तब भी यही हुक्म है कि ज़ख़्म की जगह मसह कर ले (यानी भीगा हुआ हाथ फेरे)। और बाक़ी बदन को धो दे और पानी बहाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 297, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 50 जिल्द अव्वल बाबुल–मसह अलल–खुफ़्फ़ैन। तफ़सील

देखिए बहिश्ती ज़ेवर स0 49, जिल्द अव्वल बहवाला शरह वकाया स0 101, जिल्द अव्वल, मराक़ीयुल–फ़लाह स0 36, कबीरी स0 115, गुनया स0 115, फ़तावा हिन्दीया स0 34)।

मस्अला : ज़ख़्म पर पट्टी बांध दी गई और ख़ून या पीप पट्टी के ऊपर से ज़ाहिर हो तो अगर इस क़दर हो कि पट्टी न बांधी होती तो ख़ून अपनी जगह से बह कर दूसरी जगह चला जाता तो वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द 1)

वुज़ू दो क़िस्म की चीज़ों से टूटता है

वुज़ू जिन चीज़ों से टूटता है उनकी दो क़िस्में हैं।

(1) एक वह जो इंसान के जिस्म से निकले। (2) दूसरी वह जो उसको तारी हों जैसे बेहोशी और नींद (सो जाना) वग़ैरह।

पहली क़िस्म की दो सूरतें हैं : एक वह ख़ास हिस्सा और मुश्तरक हिस्सा से निकले जैसे पेशाब, पाख़ाना (बौल व बराज़) वग़ैरह। दूसरी वह जो जिस्म के बाक़ी मक़ामात से निकले जैसे ख़ून, क़य वग़ैरह।

पहली क़िस्म की सूरत : (1) ज़िन्दा आदमी के ख़ास हिस्सा से कोई चीज़ निकले तो वुज़ू टूट जाएगा, ख़्वाह वह चीज़ पाक हो जैसे कंकर, पत्थर वग़ैरह, या नापाक हो जैसे पाख़ाना, पेशाब मज़ी वग़ैरह।

(2) मर्द या औरत अगर अपने ख़ास हिस्सा में कपड़ा, रूई वग़ैरह रखें और यह कपड़ा पेशाब से तर हो जाए और कपड़े के बाहर की जानिब में उसका असर मालूम हो तो वुज़ू टूट जाएगा बशर्तेकि यह कपड़ा वग़ैरह ख़ास हिस्सा के अन्दर छुप न गया हो। (अगर छुप जाएगा तो फिर तर होने से वुज़ू नहीं टूटेगा)।

हासिल यह कि नजासत के निकलने से वुज़ू उस वक़्त जाता है कि जब वह नजासत जिस्म से जुदा हो जाए या ज़ाहिर हो।

(3) ज़िन्दा आदमी के मुश्तरक हिस्सा से अगर कोई चीज़ निकले ख़्वाह पाक हो जैसे कंकर, पत्थर, हवा वग़ैरह, या नापाक हो जैसे पाख़ाना वग़ैरह तो वुज़ू टूट जाएगा।)

(4) अगर किसी औरत का ख़ास हिस्सा मुश्तरक हिस्सा से मिल कर एक हो गया हो, तो उसके जिस हिस्सा से हवा निकले वुज़ू टूट जाएगा इसलिए कि उसके दोनों हिस्सों में अब फ़र्क़ बाक़ी नहीं रहा।

मस्अला : अगर कोई चीज़ मुश्तरक या ख़ास हिस्सा से निकल कर फिर अन्दर चली जाए तो वुज़ू टूट जाएगा।

मिसाल : (1) औरत के ख़ास हिस्सा से बच्चा का कोई जुज़्व मिस्ल सर वग़ैरह के निकल कर फिर अन्दर चला जाए ख़्वाह वह जुज़्व जो बाहर निकला था निस्फ़ हो या निस्फ़ से कम या ज़्यादा बशर्तेकि ख़ून न निकले, यह शर्त इसलिए लगाई गई है कि अगर ख़ून निकल आएगा तो हदसे अकबर हो जाएगा।

(2) मर्द या औरत के मुश्तरक हिस्सा से पाख़ाना वग़ैरह का कोई हिस्सा बाहर निकल कर अन्दर चला जाए।

(3) और इसी तरह आंत वग़ैरह का कोई हिस्सा बाहर निकल कर अन्दर चला जाए।

(4) अगर किसी के मुश्तरक या ख़ास हिस्सा के क़रीब ज़ख़्म होकर या और किसी तरह कोई सूराख़ हो जाए, तो उसका वही हुक्म होगा जो उस हिस्सा का है, बशर्तेकि उस सूराख़ से वह नजासते (नापाकी) आदिया निकलती हो जो उसके क़रीब के हिस्सा से निकलती है।

मिसाल : (1) मुश्तरक हिस्सा के क़रीब हो और उससे पाख़ाना निकलता हो।

(2) ख़ास हिस्सा के क़रीब हो और उससे पेशाब वग़ैरह निकलता हो।

(3) अगर किसी के मुश्तरक हिस्सा में कोई चीज़ मिस्ल लकड़ी या उंगली या कपड़े वग़ैरह के डाली जाए ख़्वाह वह खुद डाले या कोई दूसरा, तो जब वह चीज़ बाहर निकलेगी तो वुज़ू टूट जाएगा। (जब कि नजासत या रुतूबत लगी हो, अगर न लगी हो तो फिर भी वुज़ू करना अफ़ज़ल है। मुहम्मद रफ़अत कासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

(4) मनी अगर बग़ैर शह्वत ख़ारिज हो तो वुज़ू टूट जाएगा। मसलन किसी शख़्स ने कोई बोझ उठाया या किसी ऊंचे मकाम से गिर पड़ा और सदमा से मनी बग़ैर शह्वत निकल गई (बग़ैर शह्वत की शर्त इसलिए है कि अगर शह्वत से निकलेगी तो गुस्ल भी वाजिब होगा)।

(5) जिन चीज़ों के निकलने से गुस्ल वाजिब होता है जैसे हैज़, निफ़ास, मनी वग़ैरह, उनके निकलने से भी वुज़ू टूट जाता है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65 जिल्द अव्वल, हिदाया स0 7, जिल्द अव्वल, शरह नकाया स0 9, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 124, तफ़सील देखिए बैहकी स0 116, जिल्द अव्वल व बुख़ारी शरीफ़ स0 29, जिल्द1, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 140, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू में किसी उज़्व को न धोने में शुब्हा हो जाए तो?

मस्अला : वुज़ू करने के बाद अगर किसी उज़्व की निस्बत न धोने का शुब्हा हो जाए लेकिन वह उज़्व मुतऐयन न हो तो

ऐसी सूरत में शक दूर करने के लिए बाएं पैर को धो ले। इसी तरह अगर वुज़ू के दरमियान में किसी उज़्व की निस्बत यह शुब्हा हो तो ऐसी हालत में आख़िरी उज़्व को धोए, मसलन कुहनियों तक हाथ धोने के बाद यह शुब्हा हो तो मुंह धो डाले, और अगर पैर धोते वक़्त यह शुब्हा हो जाए तो हाथ धो डाले और यह उस वक़्त है कि जब कभी–कभी शुब्हा होता हो और अगर किसी को अक्सर इस क़िस्म का शुब्हा हो उसको चाहिए कि इस शुबहा की तरफ़ ख़्याल न करे और अपने वुज़ू को कामिल समझे। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल)।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 402, जिल्द 1 पर एक हदीस शरीफ़ है जिसका मफ़हूम है कि "शैतान वुज़ू के वक़्त लोगों के दिलों में वसवसे डाल कर उनको मुतहैयर और बेअक़्ल बना देता है। कभी यह ख़्याल डालता है कि पानी सब जगह को पहुंचा, और कभी इस वहम में मुब्तला कर देता है कि वुज़ू के आज़ा को एक बार धोया है या दो बार, और कभी यह फूंकता है कि पानी नजिस था, अब दूसरे पानी से वुज़ू करना चाहिए। और कभी यह वसवसा डालता है कि पेशाब का क़तरा आ गया है, अब फिर इस्तिंजा करो, और नए सिरे से वुज़ू करो। ग़र्ज़ेकि वह मुख़्तलिफ़ तौर से वसवसा अंदाज़ी और वहम आफ़रीनी के ज़रीए पानी के ख़र्च में इसराफ़ कराता है और आज़ा को मस्नून हद से ज़्यादा धुलवाना चाहता है। (हदीस) लिहाज़ा हुक्म दिया गया है कि "पानी के वसवसे से बचो।" यानी वुज़ू के वक़्त पानी के इस्तेमाल में इस तरह के वसवसे अगर आएं तो उनको निकाल कर बाहर करो, और वुज़ू ऐसी तवज्जोह से और इतने

ध्यान से करो कि शैतान वसवसा अंदाज़ी के जाल में तुम को न फांस सके और तुम सुन्नत की हद से तजावुज़ न करने पाओ।
(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

(वुज़ू में शक के मुफ़स्सल मसाइल देखिए किताबुल–फ़िक़्ह अलल–मज़ाहिबिल–अरबआ स0 145, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू के बाद रूमाली पर पानी छिड़कना ?

मस्अला : पाजामा वग़ैरह पर वुज़ू करने के बाद ब ग़रज़े वसवसा के दुरुस्त है, मगर जिस शख़्स को (पेशाब के) क़तरा का मरज़ है वह पानी हरगिज़ न डाले कि अन्देशा पाजामा नजिस होने का है और अगर इस दरमियान में क़तरा आ गया तो पाजामा यक़ीनन नापाक हो जाएगा। (फ़तावा रशीदिया स0 284, जिल्द 1)।

वुज़ू के पानी को तौलिया वग़ैरह से ख़ुश्क करना ?

मस्अला : वुज़ू और ग़ुस्ल करने के बाद रूमाल व तौलिया वग़ैरह से बदन ख़ुश्क कर लेना बमूजिब क़ौले सहीह व क़वी जाइज़ है (मुंह पोंछने से सवाब में कोई कमी नहीं होती) लेकिन मुस्तहब यह है कि ख़ुश्क करने में ज़्यादा मुबालग़ा न करे, बल्कि इस तरह ख़ुश्क करे कि कुछ असर बाक़ी रह जाए। अगर इत्तेफ़ाक़िया कभी दामन से ख़ुश्क कर डाले तो जाइज़ है लेकिन हमेशा दामन से ख़ुश्क करने की आदत कर लेने को बुज़ुरगों ने मन्हूस फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए एक कपड़ा था जिससे आप वुज़ू के बाद आज़ा ख़ुश्क फ़रमाते थे। (अल–जवाबुल–मतीन स0 7, आपके मसाइल स0 34, जिल्द

2, अहसनुल–फ़तावा स0 25, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 121, जिल्द अव्वल, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द 1, व किताबुल–फ़िक़्ह स0 119, जिल्द 1)।

मस्अला : वुज़ू के बाद रूमाल से हाथ मुंह पोंछना जाइज़ है, और अगर न पोंछा जाए तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है, और यह कौल कि जब दाढ़ी का पानी ज़मीन पर गिरता है तो फ़रिश्तों को उसके उठाने में तक्लीफ होती है, बेअस्ल है।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 132, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 121, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : आज़ाए वुज़ू का किसी कपड़े वग़ैरह से पोंछना अगर तकब्बुर और बड़ाई के इज़ाहर के तौर पर हो तो मक्रूह है और अगर तकब्बुर के इरादा से न हो तो मक्रूह नहीं है।

(मज़ाहिरे हक़ स0 402, जिल्द 1)।

वुज़ू करने के बाद तहीयतुल-वुज़ू पढ़ना ?

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक बार) हज़रत बिलाल रज़ि अल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि "बिलाल! मुझे अपना कोई ऐसा इस्लामी अमल बताओ जिस पर तुमको अज्र व सवाब की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे चप्पलों की चाप (आवाज़) जन्नत में आगे -आगे सुनी है।

हज़रत बिलाल रज़ि0 ने जवाब दिया कि मुझको अपने आमाल में सबसे ज़्यादा उम्मीद इस अमल पर है कि मैंने दिन या रात में जब भी किसी वक़्त वजू किया है उस वुज़ू से हस्बे तौफ़ीक कुछ नमाज़ ज़रूर पढी। (बुख़ारी व मुस्लिम)।

हज़रत अक़्बा बिन आमिर रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो भी कोई शख़्स ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू करे और फिर दो रकअतें इस तरह पढ़े कि उसका दिल और उसका चेहरा दोनों नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जेह हों। यानी ज़ाहिर व बातिन दोनों की पूरी तवज्जोह और खुशू व खुज़ू के साथ पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। (अत्तरगीब स0 364)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद अगर वक़्ते मक्रूह न हो तो दो रकअत तहीयतुल–वुज़ू अदा करना मुस्तहब है।

(शरह नक़ाया स0 9, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम क्या है?

तयम्मुम का हुक्म नाज़िल होने का वाक़िआ माहे शाबान सन 6 हिजरी का है। तयम्मुम का हुक्म जो अल्लाह तआला का एक बहुत बड़ा एहसान और मुसलमान के लिए नेअमते उज़्मा है। उसकी इब्तिदा का हाल जो उम्मुल–मुमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा के ब्यान से मालूम हुआ यह है कि :

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफ़ा थी कि जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो क़ुरआ डाल लेते थे। अज़्वाजे मुतह्हरात में से जिसका नाम निकलता उसी को हमराह ले जाते।

एक सफ़र के लिए इरादा फ़रमाया और हस्बे आदत क़ुरआ डाला। हज़रत आइशा का नाम निकला (अक्सर उलमा के नज़्दीक यह ग़ज़्वा–ए–बनी मुस्तलिक़ का सफ़र था, जिसको ग़ज़्व–ए–मरीसीअ भी कहते हैं) और उनको अपने हमराह सफ़र

में ले गए। सफ़र से वापसी में जब मकाम ज़ातुल–जैश पर पहुंचे और ज़ुल–हुलैफ़ा के पास जो एक पहाड़ी के नाम पर सलसल जगह मशहूर है, वहां क़याम फरमाया, जहां से मदीना मुनव्वरा ज़्यादा बईद न था, वहाँ आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का एक हार (या कन्ठा) टूट पड़ा। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मअ तमाम ख़ुद्दाम रज़ि० वहां ठहर गए और तलाश के लिए हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ि अल्लाहु अन्हु (यह बड़े जलीलुल–क़द्र अंसारी थे। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दस बरस बाद वफ़ात पाई। सदहा सहाबा रज़ि० उनके शागिर्द थे) और चन्द साहिबों को मुक़र्रर फ़रमाया। अभी वह हार नहीं मिला था कि फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त आ गया, वहां कहीं क़रीब में पानी न था। सहाबा रज़ि० को निहायत तरद्दुद हुआ कि कैसे बेमौक़ा फंसे। बाज़ लोगों ने हज़रत अबू बक्र रज़ि० से शिकायत की कि देखिए हज़रत आइशा ने लोगों को कैसी जगह रोक दिया जहां पानी का नाम व निशान नहीं और नमाज़ का वक़्त आ रहा है। अबू बक्र रज़ि० रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खेमा में तशरीफ़ ले गए और हज़रत आइशा रज़ि० को झिड़कना शुरू किया कि तू हमेशा लोगों को परेशानी में डालती है, अब एक हार की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसी जगह रोक दिया जहां बिल्कुल पानी नहीं। हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने हज़रत आइशा रज़ि० के पहलू में कूचें भी मारीं, लेकिन हज़रत आइशा रज़ि० ने किसी बात के जवाब में दम नहीं मारा और ज़रा न हिलीं। क्योंकि हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

तमाम रात के सफ़र और बेदारी की कोफ़्त उठा कर उस वक़्त ज़रा आरमा फ़रमा रहे थे। हार को हर चन्द तलाश किया मगर कहीं न मिला। उसैद बिन हुज़ैर रज़ि० वग़ैरह भी कोशिश में नाकामयाब रह कर वापस आ गए और सब लोगों ने लाचारी में उसी जगह बिला वुज़ू नमाज़ अदा कर ली और हार के दस्तयाब होने से मायूस होकर रवानगी का इरादा हो गया। उसी वक़्त अल्लाह तआला ने सूरः माइदा के दूसरे रुकू की आयतें नाज़िल फरमाईं, जिनमें तयम्मुम का हुक्म इस तरह ब्यान किया गया है।

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرضىٰٓ اَوْ عَلىٰ سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ اَوْ
لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً فَامْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ ؕ مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ؕ

तरजमा : यानी अगर तुम लोग सफ़र में हो और पानी न मिले या मरज़ की वजह से इस्तेमाल न कर सको, और क़ज़ाए हाजत करने से वुज़ू लाज़िम हो जाए या सोहबत करने से गुस्ल वाजिब हो जाए तो पाक मिट्टी का क़स्द करो। पस अपने चेहरा और हाथों पर उससे मसह कर लिया करो। (पारा शशुम)।

जनाब सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुश हो कर फ़रमाया कि ऐ आइशा (रज़ि०) तुम्हारा कलादा निहायत ही बाबरकत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशाद से हज़रत अबू बक्र रज़ि० को निहायत मुसर्रत हुई और खुशी में तीन बार फ़रमाया कि "ऐ बेटी तू बहुत ही मुबारक व नेक बख़्त है"।

उसैद बिन हुज़ैर रज़ि० जो हार की तलाश में बहुत मेहनत उठा चुके थे, फ़रमाने लगे, "ऐ अबू बक्र (रज़ि०) की औलाद!

यह तुम लोगों की कोई पहली बरकत नहीं है। बल्कि इससे पहले भी बारहा तुम्हारी वजह से अहले इस्लाम पर ख़ुदा तआला के एहसान होते रहे हैं, अल्लाह तआला के इस इन्आम व एहसान से मुअज़्ज़ज़ व मस्रूर होकर सब लोग अस्बाब बांधने और कजावे कसने लगे। हज़रत आइशा रज़ि० की सवारी के ऊंट को उठाया तो हार उसके नीचे से मिल गया। जिससे हज़रत आइशा रज़ि० की मुसर्रत दोबाला हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इत्मीनान हो गया और सब मुसलमान इनायते ख़ुदावन्दी का शुक्र अदा करते हुए बख़ुशी तमाम मदीना मुनव्वरह में वापस आ गए। उसी रोज़ से पानी मौजूद न होने और मरज़ वग़ैरह की हालत में तयम्मुम का हुक्म जारी हो गया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि :

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ
فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهٗ۔

(यानी अगर बिल–फ़र्ज़ किसी मुसलमान को दस साल तक भी पानी मुयस्सर न आवे तो पाक मिट्टी उस शख़्स को पाक करने के लिए काफ़ी है। फिर जब पानी मिल जाए तो उससे वुज़ू (या ग़ुस्ल) कर ले। तयम्मुम का हुक्म नाज़िल होने के वक़्त चूंकि तमाम सहाबा रज़ि० आपके साथ न थे, इसलिए यह हुक्म रफ़्ता–रफ़्ता लोगों को मालूम हुआ। और बाज़ दफ़ा नावाकिफ़ीयत की वजह से लोगों को दिक़्क़त पेश आती थी। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और दीगर सहाबा रज़ि० वक़्तन फ़वक़्तन लोगों को तयम्मुम के हुक्म की इत्तिला करते रहते थे

और हस्बे मौक़ा मुफ़स्सल अहकाम तालीम फ़रमाते थे।

तयम्मुम के बारे में चन्द रिवायात

रिवायत : एक दफ़ा हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफ़र में थे नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आपने एक शख़्स को देखा जो नमाज़ में शरीक नहीं थे और सब से अलाहिदा बैठे थे, आपने फ़रमाया कि क्या सबब है कि तुमने सबके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी। उन्होंने अर्ज़ किया कि या हज़रत! मुझको ग़ुस्ल की हाजत हो गई थी और पानी नहीं मिला, इसलिए (यह साहब समझे हुए थे कि तयम्मुम सिर्फ़ वुज़ू की जगह हो सकता है, ग़ुस्ल की ज़रूरत में तयम्मुम दुरुस्त नहीं) आपने फ़रमाया कि मिट्टी से तयम्मुम कर लो, वही काफ़ी है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)।

रिवायत : एक मरतबा सहाबा रज़ि० जिहाद की ग़रज़ से सफ़र में थे उनमें से एक साहब के सर में दुश्मनों की तरफ़ से पत्थर आकर इस ज़ोर से लगा कि सर फट गया। ग़ुस्ल की हाजत हुई तो साथियों से मस्अला पूछा कि ऐसी हालत में तयम्मुम जाइज़ है या नहीं? उन्होंने कहा कि जब तुम ग़ुस्ल कर सकते हो तो हमारे ख़्याल में तयम्मुम तुम्हारे लिए जाइज़ नहीं। (इन हज़रात को मस्अला मालूम न था कि जब मरज़ बढ़ जाने का अन्देशा हो तो तयम्मुम जाइज़ है, गो बिल–फ़ेअल ग़ुस्ल व वुज़ू पर क़ादिर हो) वह लोग अहकामे शरई पर ज़ान फ़िदा करते थे। इबादत व ताहरत को हयाते मुस्तआर से बेहतर जानते थे। उसी हालत में ग़ुस्ल करके नमाज़ अदा फ़रमाई। पानी के असर से ज़ख़्म की हालत बदतर हो गई और यह ख़ुदा

के मुख़्लिस व जां निसार सहाबी रज़ि० दुनिया से इंतिक़ाल फ़रमा कर जन्नतुल–फ़िरदौस के महलों में जा ठहरे। बाक़ी सहाबा रज़ि० जब मदीना मुनव्वरा वापस आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हो कर हाल अर्ज़ किया तो आपने फ़रमाया कि ख़ुदा उनको समझे, जिन्होंने उस ग़रीब को मार डाला। (यानी यह लोग ग़लत मस्अला बता कर उनकी मौत का बाइस हो गए)।

रिवायत है कि सहाबा रज़ि अल्लाहु अन्हुम में से दो शख़्स सफ़र में थे पानी न मिला तो दोनों ने तयम्मुम करके नमाज़ अदा कर ली। लेकिन फिर नमाज़ का वक़्त निकलने से पहले पानी मिल गया। एक साहब ने वुज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ी। दूसरे सहाबी ने नमाज़ न लौटाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़्दस में पहुंच कर हाल ब्यान किया। जिस शख़्स ने नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी थी, आपने उन से फ़रमाया कि तुमने तरीक़–ए–मस्नूना और काएद–ए–शरईया पर अमल किया और पहली ही नमाज़ काफ़ी हो गई, और दूसरे साहब को इरशाद किया कि तुमको दुहरा अज्र हासिल हुआ। (क्योंकि दोबारा जो नमाज़ पढ़ी वह नफ़्ल हो गई और उसका भी सवाब हासिल हुआ)।

रिवायत : तयम्मुम का हुक्म हासिल होने के बाद हज़रत उमर और अम्मार रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहीं सफ़र को गए थे, इत्तिफ़ाक़ से दोनों साहिबों को ग़ुस्ल की हाजत हुई, चूंकि इब्तिदाई ज़माना था, मुफ़स्सल अहकाम तयम्मुम के मालूम न थे। इसलिए अम्मार रज़ि० ने तो ख़ूब मिट्टी में लोट पोट कर

तयम्मुम कर लिया, गोया गुस्ल की जगह तमाम बदन का तयम्मुम कर लिया और नमाज़ पढ़ ली।

हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने समझा कि तयम्मुम सिर्फ़ वुज़ू का क़ाइम मक़ाम हो सकता है, गुस्ल के लिए जाइज़ नहीं, नमाज़ न पढ़ी, वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो आप ने ज़मीन पर दोनों दस्ते मुबारक मार कर चेहरा और बाजुओं पर किसी क़द्र फेर कर इशारा फ़रमा दिया कि बस इस क़द्र काफ़ी था, यानी जिस क़द्र तयम्मुम वुज़ू का होता है वही गुस्ल का होता है, मिट्टी में लोटने पोटने की ज़रूरत नहीं है। (तहूरुल--मुस्लेमीन स0 4, ता स0 20, तालीफ़ हज़रत मौलाना असग़र हुसैन मियां साहब रह, सूरः माइदा पारा 6, तफ़्सील देखिए बुख़ारी स0 48, जिल्द अव्वल, मुस्लिम स0 160, जिल्द अव्वल, मज़ाहिरे हक़ स0 48, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम के माना : "तयम्मुम" के लुग़वी माना हैं क़स्द करना, और शरई इस्तिलाह में इस लफ़्ज़ का मतलब होता है, पाकी हासिल करने की नीय से पाक मिट्टी, या मिट्टी के क़ाइम मक़ाम किसी चीज़ (पत्थर, चूना वग़ैरह) का क़स्द करना और इस पाक मिट्टी वग़ैरह को मुंह और हाथों पर लगाना। और इसकी सूरत यह होती है कि दोनों हाथों को पाक मिट्टी (वग़ैरह) पर मारते और मलते हैं और फिर दोनों हाथों को उठा कर उनकी मिट्टी झाड़ते हैं और उसके बाद इन हाथों को पूरे चेहरा पर और कुहनियों तक दोनों हाथों पर मलते हैं।

तयम्मुम दर अस्ल पानी दस्तयाब न होने या पानी के इस्तेमाल से माज़ूर होने की सूरत में वुज़ू और गुस्ल का क़ाइम मक़ाम है और अल्लाह तआला की उन जलीलुल—क़द्र नेअमतों

में से एक है जो उसने अपने फ़ज़्ल व करम से सिर्फ़ उम्मते मुहम्मदीया को अता की. गुज़श्ता उम्मतों में तयम्मुम मशरूअ़ न था। और तयम्मुम करने के लिए पाक मिट्टी वगैरह पर जो हाथों को मारा और मला जाता है उसको "ज़र्ब" कहते हैं। (मज़ाहिरे हक़ स0 470, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम उम्मते मुहम्मदीया के लिए मख़्सूस है

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमको (गुज़श्ता उम्मतों के) लोगों पर (बतौर ख़ास) तीन चीज़ों के ज़रीआ फ़ज़ीलत अत्ता की गई है।

(1) हमारी (नमाज़, या जिहाद की) सफ़ें, फ़रिश्तों की तरह क़रार दी गई हैं, यानी जिस तरह फ़रिश्तों को सफ़ बांध कर इबादत करने में बहुत ज़्यादा कुर्ब और बुज़ुरगी हासिल होती है। उसी तरह हमें भी हासिल होती है।

(2) हमारे लिए सारी ज़मीन नमाज़ की जगह बनाई गई है।

(3) इस (ज़मीन) की मिट्टी को हमारे लिए पाक करने वाली बनाया है. उस सूरत में कि पानी हमें दस्तयाब न हो। (मुस्लिम)।

तश्रीह : "तीन चीज़ों के ज़रीआ।" यानी गुज़श्ता उम्मतों में नमाज़ पढ़ने के लिए जमाअत और सफ़ बन्दी की पाबन्दी लाज़िम नहीं थी, वह जिस तरह चाहते थे उसी तरह नमाज़ पढ़ लेते थे। उनकी नमाज़ उनकी ख़ास इबादत गाहों (जिनको "कनाइस" और "बीअ़" कहा जाता था) के अलावा और किसी जगह पढ़ना जाइज़ न होती थी। और न उनको "तयम्मुम" की सहूलत दी गई थी. पस इस उम्मत (उम्मते मुहम्मदीया) को गुज़श्ता उम्मतों पर जिन चीज़ों के ज़रीआ इम्तियाज़ी शान और

बरतरी अता की गई है उनमें से ख़ास तौर पर यह तीन चीज़ें भी हैं कि मुसलमानों को सफ़ बन्दी करने और जमाअत से नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ, और उस पर फ़रिश्तों का सा अज्र व सवाब पाने की उम्मीद दिलाई गई। मुसलमानों को सहूलत दी गई पूरी ज़मीन पर जहां भी हों (पाक साफ़ जगह पर) नमाज़ पढ़ लेंगे, वहां उनका नमाज़ पढ़ना जाइज़ हो जाएगा, और मुसलमानों को इसकी इजाज़त दी गई कि पानी न मिलने या पानी के इस्तेमाल से माज़ूर होने की सूरत में तयम्मुम कर लें।

(मज़ाहिरे हक जदीद स0 471, जिल्द 1)।

मस्अला : अगर बड़े अरसा तक भी पानी दस्तयाब न हो तो पाक मिट्टी उसके लिए बराबर पानी का काइम मक़ाम बनी रहेगी। (मफ़्हूमे हदीस मज़ाहिरे हक स0 474, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 265, जिल्द अव्वल व अहसनुल–फ़तावा स0 26, जिल्द 2)।

पानी न मिलने पर तयम्मुम क्यों ?

सवाल : पानी न मलने की सूरत में तयम्मुम कराया जाता है, इसमें क्या मस्लेहत है?

जवाब : हमारे लिए सबसे बड़ी मस्लेहत यह है कि अल्लाह पाक का हुक्म है और रज़ाए–इलाही का ज़रीआ है, वैसे कुरआन शरीफ़ ने इसकी मस्लेहतों की तरफ़ इशारा भी किया है। चुनांचे इरशादे बारी तआला है :

"अल्लाह यह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी डाले बल्कि वह यह चाहता है कि तुम को पाक कर दे, और तुम पर अपनी नेअ़मत पूरी कर दे। (सूरः माइदा पारा 0 7)।

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि हक़ तआला शानहू ने पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी को पाक करने वाली बना दिया है। जिस तरह पानी इंसानी बदन को पाक करने वाला है उसी तरह पानी पर कुदरत न होने की हालत में मिट्टी से तयम्मुम करना भी पाक करने वाला है।

मिट्टी पाक है और बाज़ चीज़ों के लिए मिस्ल पानी के मुतह्हिर (पाक करने वाली) भी है। मसलन चमड़े का मोजा, तल्वार, आईना वग़ैरह और नजासत ज़मीन पर गिर कर ख़ाक हो जाती है वह भी पाक हो जाती है। और नीज़ हाथ और चेहरा पर मिट्टी मलने में इज्ज़ भी पूरा है, जो गुनाहों से मआफ़ी मांगने की आला सूरत है। सो मिट्टी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की नजासत को ज़ाएल करती है, तो इसलिए बवक़्ते माज़ूरी पानी के क़ाइम मक़ाम ऐसी चीज़ की जाए जो पानी से ज़्यादा सहलुल–हुसूल हो।

पस ज़मीन का ऐसा होना ज़ाहिर है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। इन सबके साथ साथ मिट्टी इंसान की अस्ल है और अपनी अस्ल की तरफ़ रुजूअ करने में गुनाहों और ख़राबियों से बचाव है। (आपके मसाइल स0 62, जिल्द 3)।

वुज़ू व गुस्ल के लिए न पानी मिले और न तयम्मुम के लिए मिट्टी ?

मस्अला : जिस शख़्स को वुज़ू व गुस्ल के लिए न पानी मिले और न तयम्मुम के लिए मिट्टी वग़ैरह इसी को फ़िक़्ह में फ़ाक़िदुत्तहूरैन कहते हैं, यानी ऐसा शख़्स जिसको पाक करने

वाली दो चीज़ों में से कोई भी मुयस्सर न हो, न पानी न मिट्टी, ऐसे शख़्स को लाज़िम है कि बिला वुज़ू , बिला तयम्मुम के रुकूअ़ सज्दे करके नमाज़ अदा कर ले और फिर जब पानी या मिट्टी पर क़ादिर हो वुज़ू या तयम्मुम से उस नमाज़ को फिर अदा करे। मसलन किसी शख़्स को इस तरह से बांध दिया गया है कि हाथ नहीं हिला सकता, या ऐसा मरज़ है कि हिल नहीं सकता और कोई तयम्मुम कराने वाला भी मौजूद नहीं है, (या और ऐसी ही क़िस्म से मज्बूर हो) तो इस क़िस्म की तमाम सूरतों में जब पानी की या मिट्टी वग़ैरह की उम्मीद न रहे तो लाज़िम है बिला वुज़ू व तयम्मुम रुकूअ़ सज्दे करके फर्ज़ नमाज़ अदा करे। लेकिन इसमें क़िराअत वग़ैरह कुछ न करे और फिर जब कभी पानी मिले या तयम्मुम की चीज़ें मिल जाएं तो वुज़ू या तयम्मुम करके इस नमाज़ को दोबारा अदा करे। (तहूरुल–मुस्लेमीन स0 33, अज़ मियां साहब रह. फ़तावा रशीदिया स0 285, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो शख़्स पानी और मिट्टी दोनों के इस्तेमाल पर क़ादिर न हो ख़्वाह पानी या मिट्टी न होने की वजह से या बीमारी की वजह से तो वह बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ ले फिर जब क़ादिर हो जाए तो तहारत से लौटा ले। (इल्मुल–फ़िक़ह स0 105, जिल्द अव्वल, हिदाया 36, जिल्द 1, व कशफुल–असरार स0 23, जिल्द 2)।

तयम्मुम को ख़लीफ़-ए-वुज़ू व ग़ुस्ल ठहराने की वजह?

(1) अल्लाह तआला की आदत यूं ही जारी है कि बन्दों पर जो चीज़ें दुश्वार होती हैं वह उन पर आसान और सहल कर देता है और आसानी की सब से बेहतर सूरत यह है कि जिस काम के करने में दिक़्क़त व परेशानी हो, उसको साक़ित करके

उसका बदल कर दिया जाए, ताकि उस बदल से उनके दिल ठिकाने रहें। और जिस चीज़ का वह गायत दरजा इल्तिज़ाम कर रहे थे दफ़अतन उसके तर्क कर देने से जबकि बदल न होता उनके दिल मुतरद्दिद और परेशान न हों और पाकी को छोड़ने का आदी न हो जाएं, लिहाज़ा खुदा तआला ने ज़रूरत के वक़्त तयम्मुम को ख़लीफ़ए (नाइब) वुज़ू व गुस्ल ठहराया और मिन जुमला पाकी के तयम्मुम भी बवज्हे मुशाबहत के एक किस्म की तहारत (पाकी) ठहर गया। (अलमसालेहुल–अक्लीया स0 28)।

(2) मिट्टी और पानी से तहारत का मश्रूअ होना फ़ितरते मुस्तक़ीमा व उकूले सलीमा के मुवाफ़िक़ है।

(3) अल्लाह तआला ने पानी और मिट्टी के दरमियान कुदरतन व शरअन उखुव्वत (भाई चारगी) डाली, लिहाज़ा उन दोनों को तहारत के लिए जमा कया, वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को अल्लाह तआला ने उन ही से पैदा फ़रमाया है, गोया हमारे वालिदैन और उनकी ज़ुर्रीयत (औलाद) के लिए मिट्टी और पानी (गोया कि) वालिदैन हैं।

(अल–मसालेहुल–अक्लीया स0 16)।

मिट्टी से तख़्सीसे तयम्मुम की वजह ?

सवाल : तयम्मुम एक वजह से ख़िलाफ़े अक़्ल है, क्योंकि मिट्टी खुद आलूदा है वह न प्लीदी और मैल कुचैल को दूर करती है और न बदन और कपड़े को पाक कर सकती है?

जवाब : अल्लाह तआला ने इस आलम की हर चीज़ को मिट्टी और पानी से पैदा किया, हमारी सरिश्त की अस्ल यही दोनों चीज़ें हैं जिन से हमारी नश्व नुमा, हमारी तक़्वियत व ग़िज़ा

होती है, जिस का हमको मुशाहदाह हो रहा है, पस जबकि अल्लाह तआला ने इस मिट्टी और पानी को हमारी नश्व नुमा व तक्वियते गिज़ा के अस्बाब ठहराए तो हमारे पाक और सुत्थरा होने के लिए और इबादत में मदद लेने के लिए भी उन ही को वज़अ फ़रमाया, वजह यह है कि मिट्टी वह अस्ल चीज़ है जिससे बनी आदम वग़ैरह की पैदाइश हुई है। और पानी हर चीज़ की ज़िन्दगी का बाइस है। अल–ग़रज़ इस आलम की तमाम अशिया की पैदाइश की अस्ल यही दोनों चीजें हैं। मिट्टी और पानी जिन से खुदा तआला ने इस आलम को मुरक्कब किया है, पस जबकि हमारी इब्तिदाई पैदाइश और तक्वियत और नश्व नुमा मिट्टी और पानी से हुई है तो जिस्मानी और रूहानी पाकी के लिए भी उन्हीं को ख़ुदा ने ठहराया है।

(2) आदतन प्लीदी व गन्दगी को ज़ाएल करने का रिवाज पानी से बकसरत है और जब मरज़ की हालत में और पानी न मिलने का उज़्र हो जाए (बहालते मरज़ व अदमे वजूदे आ उज़्र लाहिक हो जाए) तो तहारत के लिए पानी के दूसरे साथी और हमसर यानी मिट्टी को बनिस्बत किसी दूसरी चीज़ के मुक़र्रर करना ज़्यादा मुनासिब है।

(3) तयम्मुम के लिए ज़मीन इस वास्ते ख़ास की गई है कि ज़मीन कहीं भी नापैद और मफ़्कूद नहीं होती, तो ऐसी चीज़ इस क़ाबिल हो सकती है जिससे लोगों की दिक़्क़त रफ़ा हो सके।

(4) मुँह को ख़ाक आलूदह बनाना (मिट्टी मलना) कस्रे नफ़्सी व इंकिसार व आजिज़ी पर दलालत करता है और यह अम्र अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है। सो तयम्मुम के लिए

मिट्टी इस्तेमाल करने में यह ख़ाकसारी और ज़िल्लत पाई जाती है और ज़िल्लत की शान तलबे अफ़्व की मुनासबत है, यही वजह है कि सज्दा करने में अपने मुंह को मिट्टी से न बचाना पसन्दीदा और मुस्तहब ठहराया गया है।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 30)

तयम्मुम करना भी अल्लाह ही का फ़रमान है

मस्अला : बाज़ मरीज़ यह कोताही करते हैं कि बावजूद इसके कि वुज़ू कुछ मुज़िर नहीं फिर भी तयम्मुम कर लेते हैं, बाज़ मरतबा तीमार दार या दूसरे ख़ैर ख़्वाह हज़रात मरीज़ को वज़ू से रोकते हैं और कहते हैं कि मियां! शरीअत में आसानी है तयम्मुम कर लो, यह बड़ी नादानी है, जब तक वुज़ू करना मुज़िर न हो तयम्मुम करना जाइज़ नहीं है।

मस्अला : बाज़ यह ग़लती और बे–एहतियाती करते हैं कि ख़्वाह उन पर कैसी ही मुसीबत गुज़रे, ख़्वाह कितना ही मरज़ बढ़ जाए, जान निकल जाए, मगर तयम्मुम नहीं करते, वुज़ू ही करते हैं, यह ग़ुलू है और दर पर्दा हक़ तआला शानहू की अता करदा सहूलत को क़बूल न करना है जो सख़्त गुस्ताख़ी और बे अदबी है, क्योंकि जिस तरह वुज़ू करना अल्लाह तआला का हुक्म है तयम्मुम करना भी उनका ही हुक्म है, बन्दा का काम हुक्म मानना है न कि दिल की चाहत और सफ़ाई को देखना, बन्दगी तो उसी का नाम है कि जिस वक़्त जो हुक्म हो जान व दिल से इताअत करे। (अग़लातुल–अवाम अज़ मौलाना थानवी रह. स0 197)।

तयम्मुम में वहम का एतेबार नहीं

सवाल : अगर ग़ुस्ल वाजिब हो जाए और मरज़ बढ़ने या बीमार

हो जाने का ख़दशा हो तो क्या इस सूरत में तयम्मुम हो जाएगा?

जवाब : महज़ वहम का एतेबार नहीं। अगर किसी शख़्स की वाक़ई हालत ऐसी हो कि वह गर्म पानी से भी ग़ुस्ल कर ले तो बीमारी बढ़ जाए, या बीमार पड़ जाने का ग़ालिब गुमान हो, तो उसको ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम की इजाज़त है और ग़ुस्ल का तयम्मुम वही है जो वुज़ू का होता है।

मस्अला : तयम्मुम की इजाज़त सिर्फ़ उस सूरत में है कि पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न हो, जो शख़्स पानी इस्तेमाल कर सकता है उसका तयम्मुम जाइज नहीं है न उसकी नमाज़ सहीह होगी और पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न होने की दो सूरतें हैं : एक यह कि पानी मुयस्सर न आए। यह सूरत उमूमन सफ़र में पेश आ सकती है। पस अगर पानी एक मील दूर है, या कुवाँ तो है मगर कुएं से पानी निकालने की कोई सूरत नहीं, या पानी पर क़ोई दरिन्दा बैठा है, या पानी पर दुश्मन का कब्ज़ा है और उसके खौफ़ की वजह से पानी तक पहुंचना मुम्किन नहीं तो इन तमाम सूरतों में उस शख़्स को गोया पानी मयस्सर नहीं और वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है।

दूसरी सूरत यह है कि पानी तो मौजूद है मगर वह बीमार है और वुज़ू या ग़ुस्ल से जान की हलाकत का या किसी उज़्व के तलफ़ हो जाने का या बीमारी में शिद्दत हो जाने का या बीमारी के तूल पकड़ जाने का अन्देशा है या खुद वुज़ू या ग़ुस्ल करने से माज़ूर है और कोई दूसरा आदमी वुज़ू या ग़ुस्ल कराने वाला मौजूद नहीं है तो ऐसा शख़्स तयम्मुम कर सकता है। (आपके मसाइल स0 63, जिल्द 3)।

मस्अला : हालते मरज़ और ख़ौफ़े मरज़ में तयम्मुम दुरुस्त है जबकि सर्द पानी से गुस्ल करने या वुज़ू करने में अन्देशा हिलाकत का, या मरज़ का हो तो तयम्मुम जाइज़ है। (फतावा दारुल–उलूम स0 243, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 214, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम)।

तयम्मुम का हुक्म सबके लिए यक्सां है

मस्अला : ईद की नमाज़ के लिए तयम्मुम करना उस वक़्त जाइज़ है जब ईदैन की नमाज़ के फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो, इसी तरह अगर वह वुज़ू करने लगा तो इमाम नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाएगा या आफ़ताब ढल जाएगा। और ईदैन की नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा। (लेकिन अगर ईद की नमाज़ के किसी हिस्सा के मिलने की उम्मीद है या दूसरी जगह नमाज़ मिलने की उम्मीद है तो वुज़ू करे तयम्मुम जाइज़ नहीं है।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

मस्अला : यह तयम्मुम "बिना" के वक़्त भी दुरुस्त है कि नमाज़े जनाज़ा शुरू की थी या नमाज़े ईद वुज़ू करके शुरू की थी, कि दरमियान में हदस लाहिक़ हो गया, यानी वुज़ू टूट गया, अब ख़ौफ़ है कि अगर वुज़ू करता है तो उसकी नमाज़ फ़ौत हो जाएगी तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम करके "बिना" करना यानी नमाज़ में शामिल हो जाना दुरुस्त है।

मस्अला : और इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बिना करने वाला इमाम है या मुक़्तदी, यानी जब नमाज़े जनाज़ा और नमाज़े ईद के फ़ौत हो जाने का ख़तरा हो तो अगर इमाम है तो वह भी तयम्मुम कर सकता है, और अगर मुक़्तदी है तो वह भी तयम्मुम कर सकता है, क्योंकि तयम्मुम के जाइज़ होने का मदार नमाज़

छूट जाने का ख़ौफ है जिसका कोई बदल यानी उसकी कज़ा नहीं है, जब तयम्मुम के जाइज़ होने का मदार नमाज़ के फ़ौत होने का ख़ौफ़ ठहरा तो सूरज और चाँद गहन की नमाज़ के वास्ते, मुअक्कदा सुन्नतों के वास्ते, ख़्वाह सुन्नते फ़ज्र ही क्यों न हो, और सिर्फ़ इसी सुन्नत के छूट जाने का ख़ौफ़ हो, फ़र्ज़े फ़ज्र के छूटने का ख़ौफ़ न हो तो इन सब सूरतों में तयम्मुत जाइज़ है, यानी जब यह ख़ौफ़ हो कि वुज़ू के लिए जब तक पानी तक पहुँचा जाएगा सूरज ख़त्म हो चुकेगा या ज़ुहर और मग़्रिब के फ़र्ज अदा कर चुकने के बाद किसी का वुज़ू टूट गया और पानी से वुज़ू करने में ख़ौफ़ है कि वुज़ू करते–करते वक़्त निकल जाएगा तो उसके लिए तयम्मुम करके सुन्नतें पढ लेना जाइज़ है और सुन्नते फ़ज्र बगैर फ़र्ज के फ़ौत होने की सूरत यह है कि पानी मील भर से कम दूरी पर है, ख़ादिम वग़ैरह पानी लेने के लिए गया है लेकिन उसको यक़ीन है या ज़न्ने ग़ालिब है कि जब ख़ादिम पानी लेकर पहुँचेगा तो उस वक़्त सिर्फ़ वुज़ू करने और बमुश्किल फ़र्ज़ अदा करने का वक़्त मिलेगा, तो ऐसे शख़्स के लिए जाइज़ है कि तयम्मुम करके फ़ज्र की सुन्नत पढ़ ले और फिर जब पानी लेकर आए तो फ़ौरन वुज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे।

फ़ज्र की सुन्नत के छूटने के ख़ौफ़ की शर्त इसलिए है कि अगर ख़ौफ़ यह हो कि फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी छूट जाएगी तो फिर तयम्मुम करना जाइज़ न होगा, इस वजह से कि जब दोनों छूट जाएंगे तो उस वक़्त फ़र्ज़ की कज़ा के साथ सुन्नते फ़ज्र पढना दुरुस्त है। (कश्फ़ुल–असरार स0 15, जिल्द 2)।

मस्अला : सोने के वक़्त, सलाम का जवाब देने के लिए बावजूद पानी होने के तयम्मुम करना जाइज़ है अगरचे इस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है, इस वजह से कि नमाज़ के लिए तयम्मुम उस वक़्त जाइज़ होता है जब पानी न पाया जाए, या वह पानी के इस्तेमाल पर किसी वजह से क़ादिर न हो। उन तमाम आमाल के लिए तयम्मुम करना जाइज है जिसके लिए तहारत की शर्त नहीं है।

मस्अला : मस्जिद में दाख़िल होने और मस्जिद में सोने के लिए तयम्मुम करना जाइज़ है। (कश्फुल–असरार स0 16, जिल्द 2)

मस्अला : नमाज़े जुमा और वक़्ती नमाज़ और वित्र के फ़ौत होने की वजह से तयम्मुम नहीं कर सकता क्योंकि इन नमाज़ों का बदल क़ज़ा की सूरत में मौजूद है। (कश्फुल–असरार स0 17, जिल्द 2)।

तयम्मुम में काहिली और सुस्ती को दख़ल नहीं

मस्अला : मामूली अमराज़ ज़ुकाम, बुख़ार वग़ैरह में जब तक मरज़ बढ़ जाने का अन्देशा न हो तयम्मुम जाइज़ नहीं है, अगर गर्म पानी नुक़्सान नहीं करता और मिल भी सकता है तो तयम्मुम जाइज़ नहीं है।

मस्अला : अगर ख़्वाह मख़्वाह वहम हो गया कि बीमार हो जाऊँगा या मरज़ बढ़ जाएगा, लेकिन न इस तरह मरीज़ होने की आदत है और न आम तौर से इस बात का तजरबा है, न तबीब मोतबर पानी को मुज़िर बतलाता है, तो तयम्मुम जाइज़ नहीं है अगर बदन में ताक़त है और पानी ज़रर नहीं करता, लेकिन काहिली की वजह से या सुस्ती की बिना पर वुज़ू करने

को दिल नहीं चाहता तो तयम्मुम जाइज़ नहीं है।

मस्अला : अगर सिर्फ़ हाथों पर या सिर्फ़ पाँव पर ज़ख़्म हों तो तयम्मुम जाइज़ नहीं है, ज़ख़्म वाले हिस्सा पर मसह कर ले, बाक़ी आज़ा को धो कर वुज़ू करे। अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था उसके बाद ऐसा मरज़ पेश आ गया जिसमें पानी मुज़िर है लेकिन पानी मिल गया तो अब इस पहले तयम्मुम से नमाज़ जाइज़ नहीं, पानी मिलने से वह जाता रहा। अब मरज़ के उज़्र से दोबारा तयम्मुम करे। (तहूरुल–मुस्लेमीन स0 16)।

सर्द मुल्कों में तयम्मुम करने का हुक्म ?

सवाल : जिस जगह बर्फ़ बारी की शिद्दत हो और सर्दी भी बकसरत होती हो, हवा भी निहायत तुन्द चलती हो, वुज़ू करने से सख़्त तक्लीफ होती हो, यहाँ तक कि हाथ पाँव चन्द साअत के लिए बिल्कुल मुअत्तल रहते हों, ऐसी हालत में तयम्मुम या मसह से नमाज़ जाइज़ होगी या नहीं?

जवाब : अगर कहीं शाज़ व नादिर ऐसी सूरत हो कि वुज़ू करने से हलाकत या मरज़ का ग़ालिब अन्देशा हो और गर्म पानी करने का भी सामान न हो, न ऐसा कोई कपड़ा हो कि उसमें लिपट पर बदन गर्म कर लें। ऐसी सूरत में तयम्मुम जाइज़ है वरना जाइज़ नहीं है। और पाँव धोने का बदल खुफ़्फ़ैन पर मसह हो सकता है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 74, जिल्द अव्वल)।

(तफ़सील देखिए अहक़र की मुरत्तब करदा किताब मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले ख़ुफ़्फ़ैन।) (मुहम्मद रिफ़अत क़ासमी)

तयम्मुम के वाजिब होने की शर्तें

(1) मुसलमान होना, काफ़िर पर तयम्मुम वाजिब नहीं।
(2) बालिग़ होना, नाबालिग़ पर तयम्मुम वाजिब नहीं।
(3) आक़िल होना, दीवाना और मस्त और बेहोश पर तयम्मुम वाजिब नहीं।
(4) हदसे असग़र, हदसे अकबर, का पाया जाना, यानी वुज़ू और गुस्ल की हाजत का होना, और जो शख़्स दोनों हदसों से यानी जिसको वुज़ू और गुस्ल की ज़रूरत ही न हो, यानी पाक हो, उस पर तयम्मुम वाजिब नहीं।
(5) जिन चीज़ों से तयम्मुम जाइज़ हो, उनके इस्तेमाल पर क़ादिर होना। जिस शख़्स को उनके इस्तेमाल पर क़ुदरत न हो उस पर तयम्मुम वाजिब नहीं।
(6) नमाज़ के वक़्त का तंग हो जाना। शुरू वक़्त में तयम्मुम वाजिब नहीं।
(7) नमाज़ का इस क़दर वक़्त मिलना कि जिसमें तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश हो, अगर किसी को इतना वक़्त न मिले तो उस पर तयम्मुम वाजिब नहीं। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 102, जिल्द अव्वल, किताबुल–फ़िक़्ह स0 239, जिल्द अव्वल व तहूरुल–मुस्लिमीन स0 8)।

तयम्मुम के सहीह होने की शर्तें

(1) मुसलमान होना, काफिर का तयम्मुम सहीह नहीं यानी हालते कुफ़्र के तयम्मुम से इस्लाम लाने के बाद नमाज़ जाइज़ नहीं है, हां इस्लाम लाने के वक़्त जो गुस्ल मुस्तहब है अगर उसके एवज़ तयम्मुम

करे तो उसको मुस्तहब को अदा करने का सवाब मिल जाएगा।

(2) तयम्मुम की नीयत करना, जिस हदस के सबब से तयम्मुम किया जाए या उससे तहारत की नीयत की जाए या जिस चीज़ के लिए तयम्मुम किया जाए उसकी नीयत की जाए। मसलन अगर नमाज़े जनाज़ा के लिए तयम्मुम किया जाए, या कुरआन शरीफ़ की तिलावत के लिए तयम्मुम किया जाए तो उसकी नीयत की जाए, मगर नमाज़ उस तयम्मुम से सहीह होगी जिसमें हदस (नापाकी) से ताहरत (पाकी) की नीयत की जाए या, किसी ऐसी इबादते मक़्सूदा की नीयत की जाए, जो बग़ैर तहारत के नहीं हो सकती। (इबादते मक़्सूदा वह इबादत है जिसकी मश्रूईयत सिर्फ़ सवाब और अल्लाह तआला की ख़ुश्नूदी के लिए हो, किसी दूसरी इबादत के अदा करने के लिए उसकी मश्रूईयत न हो, जैसे नमाज़, कुरआन की तिलावत वग़ैरह, बख़िलाफ़ वुज़ू व कुरआन मजीद के छूने और मस्जिद में जाने के कि इन से सिर्फ़ सवाब मक़्सूद नहीं होता, बल्कि दूसरी इबादतों का अदा करना भी मक़्सूद होता है) यानी नमाज़ के तयम्मुम से तो कुरआन मजीद छू सकते हैं लेकिन कुरआन वग़ैरह के छूने के लिए किसी ने तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ नहीं पढ़ सकते।

(3) पूरे मुँह और दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह करना।

(4) जिस्म पर ऐसी चीज़ का न होना जो मसह को मानेअ हो मसलन रौग़न, चर्बी, मोम या तंग अंगूठी और छल्लों वग़ैरह का।

(5) पूरे दोनों हाथों से या उनके अक्सर हिस्सा से मसह करना।

(6) जिन चीज़ों से हदसे अस्ग़र या हदसे अक्बर होता है उनका तयम्मुम के वक़्त न होना। कोई हाइज़ा औरत तयम्मुम करे

तो सहीह नहीं है। और अगर ऐसी इबादत के लिए तयम्मुम किया जाए जो बग़ैर तहारत के नहीं हो सकती जैसे नमाज़, कुरआन की तिलावत वग़ैरह तो इसके लिए पानी के इस्तेमाल से माज़ूर होना भी शर्त है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 103, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम का मस्नून तरीक़ा

मस्अला : तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि बिस्मिल्लाह आख़िर तक पढ़ कर और नीयत करके अपने दोनों हाथों को किसी ऐसी मिट्टी पर जिस पर नजासत न पहुँची हो, या नजासत धो कर ज़ाइल कर दी गई हो, अपने दोनों हाथो को हथेलियों की जानिब से कुशादा करके (कुछ खोल कर) मार कर मले, उसके बाद हाथों को उठा कर उनकी मिट्टी झाड़ डाले, फिर पूरे दोनों हाथों को अपने पूरे मुँह पर मले, इस तरह कि कोई जगह ऐसी बाक़ी न रहे जहाँ हाथ न पहुँचे, फिर उसी तरह दोनों हाथों को मिट्टी पर मार कर मले, और फिर उनकी मिट्टी झाड़ डाले, और बाएं हाथ की तीन उंगलियाँ सिवा कलिमा की उंगली और अंगूठे के दाहिने हाथ की उंगलियों के सिरे पर पुश्त की जानिब रख कर कुहनियों तक खींच लाए, इस तरह कि बाएं हाथ की हथेली भी लग जाए, और कुहनियों का मसह भी हो जाए, फिर बाक़ी उंगलियों को और हाथ की हथेली को दूसरी जानिब रख कर उंगलियों तक खींचा जाए, इसी तरह बाएं हाथ का भी मसह करे।

वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों के तयम्मुम का यही तरीक़ा है और एक ही तयम्मुम दोनों के लिए काफ़ी है अगर दोनों की नीयत की जाए। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 106, जिल्द अव्वल, मुनया स0 29, व

शामी स0 264, जिल्द अव्वल, व हिदाया स0 62, जिल्द अव्वल व कबीरी स0 64, व तहूरुल–मुस्लिमीन स0 22, व मज़ाहिरे हक़ स0 479, जिल्द 1, व शरह नक़ाया स0 26, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम के फ़राइज़ और वाजिबात

(1) तयम्मुम करते वक़्त नीयत करना फ़र्ज़ है।

(2) मिट्टी या मिट्टी की क़िस्म से किसी चीज़ पर दो मरतबा हाथ मारना।

(3) तमाम मुँह और दोनों हाथों के अक्सर हिस्सा से मलना फ़र्ज़ है।

(4) आज़ा से ऐसी चीज़ का दूर करना फ़र्ज़ है जिनके सबब से मिट्टी जिस्म तक न पहुँच सके जैसे रौग़न या चर्बी वग़ैरह।

(5) तंग अंगूठी, तंग छल्लों और तंग चूड़ियों का उतार डालना वाजिब है।

(6) अगर किसी क़रीना से पानी का क़रीब होना मालूम हो तो उसकी तलाश में सौ क़दम तक ख़ुद जाना या किसी को भेजना वाजिब है।

(7) अगर किसी के पास पानी हो और उससे मिलने की उम्मीद हो तो उससे तलब करना वाजिब है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 106, व मज़ाहिरे हक़ स0 58, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम की सुनन और मुस्तहब्बात

(1) तयम्मुम के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत है।

(2) उसी तरतीब से तयम्मुम करना सुन्नत है जिस तर्तीब से

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया है, यानी पहले मुँह का मसह फिर दोनों हाथों का।

(3) पाक मिट्टी पर हथेलियों की अन्दरूनी सतह को मलना सुन्नत है, न उनकी पुश्त को।

(4) मलने के बाद दोनों हाथों की मिट्टी झाड़ना सुन्नत है।

(5) मिट्टी पर हाथ मारते वक़्त उंगलियों का कुशादा रखना सुन्नत है ताकि ग़ुबार उनके अन्दर पहुँच जाए।

(6) कम से कम तीन उंगलियों से मसह करना सुन्नत है।

(7) पहले दाएं उज़्व का मसह करना फिर बाएं का मसह करना सुन्नत है।

(8) मिट्टी से तयम्मुम करना सुन्नत है, न उसके हम जिन्स से।

(9) मुँह के मसह के बाद दाढ़ी का ख़िलाल करना सुन्नत है।

(10) एक उज़्व के मसह के बाद बिला तवक़्क़ुफ़ दूसरे उज़्व का मसह करना मुस्तहब है।

(11) मसह का उसी ख़ास तरीक़ा से होना मुस्तहब है जो तयम्मुम के तरीक़ा में लिखा गया है।

(12) जिस शख़्स को अख़ीर वक़्त तक पानी मिलने का यक़ीन हो, या गुमाने ग़ालिब हो, उसको नमाज़ के अख़ीर वक़्त तक पानी का इंतिज़ार करना मुस्तहब है।

मिसाल : कुँवें से पानी निकालने की कोई चीज़ न हो और यह यक़ीन या ग़ालिबे गुमान हो कि अख़ीर वक़्त में रस्सी डोल मिल जाएगा। या कोई शख़्स रेल में सवार हो और यक़ीनन मालूम हो कि अख़ीर वक़्त तक रेल ऐसे इस्टेशन पर पहुँच जाएगी जहाँ पानी मिल सकता है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स० 107,

जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 259, जिल्द अव्वल व कश्फ़ुल–असरार स0 5, जिल्द 2)।

पानी के इस्तेमाल से माज़ूर होने की सूरतें

(1) इस क़दर पानी का जो वुज़ू और ग़ुस्ल के लिए काफ़ी हो वहाँ मौजूद न होना, बल्कि एक मील (एक किलो मीटर 610 मीटर) या एक मील से ज़्यादा फ़ासिला पर होना।

(2) पानी मौजूद हो मगर किसी की अमानत हो या किसी का ग़सब किया हुआ हो।

(3) पानी के निर्ख़ (भाव, क़ीमत) का मामूल से ज़्यादा गिरां हो जाना।

(4) पानी की क़ीम का न मौजूद होना, ख़्वाह पानी क़र्ज़ मिल सकता हो या नहीं, और क़र्ज़ लेने की सूरत में उसके ऊपर क़ादिर होना या नहीं होना। (मराक़ियुल–फ़लाह)

हाँ अगर उसकी मिल्क में माल हो और एक मुद्दते मुऐयना के वादे पर उसको क़र्ज़ मिल सके तो क़र्ज़ ले लेना चाहिए।

(5) पानी के इस्तेमाल से किसी मरज़ के पैदा हो जाने या बढ़ जाने का ख़ौफ़ हो, कि पानी के इस्तेमाल से सेहत के हासिल होने, यानी सहीह होने में देर होगी।

(6) सर्दी का इस क़द्र ज़्यादा होना कि पानी के इस्तेमाल से किसी उज़्व के ज़ाए हो जाने या किसी मरज़ के पैदा हो जाने का ख़ौफ़ हो और गर्म पानी न मिल सकता हो।

(7) किसी दुश्मन या दरिन्दा का ख़ौफ़ हो, मसलन पानी ऐसे मक़ाम पर हो जहाँ पर दरिन्दे वग़ैरह आते हों या रास्ता में चोरों का ख़ौफ़ हो, या उस पर किसी का क़र्ज़ हो, या किसी

से अदावत हो और यह ख़्याल हो कि अगर पानी लेने जाएगा तो वह क़र्ज़ ख़्वाह या वह दुश्मन उसको क़ैद कर लेगा, या किसी क़िस्म की तक्लीफ़ देगा, या किसी फ़ासिक़ के पास पानी हो और औरत को उससे पानी लेने में अपनी बे हुरमती का ख़ौफ़ हो।

(8) पानी खाने पीने की ज़रूरत के लिए रखा हो कि अगर वुज़ू या ग़ुस्ल में ख़र्च कर दिया जाएगा तो इस ज़रूरत में हरज होगा, मसलन पानी आटा गूंधने या गोश्त वग़ैरह पकाने के लिए रखा हो, या पानी इस क़दर हो कि अगर वुज़ू या ग़ुस्ल में सर्फ़ कर दिया जाए तो प्यास का ख़ौफ़ हो, ख़्वाह अपनी प्यास का या किसी और आदमी की प्यास का, या अपने जानवर का, बशर्तेकि कोई ऐसी तदबीर न हो सके जिससे मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी जानवरों के काम आ सके।

(9) कुँवें से पानी निकालने की कोई चीज़ न हो और न कोई कपड़ा हो जिसको कुँवें में डाल कर तर करे और उसे निचोड़ कर पाकी हासिल कर सके, या पानी मटके (जिस बर्तन में पानी हो) वग़ैरह में हो और कोई चीज़ पानी निकालने की न हो और मटका (पानी का बर्तन) झुका कर पानी न ले सकता हो औ हाथ नापाक हों और कोई दूसरा शख़्स ऐसा न हो जो पानी निकाल कर दे दे या उसके हाथ धुला दे।

(10) वुज़ू या ग़ुस्ल करने में ऐसी नमाज़ के चले जाने का ख़ौफ़ हो जिसकी क़ज़ा नहीं है, जैसे ईदैन और जनाज़ा की नमाज़।

(11) पानी का भूल जाना, मसलन किसी शख़्स के पास पानी हो और वह उसको भूल गया हो, और उसके ख़्याल में हो

कि मेरे पास पानी नहीं है। (इल्मुल–फ़िक़ह स0 104, जिल्द अव्वल, मुनयतुल–मुसल्ली स0 42, दुर्रे मुख़्तार स0 229, जिल्द अव्वल, बहिश्ती ज़ेवर स0 67, जिल्द अव्वल, तहूरुल–मुस्लिमीन अज़ मियाँ साहब रह. स0 11)।

मस्अला : जो शख़्स वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों से माज़ूर हो वह हालते जनाबत यानी नापाकी की हालत में एक तयम्मुम बनीयते ग़ुस्ल व वुज़ू कर ले तो उसके लिए काफ़ी है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 263, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल मुह्तार स0 214, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम)।

मस्अला : फ़ालिज ज़दह मरीज़ जो ख़ुद वुज़ू करने से मज्बूर है और गर्म पानी के बग़ैर वुज़ू न कर सकता हो, अगर उसके पास कोई वुज़ू कराने वाला न हो, या गर्म पानी मौजूद नहीं है तो वह तयम्मुम कर सकता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 265, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 215, जिल्द 1)।

पाँव और सर पर मसहे तयम्मुम मश्रूअ़ न होने की वजह ?

तयम्मुम दो अंदामों, हाथ और मुँह के साथ मख़्सूस होना और पाँव और सर पर तयम्मुम मश्रूअ़ न होना इस वजह से है कि मिट्टी का सर पर डालना नापसन्द व मक्रूह अम्र शुमार किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का सर पर डालना मसाइब और तकालीफ़ के वक़्त लोगों में मुरव्वज है, इस वजह से सर पर मिट्टी मलना या मसह करना मश्रूअ़ नहीं हुआ, क्योंकि यह बात

अल्लाह तआला और लोगों में मकरूह व नापसन्द है। और तयम्मुम में पैरों पर हाथ फेरने का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया कि पैर तो ख़ुद ही गर्द व ग़ुबार से आलूदा रहते हैं और हुक्म ऐसी चीज़ का दिया जाता है जो पहले से न पाई जाती हो, ताकि नफ़्स में उसके करने से तंबीह पाई जाए।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स० 31)।

वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में फ़र्क़ न होने की वजह ?

जुनुबी यानी जिस पर ग़ुस्ल वाजिब हो, और बेवुज़ू का तयम्मुम, यक्सां होने में यह हिक्मत है कि जबकि बेवुज़ू शख़्स के लिए तयम्मुम में हाथ और मुँह पर मसह करने के बाद सर और पाँव का मसह साकित हो गया तो उन ही आज़ा यानी हाथ और मुँह पर मसह करने के बाद जुनुबी के लिए सारे बदन का मसह (हाथ फेरना) बदरज–ए–औला साकित हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे बदन का मसह करने में तक्लीफ और हरज है जो रुख़्सते तयम्मुम के मुनाफ़ी और मुनाकिज़ है और सारे बदन पर मिट्टी मलने में ख़ुदा तआला की अफ़ज़ल मख़्लूक़ात यानी इंसान को ख़ाक में लोटने में बहाइम (जानवरों) के साथ मुशाबहत होती है, पस जो कुछ शरीअते हक़्क़ा ने मुक़र्रर किया है हुस्न व ख़ूबी और अद्ल में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स० 30)।

मस्अला : वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क़ नहीं है, दोनों का तरीक़ा एक ही है। (सिर्फ़ नीयत का फ़र्क़ है)।

(आपके मसाइल स० 64, जिल्द 2)।

मस्अला : जो शख़्स वुज़ू और ग़ुस्ल करने से माज़ूर हो वह

जनाबत (नापाकी) की हालत में एक ही तयम्मुम गुस्ल और वुज़ू की नीयत से कर ले। उसके लिए काफ़ी है।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 263, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जैसा कि बेवुज़ू आदमी पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकत है, उसी तरह जिसको नहाने की ज़रूरत हो वह पानी न मिलने की सूरत में गुस्ल के लिए तयम्मुम कर सकता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 252, जिल्द अव्वल)।

तयम्मुम के लिए कितना बड़ा ढेला हो?

मस्अला : तयम्मुम में अहवत (इहतियात) यह है कि ढेला इतना बड़ा हो जिस पर दोनों हाथ से एक दफ़ा ज़र्ब (मार) कर सकें, या कि कम अज़ कम इतना बड़ा हो कि एक हाथ पूरा यानी हथेली मअ उंगलियों के उस पर आ जाए और यके बाद दीगरे दोनों हाथों को उस पर मार सकें, क्योंकि बाज़ उलमा के नज़्दीक ज़र्ब तयम्मुम कार रुक्न है। (इम्दादुल–अहकाम स0 387, जिल्द अव्वल)।

एक ढेला पर मुतअद्दद बार तयम्मुम करना ?

मस्अला : बाज़ मसाजिद में तयम्मुम करने के वास्ते मिट्टी का एक गोला बना लेते हैं, उस मिट्टी के गोला पर बार–बार तयम्मुम करना दुरुस्त है और उस पर नजासते हुक्मी का असर नहीं होता। दुर्रे मुख़्तार में तस्रीह है कि एक जगह पर बार–बार तयम्मुम करना सहीह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 261, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 220, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम)।

मस्अला : एक मकाम से और एक ढेले से चन्द आदमी यके बादे दीगरे तयम्मुम करें तो दुरुस्त है। (कबीरी स0 8)।

मस्अला : अगर तयम्मुम करने वालों के हाथ की झाड़ी हुई काफी मिट्टी जमा हो जाए तो उस मिट्टी पर भी तयम्मुम करना जाइज़ है, क़तअन कोई मुज़ाइका नहीं। (कश्फुल–असरार स0 25, जिल्द 2)।

मस्अला : मस्जिद की चूना फिरी हुई दीवार पर तयम्मुम दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 262, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया स0 53, जिल्द अव्वल व तफ़्सील इम्दादुल–फ़तावा स0 71, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : लकड़ी, कपड़े पर बग़ैर गुबार के तयम्मुम दुरुस्त नहीं है, इसी तरह सब्ज़ और ख़ुश्क घास का हुक्म है। और पत्थर, दीवार कच्ची व पक्की व चूना पर बिला गुबार भी तयम्मुम दुरुस्त है, लकड़ी वग़ैरह पर थोड़ा गुबार भी काफ़ी है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 244, जिल्द अव्वल, बहवाला गुनया, स0 74)।

तयम्मुम के ढेले से इस्तिंजा करना ?

मस्अला : जिस ढेले से तयम्मुम किया हो उससे या उसमें से तोड़ कर ढेला को इस्तिंजा में इस्तेमाल करना जाइज तो है मगर अच्छा नहीं है, फ़ुकहा ने नापाक जगह वुज़ू करने को खिलाफ़े अदब कहा है, और वजह यही लिखी है कि वुज़ू की पानी क़ाबिले हुर्मत है, पस ऐसे ही तयम्मुम का ढीला भी है।

(इम्दादुल–अहकाम स0 387, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी होना ज़रूरी है, नापाक ज़मीन जो ख़ुश्क हो जाए कि ऐसी मिट्टी इस्तेमाल किए गए पानी की तरह है, यानी ख़ुद तो पाक है मगर पाक करने वाली नहीं है, ऐसी ज़मीन पर ख़ुश्क होने के बाद नमाज़ तो पढ़

सकते हैं मगर उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं है।

(कश्फुल–असरार स0 3, जिल्द 1)

मस्अला : पाक गीली मिट्टी से जिस पर पानी ग़ालिब नहीं है तयम्मुम जाइज़ है, मगर गीली मिट्टी से तयम्मुम उस वक़्त करना चाहिए जब वक़्त के फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो ताकि बिला ज़रूरत बद शक्ल बनने की नौबत न आए।

(कश्फुल–असरार स0 12, जिल्द 2)।

जिन चीज़ों से तयम्मुम जाइज़ है और जिन से जाइज़ नहीं :

(1) मिट्टी या मिट्टी की क़िस्म से जो चीज़ हो उससे तयम्मुम जाइज़ है और जो मिट्टी की क़िस्म से न हो, उससे जाइज़ नहीं। जो चीज़ें आग में जलाने से नर्म न हों और न जल कर राख हो जाएं और वह चीज़ें मिट्टी की क़िस्म से हैं जैसे रेत और पत्थर के अक़्साम अक़ीक़, ज़बर जद, फ़ीरोज़ा, संगे मर मर, हड़ताल, संखिया वग़ैरह। और जो चीज़ें आग में जलाने से नर्म हो जाएं या जल कर राख हो जाएं और वह मिट्टी की क़िस्म से नहीं जैसे कपड़ा, लकड़ी वग़ैरह जल कर राख हो जाते हैं। और सोना, चाँदी वग़ैरह कि जलने से नर्म हो जाते हैं, उनसे तयम्मुम जाइज़ नहीं है।

(2) जो चीज़ें मिट्टी की क़िस्म से न हों, अगर उन पर ग़ुबार हो तो उन से बवज्हे उस ग़ुबार के तयम्मुम जाइज़ है, जैसे किसी कपड़े या लकड़ी या सोने चाँदी वग़ैरह पर ग़ुबार हो तो उनसे तयम्मुम जाइज़ है।

(3) किसी नजिस (नापाक) चीज़ पर गुबार हो तो अगर वह गुबार उस पर खुश्की की हालत में पड़ा हो और उससे तयम्मुम करने में नजासत की किसी चीज़ के आने का खौफ़ न हो तो उससे तयम्मुम जाइज़ है वरना नहीं।

(4) किसी हैवान या इंसान या अपने आज़ा पर गुबार हो तो उससे तयम्मुम जाइज़ है, जैसे किसी ने झाड़ू दी, उससे गुबार उड़ कर मुँह और हाथों पर पड़ जाए और हाथ से मल ले तो तयम्मुम हो जाएगा।

(5) अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे तयम्मुम जाइज़ नहीं मिट्टी वग़ैरह के साथ मिल जाए तो ग़ालिब का एतेबार होगा, अगर मिट्टी वग़ैरह ग़ालिब है तो तयम्मुम जाइज़ होगा वरना नाजाइज़। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 105, जिल्द 1, हिदाया स0 26, जिल्द अव्वल, शरह नक़ाया स0 26, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 76)।

मस्अला : दीवार पत्थर की हो, या पुख़्ता ईंटों की, या कच्ची ईंटों की, बशर्तेकि पाक हो, तो उस पर तयम्मुम जाइज़ है। (नमाज़ के मस्नून आमाल स0 139, अहसनुल–फ़तावा स0 57, जिल्द 2, रद्दुल–मुह्तार स0 220, जिल्द 1)।

मस्अला : अनाज मसलन गेहूँ, जौ, बाजरा वग़ैरह पर अगर गर्द व गुबार हो तो तयम्मुम जाइज़ है, वरना नहीं। (शरह वक़ाया स0 90, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 76, किताबुल–फ़िक्ह स0 255, जिल्द अव्वल व तहूरुल–मुस्लिमीन स0 17)।

तयम्मुम के अहकाम :

मस्अला : (1) जिन चीज़ों के लिए वुज़ू फ़र्ज़ है उनके लिए वुज़ू का तयम्मुम भी फ़र्ज़ है। और जिनके लिए वुज़ू वाजिब है

उनके लिए वुज़ू का तयम्मुम भी वाजिब है, और जिनके लिए वुज़ू सुन्नत या मुस्तहब है उनके लिए वुज़ू का तयम्मुम भी सुन्नत या मुस्तहब है। और यही हाल गुस्ल के तयम्मुम का बक़्यासे गुस्ल के है। (मसलन कोई वुज़ू करने से माज़ूर है और वह वुज़ू के बदले में जो तयम्मुम करेगा वह तयम्मुम भी फ़र्ज़ ही रहेगा, अला हाज़ल–क़्यास)।

मस्अला : अगर किसी को हदसे अक्बर हो (यानी नहाने की हाजत हो) और मस्जिद में जाने की उसको सख़्त ज़रूरत हो, तो उस पर तयम्मुम करना वाजिब है।

मस्अला : जिन इबादतों के लिए दोनों हदसों से तहारत शर्त नहीं जैसे सलाम, सलाम का जवाब वग़ैरह। उनके लिए वुज़ू व गुस्ल दोनों का तयम्मुम बग़ैर उज़्र के हो सकता है। और जिन इबादतों में सिर्फ़ हदसे अस्ग़र से तहारत (पाकी) शर्त न हो जैसे कुरआन शरीफ़ की तिलावत बग़ैर हाथ लगाए, या अज़ान वग़ैरह, उनके लिए सिर्फ़ वुज़ू का तयम्मुम बग़ैर उज़्र के हो सकता है।

मस्अला (4) : अगर किसी के पास मश्कूक पानी हो जैसे गधे का जूठा पानी, तो ऐसी हालत में वुज़ू या गुस्ल कर ले उसके बाद तयम्मुम करे।

मस्अला (5) : अगर वह उज़्र जिसकी वजह से तयम्मुम किया गया है आदमियों की तरफ़ से हो तो जब वह उज़्र जाता रहे तो जिस क़दर नमाज़ें उस तयम्मुम से पढ़ी हैं, सब दोबारा पढ़ना चाहिए।

मिसाल : कोई शख़्स जेल में हो और जेल के मुलाज़िम

उसको पानी न दें, या कोई शख़्स उससे कहे कि अगर तू वुज़ू करेगा तो मैं तुझको मार डालूँगा, वग़ैरह (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 105, जिल्द अव्वल व तहूरुल–मुस्लिमीन स0 18, व कश्फुल–असरार स0 25, जिल्द 2)।

तयम्मुम जिन चीज़ों से टूट जाता है

मस्अला : जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उनसे वुज़ू का तयम्मुम भी टूट जाता है। और जिन चीज़ों से ग़ुस्ल वाजिब होता है उनसे ग़ुस्ल का तयम्मुम भी टूट जाता है।

मस्अला : अगर वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम किया जाए तो जब वुज़ू टूट जाएगा तो वह तयम्मुम वुज़ू के हक़ में टूट जाएगा और ग़ुस्ल के हक़ में बाक़ी रहेगा, जब तक ग़ुस्ल के वाजिब करने वाली कोई चीज़ न पाई जाए।

मस्अला : जिस उज़्र के सबब से तयम्मुम किया गया था, उसके ज़ाएल हो जाने से तयम्मुम जाता रहेगा, अगरचे उसके बाद ही फ़ौरन दूसरा उज़्र पैदा हो जाए, मसलन किसी शख़्स ने पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था, फिर जब पानी मिला तो वह बीमार हो गया। (फिर बीमारी का तयम्मुम अलग करे)।

मस्अला : अगर कोई शख़्स सोता हुआ, या ऊँघता हुआ पानी के पास से गुज़रे तो उसका तयम्मुम न जाएगा, इसलिए कि वह ऐसी हालत में पानी पर पहुँचा था जिसमें उसको पानी के इस्तेमाल पर क़ुदरत न थी, मगर इसमें यह शर्त है कि इस तरह सोया हो कि जिससे वुज़ू न टूटे, या तयम्मुम ग़ुस्ल के एवज़ में किया हो, मसलन कोई शख़्स घोड़े या गाड़ी पर बैठा

हुआ सो जाए और अस्नाए राह उसे कोई चश्मा या नदी वग़ैरह मिले तो उसका तयम्मुम न जाएगा।

(फ़तावा क़ाज़ी ख़ान, फ़त्हुल–क़दीर)।

(यह शर्त इसलिए की गई है कि अगर तयम्मुम का वुज़ू होगा और इसी तरह सो जाएगा जिससे वुज़ू टूट जाता है तो उसका तयम्मुम सोने से टूट जाएगा, पानी मिलने को कुछ दख़ल न होगा)।

मस्अला : अगर कोई शख़्स रेल या जहाज़ पर सवार हो और उसने पानी न मिलने से तयम्मुम किया हो और रास्ता में चलती हुई रेल से उसको पानी के चश्मे, नदी वग़ैरह नज़र आएं तो उसका तयम्मुम न जाएगा, क्योंकि इस सूरत में वह पानी के इस्तेमाल पर क़ादिर नहीं है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 108, जिल्द अव्वल, मुनया स0 30, दुर्रे मुख़्तार स0 43, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तयम्मुम हर उस चीज़ से टूट जाता है जिससे वुज़ू टूट जाता है और तयम्मुम वाला शख़्स जिसने पानी के न मिलने पर तयम्मुम किया था अगर पानी को देख ले जिसके इस्तेमाल पर क़ादिर हो तो उसका तयम्मुम टूट जाएगा।

(हिदाया स0 27, जिल्द अव्वल, शरह नक़ाया स0 27, जिल्द 1, कबीरी स0 84)।

मस्अला : जिस पर ग़ुस्ल वाजिब था, उसने अगर बउज़्रे शरई तयम्मुम किया तो उस उज़्र के ख़त्म पर वह तयम्मुम भी ज़ाएल हो जाएगा। मसलन पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो अगर पानी मिल गया और क़ुदरत हो गई तो तयम्मुम जनाबत का टूट जाएगा। या अगर मरज़ की वजह से

किया था, तो जिस वक़्त वह मरज़ ज़ाएल होगा तयम्मुम टूट जाएगा, या कोई बात गुस्ल को वाजिब करने वाली पाई जाए तो तयम्मुम टूट जाएगा। और नवाक़िज़े वुज़ू यानी वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों से मुतलक़न वह तयम्मुम न टूटेगा, मसलन उसने मरज़ की वजह से तयम्मुमे जनाबत किया, या पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया और फिर हदस यानी वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ पेश आ गई तो उससे तयम्मुम जनाबत (नापाकी) का नहीं टूटेगा। (सिर्फ वुज़ू का टूटेगा गुस्ल का बाकी रहेगा। वुज़ू के लिए फिर तयम्मुम करे।) (फ़तावा दारुल–उलूम स0 259, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 234, जिल्द 1, बाबुत्तयम्मुम)।

तिलावत की नीयत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

सवाल : एक मरीज़ के लिए पानी मुज़िर है, उसने कुरआन मजीद की तिलावत के लिए तयम्मुम किया तो उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब : काएदा यह है कि अगर किसी इबादत के लिए तयम्मुम किया जो खुद बिज़्ज़ात हो और उसके लिए तहारत (पाकी) भी ज़रूरी हो तो उस तयम्मुम से नमाज़ सहीह है, वरना सहीह नहीं है। मज़्कूरा बाला दोनों शर्तें पाई जाएं तो उससे नमाज़ होगी, और अगर दोनों शर्तें या दोनों में से एक मफ़्कूद हो तो उस तयम्मुम से नमाज़ नहीं पढ़ सकता।

पस अगर बेवुज़ू शख़्स ने ज़बानी तिलावत के लिए तयम्मुम किया तो उसमें दूसरी शर्त मफ़्कूद है यानी तहारत ज़रूरी नहीं।

(क्योंकि ज़बानी तिलावत के लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं है) और अगर कुरआने करीम को हाथ लगाने के लिए तयम्मुम किया तो पहली शर्त मफ़्कूद है यानी यह इबादत मक़्सूदह नहीं है, इसलिए इन दोनों सूरतों में उस तयम्मुम से नमाज़ नहीं पढ़ सकता, अल्बत्ता तयम्मुम करते वक़्त सिर्फ़ तिलावत की नीयत के बजाए तहारते कामिला की नीयत करे तो उससे नमाज़ भी दुरुस्त है, और अगर नापाक शख़्स ने जिसको नहाने की हाजत हो तिलावत की नीयत से तयम्मुम किया, तो वह उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ सकता है, इसलिए कि तिलावत इबादते मक़्सूदह है और उसके लिए जनाबत (नापाकी) से ताहरत (पाकी) भी शर्त है। (असहनुल–फ़तावा स0 60, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 226, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पानी के होते हुए (तन्दुरुस्त के लिए) कुरआन शरीफ़ पढ़ने के लिए तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 264, जिल्द अव्वल, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 226, जिल्द अव्वल)।

बीमारी में मरीज़ की तबीअत का एतेबार है या तबीब का?

सवाल : अलालत के वक़्त जो तयम्मुम जाइज़ है उसमें तबीअते बीमार को दख़ल है या तबीबे हाज़िक़ को दख़ल है?

जवाब : दुर्रे मुख़्तार की इबारत से मालूम हुआ कि तयम्मुम में तबीअत व तजरबा व ज़न्ने ग़ालिब बीमार को भी दख़ल है और तबीबे हाज़िक़ के क़ौल को भी, इनमें जो भी पाया जाए तयम्मुम जाइज़ है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 258 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 215 जिल्द अव्वल)।

वक़्त की तंगी के बाइस तयम्मुम करना?

सवाल : सुब्ह को देर में आँख खुली कि अगर पानी गर्म होता है तो नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो क्या नमाज़ पढ़ने वाला अदाए-वक़्त में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले? क्योंकि सर्दी की वजह से ठण्डे पानी से गुस्ल नहीं कर सकता।

जवाब : जबकि उसको कुदरत गर्म पानी की है तो तयम्मुम जाइज़ नहीं है, नमाज़ क़ज़ा पढ़ ले, मगर गुस्ल और वुज़ू ज़रूर करे। (फ़तावा दारुल-उलूम स0 243, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल-मुह्तार स0 216, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम व अहसनुल-फ़तावा स0 54, जिल्द 2)।

बीमार को नजासत लग जाए और पानी नुक़्सान करे?

सवाल : बीमार के बदन पर नजासत लगी हुई है, पानी नुक़्सान करता है तो किस तरह पाकी हासलि करे?

जवाब : बदन पर नजासत हो तो उसको धो ले, बाद में तयम्मुम करे। (फ़तावा दारुल-उलूम स0 244, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल-मुह्तार स0 215, जिल्द अव्वल, व स0 302, जिल्द 1, बाबुल-अंजास)।

मस्अला : जो मरीज़ वुज़ू कर सकता है, मगर गुस्ल से माज़ूर है उसके लिए यह जाइज़ है कि वुज़ू करे और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। (फ़तावा दारुल-उलूम स0 262, जिल्द1, आलमगीरी स0 26, जिल्द 1)।

मस्अला : जिस पर गुस्ल वाजिब है उसके पास सिर्फ़ वुज़ू

के क़ाबिल पानी है और जिस्म भी नजिस है तो वह जिस्मे नजिस को धोए और ग़ुस्ल और वुज़ू के लिए तयम्मुम करे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 262, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 28, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम)।

मस्अला : जिस पर ग़ुस्ल वाजिब है उसके पास सिफ़ वुज़ू के क़ाबिल पानी है ग़ुस्ल के लाइक़ नहीं है इस सूरत में दोनों तरह जाइज़ है कि नामज़ के लिए वुज़ू और ग़ुस्ल के लिए तयम्मुम। ख़्वाह पहले तयम्मुम करे या पहले वुज़ू करे और फिर तयम्मुम जनाबत के लिए करे, दोनों तरह जाइज़ है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 262, जिल्द अव्वल)।

बिला नाग़ा एहतिलाम होने पर तयम्मुम करना ?

सवाल : मुझको आरज़ा एहतिलाम का है, शायद ही कोई शब नाग़ा जाती है, अब मौसम सर्द है, फ़ज्र की नमाज़ बहालते जनाबत पढ़ूँ? क्योंकि सुब्ह को ग़ुस्ल करने से नमूनिया का अन्देशा है?

जवाब : हुक्मे शरई ऐसी सूरत में यह है कि अगर गर्म पानी से ग़ुस्ल करना मुज़िर न हो, तो गर्म पानी से ग़ुस्ल करके सुब्ह की नमाज़ वक़्त पर अदा की जाए। और अगर गर्म पानी से भी ख़ौफ़े मरज़ बगुमाने ग़ालिब हो या गर्म पानी न हो तो तयम्मुम करके सुब्ह की नमाज़ वक़्त पर पढ़ें और बाद में ग्यारह बजे हस्बे आदत ग़ुस्ल करके (जब ग़ुस्ल मुज़िर न हो) बाक़ी नमाज़ें औक़ाते नमाज़ में अदा करें। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 258, जिल्द अव्वल बहवाला ग़ुनया स0 64)।

मस्अला : गुस्ल और वुज़ू का तयम्मुम एक ही है। एक तयम्मुम दोनों के लिए काफ़ी है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 248, जिल्द अव्वल व हिदाया स0 25, जिल्द अव्वल व कबीरी स0 81, व किताबुल–फ़िक्ह स0 263, जिल्द अव्वल)।

जिस औरत को गुस्ल करने से तक्लीफ़ होती हो?

सवाल : ज़ैद के सिर्फ़ एक बीवी है, अक्सर वह बीमार रहती है और जब वह गुस्ल करती है तो कमज़ोरी की वजह से कभी जुकाम हो जाता है और कभी कान और सर में दर्द। इसी ख़ौफ़ से वह अपने शौहर की ख़्वाहिशे हमबिस्तरी को मुस्तरद कर देती है, जिसकी वजह से ज़ैद को इर्तिकाबे गुनाह का ख़ौफ़ है, ऐसी सूरत में ज़ैद की बीवी तयम्मुम से नमाज़ अदा कर सकती है या नहीं?

जवाब : दुर्रे मुख़्तार में है कि अगर औरत को सर का धोना ज़रर करता हो तो सर को न धोए और वह सर का मसह करे और यही अहवत है (इसमें ज़्यादा एहतियात है)।

दूसरे मौक़ा में दुर्रे मुख़्तार में इसको वाजिब लिखा है, यानी अगर सर का मसह कर सके और उसमें ख़ौफ़े मरज़ न हो तो सर का मसह करे, वरना सर को पट्टी बांध कर उस पर मसह करे। और वह औरत अपने शौहर को जिमाअ़ से मना न करे। और एक रिवायत में यह भी नक़्ल है कि जिस के सर में ऐसा दर्द है कि मसह भी न कर सके तो वह तयम्मुम करे। और इस अख़ीर इबारते शामी में तस्रीह है कि तन्दुरुस्त आदमी को अगर गुस्ल से ख़ौफ़े हुदूसे मरज़ बजन्ने ग़ालिब या तजरबए साबिक़ा के मुवाफ़िक़ हो तो वह तयम्मुम कर सकता है, लिहाज़ा इस

सूरत में वह औरत तयम्मुम करे और शौहर को जिमाअ़ से न रोके, तयम्मुम करना उसको ता ज़वाले ख़ौफ़े लुहूक़े अवारिज़े मज़्कूरा दुरुस्त है, फिर जब वह ख़ौफ़ न रहे तो ग़ुस्ल करे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 264, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुहतार स0 142, जिल्द अव्वल, व बाब मसह अलल–ख़ुफ़्फ़ैन स0 239, जिल्द 1)।

बुढ़ापे की वजह से तयम्मुम करना ?

सवाल : अगर किसी शख़्स को बवज्हे ज़ुअ़फ़ व बीमारी या पीरी, पानी ज़रर रसां हो, या ख़ौफ़े ज़रर हो, या पानी का इस्तेमाल उस पर गिरां व सख़्त हो और तहम्मुल न कर सके तो क्या वह तयम्मुम कर सकता है?

जवाब : तयम्मुम बहालते उज़्र जैसा कि वुज़ू से होता है वैसा ही ग़ुस्ल से भी होता है और इस तयम्मुम से नमाज़ फ़र्ज़ व नफ़्ल व तिलावत वग़ैरह सब दुरुस्त है। और वह उज़्र जिस से तयम्मुमे हदस व जनाबत दुरुस्त है यह है कि मरीज़ को इश्तिदादे मरज़ या इम्तिदादे मरज़ का ख़ौफ़ हो, यानी वुज़ू करने या ग़ुस्ल करने से उसका मरज़ बढ़ जाएगा, या मुम्तद हो जाएगा (फैल जाएगा) या सर्दी की वजह से हलाक या बीमार हो जाएगा, महज़ इस वजह से कि ठण्डा पानी बुरा मालूम हो, और गिरां हो और उससे तक्लीफ़ होती हो तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। बल्कि अंदेशा यह हो कि मर जाएगा या बीमार हो जाएगा उस वक़्त तयम्मुम दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 249, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुहतार स0 218, जिल्द 1)।

मस्अला : जब तक बीमारी वग़ैरह का कोई उज़्र न हो तयम्मुम उसके लिए दुरुस्त नहीं है। और अगर ठण्डे पानी से

मौसमे सर्मा में ज़रर का अन्देशा हो तो अगर पानी गर्म करने की कुदरत है तो पानी गर्म कर के उससे वुज़ू करे, तयम्मुम ऐसी हालत में भी दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 257, जिल्द अव्वल, बहवाला आलमगीरी स0 36, जिल्द अव्वल)।

हालते बुख़ार में तयम्मुम

मस्अला : बुख़ार अगर ऐसा है कि पानी से मुज़र्रत और मरज़ के बढ़ने का अन्देशा है, तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 257, जिल्द अव्वल)।

अन्देश–ए–बुख़ार में तयम्मुम

सवाल : एक शख़्स को ठण्डे पानी से वुज़ू करने से सर्दी हो कर बुख़ार होने का अन्देशा है, अगर यह शख़्स गर्म पानी से वुज़ू करना चाहे तो उसको या उसकी बीवी को अक्सर पानी गर्म करने में तक्लीफ़ होती है तो क्या वह तयम्मुम कर सकता है?

जवाब : जबकि पानी गर्म करके वुज़ू करने की इस्तिताअत है तो तयम्मुम करना उसको दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 257, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 26, जिल्द 1, बाबुत्तयम्मुम)।

मस्अला : अगर पानी के इस्तेमाल से मरीज़ के मर जाने या मरज़ बढ़ जाने का अन्देशा हो, या यह ख़ौफ़ हो कि पानी के इस्तेमाल करने से मरज़ देर में जाएगा, तो इन सब सूरतों में तयम्मुम जाइज़ होगा। अगर कोई बिल–फ़ेअ़ल तन्दुरुस्त है लेकिन गुमाने ग़ालिब है कि पानी के इस्तेमाल से मरीज़ हो जाऊँगा तो तयम्मुम जाइज़ है, अगर वुज़ू कर सकता है लेकिन ग़ुस्ल करने से नुक़सान होता है तो वुज़ू भी कर ले और ग़ुस्ल

की जगह तयम्मुम कर ले, अगर ठण्डे पानी से मरज़ वग़ैरह का अन्देशा है और गर्म पानी मुयस्सर नहीं आता तो तयम्मुम जाइज़ है। अगर ऐसी सख़्त सर्दी है कि गर्म पानी से ग़ुस्ल करने में मरज़ या मौत का अन्देशा है, तो यम्मुम जाइज़ है, ख़्वाह यह सूरत जंगल में पेश आए या बस्ती में।

नोट : इससे कोई यह न समझ ले कि सख़्त सर्दी में हमेशा तयम्मुम जाइज़ हो गया, क्योंकि बहुत सख़्त सर्दी में गर्म पानी से ग़ुस्ल करके उमूमन न कोई बीमार होता है और न मरता है, अल्बत्ता अगर किसी ख़ास मक़ाम में इत्तिफ़ाक़ से ऐसी सख़्त सर्दी हो कि गर्म पानी से भी ज़रर हो और कोई ऐसा कपड़ा वग़ैरह न हो जिसको ग़ुस्ल के बाद ओढ़ कर गरमाई हासिल की जाए वहाँ पर तयम्मुम जाइज़ होगा। (तहूरुल–मुस्लिमीन स0 14)।

रेल व बस में तयम्मुम के शराइत

मस्अला : रेल गाड़ी और मोटर में तयम्मुम से नमाज़ की सेहत के लिए मुन्दरजा ज़ैल शराइत हैं :

(1) रेल गाड़ी के किसी डब्बा में भी पानी न हो।

(2) रास्ता में एक मील शरई (1.83 किलो मीरटर) के अन्दर कहीं पानी के वजूद का इल्म न हो।

(3) अगर रेल गाड़ी या मोटर के तख़्ते पर इतना ग़ुबार हो कि बख़ूबी हाथ को लगे, तो उस पर तयम्मुम कर ले। इनमें से किसी एक शर्त पर क़ुदरत न हो तो जैसे भी मुम्किन हो पढ़ ले मगर बाद में क़ज़ा करे। (अहसनुल–फ़तावा स0 55, जिल्द बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 217, जिल्द 1)।

मस्अला : रेल में यक़ीन हो कि नमाज़ के वक़्त के अन्दर पानी मिल जाएगा तो नमाज़ मुअख़्ख़र करना मुस्तहब है, अगर पानी मिल जाए तो वुज़ू करके नमाज़ अदा करे, अगर न मिले और वक़्त तमाम होने का अन्देशा है तो तयम्मुम करके नमाज़ अदा करे।

मस्अला : रेलवे इस्टेशन पर अगर पानी देने वाला ग़ैर मुस्लिम है तो उससे पानी लेकर वुज़ू कर लेना जाइज़ है। हां अगर यक़ीन हो कि उसका बर्तन नापाक है तो तयम्मुम करना जाइज़ है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 250, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 214, जिल्द अव्वल)।

(इस्टेशन पर जो पानी तक़्सीम होता है उमूमन वह पाक रहता है और उनका बर्तन भी, लिहाज़ा शुब्हा नहीं करना चाहिए।) (रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

ज़ख़्मी और चेचक के मरीज़ के लिए तयम्मुम का हुक्म

सवाल : अगर किसी के हाथ पाँव और चेरहे पर ख़ारिश की फुंसियाँ हों और पानी नुक़सान करता हो, तो क्या यह शख़्स गुस्ल और वुज़ू के लिए तयम्मुम कर सकता है?

जवाब : अगर वुज़ू के आज़ा (चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव) में से अक्सर पर ज़ख़्म हों, तो तयम्मुम करे, वरना सहीह आज़ा को धोए और ज़ख़्मी हिस्सा पर मसह करे, और गुस्ल का भी यही हुक्म है, मगर उसमें आज़ा के अदद की बजाए पूरे बदन की पैमाइश को देखा जाएगा, अगर आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख़्म हों तो तयम्मुम करे और अगर आधे बदन पर या उससे कम पर हों तो मसह करे, अगर तन्दुरुस्त बदन पर पानी बहाने से

ज़ख्मी हिस्सा को पानी से बचाना मुश्किल हो तो उतना तन्दुरुस्त हिस्सा भी ज़ख्मी के हुक्म में शुमार होगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 58, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 237, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर ज़ख्म या पट्टी पर मसह नहीं हो सकता तो फिर तयम्मुम दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 246, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार बाबुल–मसह अलल–खुफ़्फ़ैन स0 258, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर दोनों हाथों पर फुंसियाँ हों और उनको पानी नुक़सान करता है, तो तयम्मुम दुरुस्त है, अल्बत्ता अगर कोई दूसरा शख़्स वुज़ू कराने वाला हो तो जवाज़े तयम्मुम में इख़्तिलाफ़ है, अरजह व अहवत अदमे जवाज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 56, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 238, जिल्द 1)।

मस्अला : तमाम चेहरे पर मुहासे हैं जिन में ख़ून और पीप है, पानी लगने से मुहासों से ख़ून निकलने लगता है, अगर वाक़ई इतनी सख़्त तक्लीफ़ है और मसह भी नहीं कर सकते तो तयम्मुम जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 65, जिल्द 3, तफ़्सीले मज़ाहिरे हक़ स0 475, जिल्द 1)।

मस्अला : अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख़्म हों या चेचक निकली हो, तो नहाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर ले। (बहिश्ती ज़ेवर स0 67, जिल्द अव्वल बहवाला मुनया स0 22)।

मस्अला : अगर बदन पर जा बजा ज़ख़्म हैं या चेचक निकली हुई है तो तयम्मुम जाइज़ है, अगर जा बजा नहीं है एक जगह बदन के निस्फ़ हिस्सा से ज़्यादा पर हैं, जब भी गुस्ल की

जगह तयम्मुम जाइज़ है, और बाक़ी आज़ा को धोने की ज़रूरत नहीं है, अगर चार आज़ा में से सिर्फ़ एक अच्छा है तो वुज़ू की जगह तयम्मुम कर सकता है उस उज़्व को धोने की ज़रूरत नहीं है। मसलन चेहरा सहीह है, हाथ, पाँव, सर ज़ख़्मी हैं तो तयम्मुम करे, चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हाथ पाँव चेहरा ज़ख़्मी है सिर्फ़ सर सहीह बाक़ी है तो तयम्मुम जाइज़ है, सर का मसह न करे यानी सर न धोए।

क़ाएदा यह है कि वुज़ू में आज़ा का शुमार और गिनती का एतेबार है, अगर एक या दो उज़्व ज़ख़्मी हैं तो वुज़ू करना चाहिए, सहीह सालिम आज़ा को धो ले, और बाक़ी आज़ा पर मसह करे, और अगर तीन उज़्व में उज़्र है तो बस वुज़ू मआफ़ हुआ। अब तयम्मुम करे, जो हिस्सा सहीह व सालिम है उसको भी न धोए। और गुस्ल में एतेबार है पैमाइश और मसाहत का, जब आधे से ज़्यादा बदन के धोने से माज़ूर हो तो तयम्मुम जाइज़ है और जब ज़्यादा हिस्सा सहीह हो तो उसको धोना और बाक़ी पर मसह करना ज़रूरी है, गुस्ल में आज़ा का शुमार मोतबर नहीं।

देखो! अगर कोई सीना से पाँव तक ज़ख़्मी हो तो तयम्मुम जाइज़ है, हालाँकि जो आज़ा तन्दुरुस्त हैं वह शुमार में ज़्यादा हैं (मसलन हाथ, सर, आँख, नाक, कान वग़ैरह) अगर हाथ में ऐसे ज़ख़्म हों कि उनको पानी में नहीं डाल सकता और दूसरे उज़्व भी नहीं धो सकता तो तयम्मुम जाइज़ है, अल्बत्ता बेहतर यह है कि किसी दूसरे से पानी डलवा कर वुज़ू करा ले, अगर निस्फ़ से कम बदन पर ज़ख़्म हैं लेकिन जगह पर पानी पड़ने से

ज़ख्मों को तक्लीफ़ पहुँचेगी तो तयम्मुम जाइज़ है।

पानी के ज़रर करने, और बीमार हो जाने, या मरज़ बढ़ जाने का अन्देशा उसी हालत में मोतबर है कि खुद अपनी आदत से मालूम हो या आम तजरबा और मुशाहदा से मालूम हो रहा हो, या कोई मुसलमान मोतबर तबीब कहे कि ज़रर होगा, या मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा। (तहूरुल–मुस्लिमीन स0 15)।

नमाज़े जनाज़ा और सुन्नते मुअक्कदा के लिए तयम्मुम करना ?

मस्अला : क़ाएदा यह है कि अगर किसी इबादत के फ़ौत हो जाने का ख़तरा हो और उसकी क़ज़ा भी न हो तो पानी मौजूद होने के बावजूद उसके लिए तयम्मुम जाइज़ है, इसलिए अगर नमाज़े जनाज़ा की आख़िरी तक्बीर से क़ब्ल शिरकत की उम्मीद हो तो तयम्मुम जाइज़ नहीं, वरना तयम्मुम करके शरीक हो सकता है।

नमाज़े ईद का भी यही हुक्म है, कि फ़रागे इमाम का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम करके शरीक हो जाए (जबकि दूसरी जगह भी नमाज़े ईद मिलने की उम्मीद न हो)। इसी तरह चूंकि सुनने मुअक्कदा की क़ज़ा नहीं है लिहाज़ा उनके फ़ौत होने का ख़ौफ़ हो तो भी पानी होने के बावजूद तयम्मुम करके सुन्नतें पढ़ ले। (अहसनुल–फ़तावा स0 59, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 224, जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक़ स0 479, फ़तावा रशीदिया स0 284 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नमाज़े जनाज़ा के फ़ौत हो जाने का ख़तरा हो

तो तयम्मुम करके नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकता है, बशर्तेकि मैयत का वली न हो। (क्योंकि नमाज़े जनाज़ा मैयत के वली की इजाज़त पर मौकूफ़ है) हिदाया स0 28, जिल्द अव्वल, शरह नक़ाया स0 25, जिल्द, ...कबीरी स0 81)

मस्अला : जिस मैयत को गुस्ल देने का इम्कान न हो तो उसको तयम्मुम करा दिया जाए और दफ़्न कर दिया जाए। (शामी 636, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जल्दी में तयम्मुम करके नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो गया, (नमाज़े जनाज़ा तो हो गई लेकिन) इस तयम्मुम से नमाज़े फ़र्ज़ वक़्तीया नहीं पढ़ सकता। वुज़ू करके नमाज़े वक़्तीया पढ़नी चाहिए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 245, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 223, जिल्द अव्वल बाबुत्तयम्मुम)।

मस्अला : अगर नमाज़े जनाज़ा की तमाम तक्बीरात छूट जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम कर सकता है, अगरचे तयम्मुम करने वाला जुनुबी मर्द व औरत हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी तक्बीरों के पा लेने का यक़ीन ग़ालिब हो, या मालूम हो कि उसका इंतिज़ार लाज़मी तौर पर होगा तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं है।

मस्अला : एक नमाज़े जनाज़ा तयम्मुम से पढ़ चुका था कि दूसरा जनाज़ा लाया गया, अगर उस तयम्मुम करने वाले को इन दोनों जनाज़ों के दरमियान वुज़ू करना मुम्किन हुआ था मगर फिर यह इम्कान या कुव्वत ज़ाएल हो गई तो दूसरे जनाज़ा के लिए दोबारा तयम्मुम करे, अगर दोनों के दरमियान

वुज़ू की कुदरत पैदा न हुई तो दोबारा तयम्मुम की ज़रूरत नहीं है, पहले ही तयम्मुम से नमाज़े जनाज़ा पढ़ेगा। (कश्फुल–असरार स0 15, जिल्द 2)।

(क्योंकि यहाँ पर तयम्मुम के मसाइल चल रहे हैं इसलिए यह चन्द मसाइल ब्यान कर दिए है, बाकी गुस्ले मैयत के मुकम्मल मसाइल, मुकम्मल व मुदल्लल गुस्ल में मुलाहज़ा फरमाएं। और दुआ फरमाएं कि आइंदा मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले मैयत लिखने का ख़्याल अहबाब के इसरार पर है, जिसमें आसारे मौत, गुस्ल, कफ़न, नमाज़े जनाज़ा, दफ़न कब्र पर कतबह वग़ैरह लगाना, और ईसाले सवाब और रूह वग़ैरह से मुतअल्लिक तफ़्सील होगी, इंशाअल्लाह।) (तालिबे दुआ मुहम्मद रफ़अत कासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

तयम्मुम के मुतफ़र्रिक मसाइल

मस्अला : पानी के होते हुए कुरआन शरीफ़ को छूने के लिए तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम 260, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 225, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कुरआन शरीफ़ को छूने के लिए तयम्मुम किया तो उससे नमाज़े जनाज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और अगर एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया, तो दूसरे वक़्त की नमाज़ भी उससे पढ़ना दुरुस्त है। और कुरआन शरीफ़ का छूना भी उस तयम्मुम से दुरुस्त है।

मस्अला : किसी को नहाने की हाजत हो, और वुज़ू भी नहीं है तो एक ही तयम्मुम करे दोनों के लिए अलग–अलग तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है।

मसला : किसी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया और वक़्त भी बाक़ी है नमाज़ का, तो नमाज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही नमाज़ तयम्मुम से दुरुस्त होगी। (बहिश्ती ज़ेवर स0 70, जिल्द अव्वल, मुनया स0 29)।

मस्अला : अगर वुज़ू का तयम्मुम है तो वुज़ू के मुवाफ़िक़ पानी मिलने से तयम्मुम टूटेगा। और अगर ग़ुस्ल का तयम्मुम है तो जब ग़ुस्ल के मुवाफ़िक़ पानी मिलेगा तब तयम्मुम टूटेगा, अगर पानी कम मिला तो तयम्मुम नहीं टूटा।

मस्अला : अगर बीमारी की वजह से तयम्मुम किया है, तो जब बीमारी जाती रहे कि वुज़ू और ग़ुस्ल नुक़सान न करेगा तो तयम्मुम टूट जाएगा। अब वुज़ू करना और ग़ुस्ल करना वाजिब है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 70, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जितनी चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी मिल जाने से भी टूट जाता है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 70, जिल्द अव्वल बहवाला शामी स0 264, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो चीज़ उज़्र की वजह से जाइज़ होती है, उस उज़्र के ज़ाएल हो जाने के बाद वह बातिल हो जाती है।

(कश्फुल–असरार स0 28, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर पत्थर पर बिल्कुल गर्द न हो तब भी तयम्मुम उस पर दुरुस्त है। हाथ पर गर्द का लगना कुछ ज़रूरी नहीं है, इसी तरह पक्की ईंट पर भी तयम्मुम दुरुस्त है चाहे उस पर गर्द हो या न हो।

मस्अला : अगर ज़मीन पर पेशाब वग़ैरह कोई नजासत पड़

गई और धूप से सूख गई और बदबू जाती रही तो ज़मीन पाक हो गई, उस पर नमाज़ दुरुस्त है। लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, जबकि मालूम हो कि यह ज़मीन ऐसी है। और अगर मालूम न हो तो वहम न करे।

मस्अला : अगर किसी को बतलाने, सिखाने के लिए तयम्मुम करके दिखलाया है, लेकिन दिल में अपने तयम्मुम करने की नीयत नहीं है, बल्कि फ़कत उसको सिखाना मक्सूद है तो उसका तयम्मुम न होगा, यानी तयम्मुम सिखाने वाले का, क्योंकि तयम्मुम दुरुस्त होने में तयम्मुम करने का इरादा होना ज़रूर है, तो जब तयम्मुम करने का इरादा न हो, बल्कि दूसरे को बतलाना और दिखलाना मक्सूद हो तो तयम्मुम न होगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 69, जिल्द अव्वल बहवाला मुनया स0 29, शरहुल–बिदाया स0 54, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तयम्मुम में हाथों पर कुछ मिट्टी व गुबार लग गया हो तो एक हाथ को दूसरे हाथ पर मार कर उसको झाड़ ले, क्योंकि तयम्मुम में ख़ाक व गुबार मलना शर्त नहीं है, बल्कि (मिट्टी वगैरह पर) हाथ फेरना फ़र्ज है। (अल्बत्ता थोड़ा बहुत गुबार भी कहीं लग जाए तो कुछ मुज़ाएका नहीं है)।

(तहूरुल–मुस्लिमीन स0 23)।

मस्अला : मुर्तद होने से तयम्मुम नहीं टूटता, मसलन एक मुसलमान ने मज्बूरी में तयम्मुम किया, फिर वह उसके बाद इस्लाम से फिर गया, यानी मुर्तद हो गया और फिर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो मुसलमान हो गया, तो अगर इस दरमियान में वुज़ू नहीं टूटा तो वह उस साबिक़ तयम्मुम से जो इस्लाम की

हालत में किया था नमाज़ पढ़ सकता है।

(कश्फुल–असरार स0 28, जिल्द 2)।

मस्अला : जुनुबी को सर्दी से मरज़ का ख़तरा है और गर्म पानी मुयस्सर न हो, या उससे भी ज़रर का ज़न्ने ग़ालिब हो तो तयम्मुम जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 56, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार 216, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जंगल में मवेशी को ख़तरा हो कि अगर वह वुज़ू के लिए जाएगा तो मवेशी किसी के खेत में घुस जाएंगे, या गुम हो जाने का ख़ौफ़ हो, तो इस सूरत में तयम्मुम करना जाइज़ है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 265, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो शख़्स किसी ऐसी जगह बन्द हो जहाँ पर पानी नहीं है और नमाज़ का वक़्त निकलने वाला हो, तो उस वक़्त तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और बाद में लौटा ले।

(इम्दादुल–फ़तावा स0 74, जिल्द 1)।

मस्अला : कोई मस्जिद में सो रहा था, अगर उसको एहतिलाम हो गया तो मस्जिद से निकलने के लिए तयम्मुम ज़रूरी नहीं है, अल्बत्ता अगर किसी आरज़ा की वजह से उस वक़्त निकलना दुश्वार हो तो तयम्मुम ज़रूरी है (यानी अगर रात को एहतिलाम की हालत में मस्जिद से निकलना मुश्किल है तो तयम्मुम कर ले)। (फ़तावा महमूदिया स0 512, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नमाज़ के वक़्त से पहले तयम्मुम करना जाइज़ है और एक से ज़्यादा फ़र्ज़ के लिए भी दुरुसत है और फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए भी तयम्मुम जाइज़ है, जैसे नमाज़े नफ़्ल के लिए, क्योंकि हमारे नज़्दीक तयम्मुम वुज़ू और गुस्ल का मुतलक़न बदल है, लिहाज़ा एक

तयम्मुम से जितनी फ़र्ज़, नफ़्ल चाहे पढ़ सकता है, जिस तरह एक वुज़ू से पढ़ सकता है। (कश्फ़ुल–असरार स0 15, जिल्द 2)।

मस्अला : तयम्मुम में रुक्न व शर्त के छूट जाने से तयम्मुम ही नहीं होता और उमूरे मस्नूना के बिला ज़रूरत अमदन तर्क करने से भी निहायत ख़फ़ीफ़ और कभी ज़्यादा कराहत आ जाती है लेकिन तयम्मुम बिला शुब्हा सहीह और काफ़ी हो जाता है, पस अगर किसी ने उलटे हाथ ज़मीन पर मार कर तमाम चेहरे और हाथों पर मसह कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया, लेकिन ख़िलाफ़े सुन्नत और मक्रूह हुआ।

मस्अला : अगर उंगलियों को कुशादा न रखा लेकिन दूसरे हाथ की उंगलियों से उनके अन्दर ख़िलाल व मसह कर लिया तब भी सहीह हो गया।

मस्अला : अगर हाथों को झाड़े नहीं, ख़ूब मुँह हाथों पर मिट्टी मल ले तब भी तयम्मुम हो गया लेकिन यह फ़ेअ़ल मक्रूह हुआ।

मस्अला : अगर बजाए हाथों के किसी रूमाल वग़ैरह को ज़मीन पर मार कर उसको चेहरा और हाथों पर फेर लिया तो तयम्मुम हो गया, लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना बहुत मक्रूह है।

मस्अला : अगर किसी दूसरे ने अपने हाथ ज़मीन पर मार कर किसी का तयम्मुम करा दिया तो सहीह है बशर्तेकि उसके हाथ मारने से पहले उसने तयम्मुम का क़स्द और नीयत कर ली हो।

मस्अला : अगर चेहरा पर तयम्मुम करके छोड़ दिया और इतनी देर के बाद हाथों पर मसह किया कि अगर बिल–फ़र्ज़

चेहरा पानी से धुला होता तो अब तक ख़ुश्क भी हो जाता, तब भी तयम्मुम सहीह है।

मस्अला : अगर पहले हाथों का मसह किया और दूसरी ज़र्ब मार कर चेहरा पर मसह किया तो भी तयम्मुम हो गया, लेकिन ख़िलाफ़े सुन्नत और किसी क़द्र मकरूह हुआ।

(तहूरुल–मुस्लिमीन मियाँ साहब रह. स0 24)।

मस्अला : जो पानी मैदान (रास्तों पर सड़कों के किनारे) में सबीले वक़्फ़ के तौर पर रखा हुआ है तो जब तक वह पानी ज़्यादा मिक़्दार में न हो तयम्मुम से मानेअ़ नहीं है। कम होने की सूरत में यह पानी पीने के लिए समझा जाएगा और अगर ज़्यादा मिक़्दार में है तो वुज़ू के लिए भी शुमार होगा।

(कश्फुल–असरार स0 25, जिल्द 2)।

(और आजकल तो आम रास्तों में इस्तेमाल के लिए नल व पाइप लाइन होती है उनके इस्तेमाल के लिए आम इजाज़त होती है।)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

मस्अला : जुमा की नमाज़ के फ़ौत होने के ख़तरा पर तयम्मुम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जुमा फ़ौत हो जाए तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ले। (हिदाया स0 29, जिल्द अव्वल, शरह नक़ाया स0 25, जिल्द अव्वल, किताबुल–फ़िक़्ह स0 249 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस शख़्स के दोनों हाथ कुहनियों के मक़ाम से कटे हुए हों तो जब वह तयम्मुम कराए कटी हुई जगह पर मसह कराए। (कबीरी स0 64)।

मस्अला : वह शख़्स कि जिसने तयम्मुम तो कर लिया था मगर अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी कि पानी दस्तयाब हो गया

तो उसका तयम्मुम बातिल हो जाएगा। (मज़ाहिरे हक़ स0 477, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जब तक कोई नाकिज़े तयम्मुम (यानी वुज़ू तोड़ने वाली) पेश न आए तो एक तयम्मुम से सब फ़राइज़े वक़्ती, क़ज़ा, नवाफ़िल, दूसरे वक़्त की नमाज़ सब पढ़ सकता है।

(नमाज़ मस्नून स0 145)।

मस्अला : तयम्मुम में भी तंग अंगूठी और कंगन को हिला लेना काफ़ी है, क्योंकि उसके हिलाने ही से उसके नीचे की जगह का तयम्मुम हो जाता है, और फ़र्ज़ सिर्फ़ मसह करना है, गर्द (धूल) का वहाँ पर पहुँचाना ज़रूरी नहीं है।

मस्अला : वुज़ू में जिन बालों का धोना वाजिब है, तयम्मुम में उनका मसह वाजिब है। और वह बाल जिनका वुज़ू में धोना वाजिब है तयम्मुम में जो चेहरे के साथ–साथ लगे हुए हैं, लिहाज़ा लम्बी लटकी हुई दाढ़ी का मसह करना वाजिब नहीं है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 257, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तयम्मुम में मसह अगर हाथ से किया जाए तो उसके लिए यह शर्त है कि पूरे हाथ से या हाथ के बेश्तर हिस्सा से मसह किया जाए (यानी तयम्मुम) क्योंकि मसह करना तयम्मुम में फ़र्ज़ है ख़्वाह हाथ से हो या हाथ के क़ाइम मक़ाम किसी और चीज़ से। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 256, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तयम्मुम करने वाला वुज़ू करने वालों को नमाज़ पढ़ा सकता है। (नमाज़ मस्नून स0 150)।

मस्अला : हन्फ़ीया कहते हैं कि फ़ाकिदुत्तहूरैन, यानी जिसे पाक करने वाली दोनों चीज़ें पानी और पाक मिट्टी वग़ैरह

दस्तयाब न हो, उसे चाहिए कि नमाज़ की ज़ाहिरी सूरत अमल में लाए, बईं तौर कि किब्ला रुख़ होकर सर बसुजूद हो। न किराअत करे, न तस्बीह पढ़े, न तशहहुद वगैरह पढ़े और न नमाज़ की नीयत करे। ख़्वाह हालते जनाबत में हो या हदसे असग़र लाहिक़ हो।

वाज़ेह हो कि इस ज़ाहिरी अमले सलात से (आएद शुदा) फ़र्ज़ साकित नहीं हो जाता, बल्कि उसकी अदाएगी इंसान के ज़िम्मा बाक़ी रहती है और फ़र्ज़ उस पर क़ाइम रहता है, यहाँ तक कि वुज़ू के लिए पानी या तयम्मुम के लिए मिट्टी दस्तयाब हो जाए। अगर हालते जनाबत हो तब भी नमाज़ की यह ज़ाहिरी सूरत जाइज़ है। (किताबुल–फ़िक़ह स0 265, जिल्द अव्वल)।

पेशाब का हुक्म और उससे न बचने पर वईद

मस्अला : ऐसे शीर ख़्वार बच्चे (दूध पीते लड़के या लड़की) का पेशाब भी नापाक है और फ़ुक़हा–ए–किराम रह. ने उसको नजासते ग़लीज़ा में शुमार किया है, लिहाज़ा अगर बच्चा कपड़े पर पेशाब कर दे तो उसका धोना ज़रूरी है, अगर बदन पर लग गया हो तो बदन पाक करना भी ज़रूरी है, अगर कपड़ा और बदन पाक किए बग़ैर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो नमाज़ सहीह न होगी, लौटाना ज़रूरी होगा।

मस्अला : छोटे लड़के और लड़की का पेशाब, जिसने खाना शुरू किया हो या न किया हो नजासते ग़लीज़ा है। (फ़तावा रहीमिया स0 130, जिल्द 7, फ़तावा आलमगीरी स0 28, जिल्द अव्वल, बाब फ़िन्नजासात)।

मस्अला : शीर ख़्वार (दूध पीते) बच्चा का पेशाब भी

नापाक है इसलिए कपड़े का जिस पर लग जाए पाक करना ज़रूरी है और पाक करने के लिए इतना काफ़ी है कि पेशाब की जगह पर इतना पानी बहा दिया जाए कि जितने पानी से वह कपड़ा तीन मरतबा भीग सके।(आपके मसाइल स0 85, जिल्द 3)।

मस्अला : पेशाब से बचने का बहुत एहतिमाम करना चाहिए, अहादीस में इसकी बहुत ताकीद आई है। और फ़रमाया गया है कि क़ब्र का आम अज़ाब पेशाब से न बचने की वजह से होता है, एक हदीस शरीफ़ में है कि हुज़ूर नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, पेशाब से बचो, क़ब्र में सबसे पहले बन्दा से पेशाब के मुतअल्लिक़ हिसाब होगा।

हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पेशाब से बचते थे और अपने असहाब रज़ि0 को भी इसका हुक्म फ़रमाते थे।

हज़रत मैमूना बिन्ते सअद रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह हमको यह बतलाइए कि क़ब्र का अज़ाब किस चीज़ से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया "पेशाब के असर से" (यानी छींटों के असर से)।

(मजमउज़्ज़वाइद स0 85, जिल्द 1)।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया इन दोनों क़ब्र वालों को अज़ाबे क़ब्र हो रहा है। और उनको बहुत बड़ी चीज़ के बारे में अज़ाब नहीं हो रहा है, उनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ल खोरी करता था। (यह दोनों चीज़ें ऐसी नहीं थीं कि उन से बचना मुश्किल हो, बआसानी बच सकते थे)। (तिर्मिज़ी शरीफ़

स0 11, जिल्द अव्वल बाबुत्तशदीद फिल–बौल, व मिश्कात शरीफ़ स0 42, जिल्द अव्वल)।

पेशाब की छींटों से न बचने पर अज़ाबे क़ब्र

पेशाब और चुगुलख़ोरी की वजह से क़ब्र में अज़ाब होता है, इसमें क्या मुनासबत है? उसके मुतअल्लिक़ "अत्तालीकुस्सबीह शरह मिश्कातुल–मसाबीह" स0 193 जिल्द अव्वल में यह लिखा है कि आलमे बरज़ख़ आलमे आख़िरत का मुक़द्दमा है। (आख़िरत की पहली मंज़िल है) और क़्यामत के दिन हुक़ूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज़ का और हुक़ूकुल–इबाद में ख़ून का (नाहक़ किसी के ख़ून बहाने का) हिसाब और फ़ैसला होगा। और नमाज़ की कुंजी नापाकी से (नजासते हक़ीक़ी हो या हुक्मी) पाकी हासिल करना है, (पाकी के बग़ैर नमाज़ नहीं होती है, तो तत्हीर यानी पाकी नमाज़ का मुक़द्दमा है) और नाहक़ ख़ून बहाने का उमूमी सबब ग़ीबत और लोगों के दरमियान चुगुलख़ोरी करना है (तो ग़ीबत और चुगुलख़ोरी नाहक़ ख़ून बहाने का मुक़द्दमा है)।

इसी मुनासबत से क़ब्र यानी आलमे बरज़ख़ में इन दोनों चीज़ों से न बचने पर अज़ाबे क़ब्र होता है।

हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि "जहन्नम में चार क़िस्म के लोग होंगे, दूसरे जहन्नमी उनसे परेशान होंगे और एक दूसरे से कहते होंगे कि हम खुद तक्लीफ़ में मुब्तला हैं (और) उन्होंने अपनी हाय पुकार से हमारी तक्लीफ़ में इज़ाफ़ा कर रखा है, उनमें से एक शख़्स अंगारों के ताबूत में बन्द होगा। और एक शख़्स अपनी आँतें खींचते हुए चलता

होगा, और एक शख़्स के मुँह से ख़ून और पीप बह रहा होगा, और एक शख़्स ख़ुद अपना गोश्त खा रहा होगा।

जो शख़्स अंगारों के ताबूत में बन्द होगा उसके अज़ाब की वजह यह है कि उसके ज़िम्मा लोगों के माल थे (और उसी हालत में उसका इंतिक़ाल हो गया)।

जो शख़्स अपनी आँतें खींच रहा होगा उसकी वजह यह होगी कि उसको पेशाब लग जाता था, उसकी (वह) परवाह न करता था और न उसे धोता था।

और जिसके मुँह से ख़ून और पीप बह रहा होगा उसकी वजह यह है कि वह लोगों का गोश्त (ग़ीबत करके) खाता था। (मज्मउज़्ज़वाइद स० 84, जिल्द अव्वल)।

इन तमाम अहादीस को मद्दे नज़र रखा जाए और पाकी का पूरा एहतिमाम किया जाए, पेशाब लग जाने को हल्का समझना और उसको धोने का एहतिमाम न करना बहुत सख़्त होगा है, इस्तिंजा भी इस तरह किया जाए कि पेशाब की छींटें न उड़ें और क़तरे कपड़ों और बदन पर न लगें, क़तरे बन्द होने की जो तदबीरें हैं, और तजरबा से जो मुफ़ीद मालूम हो, उसको इख़्तियार किया जाए, ताकि दिल बिल्कुल मुत्मइन हो जाए, ग़रज़ यह कि इस सिलसिला में बड़े एहतिमाम और तवज्जोह व फ़िक्र की ज़रूरत है। इसको हल्का हरगिज़ न समझा जाए। (फ़तावा रहीमिया स० 129, ता स० 134, जिल्द 7) (तफ़्सील मुलाहज़ा फ़रमाएं नजासते ग़लीज़ा व ख़फ़ीफ़ा का हुक्म व तारीफ़ फ़तावा दारुल–उलूम स० 333, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स० 293, जिल्द अव्वल, किताबुल–फ़िक़्ह स०

149, जिल्द अव्वल, आपके मसाइल स0 82, जिल्द 3, हिदाया स0 58, जिल्द अव्वल और अहक़र की मुरत्तब करदा मुदल्लल व मुकम्मल माइले नमाज़ स0 39)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हु ब्यान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो क़बरों के पास गुज़रने लगे, तो (अचानक रुक कर) फ़रमाया! इन दोनों क़ब्र वालों को अज़ाबे क़ब्र दिया जा रहा है, और अज़ाबे क़ब्र किसी बड़ी बात के सिलसिले में नहीं दिया जा रहा है (कि इस दुनिया में अपने को बचाना दुश्वार हो) दर अस्ल इन दोनों में से एक शख़्स तो वह है जो पेशाब से अपने को नहीं बचाता था यानी ऐसी एहतियात नहीं करता था कि पेशाब की छींटें उस पर न पड़ें।

रिवायतों का हासिल यह है कि पेशाब के मआमले में निहायत एहतियात की ज़रूरत है, पेशाब करते वक़्त छींटें जिस्म पर और पकड़ों पर न आने पाएं, आलूदगी की कोई सूरत न होने पाए, और इस्तिंजा इस तरह किया जाए कि सफ़ाई और पाकी पूरे तौर पर हासिल हो जाए। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि पेशाब से पाकी हासिल न करना कबीरा गुनाहों में से है।

जिस शख़्स का मिज़ाज क़वी हो और उसको यक़ीन हो कि क़तरा नहीं आएगा, बेशक उस शख़्स को तो महज़ पानी से इस्तिंजा कर लेना काफी होगा, लेकिन जिस शख़्स को देर तक क़तरा आता हो, तो ऐसा शख़्स अगर ढेला न लेगा सिर्फ़ पानी से इस्तिंजा करेगा तो यक़ीनन उसका पाजामा और कपड़ा वग़ैरह गन्दा होगा और वह पेशाब के मआमला में एहितयात न करने पर गुनहगार होगा। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 244, जिल्द अव्वल)।

इस्तिंजा क्या है?

नवाक़िज़े वुज़ू यानी वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों के सिलसिले में पहले बताया जा चुका है कि पेशाब, फ़ुज़्ला, मज़ी और वदी के ख़ारिज होने से वुज़ू टूट जाता है, इसमें सब अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है।

गन्दगी ख़ारिज होने के बाद पेशाब, पाख़ाने के मक़ामात को आलूदा रहने देना और महज़ वुज़ू कर लेना हुसूले तहारत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी लाज़िम है कि जहाँ–जहाँ से गन्दगी ख़ारिज हुई है उस जगह को ख़ुश्क और पाक किया जाए। हिलाज़ा यह मुनासिब है कि उसके मुतअल्लिक़ा मसाइल को नवाक़िज़े वुज़ू के मसाइल से मुत्तसिल ही ब्यान कर दिया जाए क्योंकि यह भी उसी का हिस्सा है।

इस्तिंजा के अरकान यानी जिन उमूमर पर इस्तिंजा का इंहिसार है वह चार हैं :

मुस्तंजी (इस्तिंजा करने वाला शख़्स)। मुस्तंजा मिन्हू (वह गन्दगी) जिससे पेशाब या पाख़ाना की जगह आलूदा हो। मुस्तंजा फ़ीह (वह जगह जिसको साफ़ करना है, यानी पेशाब और पाख़ाना का मक़ाम और मुस्तंजा बिही यानी पानी और ढेले, यह चार उमूर हैं जिनके बग़ैर इस्तिंजा नहीं हो सकता।

ज़ाहिर है कि इसका तअल्लुक़ दो उमूर से है : इस्तिंजा और रफ़ए हाजत। इस्तिंजा में दो बातें क़ाबिले ज़िक्र हैं : अव्वल इस्तिंजा की तारीफ़, दोम उसके मुतअल्लिक़ा मसाइल।

रफ़ए हाजत, यानी पेशाब, पाख़ाना का तअल्लुक़ तीन उमूर से है, एक तो उसका हुक्म, दूसरे वह मक़ामात जहाँ पर रफ़ए हाजत करना मना है, तीसरे वह बातें जिनकी मौजूदगी में रफ़ए

हाजत करना मम्नूअ़ है। अब इन तमाम उमूर का ब्यान बित्तर्तीब किया जाएगा :

इस्तिंजा की तारीफ़ : इस्तिंजा से मुराद उस गन्दगी को जो आगे या पीछे की राह, यानी पेशाब, पाख़ाना के मक़ाम से ख़ारिज हईु हो, उन मक़ामात से दूर करना है जहाँ से वह ख़ारिज हुई है। उसको पानी से या ढेले वग़ैरह से भी दूर किया जा सकता है। और उसका नाम इस्तिंजा इसलिए है कि इस्तिंजा का लफ़्ज़ अरबी ज़बान के एक फ़िक़्रे से माख़ूज़ है। दरख़्त को जड़ से काट दिया जाए तो कहते हैं اَللّٰهُمَّ غُفْرَانَكَ यानी दरख़्त को जड़ से काट दिया है। इस्तिंजा का मफ़्हूम भी यह है कि प्लीदी को उसकी जड से काट दिया जाए।

इस्तिंजा, यानी तहारत का अस्ल तरीक़ा तो यह है कि पानी इस्तेमाल किया जाए चुनांचे मौजूदा उम्मतों से पहले की उम्मतों में शरअन सिर्फ़ पानी से तहारत करने का हुक्म था, लेकिन मज़्हबे इस्लाम ने इनायत और सहूलते अवाम के पेशे नज़र ढेले वग़ैरह अशिया से जिन में कोई ज़रर न हो तहारत यानी पाकी हासिल करने की इजाज़त दे दी है। तफ्सील इस्तिंजा के ब्यान में आगे आ रही है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 146, जिल्द 1)।

"خَلَاءٌ" के माना हैं ख़ाली होना। और इस्तिलाहन इस लफ़्ज़ (अल–ख़ला) का मतलब होता है, वह जगह जहाँ क़ज़ाए हाजत की जीए। जिसको हम बैतुल–ख़ला या फ़्लश वग़ैरा से ताबीर करते हैं।

"आदाब" अस्ल में अदब की जमा है, जिसके माना हैं अक़्लमन्दी, क़ाएदा, तरीक़ा, ढंग। और इस्तिलाहन उसका मतलब

होता है किसी चीज़ को ऐसे ढंग से करना जो आला हो, अच्छा हो, और वह चीज़ ख़्वाह बोलने की हो या करने की। और हर उस काम को भी कहते हैं जो एहतियात, दूर अन्देशी और ख़ुश सलीक़गी व ख़ुश अतवारी के साथ किया जाए। (मज़ाहिरे हक़ स0 345, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पेट से दोनों रास्तों के ज़रीए जो निकलता है उसको **"नज्व"** कहते हैं। इस्तिंजा के माना हुए गन्दगी की जगह का साफ़ करना, ख़्वाह पोंछ कर, ख़्वाह धो कर, दोनों तरह हो सकता है (पानी और ढेले वग़ैरह से) इस्तिंजा नजासत का नजासत की राह से (यानी पेशाब व पाख़ाना की जगह से) दूर करना है। (कश्फुल–असरार स0 93, जिल्द 3)।

बैतुल-ख़ला शयातीन के अड्डे हैं

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया। देखो इन पाख़ानों में जिन्नात और शयातीन वग़ैरह आते रहते हैं, तुममें से कोई शख़्स जब पाख़ाना को जाए तो उसको चाहिए कि यह दुआ पढ़ ले :

"اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"

"जिन्नात और शयातीन आते रहते हैं"। यानी बैतुल–ख़ला (फ़लश, पाख़ाना करने की जगह) को जिन्नात और शयातीन अपना अड्डा बनाए रखते है, जहाँ वह आते जाते हैं, और इस बात का इंतिज़ार करते हैं कि कब कोई शख़्स आए और उसको वह तक्लीफ़ पहुँचाएँ और फ़साद में डालें। क्योंकि बैतुल–ख़ला एक ऐसी जगह है जहाँ न सिर्फ़ यह कि नजासत और ग़लाज़त के सिवा कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान अपना सत्र खोल कर बैठ

जाता है और ज़िक्रुल्लाह नहीं कर सकता। इसलिए जिन्नात और शयातीन से महफ़ूज़ रहने के लिए बैतुल–ख़ला में दाख़िल होते वक़्त हदीस में मज़्कूरह दुआ पढ़ लेनी चाहिए।

बैतुल-ख़ला में जाने और निकलते वक़्त की दुआ

हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ब्यान फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पाख़ाना से फ़ारिग़ हो कर बाहर आते थे तो फ़रमाते थे :

غُفْرَانَكَ اَللّٰهُمَّ

यानी या अल्लाह! मैं तुझ से बख़्शिश और मआफ़ी चाहता हूँ। (तिर्मिज़ी)।

तशरीह : उस वक़्त बख़्शिश और मआफी चाहने की दो वज्हें उलमा ने लिखी हैं : एक तो यह कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक पर हर वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र रहता था, क़ज़ाए हाजत करने जैसी हालत के अलावा और किसी हालत में आप इस ज़िक्रुल्लाह को मौक़ूफ़ न रखते थे। पस बैतुल–ख़ला में ज़िक्रुल्लाह के क़ज़ा हो जाने को भी आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इतनी अहमियत देते थे कि वहाँ से निकलते ही अल्लाह तआला से मग़्फ़िरत व मआफ़ी चाहते थे।

और दूसरी वजह यह है कि इंसान का पाख़ाना से फ़रागत पाना अल्लाह तआला का बड़ा इंआम होता है, आदमी जो कुछ भी खाता है और अपने पेट में उतारता है वह हज़्म हो जाए और फिर ख़ून वग़ैरह की सूरत में उसका जौहर जिस्मानी कुव्वत व

ताक़त का बाइस बन जाए और फ़ुज़्ला आसानी के साथ बाहर निकल आए। अगर कोई ख़्याल व ग़ौर करे तो यह इतनी बड़ी नेअ़मते इलाही है कि उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल–ख़ला से निकलते ही अल्लाह तआला से मग़्फ़िरत व मआफ़ी चाहते थे कि परवरदिगार आपने ने जिस करम व नेअ़मत से नवाज़ा उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता, उसको मआफ़ फ़रमा दीजिएगा।

(मज़ाहिरे हक़ स0 362, जिल्द 10)।

मस्अला : पेशाब व पाख़ाना करते वक़्त बाहर सहरा में कपड़े उठाने से पहले और बैतुल–ख़ला में दरवाज़े के अन्दर जाने से पहले यह दुआ पढ़े :

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"

(बुख़ारी स0 936, जिल्द अव्वल, कश्फ़ुल–असरार स0 99, जिल्द 3, व मज़ाहिरे हक़ स0 348, जिल्द अव्वल)।

और फिर बायाँ पाँव बैतुल–ख़ला में रखे और बाहर निकलते वक़्त पहले दायाँ पाँव बाहर निकाले और बाहर निकलने के वक़्त यह दुआ पढ़े :

(1) غُفْرَانَكَ اَللّٰهُمَّ (2)

(नमाज़ मस्नून स0 93, तिर्मिज़ी स0 27, जिल्द अव्वल, इब्न माजा स0 26, जिल्द 1, मज़ाहिरे हक़ स0 362, जिल्द अव्वल व बहरुर्राइक़ स0 243, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पाख़ाना जाने की जिस तरह दुआ है, पेशाब करने के वक़्त कोई मुस्तक़िल दुआ नहीं है, बल्कि पेशाब व पाख़ाना दोनों के

लिए एक ही दुआ है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 143, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पाख़ाना को जाने के वक़्त "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" पढ़ना इसलिए मुस्तहब है कि उस जगह शयातीन जमा रहते हैं क्यों उनको नजासत भाती है, और निकलने के वक़्त غُفْرَانَكَ कहे, क्योंकि पाख़ाना में ज़िक्रे इलाही तर्क हो जाता है और शयातीन से मुख़ालतत का वक़्त होता है, इसलिए उससे मग़्फ़िरत मांगनी मुनासिब है।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 37)।

इस्तिंजा का हुक्म आम है

मस्अला : हन्फ़ीया के नज़्दीक तहारत (पाकी) हासिल करना या पानी से तहारत के बजाए ढेले से साफ़ करना सुन्नते मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, (चुनांचे अगर कोई मुकल्लफ़ इंसान न करे तो बक़ौले राजेह यह अम्रे मक्रूह है) बशर्तेकि कि गन्दगी मख़रज (यानी जिस मक़ाम से निकली है) उससे आगे न लग गई हो। हन्फ़ीया के नज़्दीक मख़रज से मुराद वह जगह है जहाँ से नजासत ख़ारिज हो और वह जगह जो उसमें शामिल है जैसे पाख़ाना के मकाम का वह हल्क़ा जो खड़े होने के वक़्त सर बस्ता हो जाता है और उसमें कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह मर्दों के उज़्वे मख़्सूस का वह हल्क़ा जो सूराख़ के इर्द गिर्द होता है और जहाँ से पेशाब ख़ारिज होता है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 147, जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया स0 54, जिल्द 2)।

मस्अला : जिस्म से ख़ारिज होने वाला नजिस माद्दा वह

ख़्वाह मामूल के मुताबिक़ निकलने वाली चीज़ हो (जैसे पेशाब वग़ैरह) या ग़ैर मामूली, मसलन ख़ून, पीप वग़ैरह यह नजासत निकलने की जगह से आगे फ़ैल जाए और उसकी मिक़्दार एक दिरहम से ज़्यादा हो तो उसका साफ़ करना फ़र्ज़ होगा और उसके लिए पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब यह काम नजासत का दूर करना है।,इस्तिंजा नहीं है। और नजासत दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल फ़र्ज़ है और यही हुक्म उस सूरत में है जबकि पेशाब/उज़्वे मख़्सूस के सूराख़ से तजाउज़ करके एक दिरहम की मिक़्दार से ज़्यादा हिस्सा पर फैल जाए तो उसे पानी से धोना फ़र्ज़ है और ढेले वग़ैरह से साफ़ करना इस सूरत में काफ़ी नहीं है।

इसी तरह ग़ैर मख़्तून (जिसका ख़त्ना न हुआ हो) के कुल्फ़ा की खाल को भी पेशाब की आलूदगी से पाक करना होगा। लेकिन अगर मिक़्दार दिरहम से ज़्यादा जगह आलूदह है तो उसको धोना फ़र्ज़ है, ढेले वग़ैरह से रगड़ना काफ़ी नहीं है। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में उस तमाम नजासत का जो मख़रज पर हो पानी से धोना लाज़िम होगा, क्योंकि मख़रज से बढ़ी हुई नजासत को धोते वक़्त नजासत तमाम फैल जाती है। और एहतियात का तक़ाज़ा भी यही है कि तमाम जगह को पानी से धो लिया जाए। और ऐसे इलाक़ा में जहाँ पानी बकसरत दस्तयाब है वहाँ तो फ़िल–वाक़े ज़्यादा मुहतात तरीक़ा यही है कि पानी से धो कर पाकी हासिल की जाए, क्योंकि इससे नजासत भी दूर हो जाती है और बदबू भी जाती रहती है,

अल्बत्ता उन अतराफ़ में जहाँ पानी की क़िल्लत है, वहाँ के लिए साहिबैन रह. की राए नुमायाँ तौर पर ज़्यादा कार आदम है।

और यही हुक्म उस सूरत में है जब कि इंसान के लिए पानी का इस्तेमाल दुश्वार हो।

ख़ुलास–ए–कलाम यह है कि जो नजासत मख़रज के ऐन ऊपर हो उसका ज़ाएल करना सुन्नते मुअक्कदा है। यह नजासत मामूल के मुताबिक़ ख़ारिज होने वाली हो, जैसे पेशाब, पाख़ाना, या ग़ैर मामूली जैसे मज़ी, वदी और ख़ून वग़ैरह, ख़्वाह उसको पानी से ज़ाएल किया जाए या किसी और तरीक़ा से, उसको इस्तिंजा और इस्तिंज्मार कहते हैं, लेकिन अगर नजासत मख़रज से तजावुज़ कर जाए तो उसको ज़ाएल करना फ़र्ज़ होता है, और उसको इस्तिंजा नहीं कहते बल्कि इज़ालए नजासत कहते हैं।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 148, जिल्द अव्वल)।

इस्तिंजे से आजिज़ का हुक्म

सवाल : एक मरीज़ है जिसकी एक टाँग टूटी हुई है, वुज़ू करते वक़्त पानी किसी दूसरे से डलवाता है, अल्बत्ता आज़ाए वुज़ू को अपने हाथों से धो सकता है मगर इस्तिंजा करते वक़्त बहुत तक्लीफ़ बर्दाश्त करता है, बाक़ाएदा दूसरा आदमी उसको अपनी जगह से उठा कर ले जाता है फिर तक्लीफ़ के साथ मरीज़ ख़ुद इस्तिंजा करता है, या पलंग के नीचे कोई बर्तन रख कर इस्तिंजा करते हैं। तो क्या ऐसे मरीज़ के लिए इस्तिंजा मआफ़ हो सकता है?

जवाब : इस सूरत में इस्तिंजा मआफ़ नहीं है, अल्बत्ता अगर

दोनों हाथ शल हों या एक हाथ शल है मगर कोई पानी डालने वाला भी नहीं है और जारी पानी भी नहीं है जिसमें बैठ कर सहीह हाथ से इस्तिंजा कर सके और औरत का शौहर या मर्द की बीवी भी नहीं है कि इस्तिंजा कराए तो इस्तिंजा मआफ़ है।

(अहसनुल–फ़तावा स0 109, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर बाएं हाथ में उज़्र हो जैसे ज़ख़्म वग़ैरह, या काम न करता हो (फ़ालिज ज़दह हो) तो मज्बूरी में दाएं हाथ का इस्तेमाल करना दुरुस्त है, मगर बहुत एहतियात से, और अगर बायां हाथ लुंजा है और उसको जारी पानी भी न मिल सके और न ऐसा शख़्स हो जो उस पर पानी डाल दे तो इस मज्बूरी की वजह से इस्तिंजा धोना छोड़ दे। और अगर उसके पास बहता हुआ पानी या नल लगा हुआ है या कोई ऐसा शख़्स मौजूद है जो पानी डलवाने वाला हो, जिससे शरअन पर्दा नहीं है तो इन सूरतों में दाएं हाथ से इस्तिंजा करेगा।

मस्अला : अगर किसी के दोनों हाथ फ़ालिज ज़दह हों तो उससे इस्तिंजा धोना उस वक़्त बिल्कुल मआफ़ हो जाएगा जबकि कोई कराने वाला मौजूद न हो, लेकिन अगर वह ज़मीन से या दीवार रगड़ कर कर सकता है तो साफ़ कर ले,

(कश्फ़ुल–असरार स0 97, जिल्द 1)।

मस्अला : दाएं हाथ से बग़ैर किसी उज़्र के इस्तिंजा करना मक्रूह है। (हिदाया स0 48, जिल्द अव्वल, शरह नकाया स0 48, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर उज़्र हो तो दाहिने हाथ से तहारत कर सकता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 379, जिल्द अव्वल)।

वुज़ू करने के बाद इस्तिंजा करना ?

मस्अला : इस्तिंजा करने से क़ब्ल अगर वुज़ू कर लिया जाए, बाद में याद आने पर इस्तिंजा कर लिया (यानी पहले ढेले से इस्तिंजा करके वुज़ू कर लिया, और वुज़ू करने के बाद याद आने पर पानी से भी धो लिया तो अगर मख़रज से नजासत तजावुज़ नहीं कर गई) तो पहला वुज़ू दुरुस्त है, दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 108, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर नजासत मख़रज (सूराख़) से मुतजाविज़ नहीं हुई तो इस्तिंजा पानी से सुन्नत है और अगर मुतजाविज़ हो गई तो अगर क़द्रे दिरहम से ज़ाइद नहीं हुई तो धोना वाजिब है और अगर ज़ाइद हो गई तो धोना फ़र्ज़ है। और अगर नमाज़ में याद आया तो सूरते अख़ीरा में नमाज़ बातिल हो जाएगी। और दूसरी सूरत में मकरूहे तहरीमी होगी, और पहली में मकरूहे तंज़ीही। (इम्दादुल–फ़तावा स0 139, जिल्द अव्वल)।

(पस सूरते अख़ीरा में नमाज़ तोड़ दे और दूसरी में पूरी करके नमाज़ का इआदा कर ले और पहली में इआदा भी ज़रूरी नहीं है।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

जिस जगह पेशाब व पाख़ाना करना दुरुस्त नहीं है

मस्अला : मस्जिद में या मस्जिद की छत पर पाख़ाना पेशाब करना हराम है। ऐसी जगह पाख़ाना व पेशाब करना .... जहाँ क़िब्ला की तरफ़ मुँह या पीठ करना पड़े, मकरूह है ख़्वाह जंगल हो या आबादी।

मस्अला : छोटे बच्चों को पाख़ाना पेशाब के लिए ऐसी जगह बिठाना जहाँ क़िब्ला की तरफ़ मुँह या पीठ हो नाजाइज़ है और उसका गुनाह बिठलाने वाले पर है।

मस्अला : चाँद, सूरज की तरफ़ पाख़ाना व पेशाब के वक़्त मुँह या पीठ करना मक्रूह है।

मस्अला : ठहरे हुए पानी में पाख़ाना, पेशाब करना हराम है ज़्यादा ठहरे हुए पानी में मक्रूहे तहरीमी है और जारी में मक्रूहे तंज़ीही है।

मस्अला : बर्तन में पाख़ाना व पेशाब करके पानी में डालना या ऐसी जगह पाख़ाना व पेशाब करना जहाँ से बह कर पानी में चला जाए मक्रूह है। (गन्दी नाली के अलावा में)।

मस्अला : नहर और तालाब वग़ैरह के किनारे पाख़ाना पेशाब करना मक्रूह है जबकि नजासत उसमें गिरे। और इसी तरह ऐसे दरख़्त के नीचे जिसके साया मे लोग बैठे हों, और इसी तरह फूल व फल वाले दरख़्त के नीचे, नीज़ सर्दियों में जिस जगह लोग धूप लेने को बैठते हों, जानवरों के दरमियान में, मस्जिद में ईदगाह के इस क़द्र क़रीब कि जिसकी बदबू से नमाज़ियों को तक्लीफ़ हो, क़ब्रस्तान में, या ऐसी जगह पर जहाँ लोग वुज़ू या गुस्ल करते हों, रास्ता में, हवा के रुख़ पर, सूराख़ में, रास्ता के क़रीब और क़ाफ़िला या किसी मज्मा के क़रीब मक्रूहे तहरीमी है।

हासिल यह है कि ऐसी जगह जहाँ लोग बैठते उठते हों, और उनको तक्लीफ़ हो, और ऐसी जगह जहाँ से बह कर

अपनी तरफ़ आए मकरूह है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 45, जिल्द अव्वल व शरह नुकाया स0 49, जिल्द अव्वल व हिदाया स0 48, जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 56, जिल्द अव्वल)।

पेशाब, पाख़ाना के वक़्त जिन उमूर से बचना चाहिए

मस्अला : पेशाब, पाख़ाना करते वक़्त बात करना, बिला ज़रूरत खांसना, किसी आयत या हदीस या और मुतबर्रक चीज़ का पढ़ना, या ऐसी चीज़ जिस पर ख़ुदा या नबी या किसी फ़रिश्ता या किसी मुअज़्ज़म का नाम हो, या कोई आयत या हदीस या दुआ लिखी हुई हो, अपने पास रखना, बिला ज़रूरत लेट कर या खड़े हो कर पाख़ाना पेशाब करना, तमाम कपड़े उतार कर बरहना (नंगे हो कर पाख़ाना पेशाब करना, दाहने हाथ से इस्तिंजा करना। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 45, जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 11, जिल्द 11, बहवाला मुनया स0 17, व कबीरी स0 58)।

जिन चीज़ों से इस्तिंजा दुरुस्त नहीं है

मस्अला : हड्डी, खाने की चीजें, लीद, गोबर और नापाक चीज़ से, और वह ढेला या पत्थर जिससे एक मरतबा इस्तिंजा हो चुका हो, पुख़्ता ईंट, ठीकरा, शीशा, लोहा, चाँदी, सोना, पीतल, कोएला, चूना और ऐसी चीज़ों से इस्तिंजा करना जो नजासत को साफ़ न कर सके जैसे सिरका वग़ैरह।

वह चीज़ें जिनको जानवर वग़ैरह खाते हैं जैसे भुस और घास वग़ैरह और ऐसी चीज़ें जो क़ीमत दार हों, ख़्वाह थोड़ी

क़ीमत हो या बहुत, जैसे कपड़ा वग़ैरह (जो कपड़ा और काग़ज़ इस्तिंजा सुखाने के लिए बनाए गए, उनसे जाइज़ है)।

मस्अला : आदमी के अज्ज़ा जैसे बाल, हड्डी गोश्त वग़ैरह, हैवान का वह जुज़्व जो उससे मुत्तसिल हो, मस्जिद की चटाई वग़ैरह, दरख़्तों के पत्तों से, काग़ज़ ख़्वाह लिखा हुआ हो या सादा, ज़मज़म का पानी, वुज़ू का बचा हुआ पानी, दूसरे के माल से बिला उसकी इजाज़त व रज़ामन्दी के, ख़्वाह वह पानी हो या कपड़ा या और कोई चीज़, रूई और तमाम ऐसी चीज़ें जिन से इंसान या उनके जानवर नफ़ा उठाएं। इन तमाम चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 46, जिल्द अव्वल व शरह वक़ाया स0 127, जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 57, जिल्द अव्वल व शरह नक़ाया स0 27, जिल्द अव्वल, हिदाया स0 48, जिल्द अव्वल)।

जिन चीज़ों से इस्तिंजा बिला कराहत दुरुस्त है

पानी, मिट्टी का ढेला, हर वह चीज़ें जो पाक हों और नजासत को दूर कर दें बशर्तेकि माल और मोहतरम न हों। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 46, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : सादा काग़ज़ या कुछ लिखे हुए काग़ज़ से ढेले का काम लेना मकरूह है। (अहसनुल–फ़तावा स0 108, जिल्द 2)।

मस्अला : आजकल जो काग़ज़ बतौर ढेला इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है जिसको क्लीनिक पेपर कहा जाता है। (**Toilet Tessue**) वह लिखने के क़ाबिल नहीं होता, उसमें जज़्ब करने की सलाहियत होती है, उससे इस्तिंजा करना और

उससे ढेला का काम लेना बिला कराहत जाइज़ और दुरुस्त है। (अहसनुल–फ़तावा स0 108, जिल्द 2, शामी स0 340, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 380, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर यह काग़ज़ मिट्टी के ढेलों की तरह जाज़िब होते हों तो उनका भी हुक्म वही है जो मिट्टी के ढेलों का है कि अगर मबरज़ (सूराख़) से इधर उधर पेशाब नहीं फैला है, या फैला है मगर अठन्नी की मिक्दार के अन्दर ही फैला है तो उसके इस्तेमाल के बाद महज़ वुज़ू करके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वरना पानी से भी पाकी हासिल करना ज़रूरी रहेगा। (निज़ामुल–फ़तावा स0 23, जिल्द अव्वल, इम्दादुल–फ़तावा स0 139, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अफ़ज़ल यह है कि पहले ढेले से नजासत ज़ाएल की जाए और उसके बाद पानी इस्तेमाल किया जाए, अल्बत्ता आजकल शाहरों में गटर सिस्टम (फ़लश वग़ैरह) की वजह से ढेले का इस्तेमाल बहुत तक्लीफ़ देह साबित होता है, ढेले फेंकने से पानी का रास्ता बन्द हो जाता है जो बहुत सख़्त तअफ़्फ़ुन और ईज़ा का बाइस बनता है, फिर उनकी सफ़ाई में भी बहुत वक़्त लगता है, लिहाज़ा ऐसे मवाके में ढेले का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ढेले का इस्तेमाल मुस्तहब है और अपने नफ़्स को और दूसरों को मुसीबत में डालना हराम है। किसी मुस्तहब काम की ख़ातिर हराम काम का इर्तिकाब जाइज़ नहीं है, अल्बत्ता सफ़ाई की ग़रज़ से जो जाज़िब काग़ज़ बाज़ार में मिलते हैं उनका इस्तेमाल जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 105, जिल्द 2, व फ़तावा रहीमिया स0 278, जिल्द 4)।

रफ़ए हाजत में पाबन्दियाँ हैं

क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पाख़ाना वग़ैरह करने के मुतअल्लिक शारेअ़ अलैहिस्सलाम ने चन्द तरीक़े मुकर्रर फ़रमाए हैं, मिन जुमला उनके वह अहकाम है जिनका तअल्लुक ख़ुसूसियत के साथ इज़ाल–ए–नजासत से है। (नापाकी दूर करने से है)।

अगर नजासत को पानी से ज़ाएल किया जाए उसे इस्तिंजा कहते हैं। अगर पानी के अलावा किसी और चीज़ से मसलन ढेले वग़ैरह से किया जाए तो उसको इस्तिज्मार कहते हैं।

रफ़ए हाजत के तरीक़े (आदाब) पर बाज़ लोग यह सवाल करते हैं कि रफ़ए हाजत फ़ित्री आमाल में से है जिसकी बजा आवरी इंसान अपने मख़्सूस हालात और माहौल के मुताबिक करता है, उस पर शरई पाबन्दियों का आइद करना बग़ैर इसके कि उसकी ज़रूरत लाहिक़ हो, इंसान को मुश्किलात में डालना और तक्लीफ़ उठाने पर मज्बूर करना है।

यह एतेराज़ भी उन लोगों के दूसरे एतेराज़ात की मानिन्द है जो शरई ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहते हैं, वरना हैज़ और मुबाशरत वग़ैरह के बारे में जो पाबन्दियाँ शारेअ़ अलैहिस्सलाम ने आइद फ़रमाई हैं, और उन पाबन्दियों में जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है, आख़िर फ़र्क़ क्या है?

बड़ी ख़ूबी की बात यह है कि शरीअते इस्लामिया में इसके बारे में जो कुछ आया है वह तमाम उमूर ऐसे हैं जिन्हें अक़्ल तस्लीम करती है और जो हिफ़्ज़े सेहत के तक़ाज़ों के मुताबिक हैं। और पाकीज़गी का जो तरीक़ा लाज़मी क़रार दिया गया है।

मुआशरती निज़ाम की ला बुदीयात में से है।

हकीकत यह है कि शरीअते इस्लामिया ने जिन उमूर का हुक्म दिया है, अगरचे उस हुक्म की इल्लत व मसलेहत के मुतअल्लिक़ सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तमाम तक्लीफाते शरईया जो इंसान के लिए मख़्सूस हैं, वह सब अल्लाह तआला की बन्दगी (इबादत) में दाख़िल हैं और इंसान को यह हक़ नहीं पहुँचता कि जब तक उसकी बजा आवरी से आजिज़ न हो, उससे रूगरदानी करे। इसके बावजूद यह तमाम उमूर अक़्ल के मुताबिक़ हैं और इंसान के लिए जो इबादतें शरीअत में मुकर्रर की गई हैं वह सेहतवरी और मुआशरती तक़ाज़ों के मुवाफ़िक़ हैं।

आख़िर कौन है जो यह कहता हो कि गन्दगी से पाक साफ़ होना ज़रूरी नहीं है, और वह कौन है जो यह कह सके कि उसके लिए जो तरीक़े शरीअत ने बताए हैं वह इंसान के लिए मुफ़ीद नहीं हैं? दर अस्ल शरीअते इस्लामिया के अहकाम तमाम मुआशरा की बहबूद और इंसान की भलाई के लिए यह तमाम पाबन्दियाँ सूद मन्द हैं और किसी को इस पर एतेराज़ की मजाल नहीं है। अब रफ़ए हाजत के मुतअल्लिक़ा अहकाम वाजिब, हराम, मन्दूब और मकरूह बित्तर्तीब ब्यान किए जाते हैं।

(किताबुल–फ़िक्ह स0 152, जिल्द 1)।

इस्तिंजा के वाजिब उमूर

(1) अव्वल वह उमूर जो इस्तिंजे के लिए वाजिब हैं, मसलन इस्तिबरा, यानी पेशाब व पाख़ाना के बाद जो कुछ रह जाए

उसको ख़ारिज करना, यहाँ तक कि यह गुमान ग़ालिब हो जाए कि अब वहाँ कुछ बाक़ी नहीं है। बाज़ अश्ख़ास की आदत में दाख़िल है कि चलने, फिरने, खड़े होने या ऐसी हरकत करने से जिसके वह आदी हैं, पेशाब के रुके हुए क़तरे निकल जाते हैं। ऐसे अश्ख़ास को हस्बे आदत बतौर ख़ुद इस्तिबरा वाजिब है, चुनांचे अगर पेशाब के क़तरों के बन्द हो जाने में शुब्हा हो तो वुज़ू करना जाइज़ नहीं होगा।

अगर (बग़ैर तसल्ली के) उसी हालत में वुज़ू कर लिया और पेशाब का क़तरा आ गया तो वुज़ू बेकार होगा। ग़रज़ यह कि वाजिब है कि रुकी हुई नजासत का अगर शुब्हा हो तो सबको ख़ारिज होने दिया जाए। यहाँ तक कि यह गुमान ग़ालिब हो जाए कि अब कुछ बाक़ी नहीं रहा। इस अम्र के वाजिब होने में सबका इत्तिफ़ाक़ है, इसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

(2) दूसरी क़ाबिले लिहाज़ बात वह जगह है जहाँ पर रफ़ए हाजत करना हराम है क़ब्र के ऊपर (या क़रीब में) रफ़ए हाजत करना हराम है, इसका सबब ज़ाहिर है मक़्बरा नसीहत और इबरत हासिल करने का मक़ाम है, लिहाज़ा यह बड़ी बद तमीज़ी और बद अख़्लाक़ी होगी कि वहाँ पर इंसान अपनी शर्मगाह खोले और उसको ख़ारिज होने वाली गन्दगी से आलूदा करे, क्योंकि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसे सहीह में आया है कि हुज़ूर ने ज़्यारते क़ुबूर की तर्ग़ीब फ़रमाई है ताकि आख़िरत की याद आए, पस यह तो जिहालत और हिमाक़त ही है कि कोई शख़्स ऐसे मक़ाम को जहाँ पर लोग

इबरत हासिल करने और आख़िरत की याद करने के लिए आते हैं, पेशाब पाख़ाना की जगह बना ले, ऐसा करना नसीहत पकड़ने और ख़शीयते इलाही के उस मक़सद के मुनाफ़ी है जो क़ब्रों की ज़्यारत में पेशे नज़र है, मज़ीद बराँ ऐसी हरकत से मक़बरों की तौहीन है। (इसके मुतअल्लिक़ तफ़्सीली मसाइले इन शाअल्लाह मसाइल मैयित में आएंगे)।

(3) तीसरे यह कि इन मक़ामात में रफ़ए हाजत करना जाइज़ नहीं है। ठहरा हुआ पानी है जिसमें क़ज़ाए हाजत मम्नूअ़ है, (यानी पेशाब पाख़ाना करना मना है) और ठहरा हुआ पानी वह है जो बहता न हो। हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह हदीस रिवायत फ़रमाई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है। (बरिवायत मुस्लिम व इब्ने माजा वग़ैरह) पेशाब करने की मुमानअ़त में पाख़ाना करना भी शामिल है, क्योंकि यह उससे भी बड़ी बुराई है, लिहाज़ा उसकी मुमानअ़त ज़्यादा सख़्ती से है।

वाज़ेह हो कि फ़िक़ह का यह हुक्म उन बेहतरीन अहकाम में से है जो अज़रूए इल्मे मुसल्लमा और अक़्ले सलीम के नज़्दीक पसन्दीदा हैं, क्योंकि वह पानी जो नफ़ा रसानी के लिए है उसको गन्दा करना ख़साइले ज़मीमा में से बदतरीन ख़स्लत है। मज़ीद बरां ऐसा करने से मुतअद्दी अम्राज़ पैदा होते हैं।

ग़रज़ यह कि मज़्हबे इस्लाम के महासिन में से है कि उसकी जिस क़दर इबादतें हैं वह इंसानी बहबूद के तक़ाज़ों पर पूरी उतरती हैं।

(4) चौथे यह कि रफ़ए हाजत ऐसी जगह करना हराम है जहाँ से पानी बह कर आता है और जहाँ लोगों की आमद व रफ़्त हो, या जहाँ आराम के लिए साया मौजूद हो। हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "लानत के तीन उमूर से बचो। पानी के घाट पर पाख़ाना करना, या रास्ता के सिरे पर रफ़ए हाजत करना या उस साया की जगह पर जो आराम के लिए हो।

(5) पाँचवें, क़िब्ला की जानिब मुँह या पीठ करके रफ़ए हाजत करना हराम है, ख़्वाह घर के अन्दर हो या मैदान में, या जंगल में। अगर ग़लती से कोई रफ़ए हाजत के लिए क़िब्ला रुख़ बैठ जाए और फिर याद आ जाए तो अब अगर उधर से मुड़ जाना मुम्किन हो तो फ़ौरन मुड़ जाए, वरना चाहिए कि जहाँ तक मुम्किन हो पाख़ाना में क़िब्ला की जानिब रुख़ न करे। और इस्तिंजा करने और ढेले के इस्तेमाल करने के मुतअल्लिक भी वही हुक्म है जो पेशाब, पाख़ाना का है, यानी यह दोनों काम भी (क़िब्ला रुख़ होने की हालत में) मकरूहे तहरीमी हैं।

आज कल घरों की तामीरात में हर आराम देह चीज़ का ख़्याल रखा जाता है।

क्या इस हदीस शरीफ़ पर अमल करना मुश्किल काम है? (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

(6) छटे यह कि रफ़ए हाजत के वक़्त हवा के रुख़ की तरफ़

मुँह करना मकरूह है। पस पेशाब करने के लिए उस तरफ़ मुँह करके न बैठना चाहिए जिधर से हवा का झोंका आ रहा हो, मबादा (ऐसा न हो कि) पेशाब की छींट उलट कर इधर आ जाए और नजिस कर दे। ज़ाहिर है कि इस हुक्म में खुद रफ़ए हाजत करने वाले का फ़ाएदा है। यह अम्र इंसान की फ़ितरत में दाख़िल है कि वह जिस्म और लिबास पर गन्दगी लग जाने से घबराता है।

शारेअ़ अलैहिस्सलाम ने इसी मस्लेहत के पेशे नज़र और इसलिए कि लोगों को पाक साफ़ रहने की तर्ग़ीब हो, इस फ़ेअ़ल को मक्रूह क़रार दिया है।

(और आजकल खड़े हो कर पेशाब करने का फ़ैशन है जिसमें कपड़ों और जिस्म पर न जाने कितनी छींटें पड़ती हैं जबकि हदीस शरीफ़ में साफ़ आया है कि एक शख़्स को सिर्फ़ पेशाब की छींट से न बचने पर अज़ाबे क़ब्र हुआ था, आपने उसकी इत्तिला फ़रमाई थी। इसलिए इन उमूर से बचना चाहिए।)

(मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

(7) सातवें यह कि रफ़ए हाजत की हालत में बोलना मक्रूह है, क्योंकि ऐसा करना खुद कलाम की तौहीन है, और कुछ ध्यान नहीं रहता, बहुत मुम्किन है कि गुफ़्तगू के दौरान अल्लाह तआला का नाम या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम या और कोई ऐसा ही मुक़द्दस लफ़्ज़ ज़बान पर आ जाए। मज़ीद बरआं बेज़रूरत बोलना यूं भी मक्रूह है, सिवा इसके कि पानी का लोटा (बर्तन) मांगने या रूमाल, कपड़ा, इस्तिंजे का ढेला वग़ैरह तलब करने के लिए हो, जो नजासत

की जगह को पोंछे या खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता हो, या बज़रूरत बोलना ही पड़ जाए तो मक्रूह नहीं है।

(8) आठवें (मैदान, जंगल वग़ैरह में) सूरज या चाँद के सामने बैठ कर रफ़ए हाजत करना मक्रूह है, क्योंकि यह अल्लाह तआला की (कुदरत) निशानियों और उसकी नेअ़मतों में से हैं जिनसे ख़ल्के खुदा को फ़ाएदा पहुँचता है। और शरीअते इस्लामिया के उसूलों में से है कि अल्लाह तआला की नेअ़मतों का एहतेराम और उसकी क़द्र की जाए।

(9) नवें यह कि इस्तिंजा (तहारत) बाएं हाथ से किया जाए क्योंकि दायाँ हाथ बिल–उमूम खाना वग़ैरह खाने के लिए है।

यह भी मुस्तहब है कि इस्तिंजा के वक़्त यानी तहारत करने से पहले बाएं हाथ की उंगलियों को नजासत लगने से पहले तर कर लिया जाए, ताकि नजासत उससे ज़्यादा न लुथड़े, इसी तरह फ़रागत के बाद बाएं हाथ को किसी पाक करने वाली चीज़ से धो लेना भी मुस्तहब है।

और इस्तिंजा के वक़्त आज़ा ढीला छोड़ देना मुस्तहब है, ताकि आसानी के साथ नजासत को ज़ाइल किया जा सके।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 154 ता स0 158 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हन्फ़ीया के नज़्दीक अगर रोज़ा न हो तो जिस्म का ढीला छोड़ना, बवक़्ते इस्तिंजा मुस्तहब है, ताकि रोज़ा की हालत में जिस्म ढीला छोड़ने से रोज़ा न टूट जाए, क्योंकि पानी अन्दर पहुँचाने में ज़्यादा मुबालगा से काम लिया जाए, तो रोज़ा टूट जाता है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 158 जिल्द अव्वल व

मज़ाहिरे हक़ स0 353 जिल्द अव्वल)।

(रोज़ा के तफ़्सीली मसाइल देखिए अहकर की मुरत्तब करदा मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा, मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

पानी से इस्तिंजा करने की दो शर्तें हैं

पानी से इस्तिंजा (तहारत, पाकी हासिल होने) की दो शर्तें हैं। (1) एक तो यह कि पानी ताहिर यानी पाक करने वाला हो। (2) दूसरी शर्त यह है कि वह पानी नजासत को धोने के लिए काफ़ी हो, लिहाज़ा अगर पानी थोड़ा है कि जो नजासत को उसकी जगह से ज़ाइल नहीं कर सकता कि नजासत लगने से पहले जो हालत थी, वह जगह फिर वैसी ही हो जाए तो ऐसी सूरत में वह पानी इस्तेमाल न किया जाए। (बल्कि इतने कम पानी की मौजूदगी में ढेले से इस्तिंजा कर लिया जाए) (क्योंकि ढेले वग़ैरह का इस्तेमाल पानी के मौजूद होने पर भी उसका क़ाइम मक़ाम हो सकता है, ताहम पानी का इस्तेमाल बेहतर है और सबसे बेहतर तो यह है कि ढेले और पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाए। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 160 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बेग़ैर ढेलों के सिर्फ़ पानी से इस्तिंजा करने, यानी पानी से धोने से कामिल पाकी हासिल हो जाती है। बशर्तेकि क़तरा आने का मरज़ न हो और अगर यह मरज़ हो तो (पहले) मिट्टी के ढेलों से इस्तिंजा करना चाहिए या कोई और तदबीर करनी चाहिए जिससे क़तरा आने का एहतेमाल न रहे।

(इम्दादुल–अहकाम स0 400 जिल्द अव्वल)।

पहले आगे के मक़ाम को धोए या पीछे के ?

एक सवाल यह है कि पहले आगे की जगह को धोना चाहिए या पीछे की जगह को? इस बारे में मसालिक तफ़्सील तलब हैं हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़्दीक पहले पाख़ाने के मक़ाम को धोया जाए। क्योंकि वह जगह ज़्यादा गन्दी है, और इसलिए भी कि पाख़ाना के मक़ाम और उसके साथ की जगह को मसलने से पेशाब के क़तरे आ जाते हैं। लिहाज़ा अगले मक़ाम को पहले धोने से कुछ फ़ाएदा नहीं है।

मस्अला : आबदस्त करते वक़्त छींटों का ख़्याल और वहम न करना चाहिए, ख़्याल और वहम से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। ऐसे तवह्हुमात को दफ़ा करते रहें और अऊज़ुबिल्लाह दिल–दिल में पढ़ते रहें, हरगिज़ कुछ वहम न करें। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 373 जिल्द 1 बहवाला अल–इशबाह)।

(अगर पानी ज़्यादा हो तो दो मरतबा धोने में कोई मुज़ाएका नहीं है।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

इस्तिंजे में ढेले की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ?

मस्अला : हन्फ़ीया के नज़्दीक ढेले के तौर पर पाक चीज़ का इस्तेमाल सुन्नत है, मसलन ख़ाक, धज्जी (पुराना कपड़ा वग़ैरह) ख़ुश्क मिट्टी के टुकड़े।

और मकरूह चीज़ से इस्तिंजा करना मकरूहे तहरीमी है। मसलन हड्डी या गोबर, गोबर क्योंकि आं हज़रत सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने इन अशिया से इस्तिंजा करने की मुमानअत फ़रमाई है। इसी तरह इंसान और जानवरों के खाने पीने की चीज़ों से और वह चीजें जो शरअन क़ाबिले एहतेराम हैं, उन से इस्तिंजा करना मक्रूहे तहरीमी है। और माल का ज़ाए करना भी मम्नूअ है। और वह अशिया जो शरअन क़ाबिले एहतेराम हैं उनमें यह चीज़ें हैं।

आदमी के बदन का कोई हिस्सा, ख़्वाह किसी काफ़िर का या मुर्दार का हो, और लिखा हुआ कागज़ अगरचे उस पर कटवां हुरूफ़ लिखे हुए हों, क्योंकि वह क़ाबिले एहतेराम हैं (चाहे किसी भी ज़बान में लिखे हों) और ऐसे कागज़ जिन पर गो कुछ भी तहरीर न हो, लेकिन उस पर लिखा जा सकता हो। अल्बत्ता ऐसे कागज़ जिन पर लिखाई न की जा सके, उससे इस्तिंजा करना बिला कराहत जाइज़ है। (जैसे की **Toilet Tessue**) इसी तरह ऐसी चीज़ का ढेले के तौर पर इस्तेमाल करना मक्रूह है जिसकी बतौर माल कोई क़ीमत हो और इस्तेमाल करने से वह तलफ़ हो जाए या उसकी क़ीमत कम हो जाए। हाँ अगर वह शय ऐसी है कि इस्तेमाल के बाद धोने या खुश्क होने के बाद वह फिर पहले की तरह हो सके, तो उसके इस्तेमाल में कराहत नहीं है।

पुख़्ता ईंट, ठीकरा, शीशा, कोएला और चिकने पत्थर का इस्तेमाल करना मक्रूह है। और अगर उसका इस्तेमाल नुक़सान देह हो तो मक्रूहे तहरीमी होगा, क्योंकि मुज़िर अशिया का इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है। यह कराहत तंज़ीही रहेगी।

अगर उसका इस्तेमाल मुज़िर न हो।

इन अशिया के मकरूह होने का सबब यह है कि उनके इस्तेमाल से वह जगह साफ़ नहीं होती और सुन्नत यह है कि उस जगह को साफ़ सुथरा किया जाए।

मस्अला : किसी और शख़्स की दीवार से ढेला लेकर इस्तिंजा करना मकरूहे तहरीमी है, क्योंकि दूसरे के माल पर दस्त दराज़ी करना जाइज़ नहीं है, हाँ अगर अपनी दीवार (वग़ैरह) है तो उसमें कोई कराहत नहीं है। (किताबुल-फ़िक़्ह स0 160, जिल्द अव्वल)।

बाज़ हज़रात की आदत होती है कि चलते-चलते किसी की भी दीवार वग़ैरह से कच्चा ढेला निकाला और इस्तिंजा सुखाना शुरू कर दिया, हालांकि यह जाइज़ नहीं है कि किसी का माल बेग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करे, और बाज़ हज़रात रास्ता चलते-चलते बातें करते हुए इस्तिंजा ख़ुश्क करते हैं। यह तरीक़ा ग़लत है और बेहयाई की बात है और इस्लाम की बदनामी का सबब है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

इस्तिबरा मर्दों के लिए है

मस्अला : तहारत (पाकी) के मसाइल मर्द और औरत दोनों के लिए यकसां हैं। अल्बत्ता इस्तिबरा औरत पर वाजिब नहीं है और इस्तिबरा से मुराद यह है कि पेशाब का क़तरा या पाख़ाना जो अभी तक मख़रज पर लगा हुआ है उसको पूरे तौर पर ख़ारिज होने दिया जाए, यहाँ तक कि यह गुमान ग़ालिब हो जाए कि उस जगह कुछ बाक़ी नहीं है। औरत पर यह अमल

वाजिब नहीं है, अल्बत्ता यह वाजिब है कि पेशाब व पाख़ाने से फ़ारिग़ होने के बाद थोड़ी देर तवक़्क़ुफ़ करे (यानी जल्द बाज़ी न करे कि क़तरात टपक जाएं) उसके बाद इस्तिंजा करे (पानी से या ढेले का इस्तेमाल या दोनों इस्तेमाल करे) (किताबुल–फ़िक़्ह स0 149, जिल्द अव्वल व अहसनुल–फ़तावा स0 104, जिल्द 2)।

इस्तिबरा नाम है बाहर निकलने वाली चीज़ से बराअत तलब करने, का उन तरीक़ों में से किसी भी तरीक़ा से कि जिससे यक़ीन हासिल हो जाए कि नजासत का कोई असर बाक़ी नहीं रहा है।

और नजासत का असर ज़ाएल होने का इत्मीनान लोगों की तबीअत के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तालिफ़ होता है, किसी को पाकीज़गी जल्द हासिल होती है और किसी को देर से, और किसी को (इस्तिंजा सुखाते वक़्त) चलने से हासिल होती है, और किसी को खेंखारने से। (कश्फ़ुल–असरार स0 101, जिल्द 3)।

मस्अला : ढेले से इस्तिंजा करने के बारे में औरतों का हुक्म मर्दों की तरह है, यानी औरतों को भी ऐसा ही मुस्तहब है जिस तरह मर्दों को। (फ़तावा दारुल–उलूम 374 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स 319, जिल्द अव्वल)।

पेशाब के मरीज़ के आप्रेशन का हुक्म

सवाल : ज़ैद का पेशाब बन्द हो गया। डॉक्टर ने नाफ़ के ऊपर से आप्रेशन करके रबड़ की नल्की रख दी, उस नलकी से पेशाब होता है, वह नलकी हमेशा पेट पर रहती है और उसमें पेशाब भरा रहता है। नलकी के मुँह को तागा से बन्द कर दिया जाता है तो ऐसी हालत में यह शख़्स नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब : ऐसी हालत में भी नमाज़ मआफ़ नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है (अगर) शुब्हा रहता है तो बाद में दुहराई जाए। बैठ कर न पढ़ सकता हो तो लेटे लेटे इशारा से पढ़े मगर छोड़े नहीं।

(फ़तावा रहीमिया स0 365, जिल्द 4)।

पेशाब की राह से सफ़ेद पानी निकलने का हुक्म

मस्अला : पेशाब की राह से जो सफ़ेद पानी निकलता है वह नापाक है और नजासते ग़लीज़ा है, और नाक़िज़े वुज़ू है, यानी वुज़ू टूट जाएगा, और बदन या कपड़े पर लग जाए तो बदन या कपड़ा नापाक हो जाएगा, लेकिन एक दिरहम की मिक़्दार (यानी हाथ की हथेली के गहराव के बराबर मआफ़ है, अगर धोने का वक़्त न मिल सका और उसको पहन कर नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी, बाद में धो लेना चाहिए। (फ़तावा रहीमिया 367, जिल्द 4 बहवाला दुर्रे मुख़्तार मअ़ शामी स0 293, जिल्द अव्वल व हिदाया स0 58 जिल्द 1 बाबुल–अंजास व माला बुद्दा मिन्हु स0 19)।

इस्तिंजे में एक ढेला दो मरतबा इस्तेमाल करना ?

मस्अला : जिस ढेले से एक मरतबा इस्तिंजा कर लिया है वह नापाक हो गया, उसको दोबारा इस्तेमाल करना मना है अल्बत्ता अगर उसकी दूसरी जानिब इस्तेमाल न की हो तो उसको (दूसरी जानिब से) इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इसी तरह उसको घिस कर नजिस हिस्सा घिस दिया जाए (तो वह भी इस्तेमाल करना दुरुस्त ह। (फ़तावा महमूदिया स0 48, जिल्द 2,

बहवाला शामी स0 227, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : इस्तेमाल किया हुआ इस्तिंजे का ढेला सूखने से पाक नहीं होता, ज़मीन सूखने से पाक हो जाती है। ढेले इस्तेमाल करने के बाद पाक नहीं होते, लिहाज़ा उनसे दोबारा इस्तिंजा मक्रूह है। (अहसनुल–फ़तावा स0 93, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 287, जिल्द 1)।

मस्अला : जिस ढेले से एक दफ़ा इस्तिंजा किया गया हो, उससे दोबारा इस्तिंजा करना मक्रूह है, लेकिन अगर ज़रूरत हो, सफ़र वग़ैरह की वजह से, तो ख़ुश्क होने के बाद उसको घिस कर दोबारा सेहबारा या उससे ज़्यादा दफ़ा इस्तिंजा कर लिया जाए तो मुज़ाइक़ा नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 376 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 314, जिल्द अव्वल बाबुल–इस्तिंजा)।

सिर्फ़ ढेले से इस्तिंजा करना ?

सवाल : पेशाब या पाख़ाना करने के बाद ढेले से साफ़ करने के बाद पानी से न धोया, बग़ैर धोए वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई या नहीं? और इसी तरह बाज़ लोग सिर्फ़ हाथ धो कर खाने में मश्गूल हो जाते हैं हालांकि पानी भी मौजूद होता है, शरअन क्या हुक्म है?

जवाब : अगर पेशाब मख़रज से तजाउज़ कर गया और ज़ाइद की मिक्दार एक दिरहम (क़तर = 1. 11 इंच = 2. 75 सैंटी मीटर और कुल पैमाइश 95 इंच = 5. 94 सैंटी मीटर) से ज़ाइद नहीं हुई तो बग़ैर धोए सिर्फ़ ढेला इस्तेमाल कर लेने से

नमाज़ हो जाएगी, और पाख़ाना का यह हुक्म है कि ढेले से इस्तिंजा करने के बाद अगर मख़रज से मुतजाविज़ नजासत का वज़न एक मिस्क़ाल (5 माशा = 4.86 ग्राम) या उससे कम हो तो नमाज़ हो जाएगी। अगरचे फैलाव में एक दिरहम से भी ज़्यादा हो।

सिर्फ़ हाथ धो कर खाना खाना जाइज़ है मगर मख़रज से मुतजाविज़ नजासत क़द्रे दिरहम से ज़ाइद हो तो बिला उज़्र उसे न धोना मकरूहे तहरीमी है और बक़द्रे दिरहम या उससे कम हो तो मकरूहे तंज़ीही है। (अहसनुल–फ़तावा स० 108, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुहतार स० 314, जिल्द 1, व स० 393, जिल्द 1)।

मस्अला : इस्तिंजे के बारे में अफ़ज़ल तरीक़ा यह है कि पहले ढेले से इस्तिंजा करके फिर पानी से इस्तिंजा करे और अगर सिर्फ़ ढेले से या सिर्फ़ पानी से इस्तिंजा करे, तो यह भी काफ़ी है और सुन्नते इस्तिंजा अदा हो जाती है। (फ़तावा दारुल–उलूम स० 379, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुहतार स० 313, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : शरीअत ने इब्तिला–ए–आम के मवाक़े पर नजासते क़लीला को मआफ़ क़रार दिया है, जैसे कि बैतुल–ख़ला (फ़लश) में मक्खियों वग़ैरह का ग़लाज़त पर बैठने के बाद जिस्म और कपड़ों पर बैठना और रास्ता की छींटें वग़ैरह।

(अहसनुल–फ़तावा स० 105, जिल्द 2)।

मस्अला : मक्खी व मच्छर वग़ैरह का पाख़ाना मानेअ नहीं है।

(कश्फ़ुल–असरार स० 22, जिल्द 1)।

खड़े होकर पेशाब करना ?

सवाल : बाज़ नई रौशनी के लोग कहते हैं कि खड़े हो कर

पेशाब करना चाहिए क्योंकि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस तरह किया है?

जवाब : यह बात बिल्कुल ग़लत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा करते थे, आप की आदते शरीफ़ा हमेशा बैठ कर पेशाब करने की थी और इसी तरह हम लोगों को चाहिए, इसलिए कि खड़े होकर पेशाब करने की आप ने मुमानअत फ़रमाई है। और खड़े होने में नापाक होने का अन्देशा है, हालांकि इससे बचने की ख़ास ताकीद हदीस शरीफ़ में वारिद हुई है और फ़रमाया कि क़ब्र का अज़ाब अक्सर पेशाब की परवाह न करने और उससे न बचने की वजह से होता है, इसके अलावा खड़े होकर पेशाब करना ख़िलाफ़े तरीक़ा व आदते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ है, इससे बचना चाहिए।

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ एक मरतबा उज़्र की वजह से खड़े हो कर पेशाब किया है। आप तशरीफ़ लिए जाते थे, एक ऊंची जगह थी, जिस पर लोग मकानों का कूड़ा वग़ैरा ला कर डाल दिया करते थे, वहाँ पर बैठने में गिर जाने का अन्देशा भी था, नीज़ वह जगह नापाक और गीली थी, कपड़े आलूदा होने का ख़ौफ़ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कमर में दर्द था जिसके लिए खड़े हो कर पेशाब करना अरब में सरीउल-असर इलाज समझा जाता था, इन वजूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गए थे, वरना आदते शरीफ़ा व तरीक़ा यह न था। अब भी अगर किसी को वाक़ई उज़्र हो तो खड़े हो कर पेशाब करना

जाइज़ होगा, फिर भी पेशाब की छींटों से एहतियात ज़रूरी है।

हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जो शख़्स तुम में से कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो कर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक़ न करना (यानी कभी एतेबार न करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा बैठ कर पेशाब किया करते थे। (अल–जवाबुल–मतीन स0 8, व अहसनुल–फ़तावा 515 जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 377, जिल्द अव्वल व मिश्कात शरीफ़ स0 43, जिल्द 1 व बुख़ारी स0 36, जिल्द अव्वल व उम्दतुल–क़ारी स0 138, जिल्द 3)।

मस्अला : बग़ैर उज़्र के खड़े होकर पेशाब करना मक्रूह और बद तहज़ीबी है। (शरह नक़ाया स0 57, जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 57, जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक़ स0 325)।

मस्अला : गुस्ल ख़ाना में पेशाब करना, दाएं हाथ से बिला मज्बूरी इस्तिंजा करना, पेशाब पाख़ाना करते वक़्त कुछ खाना पीना मक्रूह है।

मस्अला : बिला ज़रूरत लेट कर या खड़े हो कर पेशाब पाख़ाना करना, या तमाम कपड़े उतार कर करना, बहुत बुरी बात है। (इम्दादुल–मसाइल स0 16)।

इस्तिंजा करने के बाद तरी का निकलना और उसके दूर करने की तरकीब

सवाल : ज़ैद को पेशाब के बाद तरी आधा घन्टा तक ज़ाहिर होती रहती है, ढेला लेने और धो लेने के बाद दोबारा

ढेला लेना पड़ता है?

जवाब : ऐसी सूरत में ढेले से और पानी से इस्तिंजा करके सूराख़े ज़कर (उज़्वे तनासुल) में रूई वगैरह रख ले, ताकि तरी के निकलने का शुब्हा न रहे। पस रूई रखने के बाद वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 378 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 139, जिल्द अव्वल बाब नवाक़िज़ुल–वुज़ू)।

मस्अला : जिस शख़्स को यह मरज़ हो कि पेशाब के क़तरे आते रहते हैं, उसको पानी के साथ इस्तिंजा करने (धोने) से पहले ढेले या टेशू पेपर का इस्तेमाल लाज़िम है, जब इत्मीनान हो जाए तब पानी से इस्तिंजा करे। (आपके मसाइल स0 84, जिल्द 3, (या तरीक़–ए–बाला अपनाइए)।

मस्अला : इस्तिंजे के ढेले पर लगा हुआ हाथ पाजामा (वग़ैरह) पर पड़ने से पाजामा नापाक नहीं होता। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 376, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 48, जिल्द 1, बाबुल–इस्तिंजा)।

मस्अला : इस्तिंजे में ढेला इस्तेमाल करने के बाद अगर नजासत का असर बाक़ी रह गया और मक़ामे बराज़ का पसीना कपड़े को लग गया तो कपड़ा नजिस न होगा। ख़्वाह उसकी मिक़्दार एक दिरहम से ज़्यादा हो, बख़िलाफ़ इसके अगर इस्तिंजे का ढेला थोड़ी मिक़्दार पानी में गिर जाए तो वह पानी नजिस हो जाएगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 149, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा सुखाने के बाद अगर हाथ पर नजासत बिल्कुल न लगी हो, तो अगर हाथ पानी में

पड़ जाए तो वह पानी पाक है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 356 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पेशाब की ऐसी छींटें बारीक जो मालूम न हों, मआफ़ हैं, उन से कपड़ा व बदन नापाक नहीं होता, ऐसे कपड़े से नमाज़ सहीह है। (मगर एहतियात इससे भी करना चाहिए)।

मस्अला : अगर पाजामा में पेशाब निकल जाए और पाजामा तर हो जाए, फिर वह तरी पाजामा की, बदन को लग जाए तो अगर मिक्दारे दिरहम से ज़्यादा जगह में लगी है तो बदन का धोना ज़रूरी है, अगर बदन को धोए बग़ैर दूसरे कपड़े से नमाज़ पढ़ी तो इआदा यानी लौटाना उस नमाज़ का ज़रूरी है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 307, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार 284, जिल्द 1 व स0 297, जिल्द अव्वल बाबुल–अंजास व हिदाया स0 71, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जब मिक्दार नापाकी की, दिरहम की मिक्दार से बढ़ जाए तो कपड़े को धो कर और पाक करके नमाज़ पढ़े। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 311, जिल्द अव्वल, बहवाला हिदाया स0 71, जिल्द 1, बाबुल–अंजास)।

पाकी में वसवसा को ख़त्म करने की तर्कीब

सवाल : अगर कोई यकीनी तौर पर किसी नापाक चीज़ को धोता है मगर एक शक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, इस वजह से हर वक़्त ज़ेहन परेशान रहता है। कुरआन व सुन्नत की रौशनी में वाज़ेह फ़रमाएं?

जवाब : इस शक का इलाज यह है की कपड़ा या चीज़

तीन बार धो लिया कीजिए और (कपड़े वग़ैरह को हर बार निचोड़ा भी जाए) पस पाक हो गई।

इसके बाद अगर शक हुआ करे तो उसकी कोई परवाह न कीजिए, बल्कि शैतान को यह कह कर धुत्कार दिया कीजिए कि ओ मरदूद! जब अल्लाह और रसूल उसको पाक कह रहे हैं तो मैं तेरी शक अंदाज़ी की परवाह क्यों करूँ?

अगर आपने मेरी इस तदबीर पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको शक और वहम की बीमारी से नजात मिल जाएगी। (आपके मसाइल स० 90, जिल्द 2)।

मस्अला : वह शख़्स जिसका वुज़ू नहीं था, उसने वुज़ू किया या पेशाब करने के बाद जुनुबी (नापाक) ने ग़ुस्ल किया और वुज़ू और ग़ुस्ल से फ़राग़त के बाद उसने अपनी शर्मगाह पर नमी देखी लेकिन उसको मालूम नहीं है कि यह पानी है या पेशाब है, तो उसको दोबारा वुज़ू करना चाहिए। और अगर नमाज़ पढ़ते हुए यह सूरत पेश आई है, मगर ख़ुद उसको नजासत का यक़ीन नहीं है तो उसको चाहिए कि नमाज़ पढ़ता चला जाए, तरी की तरफ़ ध्यान कतअन न दे, हाँ अगर पेशाब होने का यक़ीन हो तो अलग बात है, और ऐसे शख़्स के वसवसा का इलाज यह बताया गया है कि वह इस्तिंजा के बाद पानी लेकर शर्मगाह पर छिड़क ले, ताकि अगर तरी नज़र आए तो उसे इत्मीनान हो कि यह वही पानी है जो उसने ख़ुद छिड़का था। (कश्फ़ुल–असरार स० 15, जिल्द अव्वल, मज़ाहिरे हक़ स० 364, जिल्द अव्वल)।

हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से हज़रत ख़्वाजा रह. ने अर्ज़ किया कि मुझे इस्तिंजा में बड़े वसवसे आते है, बहुत देर में बमुश्किल तमाम ख़ुश्क होता है. मक़ामे इस्तिंजा (ज़कर) मलने से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है?

हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़रमाया कि ऐसा हरगिज़ न कीजिए, मामूली तौर से इस्तिंजा करके धो लेना चाहिए।

"अवारिफुल–अवारिफ" में लिखा है कि इसका हाल थन का सा है कि जब तक मलते हैं कुछ न कुछ निकलता रहता है (यानी जैसा कि दूध जब दूहा (निकाला) जाता है तो दूध जानवर के थन में आता है और दूहना मौक़ूफ़ कर दिया जाता है तो दूध भी मौक़ूफ़ हो जाता है) अगर यूं ही छोड़ दें तो कुछ भी नहीं निकलता। हज़रत ख़्वाजा साहब ने अर्ज़ किया कि बाद को क़तरा निकल आता है, फ़रमाया कि कुछ ख़्याल न कीजिए। चाहे बाद को नमाज़ों का इआदा कर लीजिएगा लेकिन जब तक जब्र करके वसवसा के ख़िलाफ़ न कीजिएगा, यह मरज़ न जाएगा। इस वजह से तो आप बड़ी तक्लीफ़ में हैं।

ख़्वाजा साहब रह0 ने कहा रुतूबत की वजह से एक वक़्त के वुज़ू में दूसरे वक़्त के वुज़ू के लिए शक पड़ जाता है, इसकी वजह से पाजामा का रूमाल भी धोना पड़ता है?

मौलाना थानवी रह0 ने फ़रमाया न वुज़ू कीजिए, न रूमाल धोया कीजिए, चन्द रोज़ बतकल्लुफ़ बे इल्तिफ़ाती करने से वस्वसे जाते रहेंगे (अहसनुल फ़तावा स0 107 जिल्द 2; बहवाला मलफ़ूज़ात कमालाते अशरफ़ीया स0 198 व स0 807)

इससे साबित हुआ कि इस्तिबरा में ज़्यादा ग़ुलू और शिद्दत शरअन मज़्मूम होने के अलावा सेहत के लिए भी मुज़िर है और ज़ेहनी इंतिशार और दिमाग़ी परेशानियों का बाइस भी है। (अहसनुल–फ़तावा स0 107, जिल्द 2 व फ़तावा अज़ीज़ी स0 140, जिल्द 2)।

रफ़ए हाजत के वक़्त आफ़ताब अगर बादल की आड़ में हो?

सवाल : अगर आफ़ताब बादल की आड़ में हो और दिखाई न देता हो तो उसकी तरफ़ (बग़ैर बैतुल–ख़ला जंगल वग़ैरह में) मुँह करके पेशाब करे या नहीं?

जवाब : रद्दुल–मुह्तार स0 354 जिल्द अव्वल बाबुल–इस्तिंजा से मालूम होता है कि उधर मुँह करके पेशाब करना दुरुस्त है।

(इम्दादुल–फ़तावा स 139, जिल्द अव्वल)।

(चाँद व सूरज की तरफ़ पाख़ाना व पेशाब के वक़्त मुँह या पीठ करना मक्रूहे तंज़ीही है, लेकिन मुराद चाँद सूरज की ज़ात का इस्तिक़्बाल व इस्तिदबार है। उस जेहत या उनकी रौशनी का इस्तिक़्बाल (मुँह करना) व इस्तिदबार (पुश्त करना) मक्रूह नहीं है, इसी तरह जब वह नज़र न आ रहे हों तो भी कराहत नहीं है। और सवाल में चूंकि चाँद बादलों में छुपा हुआ है, इसलिए कराहत नहीं है। (हाशिया उस्ताज़ी हज़रत मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब पालन पूरी, मद्दा ज़िल्लहुल–आली) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरा लहू)।

कमरा के अन्दर किसी बर्तन में पेशाब करना ?

रिवायत में है कि "आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

घर में लकड़ी का एक प्याला था (सिलपची वग़ैरह) जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म के पलंग के नीचे रखा रहता था, उसमें रात के वक़्त आप पेशाब किया करते थे।"

"पेशाब किया करते" यानी सर्दी के मौसम में या किसी और वजह से रात को उठ कर बाहर निकलना चूंकि परेशानी का बाइस होता था, इसलिए रात के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म लकड़ी के उस प्याला (बर्तन) में पेशाब किया करते थे जो इसी काम के लिए आपके पलंग के नीचे रखा रहता था। पस आप का यह अमल दर अस्ल उम्मत को यह बताने के लिए था कि अगर ऐसा कर लिया जाया करे तो ज़रूरत के वक़्त सर्दी के मौसम में या किसी और परेशानी की सूरत में आसानी और राहत मिल जाएगी।

दरहक़ीक़त आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म अपनी उम्मत पर बेहद शफ़ीक़ व मेहरबान थे, चुनांचे दीनी अहकाम व मसाइल में जितनी भी आसानी और राहत हो सकती थी उसको आप ज़रूर फ़रमा देते थे। (मज़ाहिरे हक़ स0 365, जिल्द अव्वल)।

इस्तिंजे में ढेले ताक़ अदद होने चाहिएं

सवाल : पाख़ाने के बारे में हदीस शरीफ़ में जो वित्र अदद ढेले लेने की बाबत आया है वह अदद वित्र (तीन) अदद पेशाब के लिए भी है या पेशाब के लिए अलाहिदा ढेला होना चाहिए, यानी पेशाब व पाख़ाना दोनों के लिए तीन ढेले होने चाहिएं या चार?

जवाब : वह वित्र (तीन अदद) ढेले पाख़ाने के लिए हैं, पेशाब के लिए अलाहिदा चौथा ढेला होना चाहिए। (फ़तावा

दारुल–उलूम स0 380 जिल्द अव्वल व मज़ाहिरे हक स0 252, जिल्द 1, व स0 385, जिल्द 1)।

इस्तिंजे के लिए तीन ढेले इसलिए मुक़र्रर फ़रमाए कि सफ़ाई के लिए एक हद का मुक़र्रर करना ज़रूरी था, वरना वहमी आदमी सारा सारा दिन इस्तिंजा ही करने में गुज़ार देते, बावजूद इस क़द्र ताकीदे शदीद के हम बाज़ वहमियों को देखते हैं कि वह एक ही इस्तिंजा के लिए ढेलों का ढेर लगा देते हैं और पानी भी काफ़ी मिक़्दार में ख़र्च कर देते हैं। और तीन से कम ढेलों में बख़ूबी सफ़ाई और पाकीज़गी हासिल नहीं होती और तीन में सफ़ाई हो जाती है और तीन से ज़्यादा में तज़यीए औक़ात और वहम का बढ़ाना है। और गोबर और हड्डियों से इस्तिंजा इसलिए मना फ़रमाया है कि उनमें अक्सर मूज़ी जानवर साँप, बिच्छू वग़ैरह और बाज़ क़िस्म के काटने वाले कीड़े बैठे रहते हैं। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 38)।

मस्अला : पाख़ाना करने के बाद गर्मी के मौसम में मर्दों को पहला ढेला आगे से पीछे ले जाना चाहिए, दूसरा ढेला पीछे से आगे को और तीसरा ढेला फिर आगे से पीछे ले जाएं।

सर्दी के मौसम में पहला ढेला पीछे से आगे को, दूसरा ढेला आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाएं।

और अगर औरत इस्तिंजा सुखाने में ढेला इस्तेमाल करे तो हमेशा यानी हर मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाए, दूसरा ढेला पीछे से आगे को और तीसरा भी आगे से पीछे को। फिर (अगर पानी से धोना चाहें) पानी से इस्तिंजा करें यहाँ तक कि नजासत

आगाह फ़रमा दिया है कि नफ़्स के किसी और तरफ मश्गूल होने में भी हदस के माना पाए जाते हैं क्योंकि ऐसी हालत में नमाज़ की तरफ़ इंसान की तवज्जोह नहीं हो सकती बल्कि वह पेशाब और पाख़ाना की मुदाफ़अत में मश्गूल हो जाता है।

(2) जिस पेशाब व पाख़ाना में इन्क़िबाज़ और परागन्दगी और अदमे हुज़ूर का लाहिक़ होना यक़ीनी है और जब हुज़ूर न हो और परागन्दगी रहे तो नमाज़ नाक़िज़ रहेगी, लिहाज़ा ऐसे सबब को रफ़ा करने का हुक्म है जो नमाज़ में परागन्दगी और अदमे हुज़ूर का बाइस हो।

नीज़ पेशाब को बहुत देर तक मसाना में रोकना भी ज़रर रसां है, इससे ख़तरनाक अमराज़ पैदा हो सकते हैं।

(अल—मसालेहुल—अक़्लीया स0 39)।

इस्तिंजे से मुतअल्लिक़ मसाइल

इस्तिंजा ढेले से सुखाने के वक़्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल-उलूम स0 375, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल—मुख़्तार स0 319, जिल्द अव्वल)।

(क्योंकि यह पेशाब का वक़्त नहीं है, बल्कि वह उससे फ़ारिग़ हो चुका है, सिर्फ़ इत्मीनाने क़ल्ब के लिए ढेला इस्तेमाल कर रहा है, गो अफ़ज़ल यही है कि उस वक़्त न सलाम किया जाए और न जवाब दिया जाए, क्योंकि मिन वज्ह यह वक़्त हालते पेशाब व पाख़ाना में दाख़िल है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरा लहू)।

मस्अला : जाइज़ तो है मगर इस्तिंजा ऐसे मौक़ा पर ख़ुश्क करना कि गुज़रने वालों का सामना हो ख़िलाफ़े इंसानियत है।

(इम्दादुल—फ़तावा स0 141, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : कुतुब तारा की तरफ़ मुँह करके पेशाब व पाख़ाना करना दुरुस्त है, क्योंकि यह हुक्म कअ़बा शरीफ़ के लिए है कि उसकी तरफ़ हाजत के वक़्त मुँह व पीठ न करे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 377, जिल्द अव्वल बहवाला मिश्कात स0 296, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किब्ला की जानिब के सिवा शुमाल व जुनूब की तरफ़ मुँह करके पेशाब व पाख़ाना करना मना नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 380 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 316, जिल्द अव्वल बाबुल–इस्तिंजा)।

मस्अला : पेशाब व पाख़ाना किब्ला की तरफ़ मुँह व पुश्त करके मना है, लेकिन आबेदस्त करने के बारे में कोई दलील नहीं है, इसलिए जाइज़ है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 137, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मैयत का इस्तिंजा पानी और ढेले दोनों से किया जाए, पानी और ढेला का जमा करना सुन्नत और अफ़ज़ल है। (मफ़्हूम, फ़तावा दारुल–उलूम स0 381, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 313, जिल्द अव्वल फ़स्ल फ़िल–इस्तिंजा)।

मस्अला : पानी के साथ इस्तिंजा करना मस्नून है, क्योंकि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा करते थे, अल्बत्ता ढेले वग़ैरह से भी इस्तिंजा पाक करना दुरुस्त है। (नमाज़ मस्नून स0 88, तिर्मिज़ी स0 29, हिदाया स0 48)।

मस्अला : ढेले से इस्तिंजा करने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस इतना ख़्याल रखे कि नजासत इधर उधर फैलने न पाए, बदन ख़ूब साफ़ हो जाए, नीज़ ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है, लेकिन अगर नजासत

फैल जाए तो ऐसे वक़्त पानी से धोना वाजिब है, बग़ैर धोए नमाज़ न होगी। (बहिश्ती ज़ेवर स0 8, जिल्द 2, व इम्दादुल—फ़तावा स0 139, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ढेले वग़ैरह से इस्तिंजा पाक करना दुरुस्त है और अदद का ताक़ होना सुन्नत है और तीन का अदद मुस्तहब है।

(दुर्रे मुख़्तार स0 56, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पेशाब व पाख़ाना या इस्तिंजा करते वक़्त ज़बान से कलिमा या कोई आयत या हदीस पढ़नी मकरूह है।

(मनाज़ मस्नून स0 96)।

मस्अला : इस्तिंजा करने के बाद हाथ को साबुन वग़ैरह से साफ़ करना चाहिए, वरना मिट्टी मल कर साफ़ करना चाहिए।

(नमाज़ मस्नून स0 97, अबू दाऊद स0 7 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : रीह निकलने से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है, इस्तिंजा करना सहीह नहीं है, यानी पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, अल्बत्ता अगर रीह (हवा) निकलने के साथ नजासत निकल गई हो तो इस्तिंजा किया जाए। (आपके मसाइल स0 83, जिल्द 3, व स0 84, जिल्द 3, व फ़तावा दारुल—उलूम स0 146, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल—मुह्तार स0 79, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ऐसे लाकिट जिन पर लफ़्ज़ "अल्लाह" कन्दा (लिखा हुआ) हो पहन कर बैतुल—ख़ला में जाने से पहले उनको उतार दें।

मस्अला : अगर कोई शख़्स बैतुल—ख़ला में जाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए और अन्दर जाकर याद आए तो ज़बान से न पढ़े बल्कि दिल—दिल में पढ़ ले।

मस्अला : बैतुल—ख़ला (फ़लश) में क़दम रखने से हपले

फैल जाए तो ऐसे वक़्त पानी से धोना वाजिब है, बग़ैर धोए नमाज़ न होगी। (बहिश्ती ज़ेवर स0 8, जिल्द 2, व इम्दादुल–फ़तावा स0 139, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ढेले वग़ैरह से इस्तिंजा पाक करना दुरुस्त है और अदद का ताक़ होना सुन्नत है और तीन का अदद मुस्तहब है।

(दुर्रे मुख़्तार स0 56, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पेशाब व पाख़ाना या इस्तिंजा करते वक़्त ज़बान से कलिमा या कोई आयत या हदीस पढ़नी मक्रूह है।

(मनाज़ मस्नून स0 96)।

मस्अला : इस्तिंजा करने के बाद हाथ को साबुन वग़ैरह से साफ़ करना चाहिए, वरना मिट्टी मल कर साफ़ करना चाहिए।

(नमाज़ मस्नून स0 97, अबू दाऊद स0 7 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : रीह निकलने से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है, इस्तिंजा करना सहीह नहीं है, यानी पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, अल्बत्ता अगर रीह (हवा) निकलने के साथ नजासत निकल गई हो तो इस्तिंजा किया जाए। (आपके मसाइल स0 83, जिल्द 3, व स0 84, जिल्द 3, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 146, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 79, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ऐसे लाकिट जिन पर लफ़्ज़ "अल्लाह" कन्दा (लिखा हुआ) हो पहन कर बैतुल–ख़ला में जाने से पहले उनको उतार दें।

मस्अला : अगर कोई शख़्स बैतुल–ख़ला में जाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए और अन्दर जाकर याद आए तो ज़बान से न पढ़े बल्कि दिल–दिल में पढ़ ले।

मस्अला : बैतुल–ख़ला (फ़लश) में क़दम रखने से हपले

और जंगल में सत्र (पाजामा वग़ैरह) खोलने से पहले दुआ पढ़ी जाए। (आपके मसाइल स0 81, जिल्द 3)।

मस्अला : इस्तिंजे के बचे हुए पानी से वुज़ू करना दुरुस्त है और वुज़ू के बचे हुए पानी से इस्तिंजा भी दुरुस्त है लेकिन न करना बेहतर है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 9, जिल्द 2, व फ़तावा रशीदिया स0 283)।

मस्अला : वुज़ू करने के बाद याद आए कि छोटा या बड़ा इस्तिंजा पानी से पाक करना है (ढेले से तो इस्तिंजा पहले कर लिया था) पानी से पाक करने के बाद बेहतर यह है, कि फिर वुज़ू करे ताकि इख़्तिलाफ़ से निकल जाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 142, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 136, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा किए बग़ैर नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज़ सहीह हो गई (जबकि नजासत आस पास न फैली हो)। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 382, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 324 जिल्द अव्वल किताबुस्सलात)।

मस्अला : पेशाब व पाख़ाना करते वक़्त बात करना मकरूह है। नीज़ इन वक़्तों में ज़िक्र भी न करे और छींक आए तो ऐसे वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़बान से न कहे और न यरहमुकल्लाह ज़बान से कहे, न सलाम का जवाब दे।

मस्अला : बिला ज़रूरत शर्मगाह की तरफ़ या पाख़ाना पेशाब की तरफ़ न देखे, और न वहाँ पर बिला ज़रूरत थूके, न नाक साफ़ करे, न खेंखारे, न दाएं और बांए देखे और न अपने बदन से खेले और न आसमान की तरफ़ सर उठाए और न पेशाब व पाख़ाना में ज़्यादा देर तक बिला ज़रूरत बैठने की कोशिश करे

कि इससे बवासीर और जिगर का दर्द पैदा हो जाता है, कपड़ों की ऐसी जगह पूरी हिफ़ाज़त रखे कि मुलव्वस (आलूदह) न होने पाएं, न नजासत से और न इस्तेमाल किए हुए पानी से।

मस्अला : इस्तिंजा खुले सर न किया जाए, यह अदब के ख़िलाफ़ है।

मस्अला : इस्तिंजे के लिए बैठने के क़रीब हो, तब सत्र (कपड़े वग़ैरह) खोले, खड़े-खड़े सत्र न खोले। और दोनों पाँव कुशादा करके बैठे और बाएं पर झुक कर बैठे। पेशाब व पाख़ाना से फ़ारिग़ हो कर दुआ पढ़े। (कश्फ़ुल-असरार स0 99, जिल्द 3)।

मस्अला : जिस उज़्व को धोया जाता है उसकी पाकी के साथ हाथ भी पाक हो जाता है, उसके बाद फिर हाथ को बाद में धो कर पाक करने की ज़रूरत नहीं होती है (अगर धो ले तो कोई हरज भी नहीं है) ख़्वाह जिस उज़्व को धोया जा रहा है वह इस्तिंजा की जगह हो या कोई और जगह हो, और तहारत (पाकी) में हाथ से बदबू का दूर करना और मख़रज का नजासत से दूर करना शर्त है, सिवाए उस सूरत के कि आदमी उसके दूर करने से आजिज़ हो। (कश्फ़ुल-असरार स0 109, जिल्द 3)।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

ख़ादिमुत्तदरीस दारुल-उलूम देवबन्द (यू0पी0) इण्डिया

यकुम रजब 1488 हिज. मुताबिक़ 2 नवम्बर 1997 ई0

❖❖❖

मआख़िज़ व मराजेअ़ किताब

नाम किताब : **मआरिफुल-कुरआन**

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान

मतबअ़ : रब्बानी बुक डिपो देवबन्द

नाम किताब : मआरिफुल-कुरआन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुहम्मद मन्जूर नोमानी अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : अल-फ़ुरक़ान बुक डिपो असनिया गाँव, लखनऊ।

नाम किताब : फ़तावा दारुल-उलूम

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब साबिक़ मुफ़्तिये आज़म देवबन्द।

मतबअ़ : मक्तबा दारुल-उलूम देवबन्द।

नाम किताब : फ़तावा रहीमिया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद अब्दुर्रहीम साहब मद्दा ज़िल्लहू।

मतबअ़ : मक्तबा मुंशी स्ट्रीट रांदेर सूरत।

नाम किताब : फ़तावा महमूदिया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती महमूद साहब रह. मुफ़्तिये आज़म देवबन्द।

मतबअ़ : मक्तबा महमूदिया जामा मस्जिद शहर मेरठ।

नाम किताब : फ़तावा आलमगीरी

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : उलमा-ए-वक़्त अह्दे औरंगज़ेब।

मतबअ़ : शम्स पब्लीशर्ज देवबन्द

नाम किताब : किफ़ायतुल-मुफ़्ती

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इल्मुल-फ़िक्ह
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अब्दुश्शुकूर साहब लखनवी रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : अज़ीज़ुल-फ़तावा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुफ़्तिये अज़ीज़ुर्रहमान रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इम्दादुल-मुफ़्तीयीन
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान।
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इम्दादुल-फ़तावा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह.
मतबअ़ : इदारा तालीफ़ाते औलिया देवबन्द।
नाम किताब : फ़तावा रशीदिया कामिल
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना रहीमीया देवबन्द।
नाम किताब : किताबुल-फ़िक्ह अलल-मज़ाहिबिल-अरबा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : अल्लामा अब्दुर्रहमान अलख़बरी रह.
मतबअ़ : औक़ाफ़े पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान।
नाम किताब : जवाहिरुल-फ़िक्ह
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब रह. मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान।

मतबअ : आरिफ़ कम्पनी देवबन्द।

नाम किताब : रद्दुल-मुह्तार

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : अल्लामा इब्ने आबिदीन

मतबअ : पाकिस्तानी।

नाम किताब : बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह.

मतबअ : मक्तबा थानवी देवबन्द।

नाम किताब : मआरिफ़े मदनीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : इफ़ादात मौलाना हुसैन अहमद साहब रह. मदनी

मतबअ : नदवतुल-मुसन्निफ़ीन दिल्ली।

नाम किताब : अत्तरग़ीब वत्तरहीब

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना ज़कीयुद्दीन अब्दुल-अज़ीम मुंज़िरी

मतबअ : नदवतुल-मुसन्निफ़ीन दिल्ली।

नाम किताब : अहसनुल-फ़तावा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : फ़क़ीहुल-अस्र मुफ़्ती रशीद अहमद साहब

मतबअ : सईद कम्पनी कराची (पाकिस्तान)

नाम किताब : निज़ामुल-फ़तावा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब

मतबअ : इस्लामी फ़िक्ह अकेडमी दिल्ली,

सदर मुफ़्ती दारुल-उलूम देबबन्द।

नाम किताब : फ़तावा मुहम्मदीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब रह.

मतबअ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : अल-जवाबुल-मतीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब रह.

मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : रुक्ने दीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना रुक्नुद्दीन अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : इशाअतुल-इस्लाम दिल्ली।

नाम किताब : असरारे शरीअत

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुहम्मद फ़ज़ल साहब अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : पंजाब, पाकिस्तान।

नाम किताब : कीमिया-ए-सआदत

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हिज्जतुल-इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा।

मतबअ़ : इदारा रशीदिया देवबन्द।

नाम किताब : गुन्यतुत्तालिबीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : शैख़ अब्दुल-क़ादिर जीलानी अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : अशरफ़ुल-मवाइज़ देवबन्द।

नाम किताब : अशरफ़ुल-जवाब

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : अशरफ़ुल-मवाइज़ देवबन्द।

नाम किताब : अल-मसालेहुल-अक़्लीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : अशरफ़ुल मवाइज़, देवबन्द

नाम किताब : अग़लातुल-अवाम

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : फ़ज़ाइले नमाज़े

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करीया साहब शैख़ुल हदीस सहारनपुरी।

मतबअ़ : दारुल-इशाअत दिल्ली।

नाम किताब : नमाज़े मस्नून

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सूफ़ी अब्दुल-हमीद साहब

मतबअ़ : ऐतिक़ाद पब्लीशिंग हाउस दिल्ली।

नाम किताब : आपके मसाइल और उनका हल

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ साहब लुधयानवी।

मतबअ़ : कुतुबख़ाना नईमीया देवबन्द।

नाम किताब : इम्दादुल-अहकाम

मुरत्तिब : मौलाना ज़फ़र अहमद साहब उसमानी रहमतुल्लाह अलैह।

मतबअ़ : मक्तबा दारुल-उलूम कराची।

नाम किताब : हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : शैख़ुल-हदीस शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा।

मतबअ़ : दारुल-किताब देवबन्द।